NEXT IAS

THE CRUX

सितंबर अंक; 2025

मुख्य संपादक

बी. सिंह (Ex. IES)

CMD, NEXT IAS & MADE EASY Group

MADE EASY PUBLICATIONS

MADE EASY Publications Pvt. Ltd.

Corporate Office: 44-A/4, Kalu Sarai, New Delhi-110016

Visit us at: www.madeeasypublications.org

☎ 011-45124660, 8860378007

E-mail: infomep@madeeasy.in

© Copyright 2025

MADE EASY Publications Pvt. Ltd. has taken due care in collecting the data before publishing this book. Inspite of this, if any inaccuracy or printing error occurs then MADE EASY Publications owes no responsibility. MADE EASY Publications will be grateful if you could point out any such error. Your suggestions will be appreciated. © All rights reserved by MADE EASY Publications Pvt. Ltd. No part of this book may be reproduced or utilized in any form without the written permission from the publisher.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this magazine are those of the authors and do not necessarily reflect policy or position of CURRENT AFFAIRS Magazine or MADE EASY Publications. They should be understood as the personal opinions of the author/authors. The MADE EASY assumes no responsibility for views and opinions expressed nor does it vouch for any claims made in the advertisements published in the Magazine. While painstaking effort has been made to ensure the accuracy and authenticity of the informations published in the Magazine, neither Publisher, Editor or any of its employee does not accept any claim for compensation, if any data is wrong, abbreviated, cancelled, omitted or inserted incorrect.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without either the prior written permission of the Publisher.

1 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक यूपीएससी से संबंधित प्रासंगिक समसामयिकी का संकलन

विषयसूची

कवर स्टोरी

शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन, 2025 4
ई-गवर्नेंस पर विशाखापट्नम घोषणा 6
जेंडर स्नैपशॉट 2025 8
महान्यायवादी का पद 11

विशेष लेख

दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय 12
सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या 14
वन अधिकार अधिनियम पर यूएनडीपी रिपोर्ट 15
भारत-सिंगापुर संबंध 16
भारत-मॉरीशस संबंध 18
भारत में बैंकिंग उद्योग 19
भारत का दलहन क्षेत्र 21
पांच वर्ष की ब्लू इकॉनमी 22
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 24
भारत में पर्यटन क्षेत्र 25
सार्वजनिक ऋण पर रिपोर्ट 26
वन भूमि पर खनिज अन्वेषण ड्रिलिंग 27
भारत में डीकार्बोनाइजेशन 28
पराली जलाना 29
सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रव्यापी पटाखा नीति बनाने का आह्वान किया 30
शहरीकरण और उसकी चुनौतियाँ 32
घरेलू हिंसा अधिनियम 34

Disclaimer:
MADE EASY Publications Pvt. Ltd. has taken due care in collecting the data before publishing this book. Inspite of this, if any inaccuracy or printing error occurs then MADE EASY Publications owes no responsibility. MADE EASY Publications will be grateful if you could point out any such error. Your suggestions will be appreciated. © All rights reserved by MADE EASY Publications Pvt. Ltd. No part of this book may be reproduced or utilized in any form without the written permission from the publisher.

विषयसूची | संक्षिप्त लेख

1. राजव्यवस्था एवं शासन

राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ.....35
जनगणना 2027: भारत की पहली डिजिटल जनगणना.....35
आव्रजन एवं विदेशी नियम, 2025.....36
एनआईआरएफ रैंकिंग 2025.....36
फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम (FTI-TTP).....36
भारत के 15वें उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण.....37
हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य.....37
"आदि वाणी" का बीटा संस्करण.....37
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम.....37
राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA).....38
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना.....38
विकसित भारत के लिए एआई रोडमैप.....38
विकसित भारत बिल्डथॉन 2025.....38
जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल.....39
विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010.....39
पारंपरिक चिकित्सा.....39
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम.....41
भारत में व्यक्तित्व अधिकार.....41
सर्वोच्च न्यायालय ने खेलों को एक एकीकृत शक्ति बताया.....41
मैसूर दशहरा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को कायम रखा.....42
विदेशी न्यायाधिकरण.....43

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन.....44
भारत द्वारा फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का समर्थन.....44
एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 में प्रधानमंत्री मोदी-शी जिनपिंग की मुलाकात.....44
नेपाल में जेनरेशन Z का विरोध प्रदर्शन.....45
भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर.....45
सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता.....46
एच-1बी वीजा.....46
भारत द्वारा इजराइल के दोहा हमले की निंदा.....47
फ्रांस द्वारा फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता.....47
भारत और मोरक्को द्वारा रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर.....48

3. अर्थव्यवस्था

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF).....49
बॉण्ड यील्ड.....49
नारियल विकास बोर्ड.....49
भारती पहल.....49
स्टेबलकॉइन्स.....50
पिंक टैक्स.....50
गहरे समुद्र में अन्वेषण.....50
राष्ट्रीय मखाना बोर्ड.....51
सेक्स सॉर्टेड सीमेन (SEX SORTED SEMEN).....51
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS).....51
क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCIL).....51
ब्लू पोर्ट्स.....52
एफ्लाटॉक्सिन.....52
मैत्री 2.0.....52
एकीकृत भुगतान प्रणाली.....53
स्वच्छ पौध कार्यक्रम (CPP).....53
भारत में चाय क्षेत्रक.....53
भारतीय कॉफी बोर्ड.....54
भारत का बाह्य प्रेषण.....54

4. पर्यावरण

कोनोकार्पस ट्री.....55
ओर्का (ORCAS).....55
एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025.....55
ब्लू ड्रैगन.....56
रोजवुड ट्री.....57
सेना स्पेक्टेबिलिस.....57
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स).....57
पल्लास कैट.....58
सरिस्का टाइगर रिजर्व.....58
भारत का पहला बाँस-आधारित इथेनॉल संयंत्र.....58
सिकाडा.....58
कोआला (KOALAS).....59
यूस्टोमा फूल.....59
पश्चिमी घाट में एस्परगिलस प्रजातियाँ.....59
ओजोन छिद्र का विस्तार.....60
येलो क्रिस्टेड कॉकटू.....60
कदम्ब वृक्ष.....60
हंगुल हिरण.....61
स्मॉग-ईटिंग फोटोकैटेलिटिक कोटिंग्स.....61
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.....61
हाई सी ट्रीटी.....61
मिशन मौसम.....62
भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल.....62
भारत का पहला डुगोंग अभ्यारण्य.....64
गैंडे की स्थिति पर रिपोर्ट.....64

5. भूगोल

अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज.....66
माचू पिच्चू.....66
सुपर टाइफून रागासा.....66
तिराह घाटी.....67
लघु बादल फटना.....67
चन्द्र ग्रहण.....67

6. आंतरिक सुरक्षा

भारत में एपीके (APK) धोखाधड़ी.....68
आईएनएस अरावली.....68
मणिपुर में ऑपरेशन निलंबन (SoO) समझौता.....68
प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और क्षमता रोडमैप (TPCR-2025).....69
चीन का नया विमानवाहक पोत 'फुजियान'.....69
चीन सीमा पर बॉर्डर विंग होमगार्ड.....69
भारतीय तटरक्षक बल.....70
भारतीय नौसेना का 'एंड्रोथ'.....70
समुद्र प्रदक्षिणा.....70
पीएमएलए मामलों में दोषसिद्धि दर 94%: ईडी.....70
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट -इंडिया.....71
अग्नि-प्राइम मिसाइल.....71
आईसीजीएस अदम्य.....71
तेजस मार्क-1A एयरक्राफ्ट.....71
अफ्सपा.....72

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

सेरेबो - मस्तिष्क की चोट का निदान उपकरण.....73
विक्रम 32-बिट प्रोसेसर चिप.....73
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) एन्ड टीओटीपी (TOTP).....73
गगनयान एनालॉग एक्सपेरिमेंट्स (ज्ञानेक्स).....74
प्रत्युष मिशन.....74
प्रोटीन भाषा मॉडल.....74
एंटरोमिक्स - mRNA कैंसर वैक्सीन.....75
विश्व के पहले एआई 'मंत्री' डिएला.....75
मृदाकरण तकनीक.....76
पॉलीप्रोपाइलीन.....76
फेंटेनाइल दवा.....76
एस्ट्रोसैट वेधशाला.....77
गामा-किरण विस्फोट (GRBS) और चरम नाभिकीय क्षणिक विस्फोट (ENTS).....77
खगोलविदों ने पृथ्वी के निकट अर्ध-चंद्रमा का पता लगाया.....78
वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025.....78
विश्व का पहला कार्यशील AI-डिजाइन किया गया वायरल जीनोम.....78
H3N2 फ्लू.....79
टाइलेनॉल से जुड़े ऑटिज्म संबंधी मिथक.....79
मिग-21 फाइटर जेट.....79

8. समाज

विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए बोर्ड (DWBDNC).....80
अवैतनिक देखभाल कार्य और महिलाओं के पास समय की कमी: उनकी पसंद या उनका कर्त्तव्य.....80
आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर (OOPE).....80
कमजोर वर्गों के विरूद्ध बढ़ते अपराध.....81

9. संस्कृति एवं इतिहास

छठ महापर्व.....82
भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार.....82
सारनाथ.....82
गुस्सड़ी नृत्य.....83
भारत की यूनेस्को की संभावित सूची में वृद्धि.....83
रोश हशनाह.....83

10. विविध

स्कोप एमिनेंस अवार्ड्स.....84
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 2025.....84
भूपेन हजारिका की 99वीं जयंती.....84
अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड (IESO-2025).....84
विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025.....85
सार्वजनिक वित्तीय परिसंपत्ति प्रबंधन (PFAM) कार्यक्रम.....85
गुजरात का सौर गाँव धोरडो.....85
राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार-2024.....86
वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार.....86

11. डेटा पुनर्कथन

.....87
स्वयं परीक्षण.....88

शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन, 2025

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) ने वर्ष 2025 में चीन के तियानजिन शहर में अपना वार्षिक राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित किया।

मुख्य विशेषताएँ

- **आतंकवाद:** घोषणा में सभी आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की गई, जिनमें भारत के पहलगाम हमले और पाकिस्तान में हुए हमले शामिल हैं। इसमें देशों से अपील की गई कि वे सीमा पार आतंकवाद को रोकें।
- **वैश्विक व्यवस्था और व्यापार:** इसमें अमेरिका के टैरिफ और प्रतिबंधों को अस्वीकार किया गया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने "शीत युद्ध जैसी सोच" की आलोचना की और एक निष्पक्ष व समावेशी विश्व व्यवस्था के लिए "वैश्विक शासन पहल" (Global Governance Initiative) का प्रस्ताव रखा।
- **सदस्यता:** लाओस नए भागीदार के रूप में शामिल हुआ। पर्यवेक्षक (observer) और संवाद भागीदार (dialogue partner) श्रेणियों को मिलाकर अब SCO के कुल 27 देश हो गए – 10 पूर्ण सदस्य और 17 भागीदार।
- **अर्थव्यवस्था:** घोषणा में SCO विकास बैंक (SCO Development Bank) की स्थापना की योजना का उल्लेख किया गया। चीन ने 2025 में ¥2 अरब अनुदान और अगले तीन वर्षों में ¥10 अरब का ऋण देने का वादा किया ताकि विकास परियोजनाओं को सहायता मिल सके।
- **भूराजनीति:** गाजा युद्ध पर संगठन ने नागरिकों की मौत की निंदा की और ईरान पर इजराइल-अमेरिका के हमलों का विरोध किया।
    - अफगानिस्तान के संदर्भ में, एक समावेशी (inclusive) सरकार बनाने की अपील की गई।
    - बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) पर सभी सदस्य देशों ने समर्थन दिया, सिवाय भारत के, जिसने समर्थन नहीं किया।
- **चीन की SCO के संस्थागत विस्तार की पहल:** SCO के सदस्य अब चीन की BeiDou उपग्रह प्रणाली (जो GPS का विकल्प है) का उपयोग कर सकते हैं।
    - चीन ने अगले तीन वर्षों में SCO सदस्य देशों को $1.4 अरब का ऋण देने का वादा किया। इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं के लिए SCO विकास बैंक की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया।
- **SCO प्लस प्रारूप:** चीन ने SCO+ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिसमें सदस्य देशों, पर्यवेक्षकों, संवाद भागीदारों, विशेष अतिथियों और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने भाग लिया। यह SCO की वैश्विक शासन में बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।
- **संयुक्त राष्ट्र सुधार:** घोषणा में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को आधुनिक परिस्थितियों के अनुसार ढालने की आवश्यकता है, विशेष रूप से विकासशील देशों को इसके संचालन निकायों में अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

SCO
शंघाई सहयोग संगठन

1996 – शंघाई फाइव

कजाखस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, चीन

2001 – शंघाई फाइव ⟶ SCO

उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया।
नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन रखा गया।

2017 – पहला विस्तार

भारत और पाकिस्तान शामिल हुए।

2022 – SCO शिखर सम्मेलन, उज़्बेकिस्तान

वाराणसी को SCO क्षेत्र की "पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी" चुना गया (2022-23 के लिए)।

2023 – SCO शिखर सम्मेलन, भारत

भारत ने पहली बार सम्मेलन की मेजबानी की। यह वर्चुअल रूप से आयोजित हुआ।
ईरान को SCO का 9वां सदस्य देश बनाया गया।
SCO सदस्य देशों ने समूह के भीतर भुगतान के लिए "राष्ट्रीय मुद्राओं" के उपयोग की संभावना तलाशने पर सहमति जताई।

एक यूरेशियाई अंतर-सरकारी संगठन जो आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित

शासन

मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय विकास | **सुरक्षा से जुड़े मुद्दे:** क्षेत्रीय आतंकवाद, जातीय अलगाववाद, धार्मिक उग्रवाद

संचालन करता है राज्य प्रमुख परिषद, जो SCO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है (साल में एक बार बैठक होती है)।

आधिकारिक भाषाएँ: रूसी और चीनी

क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना

SCO का स्थायी अंग है। **मुख्यालय:** ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।

इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है ताकि तीन बुराइयों से निपटा जा सके:
- क्षेत्रीय आतंकवाद
- जातीय अलगाववाद
- धार्मिक उग्रवाद

एससीओ का महत्त्व

- **वैश्विक प्रभाव का विस्तार:** SCO अब मध्य एशियाई मंच से विकसित होकर एक वैश्विक मंच बन गया है। इसके सदस्य देश विश्व के 23% GDP और 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह बहुपक्षवाद (multilateralism) और वैश्विक शासन को नया रूप देने की क्षमता रखता है।
- **पश्चिमी संस्थानों का विकल्प:** SCO एक गैर-पश्चिमी सहयोग मॉडल प्रदान करता है, जिससे देशों को पश्चिम-प्रभुत्व वाले ढाँचों से बाहर एक मंच मिलता है।
  - तुर्की, जो NATO का सदस्य है, का पूर्ण सदस्यता में रुचि दिखाना SCO के बढ़ते महत्त्व को दर्शाता है।
- **क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा:** NATO की वापसी के बाद अफगानिस्तान में अस्थिरता से निपटने में SCO एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसका अफगानिस्तान संपर्क समूह (Afghanistan Contact Group – ACG) क्षेत्रीय सहयोग और संवाद बनाए रखने में मदद करता है।
- **ऊर्जा सहयोग:** रूस, कजाखस्तान और ईरान जैसे प्रमुख ऊर्जा उत्पादक देशों तथा चीन और भारत जैसे उपभोक्ता देशों के साथ, SCO ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और तेल, गैस तथा नवीकरणीय ऊर्जा के संयुक्त प्रोजेक्ट्स की खोज के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- **सांस्कृतिक और जन-से-जन संबंध:** SCO शिक्षा, संस्कृति और युवाओं के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है, जिससे राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों से आगे बढ़कर क्षेत्रीय पहचान और "सॉफ्ट पावर" सहयोग मजबूत होता है।
- **वैश्विक दक्षिण (Global South) की आवाज:** एकतरफावाद (unilateralism) और प्रतिबंधों का विरोध करते हुए SCO उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधि मंच बनता जा रहा है और वैश्विक संस्थानों में सुधार की वकालत करता है।
- **आतंकवाद-रोधी सहयोग:** SCO अपनी क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (Regional Anti–Terrorist Structure – RATS) के माध्यम से आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के विरूद्ध खुफिया जानकारी साझा करने और समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।
- **वैश्विक राजनीति में सामरिक संतुलन:** चीन के लिए SCO नेतृत्व दिखाने और "वैश्विक दक्षिण" की आवाज के रूप में खुद को प्रस्तुत करने का माध्यम है, जबकि रूस के लिए यह पश्चिम का मुकाबला करने और बहुध्रुवीयता (multipolarity) को बढ़ावा देने का मंच है।
- **यूरेशिया में संपर्क बढ़ाना:** SCO मध्य एशिया में बुनियादी ढाँचे और व्यापार गलियारों (corridors) को प्रोत्साहित करता है, जैसे INSTC और चाबहार बंदरगाह परियोजनाएँ, जो भू-आवेष्ठित (landlocked) क्षेत्रों की अलगाव स्थिति को कम करके आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देती हैं।

एससीओ के समक्ष चुनौतियाँ:

- **एशिया-केंद्रित एजेंडे से दूरी:** बेलारूस जैसे नए सदस्यों के शामिल होने से SCO की वैश्विक पहचान तो बढ़ी है, लेकिन इससे इसका मध्य एशिया-केंद्रित फोकस कमजोर हुआ है।
  - अत्यधिक विस्तार से संगठन में बिखराव (fragmentation) का खतरा बढ़ गया है और सदस्य देश प्रभावी सहयोग के लिए छोटे उप-समूहों (sub–groupings) की ओर झुक सकते हैं।
- **चीनी भू-राजनीतिक कथानक का साधन:**
  - चीन SCO की बढ़ती सदस्यता को अपनी वैश्विक सोच के समर्थन के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता है।
  - वह इस विस्तार का उपयोग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) जैसी अपनी पहल को आगे बढ़ाने के लिए करता है, जिससे SCO को चीन-प्रधान ढाँचे में ढालने की कोशिश होती है और अन्य देशों की चिंताओं को नजरअंदाज किया जाता है।
- **विविध और विरोधाभासी हित:** सदस्यों के बीच गहरे मतभेदों के कारण सर्वसम्मति बनाना कठिन रहता है। उदाहरण के लिए, भारत लगातार पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताता है, जबकि चीन कूटनीतिक रूप से इस्लामाबाद का समर्थन करता है, जिससे सुरक्षा सहयोग के मुद्दों पर गतिरोध (deadlock) उत्पन्न होता है।

भारत के लिए SCO (शंघाई सहयोग संगठन) की प्रासंगिकता

- **आतंकवाद का मुकाबला:** SCO भारत को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ वह सीमा पार आतंकवाद से जुड़ी अपनी चिंताओं को उठा सकता है और सामूहिक कार्रवाई की माँग कर सकता है। इसके माध्यम से भारत क्षेत्र में पाकिस्तान की आतंकवाद फैलाने में भूमिका को उजागर कर सकता है।
- **मध्य एशिया तक पहुँच:** SCO की सदस्यता भारत को मध्य एशियाई देशों से अधिक निकटता से जोड़ती है। यह क्षेत्र व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, और INSTC (अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा) तथा चाबहार बंदरगाह जैसे संपर्क परियोजनाओं के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- **चीन और रूस के बीच संतुलन:** SCO के माध्यम से भारत बहुपक्षीय मंच पर चीन और रूस दोनों के साथ संवाद कर सकता है। यह भारत को अपनी सामरिक स्वायत्तता बनाए रखने और यूरेशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में मदद करता है।
- **यूरेशिया में रणनीतिक उपस्थिति:** SCO का हिस्सा होने से भारत क्षेत्रीय निर्णय-निर्माण से बाहर नहीं रहता, विशेषकर अफगानिस्तान, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर। यह भारत की उपस्थिति को उन क्षेत्रों में मजबूत करता है, जिन पर परंपरागत रूप से चीन और रूस का प्रभाव रहा है।
- **क्षेत्रीय एजेंडा को आकार देना:** भारत SCO के माध्यम से अपने विचारों को बढ़ावा दे सकता है – जैसे सतत् विकास, डिजिटल नवाचार और समावेशी संपर्क – ताकि एजेंडा केवल चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) जैसी परियोजनाओं तक सीमित न रह जाए।

बाह्य धारणाएँ:

- पश्चिमी देश SCO को एक "पश्चिम-विरोधी गठबंधन" (anti–West bloc) के रूप में देखते हैं, जिससे इसकी व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जुड़ने की क्षमता सीमित हो जाती है।
- यह धारणा इसके वास्तविक बहुपक्षीय सहयोग (multilateral collaboration) की संभावनाओं को कम कर देती है।

ई-गवर्नेंस पर विशाखापट्नम घोषणा

यह घोषणा विशाखापट्नम में आयोजित 28वीं राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में अपनाई गई थी, जिसमें समावेशी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित डिजिटल शासन पर जोर दिया गया है।

परिचय:

- **सह-आयोजक:** प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा आंध्र प्रदेश सरकार।
- **विषय:** "विकसित भारत: सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन" – जिसका दृष्टिकोण है "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन।"

विशाखापट्नम घोषणा की मुख्य विशेषताएँ

- **राष्ट्रीय दृष्टिकोण:** "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के सिद्धांत के अनुरूप समावेशी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ावा देना।
- **प्रौद्योगिकी आधारित शासन:** वास्तविक समय, बहुभाषी और क्षेत्र-विशिष्ट सेवाएँ प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, GIS, IoT और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करना। **उदाहरण:** डिजिटल इंडिया भाषिणी, डिजी यात्रा, और NADRES V2 प्लेटफॉर्म।
- **सफल मॉडलों का दोहराव:** प्रमाणित डिजिटल मॉडलों को पूरे देश में लागू करना, जैसे-
  - **संपदा 2.0 (मध्य प्रदेश):** कृषि मूल्य श्रृंखला का एकीकरण।
  - **ई-खाता (बेंगलुरु):** डिजिटल संपत्ति अभिलेख प्रणाली।
  - **रोहिणी ग्राम पंचायत (महाराष्ट्र):** स्थानीय शासन का डिजिटलीकरण।
  - ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम (NHAI): परियोजनाओं की वास्तविक समय निगरानी।
- **जमीनी स्तर पर समावेशी विकास:**
  - NeSDA फ्रेमवर्क के अंतर्गत डिजिटल सेवाओं का विस्तार पूर्वोत्तर और लद्दाख जैसे दूरदराज क्षेत्रों तक करना।
  - सफल पंचायत डिजिटल मॉडलों का विस्तार करना और महिलाओं व युवाओं के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू करना।
- **साइबर सुरक्षा और समुत्थानशील:** जीरो-ट्रस्ट आर्किटेक्चर, पोस्ट-क्वांटम एन्क्रिप्शन, और AI-आधारित निगरानी प्रणाली के माध्यम से डिजिटल सुरक्षा को सुदृढ़ करना, विशेषकर रक्षा, परिवहन और नागरिक सेवा प्लेटफॉर्म में।
- **कृषि और सततता:** किसानों की ऋण, सलाह और बाजार तक पहुँच को बेहतर बनाने के लिए नेशनल एग्री स्टैक (National Agri Stack) को बढ़ावा देना, जिससे टिकाऊ कृषि को समर्थन मिले।
- **सहयोग और क्षेत्रीय नवाचार:**
  - सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से बड़े पैमाने पर डिजिटल समाधान विकसित करना।
  - क्षेत्रीय नवाचार केंद्रों का विकास करना, जिनमें विशाखापट्नम को उभरते हुए आईटी और नवाचार केंद्र के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

ई-शासन

- भारत में ई-गवर्नेंस का अर्थ है सरकार द्वारा सेवाएँ प्रदान करने, सूचनाओं का आदान-प्रदान करने और नागरिकों के साथ बातचीत करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग।

महत्त्वपूर्ण ई-गवर्नेंस मॉडल (द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार)

मॉडल	विवरण	उदाहरण
सरकार से सरकार (G2G)	विभिन्न विभागों और सरकारी स्तरों के बीच समन्वय और डेटा साझाकरण को मजबूत करता है।	• **खजाने परियोजना (कर्नाटक):** राज्य कोषागार संचालन का कम्प्यूटरीकरण। • **स्मार्ट-गवर्नेंस (आंध्र प्रदेश):** राज्य सचिवालय में कार्यप्रवाह स्वचालन और ज्ञान प्रबंधन।
सरकार से नागरिक (G2C)	डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों को त्वरित, सुविधाजनक और पारदर्शी सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करता है।	• डिजीलॉकर, CoWIN ऐप, UPI: सुरक्षित दस्तावेज भंडारण, टीकाकरण सेवाएँ और डिजिटल भुगतान की सुविधा। • **ई-मित्र (राजस्थान):** नागरिकों को अनेक सरकारी सेवाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने वाला केंद्र। • **ज्ञानदूत (मध्य प्रदेश):** ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों को जोड़ने वाला ई-सेवा नेटवर्क।
सरकार से व्यवसाय (G2B)	सरकार और व्यवसायों के बीच बातचीत को सरल बनाता है, जिससे व्यापार करने में आसानी होती है।	• **एमसीए21 (कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय):** ऑनलाइन कंपनी पंजीकरण, अनुपालन दाखिल करना (कम्प्लायंस फाइलिंग), और कॉरपोरेट डेटा तक पहुँच की सुविधा।
सरकार से कर्मचारी (G2E)	सरकारी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और कुशल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है।	• iGOT प्लेटफॉर्म: सिविल सेवकों के लिए ऑनलाइन सीखने और प्रशिक्षण का माध्यम, जिससे उनकी डिजिटल और प्रशासनिक कौशल को मजबूत किया जा सके।

ई-गवर्नेंस के लाभ

- **सेवा वितरण में सुधार:** भारत ने सार्वजनिक सेवाओं को सफलतापूर्वक डिजिटल बना दिया है। डिजीलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक प्रमाणपत्र आदि जैसे महत्त्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से एक्सेस और संग्रहीत कर सकते हैं।
- **उद्योग-सरकार संपर्क में वृद्धि:** डिजिटल प्लेटफॉर्म ने नियामक प्रक्रियाओं (regulatory procedures) को सरल बना दिया है, जिससे उद्योगों, व्यवसायों और सरकार के बीच संचार और समन्वय बेहतर हुआ है।
- **ब्यूरोक्रेसी में कमी:** ई-गवर्नेंस ने बिचौलियों और नौकरशाही पर निर्भरता कम की है, जिससे नागरिक सीधे सरकारी सेवाओं से जुड़ पा रहे हैं और सेवाओं की उपलब्धता में सुधार हुआ है।
- **भ्रष्टाचार में कमी:** ऑनलाइन निगरानी और प्रत्यक्ष डिजिटल लेनदेन से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हुआ है। आधार को मनरेगा मजदूरी भुगतान से जोड़ने से फर्जी लाभार्थियों को हटाया गया है और धन सीधे असली मजदूरों तक पहुँचाया जा रहा है।
- **प्रशासनिक ढाँचे का सरलीकरण:** सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) ने प्रशासनिक स्तरों पर भागीदारी को आसान बनाया है, जिससे कठोर पदानुक्रम (hierarchy) कम हुआ है और सामूहिक निर्णय लेने को बढ़ावा मिला है।
- **लीकेज पर रोक:** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली के माध्यम से सरकार ने लगभग 27 अरब डॉलर की बचत की है, क्योंकि अब बिचौलियों को हटाकर राशि सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाई जाती है।
- **प्रशासनिक स्वचालन:** डिजिटलीकरण ने प्रशासन को तेज और पारदर्शी बना दिया है। उदाहरण के लिए, सहरसा जिला बिहार का पहला पेपरलेस (ई-ऑफिस) जिला बना, जो "शून्य लालफीताशाही" शासन की दिशा में एक बड़ा कदम है।

ई-गवर्नेंस की प्रमुख चुनौतियाँ

- **विश्वास की कमी:** बार-बार होने वाले डेटा लीक और जानकारी के दुरुपयोग ने नागरिकों के बीच अविश्वास पैदा कर दिया है। कई सरकारी विभाग अब भी सुरक्षित और अद्यतन डेटाबेस बनाए रखने में संघर्ष कर रहे हैं, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है।
- **डिजिटल विभाजन:** इंडिया इनइक्वैलिटी रिपोर्ट 2022 (ऑक्सफैम) के अनुसार, भारत में डिजिटल असमानता बहुत अधिक है - सबसे अमीर 60% भारतीय, सबसे गरीब 40% की तुलना में डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग चार गुना अधिक करते हैं।
  - तकनीकी पहुँच में असमानता के कारण डिजिटल समावेशन (digital inclusion) कम है, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में।
- **पहुँच की कमी:** इंटरनेट की पहुँच सीमित है - केवल 17% ग्रामीण परिवारों को इंटरनेट की सुविधा है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 44% है। दूरदराज क्षेत्रों में कमजोर बुनियादी ढाँचा ई-गवर्नेंस सेवाओं की पहुँच को सीमित करता है।
- **डिजिटल साक्षरता और जागरूकता:** केवल 38% भारतीय परिवार ही डिजिटल रूप से साक्षर हैं। जागरूकता की कमी, अशिक्षा और तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण नागरिक, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, ऑनलाइन सेवाओं का प्रभावी उपयोग नहीं कर पाते।
- **भाषाई बाधा:** केवल 10% आबादी ही अंग्रेजी में निपुण है, जिसके कारण अधिकांश नागरिक केवल अंग्रेजी में उपलब्ध ई-सेवाओं का उपयोग करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसलिए सेवाओं को क्षेत्रीय भाषाओं में विस्तार देना समावेशिता के लिए आवश्यक है।
- **उच्च कार्यान्वयन और रखरखाव लागत:** ई-गवर्नेंस पहल भारत के GDP का लगभग 3% खर्च करती हैं, और इनके रखरखाव में लगातार सॉफ्टवेयर अपडेट, साइबर सुरक्षा और ढाँचा लागत शामिल होती है।
  - लागत प्रभावशीलता और विस्तार क्षमता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
- **गोपनीयता और सुरक्षा जोखिम:** CoWIN डेटा लीक जैसी साइबर हमलों ने आधार, पैन और पासपोर्ट जैसी संवेदनशील जानकारियाँ उजागर कीं, जिससे सरकारी डेटाबेस की कमजोरियाँ सामने आईं।
  - हालाँकि 2022 में साइबर धोखाधड़ी के मामलों में 17.5% की कमी आई, लेकिन कुल वित्तीय नुकसान अब भी लगभग ₹128 करोड़ रहा।
- **परस्पर संचालन (Interoperability) की समस्या:** सरकारी विभाग और मंत्रालय अक्सर अलग-अलग काम करते हैं, जिससे डेटा साझा करने और समन्वय में बाधा आती है। मानकीकृत डेटा प्रारूप और साझा ढाँचे की कमी के कारण एकीकरण और निर्णय लेने में देरी होती है।

भारत में ई-गवर्नेंस में सुधार के लिए उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP):** वर्ष 2006 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य मिशन मोड परियोजनाओं (Mission Mode Projects) के माध्यम से सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना है, ताकि नागरिक एकीकृत डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से आसानी से सेवाएँ प्राप्त कर सकें।
- **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम:** वर्ष 2015 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम भारत को डिजिटली सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए बनाया गया है। इसके अंतर्गत ई-क्रांति, भारतनेट, डिजीलॉकर, और माईगॉव (MyGov) जैसी पहलें शामिल हैं।
- **भारतनेट परियोजना:** यह विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड पहल है, जो 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड फाइबर नेटवर्क से जोड़कर अंतिम छोर तक डिजिटल कनेक्टिविटी और ग्रामीण ई-गवर्नेंस को सक्षम बनाती है।
- **उमंग और MyGov प्लेटफॉर्म:** उमंग ऐप में 1,000 से अधिक सरकारी सेवाएँ एक ही जगह पर उपलब्ध हैं, जबकि MyGov नागरिकों को आइडिया और सुझावों के माध्यम से शासन में भागीदारी का अवसर देता है।
- **ई-कोर्ट्स और ई-ऑफिस पहल:** ई-कोर्ट्स से न्यायिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण होता है, वहीं ई-ऑफिस से फाइलों की ऑनलाइन ट्रैकिंग और स्वीकृति के माध्यम से पेपरलेस प्रशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
- **राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG) और iGOT कर्मयोगी:** NCGG शासन की सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देता है, जबकि iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म सिविल सेवकों के लिए निरंतर डिजिटल शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- **साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण उपाय:** राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 नागरिकों के डेटा की सुरक्षा और ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

जेंडर स्नैपशॉट 2025

संयुक्त राष्ट्र जेंडर स्नैपशॉट 2025 में चेतावनी दी गई है कि यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो 2030 तक 351 मिलियन से अधिक महिलाएँ और लड़कियाँ अत्यधिक गरीबी में रह सकती हैं।

मुख्य निष्कर्ष:

- **गरीबी से मुक्ति:** 2025 में महिलाएँ कम रोजगार, अधिक गरीबी, सुरक्षा की कमी और भारी बिना वेतन वाले देखभाल कार्य का सामना कर रही हैं। समानता, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के माध्यम से इन बाधाओं को तोड़ना अत्यंत आवश्यक है।
  - यदि उचित कदम उठाए जाएँ, तो 2030 तक 5.2 करोड़ अतिरिक्त महिलाएँ और लड़कियाँ अत्यधिक गरीबी से बाहर निकल सकती हैं।
- **हिंसा से मुक्त जीवन:** विश्व स्तर पर लगभग 12.5% महिलाएँ हिंसा का शिकार होती हैं, और यह दर संघर्षग्रस्त देशों में और भी अधिक है। कानून और योजनाएँ होने के बावजूद, कमजोर क्रियान्वयन से प्रगति सीमित रही है। परिवर्तन लाने के लिए सख्त कार्रवाई, पीड़ितों को सहायता, और महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण जरूरी है ताकि 2030 तक वास्तविक सुधार हो सके।
- **संपूर्ण और समान निर्णय लेने की शक्ति:** महिलाओं के पास विश्वभर में केवल 27% संसदीय सीटें हैं और वे शीर्ष पदों पर बहुत कम हैं – यह "अप्रत्यक्ष अवरोध" (glass ceiling) के कारण है। लिंग समानता के लिए आरक्षण (quota), संयुक्त नेतृत्व (dual leadership) और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है।
- **शांति और सुरक्षा:** संघर्षों में महिलाएँ और बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, लेकिन उन्हें शांति प्रक्रियाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। बेहतर सुरक्षा, भागीदारी और वित्तीय समर्थन की आवश्यकता है।
  - वर्तमान में केवल 113 राष्ट्रीय कार्ययोजनाओं में से 55% ही महिलाओं की शांति प्रक्रियाओं में भागीदारी सुनिश्चित करती हैं।
- **जलवायु न्याय:** जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है, लेकिन केवल 39% देश ही अपनी जलवायु नीतियों में लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल करते हैं। समावेशी निर्णय-निर्माण और महिलाओं का नेतृत्व जलवायु न्याय के लिए आवश्यक है।
  - अनुमान है कि 2050 तक 15.8 करोड़ महिलाएँ जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक गरीबी का सामना कर सकती हैं।
  - केवल 39% देश ही महिलाओं को राष्ट्रीय जलवायु नीतियों में शामिल करते हैं।
  - 2022-23 में जलवायु और लैंगिक सहायता का 1% से भी कम हिस्सा महिलाओं के अधिकारों के संगठनों को मिला, और अब इसमें कटौती होने का खतरा है।

भारत-विशिष्ट आयाम

- **महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर (FLFPR):** 2023 में लगभग 37% (ILO के अनुसार), जो दक्षिण एशिया में सबसे कम दरों में से एक है।
- **राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 15% है, हालाँकि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के अंतर्गत इसे 33% तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।
- **शिक्षा:** स्कूल नामांकन में लैंगिक समानता हासिल कर ली गई है, लेकिन माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के बीच ड्रॉपआउट दर अधिक है, जिसका कारण जल्दी शादी, सुरक्षा की चिंता और सामाजिक मान्यताएँ हैं।
- **डिजिटल विभाजन:** NFHS-5 के अनुसार, केवल 33% महिलाएँ इंटरनेट का उपयोग करती हैं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 57% है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, 2023 में महिलाओं के विरुद्ध लगभग 4.48 लाख अपराध दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा अधिक है।

संविधान के अंतर्गत लैंगिक समानता:

- **प्रस्तावना:** सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्थिति और अवसर की समानता की गारंटी देती है – जो लैंगिक न्याय की नींव बनाती है।
- **अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है और राज्य की सभी कार्रवाइयों में लैंगिक समानता पर जोर देता है।
- **अनुच्छेद 15(1):** केवल लिंग के आधार पर भेदभाव करने पर रोक लगाता है।
- **अनुच्छेद 15(3):** महिलाओं और बच्चों के हित में सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 16:** सरकारी नौकरियों में समान अवसर की गारंटी देता है, चाहे व्यक्ति का लिंग कोई भी हो।
- **अनुच्छेद 23:** मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है, जिनका प्रभाव महिलाओं और लड़कियों पर अधिक पड़ता है।
- **अनुच्छेद 39(a) और (d):** समान कार्य के लिए समान वेतन और दोनों लिंगों के लिए समान आजीविका के साधनों की गारंटी देता है।
- **अनुच्छेद 42:** न्यायसंगत कार्य परिस्थितियों और मातृत्व लाभों की व्यवस्था का समर्थन करता है।
- **अनुच्छेद 51A(e) और (f):** मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि वे महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाली प्रथाओं को त्यागें और महिलाओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा दें।
- **73वां और 74वां संविधान संशोधन (1992):** स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण प्रदान करते हैं, जिससे वे जमीनी स्तर पर शासन (Grassroots Governance) में सक्रिय भागीदारी निभा सकें।

लैंगिक समानता के लिए वैश्विक प्रयास:

- **संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य 5 (SDG 5):** इसका उद्देश्य लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं व लड़कियों को सशक्त बनाना है।
- **बीजिंग घोषणा $30:**
  - **डिजिटल समावेशन:** लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम करना।

- **आर्थिक सुरक्षा:** सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और देखभाल अर्थव्यवस्था (care economy) का विस्तार करना।
- **सुरक्षा और न्याय:** मजबूत कानूनों और सहायता प्रणालियों के माध्यम से लैंगिक आधारित हिंसा को समाप्त करना।
- **नेतृत्व और शासन:** राजनीति और निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाना।
- **शांति और सुरक्षा:** महिला, शांति और सुरक्षा एजेंडा के लिए पूर्ण वित्तपोषण सुनिश्चित करना और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना।
- **जलवायु न्याय:** जलवायु नीतियों और संसाधन अधिकारों में लैंगिक दृष्टिकोण को मुख्यधारा में लाना।

- **महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन (CEDAW):** यह देशों को नीति सुधार और लैंगिक भेदभाव से कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

लैंगिक समानता की दिशा में भारत की पहल

- **वूमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग - किरण (WISE KIRAN) कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2018 से 2023 के बीच लगभग 1,962 महिला वैज्ञानिकों को सहायता प्रदान की गई है।
- **किशोरी शक्ति योजना:** 11 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों के पोषण, स्वास्थ्य और आत्म-विकास में सुधार लाने के लिए बनाई गई योजना।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:** गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के लिए ₹5000 की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो तीन किश्तों में निर्धारित शर्तें पूरी करने पर दी जाती है।
- **राज्य महिला संसाधन केंद्र:** राज्य स्तर पर महिला केंद्रित कार्यक्रमों, कानूनों और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- **मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017:** निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को 26 सप्ताह की सवेतन मातृत्व अवकाश प्रदान करता है।

बीजिंग+30 के चरण पर, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण पर प्रगति अपेक्षाओं से कम

वैश्विक स्तर पर

2019 से 2024 के बीच, 99 सकारात्मक कानूनी सुधार किए गए जिनसे भेदभावपूर्ण कानूनों को हटाया गया और लैंगिक समानता के लिए ढाँचा तैयार किया गया।

फिर भी, 2024 में 131 देशों के आंकड़ों से पता चलता है कि अब भी बड़ी चुनौतियाँ मौजूद हैं। कोई भी देश इन चार क्षेत्रों में पूर्ण अंक हासिल नहीं कर पाया है:

- **कानूनी ढाँचे और सार्वजनिक जीवन**
- **महिलाओं के खिलाफ हिंसा**
- **रोजगार और आर्थिक लाभ**
- **विवाह और परिवार**

आधे से ज्यादा देशों (51%) में हर क्षेत्र में कुछ न कुछ कमी पाई गई।

61 देशों (47%) में कम से कम एक ऐसा प्रतिबंध है जो महिलाओं को पुरुषों के समान काम करने से रोकता है।

सिर्फ 38 देशों (29%) में बिना किसी अपवाद के न्यूनतम विवाह आयु 18 वर्ष तय की गई है।

केवल 63 देशों (48%) में बलात्कार की परिभाषा "सहमति की कमी" पर आधारित है।

विश्व भर में, 15 से 49 वर्ष की उम्र की हर 8 में से 1 महिला (12.5%) ने पिछले 12 महीनों में अपने वर्तमान या पूर्व साथी से शारीरिक या यौन हिंसा का सामना किया है।

ओशिनिया (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर) में हर 4 में से 1 महिला (28.6%) को ऐसी हिंसा झेलनी पड़ी।

उप-सहारा अफ्रीका में 5 में से 1 महिला (20.4%) प्रभावित हुई।

आज,

20 से 24 वर्ष

की उम्र की हर 5 में से 1 युवती (19%) की पहली शादी या संबंध 18 वर्ष से पहले हुआ। 2014 में यह आँकड़ा 22% था, यानी थोड़ी कमी आई है।

विश्व भर में

23 करोड़

से अधिक लड़कियाँ और महिलाएँ महिला जननांग विकृति से गुजरी हैं।

63% मामले अफ्रीका में

35% मामले एशिया में

3% मामले मध्य पूर्व में

हर साल

40 लाख लड़कियाँ

FGM का शिकार होती हैं, जिनमें से

20 लाख

की उम्र 5 वर्ष से कम होती है।

NEXT IAS हिन्दी

- **नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023:** लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों का एक-तिहाई आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान करता है।

यूएन वीमेन

- यूएन वीमेन (UN Women) संयुक्त राष्ट्र की वह संस्था है जो लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए समर्पित है।
- महिलाओं और लड़कियों के लिए एक वैश्विक समर्थक के रूप में, यूएन वीमेन की स्थापना 2010 में की गई थी ताकि विश्व स्तर पर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में तेजी लाई जा सके।

मुख्यालय: न्यूयॉर्क

- **यूएन वीमेन और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग (UN DESA):** UN DESA संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो 2030 सतत् विकास एजेंडा और 17 सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त राष्ट्र के विकास प्रयासों का समर्थन करती है।

महिलाएँ और लड़कियाँ अब भी अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्य का असमान बोझ उठाती हैं।

औसतन, महिलाएँ इन कार्यों में पुरुषों की तुलना में

2.5 गुना

अधिक घंटे प्रति दिन लगाती हैं।

उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में महिलाएँ पुरुषों की तुलना में चार गुना अधिक समय खर्च करती हैं, जबकि ओशिनिया (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर), यूरोप, और उत्तरी अमेरिका में महिलाएँ लगभग दो गुना अधिक घंटे लगाती हैं।

विभिन्न देशों के आँकड़े सीमित हैं, लेकिन यह संकेत देते हैं कि अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्य में महिलाओं और पुरुषों के बीच समय का अंतर कोलंबिया, डोमिनिकन गणराज्य, जर्मनी, जापान, मेक्सिको, मंगोलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में घटा है। कुछ मामलों में – विशेषकर डोमिनिकन गणराज्य, मंगोलिया और जापान में – यह अंतर घटने के साथ महिलाओं द्वारा इन कार्यों में लगाया गया समय भी कम हुआ।
कनाडा, ग्वाटेमाला और स्विट्जरलैंड में यह अनुपात लगभग अपरिवर्तित रहा।

बुजुर्ग महिलाएँ भी गंभीर रूप से प्रभावित हुईं, विशेषकर महामारी (COVID-19) के बाद।
कई तरह की असमानताओं का सामना करने वाली महिलाएँ सबसे अधिक प्रभावित हुईं।

60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की 33% महिलाओं ने कहा कि COVID-19 के दौरान बच्चों की देखभाल का बोझ बढ़ा, जबकि विकलांगता वाली महिलाओं में यह आँकड़ा 62% तक था।

1 जनवरी 2025 तक, महिलाओं के पास राष्ट्रीय संसदों में 27.2% सीटें थीं – 2015 से यह प्रतिशत बढ़ा है।
2015 से 2025 के बीच, जिन देशों में निचले या एकमात्र सदन में 50% या उससे अधिक महिलाएँ हैं, उनकी संख्या 3 से बढ़कर 6 हो गई।
आरक्षण और कोटा (Quotas) ने इस प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

फिर भी, 102 देशों में अब तक कभी कोई महिला राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख नहीं रही।

स्थानीय सरकारों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 2023 और 2024 में 35.5% पर स्थिर रहा, जबकि 2020 से प्रति वर्ष औसतन 0.4 प्रतिशत अंक की वृद्धि हो रही थी।

वैश्विक स्तर पर, महिलाएँ प्रबंधकीय पदों का 30% हिस्सा रखती हैं – 2015 से 2023 के बीच केवल 2.4 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई।
इस गति से, प्रबंधन में लैंगिक समानता हासिल करने में लगभग 100 वर्ष लगेंगे।

वैश्विक प्रतिबद्धताओं के बावजूद, केवल 56.3% महिलाएँ (15–49 वर्ष) – जो विवाहित या किसी संबंध में हैं – को अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर पूर्ण निर्णय लेने का अधिकार है (78 देशों के आंकड़ों के आधार पर)।

लगभग 80% देशों में आधे से भी कम महिलाओं के पास कृषि भूमि पर स्वामित्व या सुरक्षित अधिकार हैं।
इनमें से लगभग आधे देशों में, पुरुषों के भूमि स्वामी होने की संभावना महिलाओं से कम से कम दो गुना अधिक है।

2021 से, मोबाइल फोन के स्वामित्व में लैंगिक अंतर घटा है – 2021 में 9.4% से घटकर 2024 में 7% हो गया।
मोबाइल मनी अकाउंट के स्वामित्व में भी लैंगिक अंतर काफी घटा है –
2011 में निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 37% महिलाएँ ऐसे खाते रखती थीं, जो 2024 में बढ़कर 73% हो गईं।

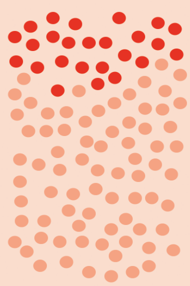

2024 में, केवल 121 देशों और क्षेत्रों में से 26% के पास लैंगिक समानता के लिए संसाधन आवंटन को ट्रैक करने की व्यापक प्रणाली थी – यह 2021 से अब तक अपरिवर्तित है।

यह ठहराव इस बात को दर्शाता है कि राष्ट्रीय लैंगिक समानता कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए संसाधनों की सही गणना, आवंटन और व्यय में अभी भी क्षमता की कमी बनी हुई है।

महान्यायवादी का पद

वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमणी को दो वर्ष के लिए पुनः भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया गया है।

परिचय:

- **भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India – AG):** महान्यायवादी देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं और संघ कार्यपालिका (Union Executive) का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
- **नियुक्ति और पात्रता:** महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है। इस पद के लिए वही व्यक्ति पात्र होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो। इसके लिए व्यक्ति को–
  - भारत का नागरिक होना चाहिए, और
  - किसी उच्च न्यायालय में कम से कम पाँच वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या
  - किसी उच्च न्यायालय में कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता (वकील) के रूप में कार्य किया हो, या
  - राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रख्यात विधि विशेषज्ञ (eminent jurist) हो।
- **कार्यकाल और पद से हटाना:** संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की गई है। वे राष्ट्रपति की इच्छा पर पद पर बने रहते हैं, अर्थात् राष्ट्रपति किसी भी समय उन्हें पद से हटा सकते हैं। संविधान में हटाने के कारण या प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है।
- **कर्त्तव्य और कार्य:**
  - राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना।
  - राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कानूनी दायित्वों का पालन करना।
  - भारत सरकार का प्रतिनिधित्व सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में करना, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जिनमें केंद्र सरकार पक्षकार हो।
  - अनुच्छेद 143 (राष्ट्रपति निर्देश) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होकर सरकार का पक्ष रखना।
- **अधिकार और सीमाएँ:** महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों और उनकी समितियों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है, लेकिन उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होता।
  - उन्हें सांसदों के समान विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा प्राप्त होती है।
  - महान्यायवादी सरकारी सेवक नहीं होते और वे निजी वकालत कर सकते हैं, लेकिन वे भारत सरकार के विरुद्ध किसी पक्ष की पैरवी नहीं कर सकते, और किसी ऐसे पक्ष को कानूनी सलाह नहीं दे सकते जो सरकार के हितों के विपरीत हो।

समस्याएँ

- **अवमानना मामलों में सहमति:** न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के अंतर्गत फौजदारी अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए महान्यायवादी की सहमति आवश्यक होती है। यह प्रावधान कभी-कभी सत्तारूढ़ सरकार द्वारा राजनीतिक प्रभाव के अंतर्गत दुरुपयोग किया जा सकता है, क्योंकि महान्यायवादी की सहमति राजनीतिक विचारों से प्रभावित हो सकती है।
- **हटाने की प्रक्रिया अस्पष्ट:** संविधान में महान्यायवादी को हटाने की कोई स्पष्ट प्रक्रिया या आधार निर्धारित नहीं किया गया है। राष्ट्रपति किसी भी समय महान्यायवादी को पद से हटा सकते हैं, जिससे इस पद की स्वतंत्रता और स्थिरता कमजोर हो जाती है।
- **पदावधि 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (President's Pleasure)' के अधीन:** महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (pleasure) के अनुसार पद पर रहते हैं, अर्थात् उनकी निश्चित अवधि तय नहीं है। कार्यकाल की यह असुरक्षा कार्यपालिका के दबाव का कारण बन सकती है।
- **निजी वकालत पर कोई रोक नहीं:** चूंकि महान्यायवादी सरकारी सेवक नहीं माने जाते, इसलिए उन्हें निजी वकालत करने की अनुमति है।
  - हालाँकि, इससे हितों के टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, खासकर तब जब महान्यायवादी किसी निजी पक्ष का प्रतिनिधित्व उन मामलों में करें जो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से जुड़े हों।

महाधिवक्ता की भूमिका

कर्त्तव्य (अनुच्छेद 165)	अधिकार और विशेषाधिकार
• राज्यपाल द्वारा भेजे गए कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना। • राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कानूनी दायित्वों का पालन करना। • संविधान या अन्य कानूनों द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन करना।	• किसी भी राज्य न्यायालय में उपस्थित होना। • राज्य विधानमंडल (अनुच्छेद 177) में भाग लेना। • विधानमंडल के दोनों सदनों या किसी समिति की कार्यवाही में बोलना और हिस्सा लेना। • राज्य विधानमंडल के सदस्य के समान विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा प्राप्त होना।

भारत के सॉलिसिटर जनरल (SG)

- वे भारत के अटॉर्नी जनरल के बाद दूसरे सबसे उच्च कानून अधिकारी होते हैं। यह एक वैधानिक पद है, जो Law Officers (Conditions of Service) Act, 1968 के अंतर्गत स्थापित है।
- इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (Appointment Committee of the Cabinet) की सिफारिश पर की जाती है।
- सॉलिसिटर जनरल का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है (Law Officers Rules, 1987 के अनुसार) और उन्हें पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र माना जाता है।
- सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं, सरकार का न्यायालयों में प्रतिनिधित्व करते हैं और मंत्रालयों को कानूनी सलाह प्रदान करते हैं।
- **प्रतिबंध:** वे सरकार के विरुद्ध किसी मामले में पेश नहीं हो सकते या किसी ऐसे पक्ष को सलाह नहीं दे सकते जो सरकार का विरोध कर रहा हो।

दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय

जस्टिस सुनंदा भंडारे फाउंडेशन मामला (2025) में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या योग्य (Meritorious) दिव्यांग उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग में स्थानांतरित किया जाता है, ताकि अन्य दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटें सुरक्षित रहें।

सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य टिप्पणियाँ:

- **कानूनी संदर्भः** कई योग्य (meritorious) दिव्यांग उम्मीदवारों को अब भी आरक्षित कोटे के अंतर्गत गिना जाता है, जिससे अन्य दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) के लिए अवसर कम हो जाते हैं।
    - यह प्रथा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के उद्देश्य के विरुद्ध है, जिसका मकसद न्यायसंगत प्रतिनिधित्व और समान अवसर सुनिश्चित करना है।
- **पिछड़े वर्गों से तुलनाः** OBC/SC/ST आरक्षण के मामलों में, योग्य उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग (General Category) में स्थानांतरित कर दिया जाता है। उसी प्रकार का लाभ दिव्यांग व्यक्तियों को भी दिया जाना चाहिए।
- **भेदभाव की चिंताः** न्यायालय ने वर्तमान प्रथा को "शत्रुतापूर्ण भेदभाव" (hostile discrimination) बताया, जो दिव्यांग उम्मीदवारों के प्रति अनुचित है।
- **आरक्षण का उद्देश्यः** आरक्षण का व्यापक उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को मुख्यधारा में लाना है, ताकि उन्हें शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मिल सकें।
- **समावेशी दृष्टिकोणः** न्यायालय ने यह जोर दिया कि दिव्यांगता को कमजोरी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह कानूनों और संस्थानों की समावेशिता की परीक्षा के रूप में मानी जानी चाहिए।

दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) की परिभाषा:

- संयुक्त राष्ट्र के दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन (UN CRPD) के अनुसार, दिव्यांग व्यक्ति वे होते हैं जिन्हें लंबे समय तक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी (sensory) दुर्बलता होती है, जो उन्हें समाज में पूर्ण और समान भागीदारी करने से रोकती है।

भारत में दिव्यांगजनों से संबंधित तथ्य (2011 जनगणना के अनुसार)

- **कुल संख्याः** 2.68 करोड़ दिव्यांगजन, जो कुल जनसंख्या का लगभग 2.21% हैं।
- **लिंग के अनुसारः** पुरुष – 1.49 करोड़ (2.41%) और महिलाएँ – 1.19 करोड़ (2.01%)।
- **सबसे अधिक प्रभावित आयु वर्गः** 10 से 19 वर्ष (46.2 लाख)।
- **निवासः** लगभग 69% (1.8 करोड़) दिव्यांगजन ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।

दिव्यांगजनों के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ:

- **सामाजिक चुनौतियाँः** दिव्यांग व्यक्ति (PwDs) भेदभाव, सामाजिक दर्जे की हानि और बहिष्कार का सामना करते हैं, विशेषकर वे लोग जो मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं। अक्सर उनकी पहचान केवल उनकी दिव्यांगता तक सीमित कर दी जाती है।
- **शिक्षा संबंधी बाधाएँः** विशेष स्कूलों, प्रशिक्षित शिक्षकों और दृष्टिबाधित व सीखने में कठिनाई वाले बच्चों के लिए उपयुक्त अध्ययन सामग्री की कमी है। कई बार सामाजिक कलंक (stigma) के कारण उन्हें स्कूलों में प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है।
- **स्वास्थ्य सेवाओं की कमीः** दिव्यांग व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने में कठिनाई होती है, जिससे उनका हाशिए पर जाना और बढ़ जाता है।
- **सुलभता की समस्याः** परिवहन, भवनों और सार्वजनिक स्थलों में दिव्यांग-अनुकूल (disabled-friendly) ढाँचे की कमी के कारण उनकी आवागमन और सामाजिक भागीदारी सीमित हो जाती है।

दिव्यांगजनों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में बाधाएँ (WHO के अनुसार)

दृष्टिकोण संबंधी बाधाएँ (Attitudinal Barriers):

- कई स्वास्थ्यकर्मी दिव्यांगजनों के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव दिखाते हैं।
- उनके विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी होती है।
- दिव्यांग महिलाएँ यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने में अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करती हैं।

भौतिक बाधाएँ (Physical Barriers):

- स्वास्थ्य केंद्रों में रैंप, सुलभ शौचालय या व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए चौड़े दरवाजे अक्सर नहीं होते। निश्चित ऊँचाई वाले बिस्तर और कुर्सियाँ दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त नहीं होतीं।
- दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी बनी रहती है।

संचार बाधाएँ (Communication Barriers):

- सांकेतिक भाषा दुभाषियों की अनुपस्थिति या अनुकूल लिखित सामग्री के अभाव में श्रवण दिव्यांगजनों के लिए सेवाओं तक पहुँच सीमित हो जाती है।
- दृष्टि-बाधित व्यक्तियों के लिए ब्रेल या बड़े अक्षरों में पर्चे उपलब्ध न होने के कारण कठिनाई होती है।

वित्तीय बाधाएँ (Financial Barriers):

- निम्न-आय वाले क्षेत्रों में आधे से अधिक दिव्यांगजन स्वास्थ्य खर्च वहन नहीं कर पाते।
- यात्रा, इलाज और दवाइयों के खर्च से अतिरिक्त आर्थिक बोझ उत्पन्न होता है।

सरकार द्वारा कल्याणकारी उपाय:

- **सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign):** इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) के लिए बाधा-रहित वातावरण तैयार करना है – (a) निर्मित पर्यावरण (Built Environment), (b) परिवहन प्रणाली, और (c) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT Ecosystem) में।
- **दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (DDRS):** यह योजना गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को दिव्यांग पुनर्वास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण को सुनिश्चित किया जा सके।
- **दिव्यांग व्यक्तियों को उपकरणों और सहायक यंत्रों की खरीद हेतु सहायता योजनाः** यह योजना जरूरतमंद दिव्यांग व्यक्तियों को टिकाऊ और वैज्ञानिक उपकरण/सहायक यंत्र प्राप्त करने में सहायता करती है।

- इसका कार्यान्वयन NGOs, राष्ट्रीय संस्थानों और ALIMCO (कृत्रिम अंग निर्माण सार्वजनिक उपक्रम) के माध्यम से किया जाता है।

- **भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (ISLRTC):** यह केंद्र भारतीय सांकेतिक भाषा (Indian Sign Language) को बढ़ावा देता है और इस क्षेत्र में मानव संसाधन विकास पर कार्य करता है।
- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (NIMHR):** यह संस्था क्षमता निर्माण और समुदाय आधारित पुनर्वास पर कार्य करती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो मानसिक बीमारियों से उबर रहे हैं।
- **राज्य पहल (हरियाणा का दिव्यांग प्रोटोकॉल):** यह पहल महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा द्वारा लागू की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य स्तर पर दिव्यांग समावेशन (Disability Inclusion) को बढ़ावा देना है।

सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश - निपुण मल्होत्रा वाद (2021)

- **अपमानजनक भाषा से बचें (Avoid Derogatory Language):** "Cripple", "Spastic", "Afflicted", "Suffering" या "Victim" जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक आत्म-छवि और भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं।
- **सटीक प्रस्तुति सुनिश्चित करें (Ensure Accurate Representation):** दिव्यांगता को यथार्थवादी और सम्मानजनक तरीके से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। "Nothing about us, without us" के सिद्धांत का पालन करते हुए दिव्यांगजनों (PwDs) को मीडिया निर्माण और समीक्षा प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।
- **जिम्मेदारी के साथ रचनात्मक स्वतंत्रता:** फिल्म निर्माताओं की रचनात्मक स्वतंत्रता उन्हें किसी भी हाशिए पर रहे समुदाय, विशेषकर दिव्यांगजनों, का मजाक उड़ाने, उन्हें रूढ़िवादी रूप में दिखाने या गलत ढंग से प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देती।
- **समर्थक समूहों के साथ सहयोग:** फिल्म निर्माताओं को दिव्यांगता से संबंधित समर्थक समूहों (Advocacy Groups) के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि प्रामाणिक प्रस्तुति सुनिश्चित की जा सके। लेखकों, निर्देशकों और कलाकारों के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है ताकि वे दिव्यांगजनों की वास्तविक चुनौतियों को सही ढंग से प्रदर्शित कर सकें।

संवैधानिक प्रावधान और विधिक प्रावधान

संवैधानिक प्रावधान:

- **मौलिक अधिकार (Fundamental Rights):**
  - **अनुच्छेद 14:** सभी के लिए, जिसमें दिव्यांग व्यक्ति (PwDs) भी शामिल हैं, कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण सुनिश्चित करता है।
  - **अनुच्छेद 15:** धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है; इसे दिव्यांगता आधारित भेदभाव को भी शामिल करते हुए व्याख्यायित किया गया है।
  - **अनुच्छेद 16:** सरकारी नौकरियों में समान अवसर की गारंटी देता है और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की अनुमति देता है।
  - **अनुच्छेद 19:** वाक्, अभिव्यक्ति और आवागमन की स्वतंत्रता भी दिव्यांग व्यक्तियों को प्राप्त है, यद्यपि यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
  - **अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार को भी शामिल किया गया है।
- **राज्य के नीति निदेशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy – DPSPs):**
  - **अनुच्छेद 41:** राज्य को निर्देश देता है कि वह कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करे, विशेष रूप से बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और दिव्यांगता की स्थिति में।
  - **अनुच्छेद 46:** राज्य को यह निर्देश देता है कि वह समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षण प्रदान करे।
- **अनुसूचियों (Schedules) में प्रावधान:**
  - **सातवीं अनुसूची (राज्य सूची, प्रविष्टि 9):** दिव्यांगों की राहत से संबंधित।
  - **ग्यारहवीं अनुसूची (मद 26):** पंचायतों के लिए दिव्यांगों और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित।
  - **बारहवीं अनुसूची (मद 9):** नगर निकायों के लिए दिव्यांगों के कल्याण से संबंधित।

विधिक प्रावधान (Legal Provisions):

- **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017:** मानसिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- **दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम (RPwD Act), 2016:** यह 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता देता है (जैसे - अंधत्व, श्रवण बाधा, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल रोग, एसिड अटैक पीड़ित आदि)।
- नौकरियों में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% और उच्च शिक्षा में 3% से बढ़ाकर 5% किया गया।
- सार्वजनिक भवनों में सुलभता (Accessibility) को निर्धारित समय सीमा में अनिवार्य किया गया।
- **रीहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (RCI) अधिनियम, 1992:** 1986 में स्थापित RCI को वैधानिक दर्जा (Statutory Status) प्रदान किया गया। यह संस्था दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सेवाओं का नियमन करती है, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का मानकीकरण करती है, और पुनर्वास पेशेवरों का केंद्रीय रजिस्टर बनाए रखती है।

सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (एससी) में लंबित मामलों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है, जिसमें 88,492 मामले निपटान के लिए प्रतीक्षारत हैं, जिनमें 69,605 सिविल और 18,887 आपराधिक मामले शामिल हैं।

लंबित मामलों के कारण:

- **कम निपटान दर:** नए दाखिल होने वाले मामलों की संख्या लगातार निपटाए गए मामलों से अधिक है। अगस्त 2025 में 7,080 मामले दर्ज हुए, जबकि केवल 5,667 मामलों का निपटारा हुआ – जिससे लगभग 80% निपटान दर रही, जो लंबित मामलों के बोझ को लगातार बढ़ा रही है।
- **सीमित कार्य दिवस:** सर्वोच्च न्यायालय साल में लगभग 190–195 दिन ही कार्य करता है, जो अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों की अदालतों से काफी कम है। लंबी छुट्टियाँ और सीमित बैठक समय के कारण सुनवाई के प्रभावी घंटे घट जाते हैं।
- **जटिल प्रक्रिया और बार-बार स्थगन:** जटिल प्रक्रिया नियम, दोहराए जाने वाले दस्तावेज और लगातार स्थगन (adjournments) से कार्यवाही में देरी होती है। वकीलों द्वारा स्थगन की माँग और बहु-स्तरीय अपीलें (multi-stage appeals) मामलों के समाधान में कई वर्षों की देरी कर देती हैं।
- **न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात कम:** भारत में प्रति दस लाख लोगों पर केवल 21 न्यायाधीश हैं, जबकि विधि आयोग (Law Commission) ने 50 न्यायाधीश प्रति दस लाख जनसंख्या की सिफारिश की थी। इस कमी के कारण प्रत्येक न्यायाधीश पर कार्यभार अधिक होता है, जिससे मामलों के निपटान की गति धीमी पड़ जाती है।
- **विशेष अनुमति याचिकाओं (SLPs) का अत्यधिक उपयोग:** अनुच्छेद 136 के अंतर्गत केवल विशेष मामलों में अपील की अनुमति का प्रावधान है, लेकिन अब छोटे-छोटे विवादों में भी SLP दाखिल की जाती है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।
- **सरकार सबसे बड़ी वादकारी (Litigant):** लगभग 50% मामले सरकारी विभागों या संस्थाओं से जुड़े होते हैं, जिनमें से कई दोहराए जाने वाले या विभागों के बीच के विवाद होते हैं। ऐसे मामलों को आंतरिक स्तर पर सुलझाया जा सकता है, जिससे लंबित मामलों में कमी लाई जा सके।
- **अपर्याप्त अवसंरचना और तकनीकी उपयोग:** कई अदालतों में अब भी डिजिटल फाइलिंग, AI आधारित शेड्यूलिंग और केस ट्रैकिंग सिस्टम पूरी तरह लागू नहीं हैं, जबकि ई-कोर्ट परियोजना और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) आंशिक रूप से ही संचालित हैं।
- **पुराने और दीर्घकालिक लंबित मामले:** 10 से 30 साल पुराने हजारों मामले अब भी लंबित हैं, क्योंकि समान प्रकार के मामलों को प्राथमिकता या एक साथ सुनवाई के लिए कोई प्रभावी प्रणाली नहीं बनाई गई है।
- **वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) की कमी:** मध्यस्थता, पंचाट (arbitration) और सुलह (conciliation) जैसी प्रणालियाँ अपने पूरे संभावित उपयोग में नहीं लाई जा रही हैं, जबकि ये अदालतों के बोझ को कम कर सकती हैं और विवादों के त्वरित निपटारे में मदद कर सकती हैं।

न्यायिक विलंब के निहितार्थ

- **जन विश्वास का क्षरण:** न्याय में लगातार देरी से न्यायपालिका के प्रति जनता का विश्वास कमजोर होता है, विशेषकर संवैधानिक अधिकारों, भ्रष्टाचार और सामाजिक न्याय से जुड़े मामलों में।
- **आर्थिक परिणाम:** लंबे मुकदमे विदेशी और घरेलू निवेश को हतोत्साहित करते हैं, व्यवसाय करने की लागत बढ़ाते हैं और भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को प्रभावित करते हैं।
- **सामाजिक अन्याय:** दीवानी और आपराधिक मामलों में देरी से समाज के हाशिए पर रहने वाले और गरीब वर्गों पर असमान रूप से असर पड़ता है, जिससे उन्हें अनिश्चितता और समय पर न्याय से वंचित रहना पड़ता है।
- **जेलों में भीड़भाड़:** इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (2025) के अनुसार, भारत की जेलों में 76% कैदी विचाराधीन हैं, जो न्यायिक देरी के कारण फैसला आने की प्रतीक्षा में हैं। यह स्थिति मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को बढ़ाती है।
- **कानून के शासन (Rule of Law) का कमजोर होना:** जब न्याय में अत्यधिक देरी होती है, तो लोग न्यायिक संस्थाओं पर विश्वास खोने लगते हैं, जिससे भीड़ न्याय (vigilantism) और न्यायालय के बाहर समझौते जैसी प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं, जो कानून के शासन को कमजोर करती हैं।

उठाए गए कदम

- **विभेदित प्रकरण प्रबंधन (Differentiated Case Management – DCM):** सर्वोच्च न्यायालय की "अनक्लॉगिंग द डॉकेट" पहल के अंतर्गत पुराने, अप्रासंगिक और छोटे मामलों को वर्गीकृत कर तेजी से निपटाया गया, जिससे 104% निपटान दर हासिल हुई – जो न्यायिक दक्षता का एक रिकॉर्ड है।
- **न्यायाधीशों की त्वरित नियुक्ति:** सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 कर दी गई है। अब सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों को 48 घंटे के भीतर मंजूरी देती है, जिससे नियुक्ति में देरी कम हुई है और न्यायालय की कार्यक्षमता बढ़ी है।
- **डिजिटल परिवर्तन और ई-कोर्ट्स:** न्यायपालिका ने ई-फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई और इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (ECMTs) जैसी सुविधाएँ शुरू की हैं। साथ ही, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) के माध्यम से वास्तविक समय में लंबित मामलों की पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।
- **विधायी और प्रक्रियागत सुधार:** तेजी से न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई कानूनों में संशोधन किए गए हैं – जैसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (Arbitration and Conciliation Acts) – 2015 और 2019, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम (Commercial Courts Act) – 2018, और परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) – 2018, जिनसे विवादों के त्वरित निपटारे को बढ़ावा मिला है।
- **प्रशासनिक और लंबित मामलों के प्रबंधन सुधार:** लंबित मामलों की निगरानी के लिए "एरियर कमेटियाँ" (Arrears Committees) बनाई गई हैं।
- इसके अलावा, मुख्य न्यायाधीश ने ग्रीष्म अवकाश के दौरान आंशिक कार्य दिवसों की व्यवस्था की है, ताकि न्यायिक कार्य निरंतर चलता रहे और लंबित मामलों का बोझ घटे।

वन अधिकार अधिनियम पर यूएनडीपी रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की रिपोर्ट "सिक्योरिंग राइट्स, एनेबलिंग फ्यूचर्सः पॉलिसी लेसन्स फ्रॉम FRA एंड फ्यूचर पाथवेज" ने वन अधिकार अधिनियम (FRA) के लगभग 20 वर्षों के कार्यान्वयन की समीक्षा की है।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के बारे में

- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, जिसे आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act – FRA) कहा जाता है, उन वन-निवासी समुदायों के वन अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें अधिकार प्रदान करने के लिए बनाया गया था, जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे और अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित रहे थे।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **वन अधिकारों की मान्यताः** यह अधिनियम वनवासियों के व्यक्तिगत (Individual) और सामुदायिक (Community) दोनों प्रकार के अधिकारों को मान्यता देता है।
  - **व्यक्तिगत अधिकारः** इनमें स्वयं खेती करने का अधिकार, आवास का अधिकार, और वन भूमि से विस्थापित लोगों के लिए उसी क्षेत्र में पुनर्वास (in-situ rehabilitation) का अधिकार शामिल है।
  - **सामुदायिक अधिकारः** इनमें पशुओं को चराने, मछली पकड़ने, जलस्रोतों के उपयोग, और लघु वनोपज पर अधिकार शामिल हैं। साथ ही, बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान पर भी अधिकार दिए गए हैं। समुदायों को अपने वनों की रक्षा, संरक्षण और पारंपरिक प्रथाओं को बनाए रखने का भी अधिकार है।
- **पात्रता मानदंडः** कोई भी व्यक्ति या समुदाय जो 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम तीन पीढ़ियों (लगभग 75 वर्ष) से वन क्षेत्र में रह रहा है और उस पर निर्भर है, वह इस अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकारों का दावा करने का पात्र है।

वन अधिकार प्रदान करने की संस्थागत व्यवस्थाः

- **ग्राम सभाः** व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने वाली मुख्य प्राधिकरण होती है।
- **उप-मंडल स्तरीय समिति (SDLC):** ग्राम सभा द्वारा भेजे गए प्रस्तावों और दावों की जाँच और सत्यापन करती है।
- **जिला स्तरीय समिति (DLC):** वन अधिकारों की अंतिम स्वीकृति और अधिकार प्रदान (vesting) करने का निर्णय लेती है।

यूएनडीपी रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- **लगातार बनी खामियाँः** वन अधिकार अधिनियम (FRA) का कार्यान्वयन अब भी असमान है, जिसका कारण ऐतिहासिक विवाद, कमजोर नीति क्रियान्वयन और अधिकार क्षेत्र के टकराव हैं।
  - कई स्थानों पर, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में, एफआरए भूमि अधिकार पत्र (land titles) आधिकारिक रिकॉर्ड से गायब हैं, जो रिकॉर्ड-रखरखाव की कमजोरी को दर्शाते हैं।
- **समाप्ति प्रावधान (Sunset Clause) पर बहसः** कुछ राज्य – जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र – ने अधिकारों की मान्यता और हस्तांतरण (vesting) के लिए एक "अंतिम तिथि" (end date) तय करने का प्रस्ताव दिया है। हालाँकि, रिपोर्ट का सुझाव है कि यह निर्णय ग्राम सभाओं पर छोड़ा जाना चाहिए कि प्रक्रिया कब पूरी हो चुकी है, बजाय इसके कि कोई बाहरी समय सीमा लागू की जाए।
- **गलत तरीके से अधिकार पत्रों की मान्यताः** कई क्षेत्रों में अपर्याप्त सत्यापन, गलत मानचित्रण और विभागों के बीच कमजोर समन्वय के कारण गलत भूमि अधिकार पत्र (titles) जारी किए गए।

यूएनडीपी रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें

- **मान्यता के बाद शासन को सुदृढ़ करनाः** अंतर-विभागीय समितियाँ गठित की जाएँ ताकि जनजातीय, वन और राजस्व विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित हो सके और आपसी विवादों का समाधान किया जा सके।
- **रिकॉर्ड-रखरखाव में सुधारः** सभी एफआरए अधिकार धारकों के सटीक, डिजिटाइज्ड और केंद्रीकृत रिकॉर्ड राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जाएँ।
- **लैंगिक समानता को बढ़ावा देनाः** लिंग आधारित आँकड़े एकत्र किए जाएँ और सामुदायिक वन संसाधन (CFR) प्रबंधन योजनाओं की तैयारी में महिलाओं की नेतृत्व भूमिका सुनिश्चित की जाए। साथ ही, एफआरए को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) से जोड़ा जाए ताकि महिला-केंद्रित आजीविका के अवसर विकसित किए जा सकें।
- **वन अधिकारों का मुख्यधारा में समावेशनः** एफआरए लाभार्थियों को सभी सरकारी कल्याण और आजीविका योजनाओं में शामिल किया जाए।
- साथ ही, राष्ट्रीय जनजातीय नीति तैयार की जाए, जो 5-वर्षीय अवधि के लिए जनजातीय कल्याण और वन शासन के बीच समन्वय स्थापित करे।
- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ताकि एफआरए और पेसा (PESA – पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों तक) को एकीकृत कर स्वशासन को सशक्त बनाया जा सके।
- **प्रगति को बनाए रखनाः** प्रधानमंत्री जन-मन मिशन (PM JANMAN) और DAJGUA जैसी मिशन मोड योजनाओं ने प्रगति दिखाई है,
- लेकिन दीर्घकालिक और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए लंबे समय तक चलने वाले कार्यक्रमों की आवश्यकता है।
- **अप्रयुक्त प्रावधानः** एफआरए की धारा 3(1)(k) जो जैव विविधता, बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान पर सामुदायिक अधिकार प्रदान करती है,
- अब तक पूरी तरह लागू नहीं की गई है, जबकि इसमें सामुदायिक आय सृजन (Community-led income generation) की बड़ी संभावनाएँ हैं।
- **लघु वनोपज (Minor Forest Produce – MFP):** स्वामित्व, दोहन, परिवहन और बिक्री से संबंधित नियमों को स्पष्ट किया जाए ताकि वनवासियों को वन आधारित आय में उनका उचित हिस्सा मिल सके।

भारत-सिंगापुर संबंध

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की मेजबानी की।

शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम

- **आर्थिक और व्यापारिक सहयोग:** भारत और सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) और आसियान मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की समीक्षा कर रहे हैं। सिंगापुर के सहयोग से उन्नत विनिर्माण कौशल के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (CoE) चेन्नई में स्थापित किया जा रहा है।
- **प्रौद्योगिकी और डिजिटल सहयोग:** डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त कार्य समूह (JWG) नवाचार को बढ़ावा देगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में सहयोग कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को शामिल करता है।
  - भारत-सिंगापुर सेमीकंडक्टर नीति संवाद भारत के चिप निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मदद कर रहा है।
- **सततता और संपर्क:** ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर पर कार्य जारी है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण (JNPA) का भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल फेज-2, जो पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी (PSA) इंटरनेशनल के सहयोग से विकसित किया गया है, का उद्घाटन किया गया। वर्तमान में JNPA भारत के कुल कंटेनर कार्गो का लगभग 54% संभालता है।
- **रक्षा और सुरक्षा:** भारत की भूमिका को मलक्का जलडमरूमध्य गश्ती (Malacca Straits Patrol – MSP) में स्वीकार किया गया है। दोनों देश समुद्री सुरक्षा, पनडुब्बी बचाव (Submarine Rescue) और समुद्री क्षेत्रीय जागरूकता (Maritime Domain Awareness – MDA) के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा कर रहे हैं।

महत्त्व

- **ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध:** भारत और सिंगापुर के बीच हजारों वर्षों पुराने सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। औपनिवेशिक काल में सिंगापुर का शासन कोलकाता से 1867 तक नियंत्रित होता था, जिससे संस्थागत और प्रवासी भारतीय संबंध मजबूत हुए। भारत, 1965 में सिंगापुर की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था।
- **भूराजनीतिक संबंध (Geo-Political Ties):** भारत और सिंगापुर ने 2015 में कूटनीतिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे किए, जो उनके साझेदारी का एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसके बाद से उच्च स्तरीय यात्राओं और समझौतों ने आपसी विश्वास को और मजबूत किया है।
  - सिंगापुर, भारत की "एक्ट ईस्ट नीति" का केंद्र है और भारत की इंडो-पैसिफिक दृष्टि में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, जहाँ वह भारत के लिए रणनीतिक भागीदार और आसियान (ASEAN) से जुड़ने का सेतु (bridge) दोनों है।
- **भू-सामरिक संबंध (Geo-Strategic Relations):**
  - सितंबर 2024 में दोनों देशों के संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत किया गया।
  - जिसमें 2025 का रोडमैप शामिल है जो अर्थव्यवस्था, रक्षा और डिजिटलीकरण सहित 8 प्रमुख क्षेत्रों को कवर करता है।
  - सिंगापुर की स्थिति मलक्का जलडमरूमध्य (Strait of Malacca) पर होने के कारण यह ऊर्जा और व्यापार का प्रमुख मार्ग (chokepoint) है।
  - भारत का अंडमान और निकोबार कमान इस मार्ग के करीब होने से
  - भारत की इंडो-पैसिफिक समुद्री सुरक्षा भूमिका को और मजबूत करता है।
  - लगभग भारत के 40% व्यापार और चीन के 80% तेल आयात इसी मार्ग से गुजरते हैं।
  - भारत को सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे (Changi Naval Base) तक पहुँच मिलने से उसकी रणनीतिक पहुँच और बढ़ गई है।
- **भू-आर्थिक संबंध (Geo-Economic Relations):** व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA – 2005) में व्यापार, सेवाएँ और निवेश शामिल हैं।
  - सिंगापुर, भारत का सबसे बड़ा आसियान व्यापारिक भागीदार है (USD 34-3 बिलियन, 2024–25) और भारत में सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत (USD 14.9 बिलियन, कुल का 24%) भी है। लगभग 9,000 भारतीय कंपनियाँ सिंगापुर में कार्यरत हैं, और UPI-PayNow लिंक ने दोनों देशों के बीच वित्तीय एकीकरण को गहरा किया है।
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:** रक्षा सहयोग समझौता (2003, नवीनीकृत 2015) दोनों देशों के घनिष्ठ संबंधों की नींव है। संयुक्त अभ्यासों में शामिल हैं – अग्नि वारियर (Agni Warrior – सेना) सिंबेक्स (SIMBEX – नौसेना) JMT (वायु सेना), सिंगापुर, भारत के मिलन (Milan) और आसियान-भारत समुद्री अभ्यासों में भी भाग लेता है।
- **विज्ञान, प्रौद्योगिकी और डिजिटल सहयोग:** इसरो (ISRO) ने सिंगापुर के उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है, जिससे अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा मिला है। **सहयोग के प्रमुख क्षेत्र हैं** – सेमीकंडक्टर, साइबर नीति, डिजिटल नवाचार और हरित अर्थव्यवस्था। साइबर नीति संवाद (Cyber Policy Dialogue – 2024) दोनों देशों के बीच बढ़ते तकनीकी सहयोग को दर्शाता है।
- **शिक्षा और कौशल विकास:** भारत के कई राज्यों में संयुक्त कौशल केंद्र संचालित हैं, और भोपाल तथा गाँधीनगर में नए केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
  - उन्नत विनिर्माण के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (National Centre of Excellence) की घोषणा चेन्नई (2025) में की गई है।
- **सांस्कृतिक और प्रवासी संबंध:** सिंगापुर की लगभग 9% आबादी भारतीय मूल की है, और तमिल भाषा वहाँ की आधिकारिक भाषाओं में से एक है।
  - भारत ने 2024 में "तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र" की घोषणा की। भारतीय कला, नृत्य और रंगमंच सिंगापुर के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान का महत्त्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं।
- **बहुपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग:** सिंगापुर ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। वह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA – 2023) और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (Global Biofuel Alliance – 2023) का सदस्य भी है।
  - आसियान समन्वयक (2021–24) के रूप में सिंगापुर ने भारत-आसियान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP) तक उन्नत किया, जिससे वह भारत का मुख्य आसियान साझेदार बन गया है।

भारतीय महासागर से प्रशांत महासागर तक के समुद्री मार्गों के चोकपॉइंट्स

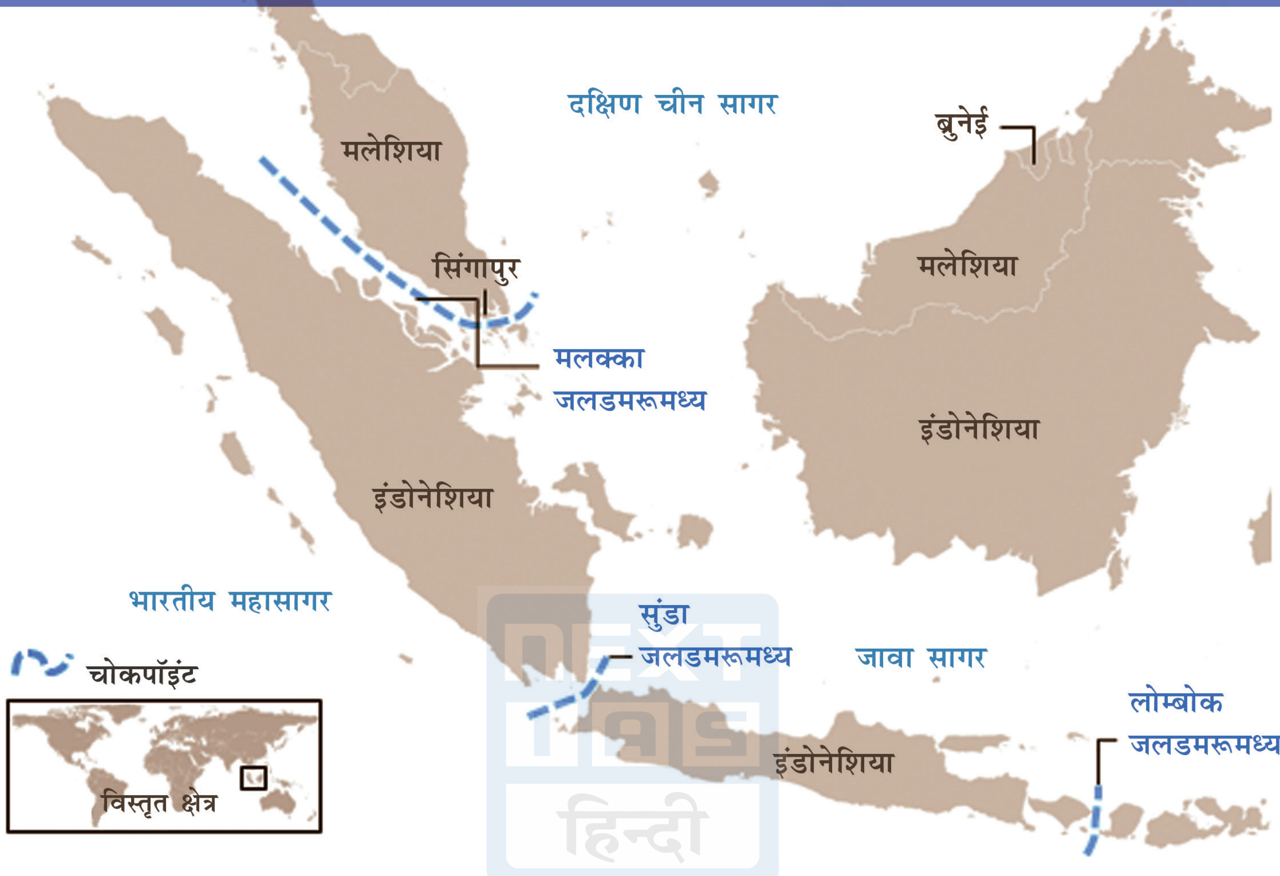

संबंधों में चुनौतियाँ

- **लगातार व्यापार घाटा:** वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय व्यापार USD 34.3 बिलियन तक पहुँच गया, लेकिन भारत को USD 8.3 बिलियन का व्यापार घाटा झेलना पड़ा, जो यह दर्शाता है कि CECA और ASEAN FTA होने के बावजूद संरचनात्मक असंतुलन (structural imbalances) अब भी मौजूद हैं।
- **सीमित बाजार पहुँच:** भारतीय सेवा प्रदाताओं (service providers) को सिंगापुर में लाइसेंसिंग, प्रमाणन और योग्यता की मान्यता (recognition of qualifications) में कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है।
- CECA की लम्बी समीक्षा प्रक्रिया यह दिखाती है कि ये नियामक असमानताएँ (regulatory mismatches) अभी भी सुलझाई नहीं गई हैं।
  - सिंगापुर पर अत्यधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) निर्भरता: सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत है - USD 14.9 बिलियन (2024-25) और 2000 से अब तक कुल USD 175 बिलियन निवेश। हालाँकि, एक ही देश पर इतनी अधिक निर्भरता भारत को सिंगापुर की वित्तीय नीतियों या पूँजी प्रवाह में बदलावों के प्रति संवेदनशील (vulnerable) बना देती है।
- **भूराजनीतिक संतुलन:**
  - सिंगापुर के चीन और अमेरिका दोनों के साथ मजबूत संबंध हैं,
  - इसलिए वह दक्षिण चीन सागर या ताइवान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भारत के साथ पूर्ण रूप से तालमेल बनाने में सावधानी बरतता है।
- **कार्यान्वयन संबंधी बाधाएँ:** कनेक्टिविटी और अवसंरचना परियोजनाएँ, जैसे JNPA फेज-2, अक्सर भूमि अधिग्रहण में देरी, नियामकीय रुकावटों और विभिन्न एजेंसियों के बीच कमजोर समन्वय के कारण विलंबित हो जाती हैं।
- **घरेलू संवेदनशीलताएँ:** सिंगापुर में नौकरी बाजार की चिंताओं के कारण कभी-कभी भारतीय पेशेवरों (Indian professionals) के प्रति विरोध देखा जाता है। वहीं भारत में यह धारणा बनी रहती है कि आउटसोर्सिंग और वित्तीय प्रवाह का लाभ सिंगापुर को असमान रूप से अधिक मिलता है।

आगे की राह

- **व्यापार असंतुलन को दूर करना:** CECA और ASEAN FTA की समीक्षा प्रक्रिया को तेज किया जाए ताकि भारतीय वस्तुओं और सेवाओं - विशेषकर आईटी, दवा उद्योग (Pharma) और कृषि क्षेत्र - के लिए बेहतर बाजार पहुँच (market access) सुनिश्चित की जा सके।
- **कनेक्टिविटी परियोजनाओं में तेजी लाना:** JNPA फेज-2 और प्रस्तावित ग्रीन एवं डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर जैसी संयुक्त अवसंरचना परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए नौकरशाही की देरी और नियामकीय अड़चनों को कम किया जाए।

भारत-मॉरीशस संबंध

भारत ने मॉरीशस के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसमें बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य सेवा और समुद्री क्षेत्रों की प्रमुख परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।

पैकेज की प्रमुख घोषणाएँ:

- **विकास और आर्थिक सहायता:** भारत ने मॉरीशस के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसमें पोर्ट लुई विकास, चागोस समुद्री संरक्षित क्षेत्र (Chagos Marine Protected Area) की निगरानी, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं।
    - भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र (Jan Aushadhi Kendra) मॉरीशस में स्थापित किया गया है, और भारत वहाँ आयुष उत्कृष्टता केंद्र (AYUSH Centre of Excellence) स्थापित करने में भी मदद करेगा।
- **समुदाय और क्षमता निर्माण:** भारत और मॉरीशस ने हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स (Phase 2) के लिए एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य स्थानीय विकास को बढ़ावा देना है। भारत मिशन कर्मयोगी (Mission Karmayogi) प्लेटफॉर्म के माध्यम से मॉरीशस के सिविल सेवकों के प्रशिक्षण में भी सहयोग करेगा।
- **ऊर्जा साझेदारी:** ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र पर एक नया एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके अंतर्गत भारत मॉरीशस की ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग करेगा और 17.5 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के विकास में मदद करेगा।
- **अंतरिक्ष सहयोग:** भारत और मॉरीशस ने उपग्रह टेलीमेट्री, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग (space cooperation) को और मजबूत किया जा सके।

भारत-मॉरीशस संबंधों का महत्त्व

- **राजनयिक और सांस्कृतिक संबंध:** भारत और मॉरीशस के बीच संबंध 1948 में स्थापित हुए थे। ये रिश्ते और मजबूत हुए हैं क्योंकि मॉरीशस की लगभग 70% आबादी भारतीय मूल की है, जो फ्रांसीसी और ब्रिटिश शासन के दौरान हुए ऐतिहासिक प्रवास (migration) से बनी थी।
- **रणनीतिक स्थिति:** पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित मॉरीशस, भारत की सागर (SAGAR – Security and Growth for All in the Region) और महासागर दृष्टि का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और चीन के क्षेत्रीय प्रभाव का संतुलन बनाना है।
- **आर्थिक द्वार (Economic Gateway):** मॉरीशस, भारत के लिए अफ्रीका में व्यापार और निवेश का प्रवेश द्वार है, विशेषकर अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA) के माध्यम से।
- **निवेश और वित्तीय सहयोग:** 2022-23 में भारत और मॉरीशस के बीच द्विपक्षीय व्यापार USD 554 मिलियन रहा। मॉरीशस, भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) स्रोत है, जिसने 2000 से 2025 तक USD 180 बिलियन से अधिक का निवेश किया है। DTAA – 1982 और CECPA – 2021 जैसे समझौते इस साझेदारी को और सशक्त बनाते हैं।
- **विकास सहायता:** भारत ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सांस्कृतिक परियोजनाओं के लिए मॉरीशस को USD 1 बिलियन से अधिक की सहायता प्रदान की है, साथ ही नागरिक एवं सुरक्षा अधिकारियों के क्षमता निर्माण (capacity building) में भी सहयोग किया है।
- **आपदा राहत:** भारत ने संकट के समय पहले प्रत्युत्तरकर्ता (First Responder) के रूप में कार्य किया है – जैसे वाकाशियो तेल रिसाव (2020), चिडो चक्रवात और कोविड-19 महामारी के दौरान।
- **सांस्कृतिक और जन-संपर्क:** लगभग 26,000 भारतीय और 13,000 ओसीआई (OCI) कार्डधारक मॉरीशस में रहते हैं। वीजा-मुक्त यात्रा और छात्र विनिमय कार्यक्रम (student exchange programmes) दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करते हैं।
- **रक्षा और सुरक्षा:** भारत, मॉरीशस का मुख्य रक्षा साझेदार है। भारत ने मॉरीशस को डॉर्नियर विमान, ध्रुव हेलीकॉप्टर प्रदान किए हैं और USD 100 मिलियन की ऋण रेखा (Line of Credit) भी दी है, जिससे रक्षा सहयोग को और बल मिला है।

संबंधों में चुनौतियाँ:

- **बाजार से संबंधित बाधाएँ:** भारत के निर्यात को गैर-शुल्कीय प्रतिबंधों (Non-tariff restrictions) और सीमित बाजार पहुँच का सामना करना पड़ता है, जिससे व्यापार असंतुलन (trade imbalance) और आर्थिक एकीकरण की गति धीमी हो जाती है।
- **भारतीय सहायता पर अत्यधिक निर्भरता:** मॉरीशस का भारत पर सहायता, स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा के लिए अत्यधिक निर्भर होना। असंतुलन (asymmetry) और निर्भरता (dependency) की चिंता पैदा करता है।
- **सुरक्षा और डेटा में संप्रभुता से जुड़ी चिंताएँ:** समुद्री और डिजिटल सहयोग में भारत की भूमिका को लेकर मॉरीशस में संप्रभुता (sovereignty) और बाहरी प्रभाव (external influence) पर बहस होती है।
- **परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी:** ऊर्जा, अंतरिक्ष और अवसंरचना से जुड़े एमओयू (MoUs) अक्सर नौकरशाही अड़चनों और कमजोर समन्वय के कारण देरी का शिकार होते हैं, जिससे उनकी प्रभावशीलता घट जाती है।
- **राजनीतिक और घरेलू धारणा:** मॉरीशस के कुछ लोगों का मानना है कि भारत का प्रभाव कभी-कभी अत्यधिक (overbearing) हो जाता है, विशेषकर घरेलू राजनीति और प्रवासी भारतीय (diaspora) से जुड़े मामलों में, जिससे कभी-कभी तनावपूर्ण स्थितियाँ (friction) उत्पन्न हो जाती हैं।
- **अन्य बाहरी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा:** चीन, यूरोपीय संघ (EU) और फ्रांस के बढ़ते व्यापार और अवसंरचना सहयोग भारत के मॉरीशस में पारंपरिक प्रभाव को चुनौती दे रहे हैं।
- **चागोस द्वीपसमूह विवाद:** मॉरीशस और ब्रिटेन के बीच डिएगो गार्सिया (Diego Garcia) की संप्रभुता को लेकर चल रहा विवाद हिंद महासागर में भारत के रणनीतिक और सुरक्षा हितों को जटिल बना देता है।

भारत में बैंकिंग उद्योग

हाल ही में, भारत की राष्ट्रपति ने देश की आर्थिक वृद्धि को आकार देने और समावेशन को बढ़ाने में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका को रेखांकित किया।

मुख्य अंश:

- भारत की तेज आर्थिक वृद्धि ने लोगों की आकांक्षाओं को बढ़ाया है, और बैंक नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण के अंतर्गत समावेशी और सतत् विकास को आगे बढ़ा रहे हैं।
- बैंकों को किसानों को ऋण, वित्तीय साक्षरता और कृषि-प्रौद्योगिकी (Agri-tech) के माध्यम से सशक्त बनाना चाहिए।
- बैंकों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSMEs) के साथ-साथ हाशिए पर रहने वाले श्रमिकों को भी सहयोग देना चाहिए।
- प्रौद्योगिकी के विस्तार से बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच बढ़ रही है, और बैंक डिजिटल परिवर्तन की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

राष्ट्रीय विकास में बैंकिंग उद्योग की भूमिका

- **संसाधन जुटाना और पूँजी निर्माण:** बैंक जनता की बचत को एकत्रित कर उन्हें उत्पादक निवेशों में परिवर्तित करते हैं, जिससे आर्थिक वृद्धि के लिए पूँजी का सृजन होता है।
- **ऋण विस्तार और आर्थिक विकास:** बैंक उद्योगों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) तथा अवसंरचना (infrastructure) को ऋण प्रदान करते हैं, जिससे रोजगार सृजन और विकास को बढ़ावा मिलता है।
- **वित्तीय समावेशन और डिजिटल परिवर्तन:** प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) जैसी योजनाएँ और यूपीआई जैसे डिजिटल उपकरण बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच बढ़ाते हैं और सुरक्षित डिजिटल लेनदेन को सक्षम बनाते हैं।
- **सरकार और राजकोषीय संचालन:** बैंक सार्वजनिक ऋण (public debt) का प्रबंधन करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सब्सिडी वितरण करते हैं, और कर संग्रह (tax collection) को सुव्यवस्थित कर राजकोषीय दक्षता (fiscal efficiency) बढ़ाते हैं।
- **वित्तीय स्थिरता और व्यवसाय विकास:** बैंक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, व्यापार को सहयोग देते हैं, और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय भुगतान (payments) को सुचारू रूप से संचालित करते हैं।
- **एमएसएमई सहयोग:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को विशिष्ट ऋण योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है, जिससे रोजगार और नवाचार (innovation) को प्रोत्साहन मिलता है।
- **अवसंरचना वित्तपोषण:** बैंक लंबी अवधि के ऋण (long-term loans) के माध्यम से सड़कें, रेलवे, बंदरगाह और डिजिटल अवसंरचना जैसी परियोजनाओं को वित्तपोषित करते हैं।
- **कृषि और ग्रामीण विकास:** कृषि ऋण, वित्तीय साक्षरता और एग्री-टेक (Agri-tech) के माध्यम से खेती को टिकाऊ (sustainable) बनाया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और रूपे कार्ड (RuPay Card) जैसी योजनाएँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाती हैं।

भारत के बैंकिंग उद्योग से जुड़ी चुनौतियाँ

- **संपत्ति की गुणवत्ता और एनपीए (Asset Quality – NPAs):** ऋण वसूली (loan recoveries) की गति अब भी डिफॉल्ट (slippages) की तुलना में धीमी है। एमएसएमई (MSMEs) और कृषि क्षेत्र अब भी कमजोर स्थिति में हैं, जिससे ऋण न चुकाने (default) का जोखिम बढ़ रहा है।
- **पूँजी पर्याप्तता (Capital Adequacy):** जहाँ बड़े बैंक बेसल-III (Basel III) मानकों के अनुरूप ढल रहे हैं, वहीं छोटे बैंक इस अनुपालन में संघर्ष कर रहे हैं। इंटर-बैंक लिंकिंग (inter-bank linkages) से संपूर्ण बैंकिंग तंत्र (systemic risk) में जोखिम बढ़ रहा है।
- **वित्तीय समावेशन बनाम लाभप्रदता (Financial Inclusion vs-Profitability):** ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच (rural outreach) अब भी डिजिटल खाई (digital gap) के कारण सीमित है।

भारतीय बैंकिंग उद्योग का विकास

प्राचीन जड़ें

प्रारंभिक साहूकार
बैंकिंग की शुरुआत साहूकारों, व्यापारियों और हुण्डी जैसी स्वदेशी प्रणालियों से हुई।

औपनिवेशिक युग

प्रेसिडेंसी बैंक
कोलकाता, बंबई और मद्रास में स्थापित प्रेसिडेंसी बैंकों ने भारतीय बैंकिंग की नींव रखी। 1921 में ये तीनों बैंक मिलकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बने, जो बाद में 1955 में भारतीय स्टेट बैंक बना।

स्वतंत्रता-पूर्व काल

निजी बैंकों का उदय
निजी बैंकों की संख्या बढ़ी, लेकिन कमजोर नियमन के कारण कई बैंक असफल हुए।

स्वतंत्रता के बाद के सुधार

राष्ट्रीयकरण
1969 और 1980 में राष्ट्रीयकरण हुआ, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग की पहुँच और वित्तीय समावेशन बढ़ा।

उदारीकरण युग

नए निजी बैंक
नए निजी बैंकों का प्रवेश हुआ और बैंकिंग प्रणाली का आधुनिकीकरण शुरू हुआ।

वर्तमान समय

विविध बैंकिंग प्रणाली
भारत में अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नई पीढ़ी के बैंक सब मिलकर एक विविध और संतुलित बैंकिंग प्रणाली बनाते हैं।

- साथ ही, उच्च शुद्ध ब्याज मार्जिन (Net Interest Margin – NIM) से बैंकों की दक्षता (efficiency) और प्रतिस्पर्धा (competitiveness) पर सवाल उठते हैं।

- **प्रतिस्पर्धा और एकीकरण (Competition – Consolidation):**
  - बैंकों के विलय (mergers) से प्रतिस्पर्धा घट रही है, जबकि निजी बैंकों की आक्रामक ऋण नीति (aggressive lending) से जोखिम बढ़ने की संभावना है।
- **साइबर सुरक्षा खतरे (Cybersecurity Threats):**
  - फिशिंग, रैनसमवेयर, डीडीओएस (DDoS) हमले और फर्जी ऐप्स (fake apps) बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता (stability) के लिए खतरा बने हुए हैं।
  - बैंकों ने भारत में होने वाली कुल साइबर घटनाओं का लगभग एक-पाँचवाँ हिस्सा रिपोर्ट किया है।
- **शैडो बैंकिंग (Shadow Banking):**
  - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs) भी बैंकों की तरह ऋण प्रदान करती हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण (regulation) कम होता है, जिससे जोखिम बढ़ता है।
  - इसलिए इस क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता (transparency) की आवश्यकता है।

भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रमुख सुधार:

- **बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025:** इस अधिनियम ने पाँच प्रमुख बैंकिंग कानूनों में कुल 19 संशोधन किए हैं।
  - **शासन सुधार (Governance Enhancements):** सहकारी बैंकों में निदेशकों (Directors) के कार्यकाल को 97वें संविधान संशोधन के अनुरूप किया गया है।
  - **लेखा परीक्षा सुधार (Audit Reforms):** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) को अब वैधानिक लेखा परीक्षकों (Statutory Auditors) को प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक (competitive remuneration) देने की अनुमति दी गई है, जिससे ऑडिट की गुणवत्ता (audit quality) में सुधार होगा।
  - **निवेशक संरक्षण (Investor Protection):** अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने अनक्लेम्ड शेयरों और बॉन्ड रिडेम्पशन राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (Investor Education and Protection Fund – IEPF) में स्थानांतरित कर सकते हैं।
- **महत्त्वपूर्ण हित सीमा (Substantial Interest Threshold):** पहले यह सीमा ₹5 लाख थी, जिसे बढ़ाकर ₹2 करोड़ कर दिया गया है, ताकि पुराने परिभाषाओं को आधुनिक बनाया जा सके।
- **पीएसबी (PCB) पुनरुद्धार के लिए 4R रणनीति (2014):** इसमें चार प्रमुख तत्त्व शामिल हैं – Recognition (पहचान), Recapitalisation (पुनर्पूंजीकरण), Resolution (समाधान), और Reform (सुधार)।
- **इंद्रधनुष ढाँचा (Indradhanush Framework, 2015):** यह 7 स्तंभों वाला सुधार कार्यक्रम है – नियुक्तियाँ, बैंक बोर्ड ब्यूरो, पूँजी निवेश, एनपीए समाधान, बोर्ड की स्वायत्तता, जवाबदेही, और शासन सुधार।
- **अपराधमुक्ति और अनुपालन में सरलता (Decriminalisation and Ease of Compliance):** जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 लोकसभा में पेश किया गया, जिसका उद्देश्य है –
  - 100 से अधिक वित्तीय कानूनों में अपराधमुक्ति करना।
  - एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए अनुपालन (compliance) को आसान बनाना।
  - विश्वास-आधारित नियामक ढाँचे (trust-based regulatory framework) को बढ़ावा देना।

01 एनपीए की पारदर्शी पहचान ताकि दबावग्रस्त परिसंपत्तियों की सटीक पहचान सुनिश्चित की जा सके।

02 एनपीए के समाधान और वसूली को लक्षित उपायों और कानूनी ढाँचों के माध्यम से सुनिश्चित करना।

03 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण ताकि उनकी वित्तीय स्थिति और ऋण देने की क्षमता को मजबूत किया जा सके।

04 शासन और संचालन प्रक्रियाओं में सुधार करके दक्षता और समुत्थानशील बढ़ाना।

भारत का दलहन क्षेत्र

नीति आयोग ने "आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर दालों में तीव्र वृद्धि के लिए रणनीतियाँ और मार्ग" शीर्षक वाली एक रिपोर्ट जारी की।

दालों के बारे में:

- **भारत और दालें:** भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता देश है - लगभग 38% क्षेत्रफल और 28% उत्पादन के साथ। यह चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है, जिससे दालों में आत्मनिर्भरता एक नीतिगत प्राथमिकता बन गई है।
- **पोषण मूल्य:** दालें प्रोटीन, रेशा (Fiber), विटामिन और खनिजों का समृद्ध स्रोत हैं। ये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं और एसडीजी 2 (Zero Hunger) तथा एसडीजी 3 (Good Health) के लक्ष्यों को समर्थन देती हैं।
- **सततता (Sustainability):** दालों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, इन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है और इनका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और यह एसडीजी 13 (Climate Action) तथा एसडीजी 15 (Life on Land) के अनुरूप है।

भारत में दालों का उत्पादन:

- **कृषि-जलवायु विविधता:** भारत में खरीफ, रबी और ग्रीष्म - तीनों मौसमों में 12 प्रकार की दालों की खेती की जाती है।
- **उत्पादन केंद्र:** मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान मिलकर लगभग 55% उत्पादन करते हैं, जबकि शीर्ष 10 राज्य कुल उत्पादन का 91% से अधिक योगदान देते हैं।

रिपोर्ट द्वारा उजागर चुनौतियाँ:

- **कम उत्पादकता (Low Yield):** भारत की औसत दाल उत्पादकता 0.74 टन प्रति हेक्टेयर है, जो वैश्विक औसत 0.97 टन प्रति हेक्टेयर से कम है - और यह शीर्ष 10 उत्पादक देशों में सबसे न्यूनतम है।
- **प्रौद्योगिकीय अंतर:** उच्च उत्पादक किस्मों की कमी, कमजोर प्रसार सेवाएँ (Extension), गुणवत्तापूर्ण बीजों की सीमित उपलब्धता और कीट तथा रोग प्रबंधन की समस्याएँ मुख्य तकनीकी चुनौतियाँ हैं।
- **पर्यावरणीय बाधाएँ:** अधिकांश दाल खेती वर्षा पर निर्भर (Rainfed) होती है, सिंचाई व्यवस्था कमजोर है, और यह जलवायु परिवर्तन, सूखा, अनियमित वर्षा, एल नीनो/ला नीना जैसी स्थितियों से अत्यधिक प्रभावित होती है।
- **बाजार संबंधी समस्याएँ (Market Issues):** दामों में उतार-चढ़ाव, अनाज की तुलना में कम लाभ और कमजोर विपणन तंत्र (Weak Marketing Channels) किसानों की दाल उत्पादन में रुचि घटाते हैं।

नीति आयोग की सिफारिशें:

- **क्षेत्र संरक्षण और विविधीकरण:** वर्तमान दाल क्षेत्र को बनाए रखते हुए, क्लस्टर आधारित रणनीतियों के माध्यम से फसलों में विविधता लाना - जो कृषि-पर्यावरणीय उप-क्षेत्रों के अनुसार अनुकूलित हों।
- **बीज और तकनीक (Seed - Technology):**
  - 111 उच्च क्षमता वाले जिलों (जो कुल उत्पादन का लगभग 75% देते हैं) में गुणवत्तापूर्ण बीज और उपचार किट्स की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
  - साथ ही, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के माध्यम से "वन ब्लॉक - वन सीड विलेज" पहल को बढ़ावा दिया जाए।
- **जलवायु अनुकूलन (Climate Adaptation):** एल नीनो-सदर्न ऑस्सिलेशन (ENSO) जैसे जलवायु घटनाओं - एल नीनो और ला नीना - तथा अन्य जलवायु झटकों से निपटने के लिए अग्रसक्रिय उपायों (Proactive Measures) को मुख्यधारा में लाया जाए।
- **डेटा-आधारित रूपांतरण (Data-Driven Transformation):** निगरानी (Monitoring), प्रारंभिक चेतावनी (Early Warning) और बाजार खुफिया प्रणाली (Market Intelligence Systems) विकसित की जाएँ; साथ ही मूल्य श्रृंखला (Value Chain) में पारदर्शिता और निगरानी (Traceability) सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाए।

दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की पहल:

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM-Pulses):** यह योजना चावल, गेहूं, दालें और अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित है - क्षेत्र विस्तार, मिट्टी की उर्वरता सुधार, उत्पादकता वृद्धि और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (Technology Transfer) के माध्यम से।
- **बफर स्टॉक (Buffer Stock):** सरकार ने दालों की उपलब्धता और कीमतों को स्थिर रखने के लिए 1.5 लाख टन दालों का बफर स्टॉक सरकारी खरीद और आयात के माध्यम से तैयार किया है।
- **सीड हब कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम उच्च उत्पादकता और तेजी से बढ़ने वाली दाल बीज किस्मों की आपूर्ति को बढ़ाने पर केंद्रित है।
- **कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs):** किसान के खेतों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा विकसित नई तकनीकों का प्रदर्शन (Demonstration) करते हैं।
- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP):** सरकार ने विपणन वर्ष 2025-26 के लिए दालों सहित 14 खरीफ फसलों के MSP में वृद्धि की है।

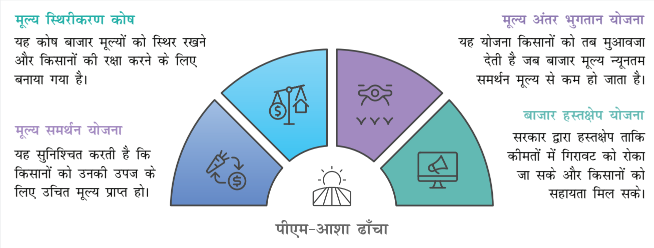

पांच वर्ष की ब्लू इकॉनमी

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) ने अपनी शुरुआत के पाँच वर्षों में मत्स्य पालन क्षेत्र को उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ाया है। इस योजना ने मत्स्य क्षेत्र को पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ, आर्थिक रूप से लाभदायक और सामाजिक रूप से समावेशी बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

परिचय:

- **परिभाषा (Definition):**
  - **विश्व बैंक (World Bank):** समुद्री संसाधनों का सतत् उपयोग, जिससे आर्थिक विकास, रोजगार और आजीविका को बढ़ावा मिले, साथ ही महासागर के स्वास्थ्य का संरक्षण बना रहे।
  - **भारत का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES):** राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा जिसमें समुद्री संसाधन और उनसे जुड़ा बुनियादी ढाँचा शामिल है – जो विकास, स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को एक-दूसरे से जोड़ता है।
- **उद्देश्य (Objective):**
  - समुद्री संसाधनों के सतत् उपयोग के माध्यम से विकास, रोजगार, खाद्य सुरक्षा और नवाचार को बढ़ावा देना।
  - यह जैव विविधता की रक्षा करता है और प्रदूषण को कम करता है।
- **नीली क्रांति (Blue Revolution) – 2015:** इसका उद्देश्य मछली उत्पादन बढ़ाना और मत्स्य मूल्य श्रृंखला (Fisheries Value Chain) का आधुनिकीकरण करना था।
- **ब्लू इकॉनमी 2.0 (Blue Economy 2.0):** इसका ध्यान जलवायु-समुत्थानशील विकास (Climate-Resilient Growth), तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन (Coastal Ecosystem Restoration) और निम्नलिखित घटकों पर केंद्रित है –
  - **पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem):** मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ (Reefs) और तटीय रेखाओं का पुनर्स्थापन।
  - **जलीय कृषि (Aquaculture):** सहायता के साथ सतत् खेती को बढ़ावा देना।
  - **एकीकरण (Integration):** तकनीक के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों को नीली अर्थव्यवस्था से जोड़ना।

संरचना और घटक:

ब्लू इकॉनमी से जुड़ी चुनौतियाँ:

- **पर्यावरणीय मुद्दे (Environmental Issues):** चुनौतियों में अत्यधिक मछली पकड़ना (Overfishing), प्रदूषण, प्रवाल भित्तियों का क्षरण (Coral Reef Degradation) और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव शामिल हैं।
- **नीति और शासन (Policy and Governance):** कमजोर समन्वय (Weak Coordination) और नियामक विलंब (Regulatory Delays) नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) की परियोजनाओं की गति को धीमा करते हैं।
- **प्रौद्योगिकीय चुनौतियाँ (Technological Issues):** अपतटीय पवन ऊर्जा (Offshore Wind), समुद्री जैव-प्रौद्योगिकी (Marine Biotechnology) और गहरे समुद्र खनन (Deep-Sea Mining) के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (R-D) की कमी है।
- **वित्तीय चुनौतियाँ (Financial Issues):** निजी निवेश का स्तर कम है (सागरमाला परियोजना में केवल 15%) और पूँजीगत लागत (Capital Costs) अधिक होने से विकास बाधित होता है।
- **सामाजिक चुनौतियाँ (Social Issues):** विस्थापन (Displacement), महिलाओं की सीमित भागीदारी और मछुआरा समुदाय के लिए ऋण तक सीमित पहुँच (Poor Credit Access) जैसी समस्याएँ मौजूद हैं।

सरकारी पहल:

- **डीप ओशन मिशन (Deep Ocean Mission – 2021):** यह गहरे समुद्र की खोज (Deep-Sea Exploration), खनिज मानचित्रण (Mineral Mapping), समुद्री जैव-प्रौद्योगिकी (Marine Biotechnology) और स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy) पर केंद्रित है।
- **मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 (Maritime India Vision 2030):** यह एक रोडमैप है जो बंदरगाह-आधारित विकास (Port-led Development), हरित नौवहन (Green Shipping) और वैश्विक समुद्री प्रतिस्पर्धा (Global Maritime Competitiveness)" को बढ़ावा देता है।
- **प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana):** इसका उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र का आधुनिकीकरण, निर्यात में वृद्धि और सतत् आजीविका (Sustainable Livelihoods) सुनिश्चित करना है।
- **सागरमाला कार्यक्रम (Sagarmala Programme):** इसने बंदरगाह अवसंरचना (Port Infrastructure), तटीय संपर्क (Coastal Connectivity) और लॉजिस्टिक्स दक्षता (Logistics Efficiency) को विकसित किया है।
- **समुद्री मत्स्य पालन पर राष्ट्रीय नीति (National Policy on Marine Fisheries – 2017):** यह सतत् मछली पकड़ने (Sustainable Fishing), समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPAs), आजीविका और नीली अर्थव्यवस्था अनुसंधान (Blue Economy Research) को प्रोत्साहित करती है।

- **ग्लोबल ओशन एलायंस (Global Ocean Alliance):** यह गठबंधन वर्ष 2030 तक महासागरों के 30% हिस्से की रक्षा करने का लक्ष्य रखता है, MPAs और सतत् मत्स्य प्रथाओं (Sustainable Fisheries) के माध्यम से।
- **संयुक्त राष्ट्र महासागर दशक (UN Ocean Decade – 2021–2030):** यह समुद्री संसाधनों के सतत् प्रबंधन (Sustainable Management) के लिए महासागर विज्ञान (Ocean Science) को सशक्त बनाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय समझौते:** UNCLOS (1982): समुद्री शासन (Ocean Governance) के लिए कानून।
  - **CBD (1992):** जैव विविधता संरक्षण।
  - **BBNJ संधि (2023):** गहरे समुद्री क्षेत्रों में जैव विविधता और संसाधनों के संरक्षण हेतु नई अंतर्राष्ट्रीय संधि।

ब्लू इकॉनमी के लिए वैश्विक पहल:

- **सेशेल्स (Seychelles):** इसने वर्ष 2018 में विश्व का पहला सॉवरेन ब्लू बॉन्ड (Sovereign Blue Bond) जारी किया, जिसका उद्देश्य सतत् मत्स्य पालन (Sustainable Fisheries) और समुद्री संरक्षण (Marine Conservation) को वित्तीय सहायता प्रदान करना था।
- **मॉरीशस (Mauritius):** यह देश अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए समुद्री पर्यटन (Marine Tourism), जलीय कृषि (Aquaculture) और नवीकरणीय समुद्री ऊर्जा परियोजनाओं (Renewable Ocean Energy Projects) को बढ़ावा दे रहा है।
- **यूरोपीय संघ (EU):** इसकी ब्लू ग्रोथ रणनीति (Blue Growth Strategy – 2012) समुद्री जैव-प्रौद्योगिकी (Biotech), अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा (Offshore Renewables), मत्स्य पालन, तटीय पर्यटन और समुद्री परिवहन (Maritime Transport) को प्रोत्साहित करती है।
- **नॉर्वे (Norway):** यह मरीन स्पैशियल प्लानिंग (Marine Spatial Planning – MSP) में वैश्विक अग्रणी है, जो मत्स्य, ऊर्जा और संरक्षण को एकीकृत रूप में संचालित करता है।
- **चीन (China):** यह जलीय कृषि (Aquaculture), समुद्री जैव-प्रौद्योगिकी (Marine Biotechnology) और गहरे समुद्र खनन (Deep-Sea Mining) का विस्तार कर अपने संसाधन सुरक्षा (Resource Security) को मजबूत कर रहा है।

आगे की राह:

- **ब्लू फाइनेंस (Blue Finance):** समुद्री परियोजनाओं के लिए ब्लू बॉन्ड, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), मिश्रित वित्त (Blended Finance) और कार्बन क्रेडिट्स का उपयोग किया जाएगा।
- **शासन सुधार (Governance Reform):** समन्वय को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल डैशबोर्ड सहित एक ब्लू इकॉनमी परिषद (Blue Economy Council) का गठन किया जाएगा।
- **क्षमता निर्माण (Capacity Building):** वर्ष 2028 तक राष्ट्रीय ब्लू स्किल्स कार्यक्रम के अंतर्गत 50,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- **अनुसंधान और नवाचार (Research – Innovation):** आईआईटी, आईआईएससी, एनआईओ जैसे संस्थानों की भागीदारी से एक ब्लू इकॉनमी अनुसंधान केंद्र (Blue Economy Research Hub) स्थापित किया जाएगा।
- **वैश्विक नेतृत्व (Global Leadership):** क्षेत्रीय और वैश्विक समुद्री शासन (Ocean Governance) को मजबूत करने के लिए ब्लू डिप्लोमेसी (Blue Diplomacy) को बढ़ावा दिया जाएगा।
- **प्रौद्योगिकी-आधारित अवसंरचना विकास (Boost Tech-led Infrastructure):** ULCV-रेडी बंदरगाह विकसित किए जाएँगे और कुशल नौवहन (Efficient Shipping) के लिए ब्लॉकचेन, IoT और AI जैसी तकनीकों को अपनाया जाएगा।
- **एमसीएस (Monitoring] Control and Surveillance):** भारतीय मछली पकड़ने वाले जहाजों को वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम (VMS) जैसे ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) या ट्रांसपोंडर से सुसज्जित किया जाएगा, ताकि वे अपनी स्थिति (Position Data) नियंत्रण केंद्रों के साथ साझा कर सकें।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) की तीसरी वर्षगाँठ मनाई, जिसे वर्ष 2022 में शुरू किया गया था।

इसके मुख्य उद्देश्य हैं:

- लॉजिस्टिक लागत को वैश्विक मानकों तक घटाना और इसे जीडीपी के 10% से नीचे लाना। वर्ष 2030 तक भारत की रैंकिंग को लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) में शीर्ष 25 देशों में शामिल करना।
- एक मजबूत, डेटा-आधारित निर्णय सहायता प्रणाली स्थापित करना ताकि एक कुशल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र (Integrated Logistics Ecosystem) सुनिश्चित किया जा सके।

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियाँ:

- **एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP):** इसने 30 से अधिक डिजिटल प्रणालियों के बीच सुरक्षित एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) एकीकरण को संभव बनाया है।
- **2023 के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) में रैंकिंग:** भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर रहा, जो 2018 की पिछली रैंकिंग की तुलना में 6 स्थानों का उल्लेखनीय सुधार है।
- **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI):** इसने वर्ष 2024-25 में 145.5 मिलियन टन माल परिवहन (Cargo Movement) दर्ज किया।

कुशल लॉजिस्टिक्स अवसंरचना के प्रमुख लाभ:

- **आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता (Supply Chain Efficiency):** लॉजिस्टिक्स एक सुचारु और प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करता है, जिससे देरी कम होती है और डिलीवरी समय घटता है।
- **संपर्क और पहुँच:** लॉजिस्टिक्स नेटवर्क विभिन्न क्षेत्रों और बाजारों को जोड़कर संपर्क और पहुँच को बेहतर बनाते हैं।
- **लागत में कमी और प्रतिस्पर्धात्मकता:** कुशल लॉजिस्टिक्स संचालन परिवहन, भंडारण और वितरण की लागत को कम करने में मदद करता है।
- **रोजगार सृजन (Job Creation):** लॉजिस्टिक्स क्षेत्र परिवहन, गोदाम और वितरण में बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न करता है - वर्ष 2027 तक लगभग 1 करोड़ नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
- **आर्थिक एकीकरण:** कुशल लॉजिस्टिक्स आर्थिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है और वस्तुओं व सेवाओं के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करता है।

चुनौतियाँ:

- **उच्च लॉजिस्टिक लागत:** भारत की लॉजिस्टिक लागत जीडीपी के लगभग 13-14% के बराबर है, जिससे भारतीय निर्यात वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी हो जाता है।
- **बुनियादी ढाँचे की कमी (Infrastructure Gaps):** यह क्षेत्र गोदामों (Warehousing), कोल्ड स्टोरेज और अंतिम मील संपर्क (Last-mile Connectivity) में बुनियादी ढाँचे की कमी से जूझ रहा है।
- **सड़क परिवहन पर अत्यधिक निर्भरता (Overdependence on Road):** माल परिवहन के लिए सड़क मार्ग पर अत्यधिक निर्भरता के कारण जाम, देरी और परिवहन लागत में वृद्धि होती है।
- **बहु-माध्यम परिवहन की समस्या (Multimodal Transport Issues):** माल परिवहन में रेलवे और अंतर्देशीय जलमार्गों (Inland Waterways) की कम हिस्सेदारी के कारण एक कुशल बहु-माध्यम परिवहन प्रणाली (Efficient Multimodal System) का विकास बाधित होता है।
- **पर्यावरणीय चिंताएँ (Environmental Concerns):** डीजल आधारित ट्रकिंग पर भारी निर्भरता कार्बन उत्सर्जन बढ़ाती है और पर्यावरण प्रदूषण में योगदान देती है।

लॉजिस्टिक्स में सरकारी पहल

- **पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान:** इसका उद्देश्य जीवन और व्यापार की सुगमता (Ease of Living and Doing Business) को बेहतर बनाना है, साथ ही परियोजनाओं को तेज, कम लागत और बिना बाधा के पूरा करना सुनिश्चित करना है।
- **मैरिटाइम अमृत काल विजन 2047:** देश में जहाज निर्माण और मरम्मत क्षमता (Shipbuilding and Ship Repair) को बढ़ाने के लिए एक नई नीति तैयार की जा रही है।
- **समर्पित माल गलियारे (Dedicated Freight Corridors):** ये गलियारे लॉजिस्टिक लागत को कम करते हैं, आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाते हैं, आर्थिक विकास को गति देते हैं और रेलवे को आधुनिक बनाते हैं।
- **बहु-माध्यम लॉजिस्टिक्स पार्क (Multi-Modal Logistics Park - MMLPs):** सरकार ने 35 बहु-माध्यम लॉजिस्टिक्स पार्कों को मंजूरी दी है, जिन्हें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों द्वारा देशभर में विकसित किया जा रहा है ताकि दक्षता बढ़े और लॉजिस्टिक लागत घटे।
- **एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (Unified Logistics Interface Platform - ULIP):** यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कई मंत्रालयों के लॉजिस्टिक डेटा को जोड़ता है। वर्ष 2025 में इसमें 100 करोड़ API लेनदेन दर्ज किए गए।
- **गति शक्ति विश्वविद्यालय (Gati Shakti Vishwavidyalaya - GSV):** यह भारत का पहला विश्वविद्यालय है जो परिवहन और लॉजिस्टिक्स शिक्षा को समर्पित है।
- **सततता (Sustainability):** फ्रेट ग्रीनहाउस गैस (GHG) कैलकुलेटर और रेल ग्रीन पॉइंट्स जैसे उपकरण परिवहन लागत और कार्बन उत्सर्जन को ट्रैक करने में मदद करते हैं, जिससे सतत् माल परिवहन (Sustainable Freight Practices) को बढ़ावा मिलता है।

भारत में पर्यटन क्षेत्र

भारत ने विश्व पर्यटन दिवस 2025 मनाया, जिसमें सतत् पर्यटन पर प्रकाश डाला गया तथा विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाया गया।

परिचयः

- विश्व पर्यटन दिवस, जो हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) की एक पहल है।
- यह 1970 में UNWTO के संविधान (Statutes) को अपनाने की याद में मनाया जाता है और पहली बार 1980 में इसे मनाया गया था।
- वर्ष 2025 का विषय (Theme) है – "पर्यटन और सतत् परिवर्तन"।

भारत के पर्यटन क्षेत्र की स्थिति

- **अर्थव्यवस्था में योगदानः** भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में 4 ट्रिलियन डॉलर की है और वर्ष 2047 तक इसके 32 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है। पर्यटन वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 5-6% का योगदान देता है।
- **पर्यटक आगमनः** अगस्त 2025 तक भारत में लगभग 56 लाख विदेशी पर्यटक आगमन और 303.59 करोड़ घरेलू पर्यटक यात्राएँ दर्ज की गईं।
- **वैश्विक मान्यताः** भारत के पास 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, साथ ही समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक आकर्षणों की विविधता भी है।
- **वैश्विक रैंकिंगः** विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 के अनुसार, भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर रहा।

पर्यटन क्षेत्र का महत्त्व

- **जीडीपी वृद्धि (GDP Growth):** यात्रा और पर्यटन भारत का सबसे बड़ा सेवा क्षेत्र है। इसने वर्ष 2023-24 में जीडीपी में ₹15.73 लाख करोड़ का योगदान दिया, जो कुल अर्थव्यवस्था का 5.22% है।
- **विदेशी मुद्रा (Foreign Exchange):** जून 2025 तक पर्यटन से भारत को ₹51,532 करोड़ की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई।
- **रोजगारः** पर्यटन क्षेत्र ने 3.69 करोड़ प्रत्यक्ष रोजगार और 4.77 करोड़ अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए – यानी कुल रोजगार का लगभग 13.34%।
- **धरोहर संरक्षणः** पर्यटन ऐतिहासिक स्मारकों, मंदिरों, किलों और अन्य विरासत स्थलों के पुनर्निर्माण और संरक्षण को प्रोत्साहित करता है, जिससे वे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सकें।
- **सॉफ्ट पावर कूटनीतिः** पर्यटन भारत की समृद्ध संस्कृति, कला और इतिहास को विश्व के सामने प्रस्तुत कर 'सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी' का एक प्रभावी माध्यम बनता है।

पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँः

- **उच्च आउटबाउंड बनाम कम इनबाउंड पर्यटनः** भारत से विदेश जाने वाले यात्रियों की संख्या, भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की तुलना में कहीं अधिक है, जिससे पर्यटन व्यापार असंतुलन और विदेशी मुद्रा अर्जन की संभावनाओं में कमी आती है।
- **बुनियादी ढाँचे की कमीः** सीमित अंतिम मील संपर्क, अपर्याप्त सुविधाएँ और लोकप्रिय स्थलों पर भीड़भाड़ पर्यटकों के अनुभव की गुणवत्ता को घटाती हैं।
- **पर्यावरणीय ह्रासः** पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे पहाड़ी स्थानों और तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक पर्यटन (Over-tourism) प्रदूषण, आवास विनाश (Habitat Loss) और संसाधनों पर दबाव बढ़ाता है।
- **सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी चिंताएँः** महिलाओं की सुरक्षा, ठगी, स्वच्छता और सफाई से जुड़ी समस्याएँ भारत की वैश्विक छवि को प्रभावित करती हैं और विदेशी पर्यटकों को हतोत्साहित करती हैं।
- **मौसमी प्रभाव (Seasonality):** कई पर्यटन स्थल मौसम के अनुसार पर्यटकों की संख्या में भारी उतार-चढ़ाव देखते हैं – पीक सीजन में अधिक भीड़ और ऑफ-सीजन में बहुत कम आगमन।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धाः** सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदा के बावजूद, भारत विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में 39वें स्थान पर है, जो अन्य देशों की तुलना में अप्रयुक्त संभावनाओं को दर्शाता है।
- **विनिमय दर अस्थिरताः** सितंबर से भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर की तुलना में लगभग 3.7% मूल्य खो चुका है, जिससे यह अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है।

सरकारी पहल

- **संयोजकता और निवेश को बढ़ावाः** वर्ष 2025 के बजट में वित्त मंत्री ने राज्यों के साथ साझेदारी में 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास के लिए एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा की, जिसे चैलेंज मोड के माध्यम से लागू किया जाएगा।
- **स्वदेश दर्शन योजनाः** पर्यटन मंत्रालय ने 2014-15 में देशभर में विषयगत पर्यटन परिपथों के विकास के लिए यह योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत ₹5,290.30 करोड़ की लागत से 76 परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं, जिनमें से 75 परियोजनाएँ भौतिक रूप से पूरी हो चुकी हैं।
- **प्रसाद योजनाः** पर्यटन मंत्रालय ने 2014-15 में तीर्थस्थलों पर पर्यटकों की सुविधा, पहुँच, सुरक्षा और स्वच्छता में सुधार के लिए PRASHAD योजना शुरू की।
- **देखो अपना देश पहलः** पर्यटन मंत्रालय ने 2020 में देश में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह पहल शुरू की।
- **राज्यों को विशेष सहायता पूँजी निवेश के लिए (SASCI):** वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय ने जुलाई 2025 में Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI) योजना शुरू की।
- **अन्य सुधारः** ई-वीजा सुविधा, जीएसटी में कटौती, क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान (RCS-UDAN), IITF प्रमाणन कार्यक्रम, NIDHI+ आदि की शुरुआत की गई।
- **मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट्सः** आयुष मंत्रालय द्वारा राज्यों, अस्पतालों और उद्योग नेताओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए इन सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है।

सार्वजनिक ऋण पर रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की दस-वर्षीय रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में भारत के 28 राज्यों में सार्वजनिक ऋण (Public Debt) में तेज वृद्धि देखी गई है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **ऋण-से-जीडीपी अनुपात:** यह किसी देश के सार्वजनिक ऋण को उसके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में मापता है।
  - यह देश की ऋण चुकाने की क्षमता को दर्शाता है।
- **सार्वजनिक ऋण:** सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा लिया गया कुल उधार, जो निजी क्षेत्र और विदेशी संस्थाओं को चुकाना होता है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों के ऋण शामिल होते हैं, लेकिन सरकारों के बीच के आंतरिक दायित्व शामिल नहीं होते।
- **ऋण वृद्धि:** राज्यों का कुल सार्वजनिक ऋण 2013-14 में ₹17.57 लाख करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹59.60 लाख करोड़ हो गया, यानी लगभग तीन गुना। राज्यों का ऋण उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के अनुपात में 2013-14 में 16.66% से बढ़कर 2022-23 में 22.96% हो गया। वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों का कुल ऋण भारत के जीडीपी का 22.17% था।
- **राज्यवार ऋण-से-जीएसडीपी अनुपात (2022-23):**
  - **सबसे अधिक** - पंजाब (40.35%), नागालैंड (37.15%), पश्चिम बंगाल (33.70%)
  - **सबसे कम** - ओडिशा (8.45%), महाराष्ट्र (14.64%), गुजरात (16.37%)
  - कुल 8 राज्यों का ऋण उनके GSDP के 30% से अधिक था, जबकि 6 राज्यों का ऋण 20% से कम था।
- **ऋण और राजस्व प्राप्तियाँ:** पिछले दशक में राज्यों का ऋण उनकी राजस्व प्राप्तियों के 128% से 191% के बीच रहा। औसतन, ऋण उनकी राजस्व या गैर-ऋण प्राप्तियों के लगभग 150% के बराबर था।

उच्च ऋण बोझ के कारण:

- **प्रतिस्पर्धात्मक लोकलुभावनवाद:** पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने महँगे कल्याणकारी योजनाएँ अपनाई हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति पर और अधिक दबाव (Fiscal Stress) बढ़ा है।
- **कोविड-19 का प्रभाव:** कोविड-19 महामारी के दौरान जीएसडीपी में कमी और अतिरिक्त उधारी के कारण ऋण-से-जीएसडीपी अनुपात 2019-20 में 21% से बढ़कर 2020-21 में 25% हो गया।
- **जीएसटी पर निर्भरता:** जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों ने अपने स्वतंत्र कराधान अधिकार (जैसे ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स आदि) खो दिए। जून 2022 में जीएसटी मुआवजा समाप्त हो जाने से राज्यों की आमदनी में अंतर (राजस्व अंतराल) पैदा हो गया।
- **वर्तमान व्यय के लिए उधारी:** रिपोर्ट में 'गोल्डन रूल' (Golden Rule) के उल्लंघन की ओर ध्यान दिलाया गया, जिसके अनुसार सरकार को केवल निवेश (Investment) के लिए ही ऋण लेना चाहिए, न कि दैनिक संचालन व्यय (Operating Costs) के लिए।
  - सीएजी ने पाया कि पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आदि 11 राज्यों में इस नियम का उल्लंघन हुआ है।

प्रमुख चिंताएँ:

- **क्राउडिंग आउट (Crowding Out):** राज्यों द्वारा बड़ी मात्रा में एसडीएल (State Development Loans) उधार लेने से ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, जिससे निजी कंपनियों के लिए ऋण लेना महँगा हो जाता है।
- **मुद्रास्फीति का दबाव:** अत्यधिक ऋण-आधारित खर्च (Debt-fueled Spending), खासकर उपभोग सब्सिडी पर, महँगाई बढ़ा सकता है।
- **ब्याज और ऋण सेवा दबाव:** ऊँची ब्याज दरों पर बाजार से लिए गए ऋणों (SDLs) का बढ़ता हिस्सा राज्यों के पुनर्भुगतान बोझ को बढ़ा देता है।
- **केंद्र-राज्य वित्तीय संतुलन:** केंद्र सरकार का ऋण (लगभग जीडीपी का 57% - FY24 में) और राज्यों का बढ़ता ऋण (लगभग जीडीपी का 23%) मिलकर भारत के कुल सरकारी ऋण को जीडीपी के लगभग 80% तक पहुँचा देता है, जो FRBM पुनरीक्षण समिति द्वारा निर्धारित 60% के लक्ष्य से काफी अधिक है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)

- CAG भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षक प्राधिकरण है, जो सरकारी खातों का ऑडिट करने और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक में CAG की नियुक्ति, कर्तव्यों और रिपोर्टिंग ढाँचे का प्रावधान किया गया है।
- **नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971:** यह अधिनियम CAG की सेवा की शर्तों को निर्धारित करता है और उनके कार्यालय के कर्त्तव्यों और शक्तियों को निर्दिष्ट करता है।
- **विजन:** सार्वजनिक संसाधनों पर स्वतंत्र और विश्वसनीय आश्वासन प्रदान करना और सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करना।
- **मिशन:** सार्वजनिक धन के ऑडिट द्वारा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा धन के प्रभावी उपयोग की पुष्टि करना।
- **मुख्य मूल्य:**
  - **संस्थानिक:** व्यावसायिकता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता
  - **व्यक्तिगत:** ईमानदारी, नैतिकता, दक्षता, न्यायप्रियता, सामाजिक जागरूकता

आगे की राह:

- **राजकोषीय अनुशासन:** केवल उत्पादक पूँजीगत कार्यों के लिए ही उधारी लें, न कि नियमित खर्चों के लिए।
- **ऋण प्रबंधन:** कम लागत वाले साधनों जैसे राष्ट्रीय लघु बचत निधि (NSSF), ग्रीन बॉन्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड का उपयोग करके ऋण की निगरानी, पुनर्गठन और पुनर्वित्त करें।
- **राजस्व संवर्धन:** कर आधार का विस्तार करें, राजस्व के स्रोतों में विविधता लाएँ और वसूली की दक्षता बढ़ाएँ।

वन भूमि पर खनिज अन्वेषण ड्रिलिंग

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (FAC) ने वन क्षेत्रों में खनिज अन्वेषण ड्रिलिंग के लिए बढ़ी हुई छूटों (Enhanced Exemptions) को मंजूरी दी है।

पृष्ठभूमि:

- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में 2023 में संशोधन किया गया ताकि वन भूमि पर खनिज अन्वेषण हेतु ड्रिलिंग की अनुमति दी जा सके।
- **महत्त्वपूर्ण खनिज:** ये खनिज किसी देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी उपलब्धता की कमी या कुछ सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में केंद्रितता के कारण आपूर्ति श्रृंखला में असुरक्षा उत्पन्न हो सकती है।

प्रमुख प्रावधान:

- **बोरहोल:** मंत्रालय ने छूट के अंतर्गत खनिज अन्वेषण के लिए प्रति 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 62 से 80 बोरहोल (6 इंच व्यास वाले) खोदने की अनुमति दी है।
- **पहला नियम:** पहले वन कानून के अंतर्गत केवल प्रति 10 वर्ग किलोमीटर में 25 बोरहोल, प्रति वर्ग किलोमीटर में 80 शॉट होल (shot holes) और 100 पेड़ों की कटाई की अनुमति बिना वन स्वीकृति (forest clearance) के दी जाती थी। यह ड्रिलिंग प्रक्रिया खनिज, अयस्क, तेल या गैस की खोज के लिए गहरे और संकरे छेद करने से संबंधित है।
- यह उन खनिजों की खोज के लिए की जाती है जो स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक हैं, जैसे – निकेल, कोबाल्ट और लिथियम।

पर्यावरण सुरक्षा उपाय:

- **सीमित कार्य समय:** ड्रिलिंग केवल सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक की जा सकती है ताकि यह वन्यजीवों की गतिविधियों के समय-चक्र के अनुरूप रहे।
- **जोखिम:** ड्रिलिंग से शोर प्रदूषण, वन्यजीवों की आवाजाही में बाधा, नदियों या झरनों से पानी निकासी, और तेल/ग्रीस का रिसाव जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे जलीय प्रजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **स्थल पुनर्स्थापन:** ड्रिलिंग पूरी होने के बाद बोरहोल को सीमेंट से बंद (plug) करना अनिवार्य है।
- **प्रतिबंधित क्षेत्र (Restriction Zones):** निम्नलिखित पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रिलिंग की अनुमति नहीं होगी –
  - महत्त्वपूर्ण वन्यजीव प्रजनन और घोंसले वाले क्षेत्र
  - जल स्रोत और नदी तटीय पारिस्थितिक तंत्र (riparian ecosystems)
  - उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र (high-biodiversity patches)
  - लुप्तप्राय या स्थानिक प्रजातियों वाले क्षेत्र
  - सांस्कृतिक या धार्मिक रूप से महत्त्वपूर्ण वन स्थल

खनिज अन्वेषण के उद्देश्य:

- **महत्त्वपूर्ण खनिजों पर जोर:** कई महत्त्वपूर्ण खनिज जैसे – रेयर अर्थ, लिथियम, कोबाल्ट, निकेल – जो स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक हैं, मुख्य रूप से वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- **व्यापार सुगमता:** यह प्रावधान बार-बार केंद्रीय स्वीकृति लेने में होने वाली देरी को खत्म करता है, जिससे अस्थायी सर्वेक्षण जल्दी पूरे किए जा सकते हैं।
- **आर्थिक वृद्धि के लिए समर्थन:** खनिज अवसंरचना, उद्योग, रक्षा और हरित प्रौद्योगिकी के विकास के लिए आवश्यक हैं। तेज अन्वेषण से परियोजनाओं का शीघ्र विकास, लागत दक्षता और खनिज अन्वेषण में अधिक निवेश आकर्षित होता है।

ड्रिलिंग से संबंधित चिंताएँ:

- **पर्यावरणीय प्रभाव:** ड्रिलिंग गतिविधियाँ, उनके साथ होने वाला शोर और कंपन, वन्यजीवों की आवाजाही के पैटर्न को बाधित कर सकती हैं।
- **वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 से टकराव:** यह अधिनियम वनों में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों के कानूनी अधिकारों को मान्यता देता है।
- **वन संरक्षण अधिनियम (FCA), 1980 की समीक्षा से बचाव:** पहले FCA के अंतर्गत, वन भूमि पर किसी भी गैर-संरक्षण गतिविधि के लिए केंद्रीय सरकार की मंजूरी आवश्यक होती थी। लेकिन अब खनिज अन्वेषण को "वन गतिविधि" के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने से चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।

महत्त्वपूर्ण खनिजों का उपयोग:

- **सौर ऊर्जा (Solar Energy):** सिलिकॉन, टेल्यूरियम, इंडियम और गैलियम जैसे खनिज सौर पैनलों के लिए आवश्यक हैं, और भारत की 64 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता इन पर निर्भर करती है।
- **पवन ऊर्जा:** डिसप्रोसियम और नियोडिमियम जैसे खनिज विंड टरबाइन के मैग्नेट के लिए आवश्यक हैं। भारत ने पवन ऊर्जा क्षमता को 42 गीगावाट से बढ़ाकर 140 गीगावाट (2030 तक) करने का लक्ष्य रखा है।
- **ऊर्जा भंडारण:** राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना (NEMMP) के अंतर्गत लिथियम, निकेल और कोबाल्ट वे प्रमुख खनिज हैं जो लिथियम-आयन बैटरियों के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं।

महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिए सरकारी पहल:

- **राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM):** इसका उद्देश्य देशीय और विदेशी स्रोतों के माध्यम से महत्त्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है, साथ ही खनन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के लिए प्रौद्योगिकी, नीतियों, वित्तीय ढाँचे और कौशल विकास को बढ़ावा देना भी है।
- **KABIL:** इसने CAMYEN SE, जो अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत की एक राज्य-स्वामित्व वाली कंपनी है, के साथ 15 जनवरी 2024 को एक समझौता किया है। यह समझौता 15,703 हेक्टेयर क्षेत्र में लिथियम अन्वेषण से संबंधित है।
- **IREL (इंडिया) लिमिटेड:** यह कंपनी रेयर अर्थ तत्त्वों के निष्कर्षण और परिशोधन इकाइयों का संचालन करती है, और समुद्री तट की रेत से खनिजों का प्रसंस्करण करती है।

भारत में डीकार्बोनाइजेशन

जनक राज और राकेश मोहन द्वारा किए गए सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस (CSEP) के एक अध्ययन के अनुसार, भारत को बिजली, इस्पात, सीमेंट और सड़क परिवहन क्षेत्रों में डीकार्बोनाइजेशन (कार्बन उत्सर्जन कम करने) के लिए वर्ष 2030 तक लगभग 467 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी।

अध्ययन की मुख्य बातें:

- ऊर्जा, उद्योग और परिवहन प्रणालियों से कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) और अन्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम या समाप्त करने की प्रक्रिया को डीकार्बोनाइजेशन कहा जाता है।
- **उत्सर्जन प्रभाव:** बिजली, इस्पात और सीमेंट क्षेत्रों में डीकार्बोनाइजेशन से वर्ष 2030 तक लगभग 6.9 अरब टन CO_2 उत्सर्जन को रोका जा सकता है।
- **तुलना:** यह अनुमान पहले बताए गए ट्रिलियन डॉलर की तुलना में कम है और इसे घरेलू व निजी क्षेत्र के वित्तीय सहयोग से संभव माना गया है।
- **समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण:** यह प्रक्रिया देश की प्रतिस्पर्धात्मकता या मुद्रास्फीति पर नकारात्मक प्रभाव डाले बिना अपनाई जा सकती है।

डीकार्बोनाइजेशन के बारे में:

- डीकार्बोनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड (या उसके समकक्ष गैसों) के उत्सर्जन को कम किया जाता है ताकि ग्रीनहाउस गैसों का उत्पादन घटाया जा सके।
- पेरिस समझौते के अनुसार, वैश्विक तापमान के मानकों को बनाए रखने के लिए परिवहन और बिजली उत्पादन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रक्रिया में पवन, सौर और बायोमास जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता है।

संबंधित चुनौतियाँ:

- **पर्यावरणीय अनिवार्यता:** भारत की 70% से अधिक बिजली अभी भी कोयले से उत्पन्न होती है; इसे धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाना आवश्यक है।
- **प्रौद्योगिकी की कमी:** ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS), तथा बैटरी स्टोरेज जैसी तकनीकें अभी भी महँगी हैं और पूरी तरह विकसित नहीं हुई हैं।
- **विनियामक बिखराव:** केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच अधिकारों का ओवरलैप (अतिरेक) कार्यान्वयन की गति को धीमा कर देता है।
- **वित्तीय आवश्यकता:** भारत को अपने चार सबसे बड़े उत्सर्जन क्षेत्रों में डीकार्बोनाइजेशन के लिए वर्ष 2030 तक लगभग 467 अरब डॉलर की आवश्यकता है।
  - इनमें से इस्पात (₹251 अरब डॉलर) और सीमेंट (₹141 अरब डॉलर) क्षेत्र सबसे कठिन हैं, और अधिकांश निवेश इन तकनीकों – जैसे कार्बन कैप्चर और स्टोरेज (CCS) – पर खर्च होगा।
  - ऊर्जा क्षेत्र, जो पहले से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, को लगभग 47 अरब डॉलर, जबकि सड़क परिवहन क्षेत्र को लगभग 18 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी।
- जीवाश्म ईंधन (विपस निमस) क्षेत्रों में कार्यरत लाखों लोगों को नए कौशल (reskilling) और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होगी।

डीकार्बोनाइजेशन के लिए सरकारी पहल:

- **राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति (2018):** यह नीति बड़े ग्रिड से जुड़े हाइब्रिड सिस्टम को बढ़ावा देती है ताकि पवन और सौर ऊर्जा का बेहतर उपयोग किया जा सके, भूमि और ट्रांसमिशन का अनुकूलन हो, और नई तकनीकों को प्रोत्साहन मिले।
- **पीएम-कुसुम और पीएम सूर्य घर योजनाएँ:** इन योजनाओं ने किसानों और घरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया है।
- **ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC):** नवीकरणीय ऊर्जा के लिए राज्यों के भीतर ट्रांसमिशन नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है। इसे 10 राज्यों में दो चरणों में केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) के अंतर्गत लागू किया जा रहा है।
- **राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन:** इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक केंद्र बनाना है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसे माँग निर्माण, SIGHT प्रोत्साहन और पायलट परियोजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है।
- **फेम (FAME) योजना भारत:** भारी उद्योग विभाग द्वारा शुरू की गई यह योजना इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने और उनके सतत् विकास को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
- **कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना:** सरकार भारतीय कार्बन बाजार (Indian Carbon Market – ICM) विकसित कर रही है, जिसके माध्यम से कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों का व्यापार कर देश की अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइज किया जाएगा। इसे विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) और पर्यावरण मंत्रालय (MoEFCC) के सहयोग से संचालित किया जा रहा है।
- **सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स:** ये सरकारी ऋण प्रतिभूतियाँ हैं जिनसे नवीकरणीय ऊर्जा जैसी पर्यावरणीय लाभ वाली परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जाता है।
- **ग्रीन इंडिया मिशन (GIM):** यह राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) का हिस्सा है। इसका उद्देश्य वनों की सुरक्षा, पुनर्स्थापना और विस्तार करना तथा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (JFMCs) के माध्यम से पर्यावरणीय पुनर्स्थापन द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटना है।

वैश्विक पहल:

- **ग्लासगो जलवायु समझौता:** इसने 1.5°C लक्ष्य की पुनः पुष्टि की, कोयले के उपयोग में कमी और मीथेन गैस उत्सर्जन में कटौती पर जोर दिया।
- **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन:** इसमें एचएफसी गैसों (HFCs) को चरणबद्ध तरीके से कम करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि 0.5°C तक की ताप वृद्धि को रोका जा सके।
- **G7/G20 घोषणाएँ:** इन देशों ने सदी के मध्य तक नेट जीरो (Net Zero) लक्ष्य हासिल करने और जीवाश्म ईंधन पर मिलने वाली सब्सिडी को धीरे-धीरे समाप्त करने का वचन दिया है।

पराली जलाना

सर्वोच्च न्यायालय ने पराली जलाने के मामलों में आपराधिक मुकदमा चलाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया और किसानों के लिए सहयोगपूर्ण समझाने वाली नीति को प्राथमिकता दी।

परिचयः

- पराली जलाना खेत से धान की फसल के अवशेष हटाने की एक विधि है ताकि गेहूं की बुवाई की जा सके। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धान जैसी फसलों की कटाई के बाद बची हुई पराली (डंठल) को आग लगाई जाती है।
- धान की पराली जलाने की प्रथा मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सिन्धु-गंगा के मैदानों में रबी फसल की बुवाई के लिए खेत साफ करने के उद्देश्य से की जाती है। पंजाब और हरियाणा में धान की फसल की कटाई अक्टूबर के पहले से लेकर अंतिम सप्ताह तक की जाती है।

कारण

- पराली जलाने का मुख्य कारण यह है कि धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच बहुत कम समय होता है, और गेहूं की बुवाई में देरी होने पर फसल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- कटाई के बाद खेत साफ करने के लिए पराली जलाना सबसे सस्ता तरीका माना जाता है।

प्रभाव

- **प्रदूषणः** पराली जलाने से वातावरण में विषैले प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), मीथेन (CH_4), कैंसरजनक पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC) जैसी हानिकारक गैसें शामिल होती हैं। ये प्रदूषक आसपास फैलकर हवा की गुणवत्ता को खराब करते हैं और धुंध (स्मॉग) की मोटी परत बनाकर लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।
- **मृदा की उर्वरताः** जब भूसे या पराली को जमीन पर जलाया जाता है, तो मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और उसमें मौजूद पोषक तत्त्व नष्ट हो जाते हैं।
- **गर्मी का प्रवेशः** पराली जलाने से उत्पन्न गर्मी मिट्टी के अंदर तक चली जाती है, जिससे मिट्टी का कटाव बढ़ता है, उपयोगी सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं और नमी कम हो जाती है।

पराली जलाने पर नियंत्रण में चुनौतियाँः

- **तकनीकी और अवसंरचनात्मक चुनौतियाँः** हार्वेस्टर मशीनें खेत में पराली छोड़ देती हैं, भंडारण और किराए पर मशीन उपलब्ध कराने वाले केंद्र सीमित हैं, उच्च सिलिका वाली पराली से मशीनें जल्दी खराब होती हैं, और कटाई से बुवाई के बीच केवल 15-20 दिनों का छोटा समय मिलता है।
- **विनियामक और प्रशासनिक चुनौतियाँः** पराली की परिभाषा स्पष्ट नहीं है, "रेड एंट्री" प्रक्रियाएँ अस्पष्ट हैं, बाहर निकलने के प्रावधानों की कमी है, और मंत्रालयों व राज्यों के बीच समन्वय कमजोर है।
- **वित्तीय और आर्थिक चुनौतियाँः** कृषि मशीनरी पर सीमित सब्सिडी उपलब्ध है और पर्यावरण क्षतिपूर्ति निधि (compensation funds) के उपयोग के लिए कमजोर ढाँचा है।
- **सामाजिक-आर्थिक और जागरूकता संबंधी चुनौतियाँः** टिकाऊ विकल्पों पर किसानों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं है और दंड तथा प्रोत्साहनों के बीच असंतुलन मौजूद है।

न्यायपालिका द्वारा व्याख्याः

- मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने पराली जलाने की प्रथा को रोकने के लिए फिर से आपराधिक मुकदमे शुरू करने या एक नया कानून बनाने का सुझाव दिया, यह कहते हुए कि सख्त कार्रवाई आवश्यक है ताकि एक स्पष्ट संदेश दिया जा सके।
- न्यायालय ने कहा कि किसान सम्मान के पात्र हैं, लेकिन उन्हें पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए।
- न्यायालय ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि वह सभी राज्यों को शामिल करते हुए एक समान नीति बनाए और यदि आवश्यक हो तो मैंडमस (कानूनी आदेश) जारी किया जा सकता है।

भारत में संबंधित कदम

- कृषि और किसान कल्याण विभाग (DA-FW) 2018-19 से फसल अवशेष प्रबंधन योजना (Crop Residue Management Scheme) लागू कर रहा है ताकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पराली जलाने की समस्या को नियंत्रित किया जा सके।
  - इस योजना के अंतर्गत इन-सीटू (खेत में ही प्रबंधन) और एक्स-सीटू (खेत के बाहर उपयोग) दोनों प्रकार के समाधान को बढ़ावा दिया जा रहा है।
  - इस योजना के अंतर्गत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी खरीदने के लिए 50% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जबकि ग्रामीण उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), सहकारी समितियों और पंचायतों को कस्टम हायरिंग सेंटर (CHCs) स्थापित करने के लिए 80% तक सहायता प्रदान की जाती है।
  - इसके अतिरिक्त, जैव ईंधन और बायोमास उद्योगों के लिए धान के पुआल की आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) स्थापित करने हेतु पूँजी लागत का 65% (अधिकतम ₹1.5 करोड़ तक) समर्थन दिया जाता है।
- **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)** ने पराली जलाने की निगरानी के लिए मानक प्रोटोकॉल विकसित किए हैं।
  - वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने राज्यों और बिजली संयंत्रों के लिए इन-सीटू और एक्स-सीटू दोनों प्रकार के पराली प्रबंधन पर कई निर्देश जारी किए हैं।
- **वित्तीय सहायता तंत्रः** छोटे और सीमांत किसान कृषि यंत्रीकरण उपमिशन (SMAM) के अंतर्गत कृषि मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रव्यापी पटाखा नीति बनाने का आह्वान किया

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध केवल दिल्ली-एनसीआर तक ही सीमित नहीं होना चाहिए तथा इस बात पर जोर दिया कि पूरे भारत के लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का समान अधिकार है।

पृष्ठभूमि:

- अप्रैल 2025 में, न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री, उत्पादन और निर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबंध की पुष्टि की थी।
- न्यायालय ने यह भी कहा था कि केवल "ग्रीन पटाखे", जो न्यूनतम प्रदूषण फैलाते हैं, उन पर दोबारा विचार किया जा सकता है।
- अब न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से रिपोर्ट माँगी है और दो हफ्तों बाद इस मामले की फिर से समीक्षा करेगी।

मुख्य अवलोकन:

- अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाना है, तो यह पूरे भारत में लागू होना चाहिए। वायु प्रदूषण केवल राजधानी तक सीमित नहीं है; देश के कई अन्य शहर त्योहारों और सर्दियों के महीनों में इससे भी बदतर स्थिति का सामना करते हैं।
- देश के सभी हिस्सों के नागरिकों की सुरक्षा की जानी चाहिए, न कि केवल दिल्ली के लोगों की।

उठाई गई चिंताएँ:

- **जीविका:** बड़ी संख्या में गरीब मजदूर पटाखा उद्योग पर निर्भर हैं, इसलिए किसी भी राष्ट्रीय नीति को बनाते समय उनकी स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए।
  - **बाल श्रम:** जीविका के तर्क पर सवाल उठाते हुए यह बताया गया कि पाँच साल तक के बच्चे भी खतरनाक परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, जो 2016 के बाल श्रम अधिनियम का उल्लंघन है।
- **गैरकानूनी पटाखा बाजार:** क्षेत्रीय प्रतिबंधों के कारण अवैध बाजार बढ़ा है, जहाँ आस-पास के इलाकों से पटाखे दिल्ली में तस्करी कर लाए जाते हैं।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** यह गलतफहमी कि प्रदूषण केवल अमीर वर्ग को प्रभावित करता है, को खारिज किया गया। वास्तव में साधारण लोग, खासकर सड़कों पर रहने वाले, प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
- **उद्योग से जुड़ी चिंताएँ:** इस साल की शुरुआत में दिल्ली-एनसीआर में लगे पूर्ण प्रतिबंध के बाद पटाखा निर्माण के वे लाइसेंस भी रद्द किए जा रहे हैं जो 2028 तक वैध थे।

विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वयन में अंतर:

- **दिल्ली-एनसीआर:** पूरे वर्ष के लिए सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लगाकर देश में सबसे कड़ा कदम लागू करता है।
- **चेन्नई:** दिवाली पर तय समय (सुबह 6 से 7 बजे और शाम 7 से 8 बजे) के बीच पटाखे चलाने की अनुमति देता है।
- **पश्चिम बंगाल:** सख्त प्रतिबंध बनाए रखता है और दावा करता है कि इसे सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है।

पटाखों पर सरकार का रुख और नीति:

कानूनी ढाँचा:

- **विस्फोटक अधिनियम, 1884:** धारा 5 के अंतर्गत निर्माण, स्वामित्व, उपयोग, बिक्री, परिवहन, आयात और निर्यात के लिए लाइसेंस से संबंधित नियम बनाने की शक्ति दी गई है।
- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986:** धारा 3(3) के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रदूषण रोकने और क्षेत्रीय पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्यों को सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के दिशा-निर्देशों के अनुसार पटाखों से संबंधित नियम बनाने होते हैं, जिनमें कुछ पटाखों पर प्रतिबंध, फोड़ने के समय की सीमा, और प्रदूषित क्षेत्रों में सख्त पालन सुनिश्चित करना शामिल है।

राष्ट्रीय स्तर की नीति की दिशा में:

- **नीति लागू करने की चुनौतियाँ:** पूरे देश में पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए सशक्त प्रवर्तन, बेहतर निगरानी और सभी प्रमुख प्रदूषण स्रोतों को संबोधित करने की आवश्यकता है।
- **ग्रीन पटाखों की जागरूकता:** राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने ऐसे "ग्रीन पटाखे" विकसित किए हैं जो 30-40% तक प्रदूषण कम करते हैं।
  - सरकार राज्यों से केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति देने और फोड़ने के समय को सीमित करने की अपील कर रही है।
- **पटाखों में नवाचार:** परंपरा को बनाए रखते हुए स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए ई-पटाखे, LED डिस्प्ले और ड्रोन शो जैसी प्रदूषण-रहित वैकल्पिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए।

पटाखों के बारे में:

- पटाखा एक छोटा विस्फोटक होता है जिसे उत्सवों के दौरान तेज आवाज पैदा करने के लिए बनाया जाता है। इसमें एक फ्यूज (सलाई) और कागज की परत होती है जिसमें विस्फोटक पदार्थ भरा होता है। पटाखे के मुख्य घटक आमतौर पर ईंधन, ऑक्सीकारक, रंग देने वाले तत्त्व और बाइंडर होते हैं।

रंग	रासायनिक यौगिक	स्वास्थ्य पर प्रभाव
चमकीला लाल	लिथियम यौगिक	जलने पर विषैले और चुभने वाले धुएँ उत्पन्न होते हैं।
चमकते हरे	बेरियम नाइट्रेट	श्वसन तंत्र में जलन कर सकते हैं; संभावित रूप से रेडियोधर्मी अवशेष भी छोड़ सकते हैं।
दमकते सफेद	एल्यूमिनियम	त्वचा पर जलन (डर्माटाइटिस) पैदा करते हैं; शरीर में धीरे-धीरे जमा हो सकते हैं।
नीले रंग	तांबे के यौगिक	कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं; शरीर में एकत्र होने की प्रवृत्ति रखते हैं।

पटाखों के प्रदूषण का रसायनशास्त्र

पटाखों के प्रदर्शन आकर्षक होते हैं, लेकिन इनका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव भी होता है। यहाँ हम इनसे जुड़ी कुछ समस्याओं पर नजर डालते हैं।

कण पदार्थ

PM_{10} — 10 माइक्रोमीटर या उससे छोटे व्यास वाले कण

$PM_{2.5}$ — 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटे व्यास वाले कण

पटाखे बहुत छोटे कण उत्पन्न करते हैं, जो प्रदर्शन के बाद कुछ समय तक हवा में निलंबित रहते हैं। इससे हवा में कण पदार्थों की सांद्रता में काफी वृद्धि होती है। इन कणों को साँस के साथ अंदर लेने से श्वसन तंत्र और हृदय प्रणाली पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।

धातुएँ

रंग: Sr, Ba, Cu, Ca, Na, Mg

अन्य धातुएँ: Pb, Cr, Sb

ध्यान दें: सीसा और क्रोमियम जैसी धातुएँ अमेरिका और यूके में पटाखों में प्रतिबंधित हैं, लेकिन कुछ आयातित पटाखों में अब भी पाई जाती हैं।

धातु यौगिक पटाखों को चमकीले रंग देते हैं और ये ऑक्सीकारक या मिश्रणों में भी उपस्थित हो सकते हैं। ये धातुएँ पर्यावरण में लंबे समय तक बनी रहती हैं। सीसा, क्रोमियम और एंटिमनी जैसे विषैले धातु कण पटाखों के प्रदर्शन के बाद वायुमंडलीय सांद्रता में वृद्धि दिखाते हैं।

पर्क्लोरेट प्रदूषण

न्यूयॉर्क के ऑलबनी में पटाखों के प्रदर्शन के बाद पर्क्लोरेट की सांद्रता में वृद्धि देखी गई।

पर्क्लोरेट यौगिक कुछ पटाखों में ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जिससे दहन प्रक्रिया को सहायता मिलती है। ये पर्क्लोरेट्स पटाखों के प्रदर्शन स्थल के पास के जल निकायों को प्रदूषित कर सकते हैं। पानी में पर्क्लोरेट का उच्च स्तर वन्यजीवों को प्रभावित कर सकता है, और अगर यह पीने के पानी में मिल जाए तो मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है।

प्रदूषक गैसें

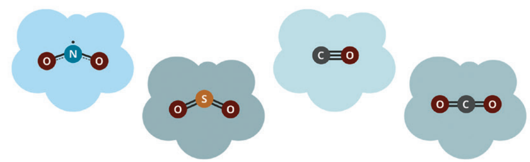

पटाखों से वायुमंडल में प्रसिद्ध प्रदूषक गैसों का स्तर बढ़ जाता है। इन गैसों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड शामिल हैं, जो श्वसन समस्याएँ उत्पन्न कर सकती हैं या अस्थमा जैसी मौजूदा बीमारियों को बढ़ा सकती हैं। ये गैसें वायुमंडल में रासायनिक प्रतिक्रिया करके कण पदार्थ का निर्माण भी कर सकती हैं।

ग्रीन क्रैकर

ग्रीन क्रैकर ऐसे सुरक्षित रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं जो कम प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं और जल वाष्प छोड़ते हैं, जिससे सामान्य पटाखों की तुलना में वायु प्रदूषण कम होता है। ग्रीन क्रैकर का विकास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं द्वारा किया गया था, जिनमें शामिल हैं – सेंट्रल इलेक्ट्रो केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट, और नेशनल केमिकल लेबोरेटरी

ग्रीन क्रैकर के प्रकार

SWAS (Safe Water Releaser): जल वाष्प छोड़ता है जिससे धूल के स्तर में लगभग 30% की कमी आती है; इसमें पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर नहीं होते।

STAR (Safe Thermite Cracker): इसमें पोटेशियम नाइट्रेट या सल्फर नहीं होते, और यह कम कण प्रदूषण और कम शोर उत्पन्न करता है।

SAFAL (Safe Minimal Aluminium): इसमें बहुत कम एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है और उसे मैग्नीशियम से बदला जाता है; यह ध्वनि स्तरों को कम करता है।

शहरीकरण और उसकी चुनौतियाँ

केरल, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक तेजी से शहरीकृत हो रहा है तथा जिसकी अनुमानित शहरी जनसंख्या 2050 तक 80% से अधिक हो जाएगी, ने 25 वर्षीय शहरी रोडमैप विकसित करने के लिए केरल शहरी नीति आयोग (KUPC) की स्थापना की है।

शहरीकरण के बारे में:

- शहरीकरण एक जटिल और गतिशील प्रक्रिया है, जिसमें जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित होती है। इससे भूमि उपयोग, आर्थिक ढाँचे और सामाजिक संरचनाओं में बड़ा परिवर्तन आता है।
- 2011 की जनगणना में, किसी शहरी इकाई को या तो वैधानिक नगर या जनगणना नगर के रूप में परिभाषित किया गया था।

शहरी बस्तियों के प्रकार:

- **वैधानिक नगर:** राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं और शहरी स्थानीय निकायों – जैसे नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत – द्वारा संचालित होते हैं।
- **जनगणना नगर:** प्रशासनिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, लेकिन इनका कार्यकलाप शहरी क्षेत्रों जैसा होता है। यह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं:
  - न्यूनतम जनसंख्या 5,000 होनी चाहिए।
  - मुख्य पुरुष कार्यरत जनसंख्या का कम से कम 75% गैर-कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए।
  - जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या उससे अधिक होना चाहिए।
- **उपग्रह नगर:** ऐसा नगर जो किसी बड़े शहरी क्षेत्र पर अपने आर्थिक और सामाजिक मामलों के लिए निर्भर होता है और उसकी सीमाओं के आसपास स्थित होता है।

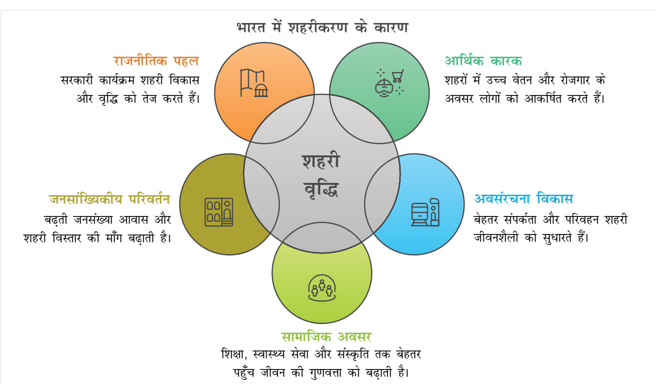

शहरीकरण से संबंधित समस्याएँ:

- **अत्यधिक जनसंख्या दबाव:** ग्रामीण क्षेत्रों से तेजी से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन सार्वजनिक सुविधाओं पर बोझ डालता है, जिससे झुग्गियाँ, बेरोजगारी, अपराध, प्रदूषण, ट्रैफिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ बढ़ती हैं।
- **सामाजिक भेदभाव:** जातीय अल्पसंख्यक, धार्मिक समूह और निचली जातियाँ नौकरियों, आवास और सार्वजनिक सेवाओं में भेदभाव का सामना करती हैं।
- **घेट्टोकरण:** जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर बस्तियाँ अलग-अलग बन जाती हैं, जिससे वंचित वर्गों को भीड़भाड़ और खराब रखरखाव वाली झुग्गियों (जैसे मुंबई की धारावी) में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
- **स्वायत्तता की कमी:** शहरी स्थानीय निकायों के पास निर्णय लेने की सीमित शक्ति होती है और वे वित्त व प्रशासन के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर रहते हैं, जिससे नागरिकों की जरूरतों पर तुरंत प्रतिक्रिया देना कठिन होता है।
- **क्षमता की कमी:** कई शहरी निकाय विकास परियोजनाओं की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी प्रभावी रूप से नहीं कर पाते, जिससे अक्षमता और संसाधनों की बर्बादी होती है।
- **शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव और हरित क्षेत्र की हानि:** तेजी से बढ़ते शहरीकरण से हरियाली घटती है, जिससे तापमान और ऊर्जा की माँग बढ़ती है।
  - **उदाहरण:** मई 2024 में दिल्ली की भीषण गर्मी के दौरान बिजली की माँग 8,000 मेगावाट से अधिक पहुँच गई।
- **जल संकट और खराब प्रबंधन:** तेज शहरी विस्तार और गिरते भूजल स्तर के कारण गंभीर जल संकट पैदा होता है।
  - **उदाहरण:** दिल्ली (2024), चेन्नई (2019) और बेंगलुरु जैसे शहरों में जल संकट इतना बढ़ गया कि उन्हें पानी के टैंकरों और समुद्री जल शोधन संयंत्रों (desalination) पर निर्भर रहना पड़ा।

सरकारी पहल:

- **शहरी नियोजन:** यह 12वीं अनुसूची के अंतर्गत एक राज्य विषय है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इसका क्रियान्वयन राज्य के टाउन प्लानिंग विभागों और शहरी विकास प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है।
- भारत सरकार का आवास और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी क्षेत्र में विकास और स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें कर रहा है।
  - **स्वच्छ भारत मिशन:** सुरक्षित स्वच्छता, कचरे का पृथक्करण, घर-घर से कचरा संग्रहण और उसका प्रसंस्करण बढ़ावा देता है।
  - **स्मार्ट सिटीज मिशन:** ऐसे शहरों का विकास करता है जिनमें मुख्य बुनियादी ढाँचा, स्वच्छ पर्यावरण, बेहतर जीवन गुणवत्ता और दोहराए जा सकने वाले स्मार्ट समाधान मौजूद हों।
  - **पीएम स्वनिधि योजना:** रेहड़ी-पटरी वालों को सस्ते माइक्रो-क्रेडिट ऋण उपलब्ध कराती है।
  - **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी):** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), मध्यम आय वर्ग (MIG) और झुग्गी निवासियों को पक्के मकान प्रदान करती है।

शहरी स्थानीय शासन की संरचना:

- **नगर निगम:** ये एक मिलियन (10 लाख) से अधिक आबादी वाले महानगरों का प्रबंधन करते हैं। इनका संचालन मेयर-इन-काउंसिल प्रणाली के अंतर्गत होता है।

- **नगर परिषद:** ये छोटे शहरों (10 लाख से कम आबादी वाले) का प्रशासन करते हैं और प्रेसिडेंट-इन-काउंसिल प्रणाली के अंतर्गत संचालित होते हैं।
- **नगर पंचायत:** ये संक्रमणशील नगरों (1 लाख से कम आबादी वाले कस्बों) का संचालन करते हैं और चेयरपर्सन-इन-काउंसिल प्रणाली के अंतर्गत काम करते हैं।
- **विशेष प्रयोजन निकाय:** इनमें बंदरगाह ट्रस्ट, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, टाउनशिप्स और छावनी बोर्ड (Cantonment Boards) शामिल हैं, जो विशिष्ट शहरी कार्यों के लिए बनाए गए हैं।

संवैधानिक और कानूनी प्रावधान:

- **74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992:** इस अधिनियम ने भारत में शहरी स्थानीय निकायों को औपचारिक रूप से शासन की तीसरी इकाई के रूप में मान्यता दी।
- **भारतीय संविधान का भाग IXA और 12वीं अनुसूची:** यह जिला और महानगरीय स्तर पर नगरपालिकाओं की स्थापना, संरचना और कार्यों से संबंधित प्रावधान करता है।
- **राज्य नगरपालिका अधिनियम:** हर राज्य अपना अलग नगरपालिका अधिनियम बनाता है, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों की संरचना, शक्तियाँ, कार्य, प्रशासन और वित्त से संबंधित विस्तृत प्रावधान शामिल होते हैं।

भारत की वैश्विक जिम्मेदारियाँ:

- **SDGs लक्ष्य:** शहरी नियोजन को बढ़ावा देना और SDG लक्ष्य 11 के अंतर्गत इसे प्राप्त करना – **"शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और सतत् बनाना।"**
- **यूएन-हैबिटेट का नया शहरी एजेंडा:** इसे वर्ष 2016 में स्वीकृत किया गया था और हैबिटेट-III सम्मेलन में अपनाया गया। यह शहरी नियोजन, विकास, निर्माण, प्रबंधन और पुनर्विकास के मानकों को परिभाषित करता है।
- **यूएन-हैबिटेट (UN-Habitat):** इसने स्थानिक स्थिरता की अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अनुसार, किसी शहर की भौगोलिक या स्थानिक परिस्थितियाँ उसकी पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने की क्षमता तथा समग्र कल्याण को बढ़ा सकती हैं।

आगे की राह:

- **केरल शहरीकरण मॉडल जैसा:** जब शहरीकरण और जलवायु से जुड़ी चुनौतियों ने केरल के मिश्रित ग्रामीण-शहरी परिदृश्य पर दबाव डालना शुरू किया, तब राज्य ने एक समग्र शहरी रणनीति तैयार करने के लिए केरल अर्बन पॉलिसी कमीशन का गठन किया।
- **KUPC मॉडल:** दिसंबर 2023 में गठित यह आयोग केरल में तेजी से बढ़ते शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए बनाया गया था। केरल अर्बन पॉलिसी कमीशन (KUPC) देश का पहला राज्य-स्तरीय शहरी आयोग है। इसका उद्देश्य केरल की विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत 25-वर्षीय शहरी योजना तैयार करना था।

अन्य सुझाव:

- **राष्ट्रीय शहरी विकास प्राधिकरण (NUDA):** स्थानीय शहरी निकायों को योजना, विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सशक्त बनाना तथा राष्ट्रीय स्तर पर शहरी विकास की निगरानी करना।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):** सहायक नीतियों और विधायी सुधारों के माध्यम से बुनियादी ढाँचे में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।

NEXT IAS हिन्दी

केस स्टडी: कोपेनहेगन: 2025 तक स्मार्ट और शून्य-कार्बन शहर

परिचय:

- कोपेनहेगन, एक स्मार्ट सिटी, वर्ष 2025 तक विश्व की पहली कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) न्यूट्रल राजधानी बनने का लक्ष्य रखती है।
- यह अपने हरित क्षेत्रों, साइकिल लेनों, सुरक्षा, उत्तम जीवन स्तर, और स्मार्ट बुनियादी ढाँचे के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ आधुनिक और पारंपरिक वास्तुकला का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। इसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक विश्व की पहली CO_2-न्यूट्रल राजधानी बनना है।
- **जनसंख्या:** लगभग 13 लाख, जो लगातार जनसांख्यिकीय और औद्योगिक माँगों के साथ बढ़ रही है।
  - यह शहर अपने उच्च जीवन स्तर, सुरक्षा, हरित क्षेत्रों और स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है।

सीपीएच 2025 जलवायु योजना: प्रमुख स्तंभ:

- **ऊर्जा उपभोग और उत्पादन:** ऊर्जा उपयोग को कम करने और पवन तथा भू-तापीय (geothermal) जैसी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
  - ऊर्जा कंपनियों और नगरपालिका के बीच ऋण और सहयोग के माध्यम से संयुक्त निवेश किया जाता है।
- **हरित परिवहन:**
  - **साइकिल-मैत्रीपूर्ण शहर:** अधिकांश यात्राएँ 20 मिनट में साइकिल से पूरी की जा सकती हैं।
  - **विद्युत सार्वजनिक परिवहन:** बिना चालक वाली मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसें और ऐसी ट्रेनें जिनमें साइकिल ले जाई जा सके।
  - **लक्ष्य:** वर्ष 2025 तक 75% यात्राएँ साइकिल, पैदल या सार्वजनिक परिवहन से की जाएँ।
  - **प्रोत्साहन:** इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और बायोफ्यूल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना।
- **नगरपालिका एक जलवायु नेता के रूप में:** नगरपालिका शहर के संचालन, सड़क प्रकाश व्यवस्था, भवनों और कर्मचारियों की कार्यशैली को नियंत्रित करती है। कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और पर्यावरण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह एक सतत् और बुद्धिमान शहर के निर्माण के लिए निवेश को आगे बढ़ाती है।

घरेलू हिंसा अधिनियम

घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA)
अपने लागू होने के दो दशक बाद भी सशक्तीकरण का प्रतीक बना हुआ है।

परिचय:

- इसे इस रूप में परिभाषित किया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य, चूक या आचरण जो किसी महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग या कल्याण को नुकसान पहुँचाए या खतरे में डाले – चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक (PWDVA की धारा 3 के अनुसार)। इसमें शामिल हैं:
  - शारीरिक हिंसा, मौखिक एवं भावनात्मक हिंसा, और आर्थिक हिंसा।
- संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार, घरेलू हिंसा लिंग-आधारित हिंसा का एक रूप है जो निजी क्षेत्र में होती है – आमतौर पर ऐसे व्यक्तियों के बीच जो निकट संबंध या रक्त संबंध से जुड़े होते हैं। इसमें शामिल हैं:
  - **घनिष्ठ साथी हिंसा:** वर्तमान या पूर्व साथी द्वारा शारीरिक, यौन या मानसिक नुकसान पहुँचाना।
  - **बाल एवं वृद्ध उत्पीड़न:** परिवार या घर के भीतर होने वाला शोषण।
  - **आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक नियंत्रण:** धन तक पहुँच सीमित करना, सामाजिक संबंधों से अलग करना या डर और धमकी के माध्यम से नियंत्रण रखना।

घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण:

- **पितृसत्तात्मक मान्यताएँ और लैंगिक असमानता:** गहराई से जमी पितृसत्तात्मक परंपराएँ महिलाओं को पुरुषों के अधीन मानती हैं। पुरुष वर्चस्व की सांस्कृतिक स्वीकृति हिंसा को बनाए रखती है।
- **दहेज से संबंधित संघर्ष:** लगातार दहेज की माँगें उत्पीड़न और हिंसा में बदल जाती हैं।
  - यह आर्थिक नियंत्रण और सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाने से जुड़ा होता है।
- **आर्थिक निर्भरता और गरीबी:** महिलाओं की आर्थिक निर्भरता उन्हें हिंसक संबंधों से बाहर निकलने की क्षमता से वंचित करती है।
  - गरीबी और बेरोजगारी घरों में तनाव और हिंसा को बढ़ाती हैं।
- **कमजोर कानूनी और संस्थागत सहायता:** न्याय मिलने में देरी, आश्रय गृहों की कमी और कानून के कमजोर क्रियान्वयन जैसी समस्याएँ महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने से हतोत्साहित करती हैं।
- **सांस्कृतिक चुप्पी और सामाजिक कलंक:** अपमान, परिवार की प्रतिष्ठा और पीड़िता को दोष देने का डर महिलाओं को चुप कर देता है।
- **हिंसा का पीढ़ीगत चक्र:** जो बच्चे हिंसा को देखते हैं, वे बड़े होकर इसे सामान्य व्यवहार मान लेते हैं और आगे भी इसे दोहराते हैं।

घरेलू हिंसा से निपटने के लिए वैश्विक प्रयास:

- **UN Women द्वारा UNiTE अभियान:** "लैंगिक-आधारित हिंसा के विरूद्ध 16 दिन का सक्रियता अभियान" (16 Days of Activism Against Gender-Based Violence) एक वार्षिक वैश्विक अभियान है, जो 25 नवंबर (महिलाओं के विरूद्ध हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस) से 10 दिसंबर (मानवाधिकार दिवस) तक चलता है।
- **स्पॉटलाइट पहल:** इस पहल ने विश्वभर में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा से निपटने के लिए 550 से अधिक कानूनों और नीतियों को बनाने या सुधारने में मदद की है।
  - इसने 30 लाख से अधिक महिलाओं को शिक्षा, कानूनी सहायता और मनो-सामाजिक सहयोग जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रदान की हैं।
  - घरेलू और घनिष्ठ साथी हिंसा से निपटने के लिए 95% से अधिक संस्थागत तंत्र वर्ष 1995 में "बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन" को अपनाए जाने के बाद स्थापित किए गए।

घरेलू हिंसा से निपटने के लिए भारत के प्रयास

- **घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005:** यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अंतर्गत महिलाओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था।
  - यह समाज में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने और उसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए एक सिविल कानून उपाय प्रदान करता है।
- **मुख्य धाराएँ:**
  - **धारा 18:** प्रत्येक जिले में संरक्षण आदेश जारी करने, मजिस्ट्रेट की सहायता करने, शिकायत दर्ज करने और कानूनी उपाय जैसे सुरक्षा आदेश व निवास आदेश की सुविधा प्रदान करने का प्रावधान।
  - **धारा 19:** वैवाहिक घर (Matrimonial House) में रहने के लिए निवास आदेश (Residence Order) जारी करने का अधिकार।
  - **धारा 20:** आर्थिक आदेश (Monetary Orders) – जिसमें स्वयं और बच्चों के लिए भरण-पोषण (maintenance) शामिल है।
  - **धारा 21:** बच्चों की अस्थायी अभिरक्षा का प्रावधान।
  - **धारा 22:** महिलाओं को हुए नुकसान के लिए मुआवजा आदेश (Compensation Order) देने का प्रावधान।
- **मिशन शक्ति और वन स्टॉप सेंटर (OSCs):** ये केंद्र महिलाओं को समेकित सहायता प्रदान करते हैं – जिसमें चिकित्सीय सहायता, कानूनी मदद, आश्रय और परामर्श सेवाएँ शामिल हैं।
  - देशभर में 802 केंद्र कार्यरत हैं।
  - 31 जनवरी 2025 तक 10.80 लाख महिलाओं को सहायता दी जा चुकी है।
- **आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली:**
  - **ERSS-112:** महिलाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संचालित आपातकालीन हेल्पलाइन, जो पुलिस डिस्पैच सिस्टम से जुड़ी हुई है।
  - **महिला हेल्पलाइन 181:** 35 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित है, जिसने 2.10 करोड़ से अधिक कॉल्स को संभाला और 84 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की है।
- **राष्ट्रीय डैशबोर्ड:** C-DAC द्वारा विकसित, जो वास्तविक समय में हेल्पलाइन कॉल्स को ट्रैक करता है और घरेलू हिंसा के मामलों को श्रेणीबद्ध करता है।

NEXT IAS हिन्दी

1 राजव्यवस्था एवं शासन

राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

सर्वोच्च न्यायालय की राष्ट्रपति संदर्भ पीठ (2025) इस बात की जाँच कर रही है कि क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति विधेयकों पर स्वीकृति देने में अनिश्चित काल तक विलंब कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि:

- अप्रैल 2024 में, तमिलनाडु से संबंधित एक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपालों के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने हेतु तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की।
- यदि उस अवधि के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो उन विधेयकों को "अनुमानित स्वीकृति" (deemed assent) प्राप्त मान लिया जाएगा।
- मई 2025 में, यह स्पष्ट करने के लिए एक राष्ट्रपति संदर्भ प्रस्तुत किया गया कि क्या सर्वोच्च न्यायालय ऐसी सामान्य समय-सीमाएँ निर्धारित कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:

- **अंतहीन विलंब नहीं:** राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रख सकते, क्योंकि इससे विधायिका के कामकाज में बाधा उत्पन्न होती है और संविधान कमजोर होता है।
- **राज्यपाल से तत्परता से कार्य करने की अपेक्षा:** संविधान अपेक्षा करता है कि राज्यपाल बिना अनावश्यक विलंब के कार्य करें। इसी संदर्भ में न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा कि "कोई भी संस्था संविधान के कार्यनिष्पादन में बाधा नहीं डाल सकती।"
- **शक्ति की सीमाएँ:** अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपालों को असीमित अधिकार देना, जिससे वे विधेयक पर स्वीकृति रोके रखें, "असंगत परिणामों" को जन्म देगा और संघीय ढाँचे को कमजोर करेगा।

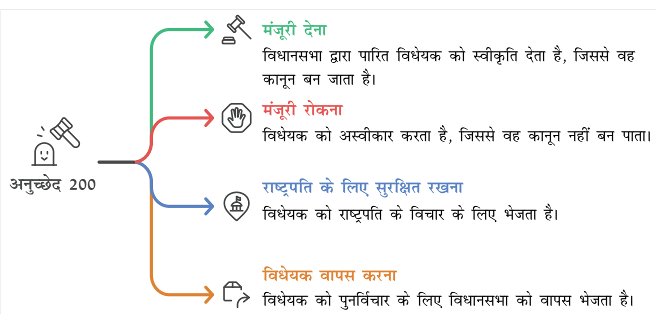

- **समयसीमा पर विचार:** न्यायालय ने इस पर विचार किया कि क्या सामान्य रूप से तीन महीने की समयसीमा (जैसा कि तमिलनाडु मामले में निर्धारित की गई थी) लागू की जा सकती है , या फिर केवल विशेष मामलों में ही समय-सीमा तय करना सही होगा।
- **अनुमानित स्वीकृति' पर टिप्पणी:** न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने यह प्रश्न उठाया कि तीन महीने के बाद केवल "अनुमानित स्वीकृति" को ही क्यों माना गया। अन्य संवैधानिक विकल्पों, जैसे स्वीकृति रोकना या विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना आदि पर विचार क्यों नहीं किया गया।
- **न्यायिक संयम :** इस संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने चेतावनी दी कि सभी मामलों के लिए एक समान समयसीमा तय करना न्यायपालिका का अति-हस्तक्षेप माना जा सकता है।
- **व्यापक समस्या:**
  - न्यायालय ने स्वीकार किया कि राज्यपालों द्वारा विधेयकों में देरी करना एक "सामान्य और बार-बार होने वाली" समस्या है। ये प्रवृत्ति विशेष रूप से तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में देखी गयी है।

> राज्यपाल विधायिका की बुद्धिमत्ता पर अनिश्चित काल तक नहीं बैठ सकते।
>
> **न्यायमूर्ति विक्रम नाथ**
> सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश

> कोई भी अंग संविधान के कामकाज को बाधित नहीं कर सकता।
>
> **न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा**
> सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश

जनगणना 2027: भारत की पहली डिजिटल जनगणना

भारत के महापंजीयक (RGI) ने जनगणना 2027 के लिए ₹14,618.95 करोड़ के बजट का अनुरोध किया है। यह भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल और जाति-समावेशी जनगणना होगी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- भारत 1872 से दशकीय जनगणना आयोजित करता आ रहा है, जो एक अटूट परंपरा है।
- आगामी जनगणना 2027 कुल मिलाकर 16वीं और स्वतंत्रता के बाद से 8वीं जनगणना होगी।

जनगणना 2027 की मुख्य विशेषताएँ

- **समय-सीमा:**
  - मकान सूचीकरण कार्य अप्रैल से सितंबर 2026 तक जारी रहेगा।

NEXT IAS हिन्दी

- लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना की प्रक्रिया सितंबर 2026 में शुरू होगी वहीं देश के शेष भागों में जनसंख्या की गणना फरवरी 2027 में की जाएगी।
- **डिजिटल जनगणना:**
  - समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके डेटा एकत्र किया जाएगा।
  - नागरिकों के पास स्वयं गणना करने का विकल्प होगा।
  - जाति विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किया जाएगा।
  - एक नई जनगणना निगरानी और प्रबंधन प्रणाली वेबसाइट रियल टाइम ट्रैकिंग को सक्षम बनाएगी।

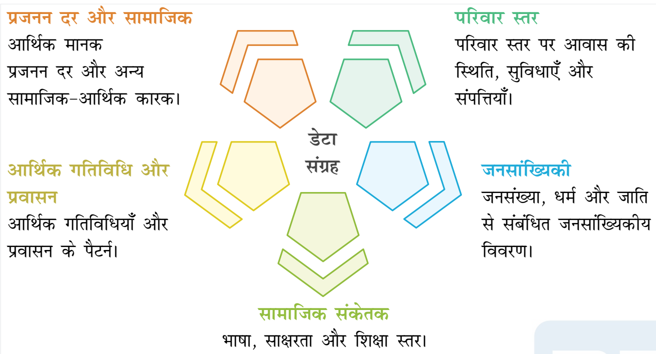

2027 की जनगणना में अन्य प्रमुख पहल

- नागरिकों के पास स्व-गणना का विकल्प होगा।
- 1931 के बाद पहली बार अलग-अलग जातियों की जाति गणना।
- भारत भर में सभी इमारतों को पहली बार जियोटैग किया जाएगा।

आव्रजन एवं विदेशी नियम, 2025

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने आव्रजन एवं विदेशी नियम, 2025 को अधिसूचित किया है, जिससे पहली बार आव्रजन ब्यूरो (BOI) को वैधानिक अधिकार प्राप्त हुए हैं।

2025 के नियमों की मुख्य विशेषताएँ

- **आव्रजन ब्यूरो की कानूनी भूमिका:**
  - आव्रजन ब्यूरो (BOI) अब आव्रजन धोखाधड़ी के मामलों की जाँच कर सकता है।
  - इसके पास विदेशियों की पहचान करने, उन्हें निर्वासित करने या उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है।
  - यह एक केंद्रीय राष्ट्रीय आव्रजन डेटाबेस बनाए रखेगा।
  - यह राज्य सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी समन्वय करेगा।
- **बायोमेट्रिक डेटा:** नियमों के अंतर्गत सभी विदेशियों का बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करना अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि पहले यह कुछ वीजा श्रेणियों तक ही सीमित था।
- **विदेशी छात्र:** शैक्षणिक संस्थानों को विदेशी छात्रों के सेमेस्टरवार शैक्षणिक प्रदर्शन, उपस्थिति और सामान्य आचरण के बारे में FRRO को रिपोर्ट करनी होगी।
- **विदेशियों द्वारा दौरा किए जाने वाले परिसर:** नागरिक अधिकारी उन क्लबों, रिसॉर्ट्स या परिसरों को बंद कर सकते हैं जहाँ अक्सर "अवांछित" विदेशियों, जैसे अपराधी, अवैध प्रवासी, या गैरकानूनी संगठनों के सदस्यों का आवागमन होता रहता है।

BOI के बारे में:

- आव्रजन ब्यूरो (BOI) की स्थापना 1971 में हुई थी और यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
- **कार्य:**
  - यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर आव्रजन सेवाओं का प्रबंधन करता है।
  - यह देश से आने-जाने वाले सभी लोगों का रिकॉर्ड रखता है।
  - यह विदेशियों के लिए वीजा और प्रवास संबंधी सेवाएँ प्रदान करने हेतु विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों (FRRO) के साथ मिलकर कार्य करता है।

एनआईआरएफ रैंकिंग 2025

एनआईआरएफ 2025 रैंकिंग की घोषणा की गई, जिसमें आईआईटी मद्रास ने लगातार 7वें वर्ष समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया।

परिचय:

- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2025 जारी किया गया।
- **यह रैंकिंग पाँच मानदंडों पर आधारित है:** शिक्षण, अधिगम और संसाधन (TLR), अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास (RP), स्नातक परिणाम (GO), आउटरीच और समावेशिता (OI), और धारणा (PR)।

The Toppers

	OVERALL 2025	OVERALL 2024	ENGINEERING 2025	ENGINEERING 2024	MANAGEMENT 2025	MANAGEMENT 2024
1	IIT Madras	IIT Madras	IIT Madras	IIT Madras	IIT Ahmedabad	IIT Ahmedabad
2	IISc Bangalore	IISc Bangalore	IIT Delhi	IIT Delhi	IIT Bangalore	IIM Bangalore
3	IIT Bombay	IIT Bombay	IIT Bombay	IIT Bombay	IIM Kozhikode	IIM Kozhikode
4	IIT Delhi	IIT Delhi	IIT Kanpur	IIT Kanpur	IIT Delhi	IIT Delhi
5	IIT Kanpur	IIT Kanpur	IIT Kharagpur	IIT Kharagpur	IIM Lucknow	IIM Calcutta

	UNIVERSITIES 2025	UNIVERSITIES 2024	COLLEGES 2025	COLLEGES 2024
1	IISc Bangalore	IISc Bangalore	Hindu College	Hindu College
2	JNU	JNU	Miranda House	Miranda House
3	Manipal Academy of Higher Education	Jamia Millia Islamia	Hans Raj College	St. Stephen's College
4	Jamia Millia Islamia	Manipal Academy of Higher Education	Kirori Mal College	Ramakrishna Mission Vivekananda Centenary College, West Bengal
5	Delhi University	Banaras Hindu University	St. Stephen's College	Atma Ram Sanatan Dharma College

फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम (FTI-TTP)

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाँच अन्य हवाई अड्डों पर (लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, कोझिकोड और अमृतसर) इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

परिचय:

- **लॉन्च:** जुलाई 2024 में दिल्ली के इंदिरा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस कार्यक्रम की शुरूआत की गई।
  - इसके पश्चात इसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद तक विस्तारित किया गया।
- **उद्देश्य:** पूर्व-सत्यापित भारतीय नागरिकों और ओसीआई कार्डधारकों के लिए आव्रजन मंजूरी में तेजी लाना।
- **प्रक्रिया:** बिना किसी कतार या मैन्युअल जाँच के, 30 सेकंड में आव्रजन मंजूरी प्रदान करता है।
- **एकीकरण योजना:** ये नवी मुंबई और जेवर सहित 21 प्रमुख हवाई अड्डों तक विस्तारित है।
- **लाभार्थी:** ओसीआई कार्डधारकों के लिए विशेष रूप से सहायक, परेशानी मुक्त प्रवेश सुनिश्चित करना।
- **उपयोग का पैमाना:** इसके अंतर्गत लगभग 3 लाख यात्री पंजीकृत हैं तथा 2.65 लाख पहले ही इस सुविधा का उपयोग कर चुके हैं।

भारत के 15वें उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण

हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन को शपथ दिलाई।

परिचय:

- उपराष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 69 के अंतर्गत पद की शपथ ली और संविधान की रक्षा, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा तथा अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने का संकल्प लिया।
- राज्यसभा के सभापति का कार्यभार संभालने के बाद, उन्होंने राजनीतिक दलों के सदन नेताओं के साथ बैठक की और उच्च सदन में व्यवस्था बनाए रखने में अपनी भूमिका को रेखांकित किया।
- उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विपक्ष संसदीय लोकतंत्र का एक महत्त्वपूर्ण अंग है और सदन के सुचारू संचालन में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित किया। हिमाचल ने 99.30% साक्षरता दर प्राप्त की है, जो राष्ट्रीय मानक 95% से अधिक है।

परिचय:

- 2011 की जनगणना के अनुसार, साक्षरता को सात वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए किसी भी भाषा को समझने के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है।
- केवल पढ़ने में सक्षम होना साक्षरता नहीं है।
- पूर्ण साक्षरता को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 95% साक्षरता दर प्राप्त करने के रूप में परिभाषित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस (ILD)

- ILD प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी घोषणा यूनेस्को द्वारा अक्टूबर 1966 में 14वें महाधिवेशन के दौरान की गई थी। यह 1965 में तेहरान में आयोजित निरक्षरता उन्मूलन पर शिक्षा मंत्रियों के ऐतिहासिक विश्व सम्मेलन के बाद हुआ था।
- **वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय:** "डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना"।

साक्षरता में भारत की प्रगति

- भारत ने साक्षरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, हिमाचल प्रदेश त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला चौथा राज्य बन गया है। गौरतलब है कि लद्दाख पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है।
- राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 में 74% से बढ़कर 2023-24 में 80.9% हो गई है।
- उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में 3 करोड़ से अधिक शिक्षार्थियों ने नामांकन कराया और इसकी सफलता दर 90% रही।

"आदि वाणी" का बीटा संस्करण

जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने "आदि वाणी" ऐप का बीटा संस्करण लॉन्च किया है।

परिचय

- यह एक एआई-संचालित अनुवाद उपकरण है जिसे जनजातीय भाषाओं के लिए भविष्य के बड़े भाषा मॉडल का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह भारत में जनजातीय भाषाओं और संस्कृतियों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए उन्नत तकनीक को सामुदायिक प्रयासों के साथ जोड़ता है।
- यह जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई-संचालित अनुवादक है जिसे जनजातीय गौरव वर्ष के अंतर्गत विकसित किया गया था।
- वर्तमान में आदि वाणी के अंतर्गत अग्रलिखित भाषाओं को शामिल किया गया है यथा; संथाली (ओडिशा), भीली (मध्य प्रदेश), मुंडारी (झारखंड), गोंडी (छत्तीसगढ़) आदि।
  - अगले चरण के लिए कुई और गारो सहित अतिरिक्त भाषाओं का विकास किया जा रहा है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम

कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC) ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (EMRSs) में नामांकित आदिवासी छात्रों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

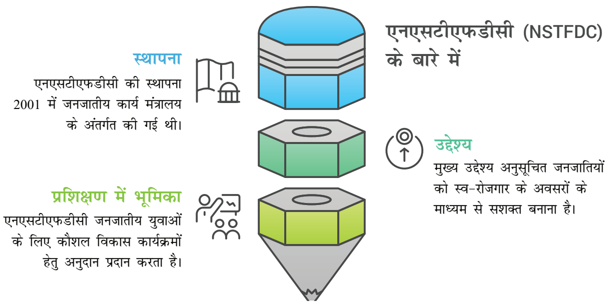

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA)

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बेंगलुरु में 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA) भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया।

कॉमनवेल्थ संसदीय संघ

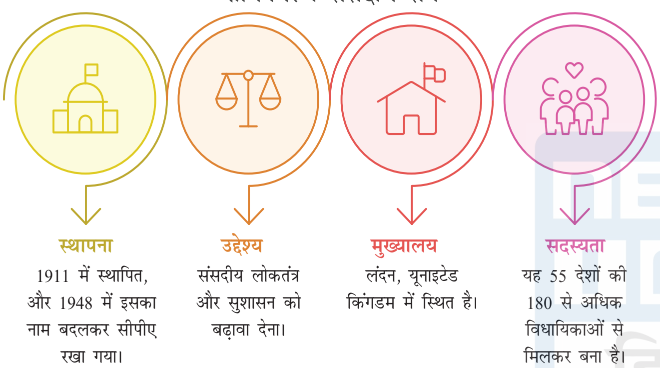

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के दो वर्ष पूरे हो गए।

पीएम विश्वकर्मा योजना

विकसित भारत के लिए एआई रोडमैप

नीति आयोग ने दो परिवर्तनकारी पहलों का शुभारंभ किया, विकसित भारत रोडमैप के लिए एआई: त्वरित आर्थिक विकास के अवसर और अपने फ्रंटियर टेक हब के अंतर्गत नीति फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी।

परिचय

- **उद्देश्य:** भारत में उत्पादकता, दक्षता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करना।
- **फोकस:**
  - परिणामों में सुधार के लिए उद्योगों में एआई को अपनाना।
  - नवाचार को बढ़ावा देने और विकास में तेजी लाने के लिए अनुसंधान एवं विकास में जनरेटिव एआई।
- **विजन:** समावेशी विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए सभी जिलों में एआई समाधानों को मुख्यधारा में लाना।

नीति फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी:

- कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी 200 से ज्यादा प्रभावशाली कहानियाँ प्रस्तुत करता है।
- यह दर्शाता है कि राज्य और स्टार्टअप किस प्रकार आजीविका में बदलाव लाने के लिए तकनीक का उपयोग करते हैं।
- **सहायक पहल:**
  - **फ्रंटियर 50 पहल:** नीति आयोग 50 आकांक्षी जिलों/ब्लॉकों को सिद्ध फ्रंटियर तकनीकी समाधानों को लागू करने में सहायता प्रदान करेगा।
  - **फ्रंटियर टेक इम्पैक्ट अवार्ड्स:** शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के लिए तकनीक के उपयोग में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले 3 राज्यों को वार्षिक पुरस्कार।

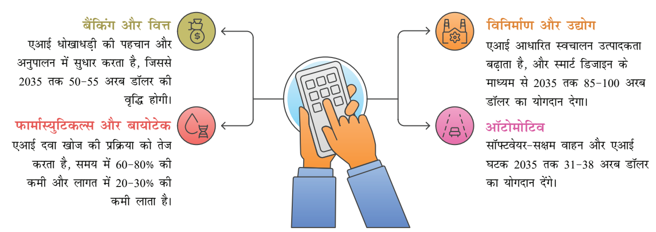

विभिन्न क्षेत्रों पर एआई का प्रभाव

विकसित भारत बिल्डथॉन 2025

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली छात्रों के लिए एक राष्ट्रव्यापी वर्चुअल इनोवेशन प्रतियोगिता, विकसित भारत बिल्डथॉन 2025, शुरू की है, जिसकी पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपये है।

परिचय

- **प्रतिभागी:** ये छह लाख सरकारी और निजी स्कूलों के कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए खुला है।

- **उद्देश्यः** छात्रों को आत्मनिर्भरता, स्वदेशी ज्ञान और स्थिरता पर केंद्रित नवीन विचारों और उत्पादों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे 2047 तक भारत के विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान प्राप्त हो सके।
- **आयोजकः** स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, अटल नवाचार मिशन (नीति आयोग) और एआईसीटीई के सहयोग से इसे आयोजित किया जा रहा है।
- **पृष्ठभूमिः** स्कूल इनोवेशन मैराथन 2024 की सफलता पर आधारित, जिसके परिणामस्वरूप छात्र नवप्रवर्तन कार्यक्रम (SIP) और छात्र उद्यमिता कार्यक्रम (SEP) जैसे कार्यक्रमों के साथ-साथ अटल टिंकरिंग लैब्स के पेटेंट और स्टार्टअप उद्यम भी शुरू हुए।

जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल

भारत सरकार ने जल संरक्षण को सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाते हुए 'जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल' शुरू की है।

पहल की मुख्य विशेषताएँ

- **निधि आवंटन अधिदेशः**
  - **'अति-दोहित'/'डार्क जोन' ब्लॉकः** मनरेगा निधि का 65% जल-संबंधी कार्यों (वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण) पर खर्च किया जाना चाहिए।
  - **'अर्ध-संकटग्रस्त' ब्लॉकः** जल संरक्षण के लिए निधि का 40%
  - **अन्य सभी ब्लॉकः** ऐसी गतिविधियों के लिए न्यूनतम 30%
- **बजटीय फोकसः** 88,000 करोड़ रुपये के वार्षिक मनरेगा बजट (2025-26) में से अब एक निश्चित हिस्सा जल सुरक्षा के लिए निर्धारित किया गया है।
- **भूजल मूल्यांकन आधारः** निधि वितरण और ब्लॉक वर्गीकरण, केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) द्वारा वर्गीकृत, गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट (2024) पर आधारित है।

जल संरक्षण कार्य किसे माना जाता है?

- चेकडैम, कृषि तालाब, सामुदायिक टैंक और रिसाव टैंक का निर्माण।
- गाद निकालना, पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण, भूजल पुनर्भरण गड्ढे, सोख कुओं के माध्यम से जल को संरक्षित करने का प्रयास।
- जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए सिंचाई नहरों, जलग्रहण प्रबंधन संरचनाओं का निर्माण एवं वनरोपण और वृक्षारोपण कार्य।

तर्क

- **भूजल क्षरणः** भारत विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है (वैश्विक निष्कर्षण का लगभग 25%)।
- **ग्रामीण निर्भरताः** ग्रामीण पेयजल का 80% और सिंचाई का लगभग दो-तिहाई हिस्सा भूजल पर निर्भर है।
- **जलवायु तनावः** अनियमित मानसून और सूखे की बढ़ती आवृत्ति जल संकट को और बढ़ा देती है।
- **प्रधानमंत्री का निर्देशः** जल के लिए विशेष रूप से धनराशि निर्धारित करने के प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद, यह कदम जल संरक्षण को राष्ट्रीय ग्रामीण प्राथमिकता के रूप में संस्थागत रूप देता है।

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा स्थापित लद्दाख के छात्र शैक्षिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन (SECMOL) का विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) लाइसेंस रद्द कर दिया है।

परिचय

- **कथित उल्लंघनों में शामिल हैंः**
  - एक पुरानी बस की बिक्री से प्राप्त ₹3.5 लाख की राशि FCRA खाते में जमा की गई, जिसे "विदेशी दान" माना गया।
  - ₹54,600 की स्थानीय धनराशि गलत तरीके से FCRA खाते में जमा की गई।
  - संप्रभुता से जुड़े अध्ययनों के लिए एक स्वीडिश समूह से ₹4.93 लाख की प्राप्ति, जो FCRA के अंतर्गत प्रतिबंधित है।

एफसीआरए के प्रमुख प्रावधानः

- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010, व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों और संघों द्वारा विदेशी निधियों की स्वीकृति और उपयोग को नियंत्रित करता है।
- विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए पंजीकरण/अनुमति आवश्यक है।
- निधियों का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या जनहित को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता है।
- कुछ श्रेणियों (जैसे, राजनीतिक दल, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, सरकारी मीडिया के पत्रकार) को विदेशी निधि प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है।
- **2020 के संशोधन ने कड़े मानदंड पेश किए जो निम्नलिखित है :**
  - एसबीआई, नई दिल्ली में एफसीआरए बैंक खाता खोलना अनिवार्य।
  - अन्य गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी निधियों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध।
  - प्रशासनिक व्यय पर 20% की सीमा।
  - गैर-सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों के लिए आधार अनिवार्य आदि।

पारंपरिक चिकित्सा

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, उसके 88% सदस्य देशों अर्थात 194 देशों में से 170 – में पारंपरिक चिकित्सा का प्रचलन है।

पारंपरिक चिकित्सा की परिभाषा

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) पारंपरिक चिकित्सा को "विभिन्न संस्कृतियों के मूल सिद्धांतों, विश्वासों और अनुभवों पर आधारित ज्ञान, कौशल और प्रथाओं का योग" के रूप में परिभाषित करता है, जिसका उपयोग स्वास्थ्य के रखरखाव, रोकथाम, निदान, सुधार या बीमारी के उपचार में किया जाता है।

वैश्विक स्वीकृति

- वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा बाजार के वर्ष 2025 तक 583 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। (यह इस क्षेत्रक में 10-20% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है)
- **बाजार मूल्य:** चीन - 122.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑस्ट्रेलिया - 3.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर, भारत (आयुष) - 43.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर।
- यह प्रतिक्रियात्मक उपचार से निवारक और समग्र स्वास्थ्य सेवा की ओर बदलाव दर्शाता है।

आयुष के बारे में

- **आयुष :** इसके अंतर्गत आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी , सिद्धा और होम्योपैथी को शामिल किया जाता है।
- इसे किफायती स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने और पारंपरिक प्रणालियों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के साथ एकीकृत करने के लिए स्थापित किया गया है।

आयुष प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ

प्रणाली	उत्पत्ति/आधार	मूल सिद्धांत	तरीके/अभ्यास
आयुर्वेद	प्राचीनतम भारतीय चिकित्सा पद्धति	शरीर, मन और आत्मा का संतुलन	जड़ी-बूटियाँ, आहार, विषहरण चिकित्सा (detox therapies), जीवनशैली में बदलाव (जैसे-पंचकर्म)
योग	प्राचीन भारतीय पद्धति	स्वास्थ्य के लिए शरीर और मन का मिलन	आसन, श्वास (प्राणायाम), ध्यान
नेचुरोपैथी	प्रकृति-आधारित चिकित्सा पद्धति	शरीर प्राकृतिक तरीकों से स्वयं को स्वस्थ करता है	जल चिकित्सा, आहार, उपवास, सूर्य प्रकाश, मालिश, जीवनशैली सुधार
यूनानी	यूनानी मूल, भारत में विकसित	चार द्रव्यों (रक्त, कफ, पीत पित्त, काला पित्त) का संतुलन	हर्बल उपचार, आहार नियमन, जीवनशैली प्रबंधन
सिद्धा	दक्षिण भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति	दीर्घायु, रोकथाम और संतुलन पर ध्यान	रसायन विज्ञान, खनिज, हर्बल सूत्रीकरण, आहार नियमन
होम्योपैथी	जर्मन मूल, भारत में व्यापक रूप से प्रचलित	"समान समान का उपचार करता है" का सिद्धांत ("like cures like")	शरीर की उपचारात्मक प्रतिक्रिया को सक्रिय करने के लिए अत्यधिक तनु पदार्थ (Highly diluted substances)

भारत का आयुर्वेदिक रूपांतरण (India's Ayurvedic Transformation)

- आयुष उद्योग में 92,000 से ज्यादा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) हैं, जिनका एक दशक में लगभग 8 गुना विस्तार हुआ है।
- 150 से अधिक देशों को 1.54 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया है।
- आयुर्वेद को 30 से ज्यादा देशों में मान्यता प्राप्त है।
- स्वास्थ्य, योग, आदि जैसे चिकित्सीय देखभाल की इच्छा रखने वाले विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा की शुरुआत की गई है।
- 50 से ज्यादा आयुर्वेद/यूनानी उत्पाद कई देशों में पंजीकृत हैं।
- WHO का वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र (GTMC) भारत के जामनगर में स्थापित है।
- संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (2014) घोषित किया।

सरकारी योजनाएँ

- **आयुष मंत्रालय (2014):** यह मंत्रालय आयुष पद्धतियों को बढ़ावा देने के साथ ही इसे विनियमित करता है।
- **राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM):** आयुष स्वास्थ्य सेवा के विस्तार हेतु केंद्र प्रायोजित योजना; इसमें स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आयुष ग्राम मॉडल शामिल है।
- **वैश्विक सहयोग:** 39 देशों में 25 द्विपक्षीय समझौते, 52 साझेदारियाँ और 43 आयुष सूचना प्रकोष्ठ।
- **आयुष निर्यात संवर्धन परिषद (AYUSHEXCIL):** आयुष उत्पादों और सेवाओं के वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देता है।
- **अनुसंधान एवं सत्यापन:** नैदानिक परीक्षणों, औषधि मानकीकरण और एकीकृत चिकित्सा के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA), राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (NIA), केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS) जैसे संस्थान।
- **सूचना, शिक्षा और संचार (IEC):** आरोग्य मेले, मल्टीमीडिया अभियान, जागरूकता अभियान।
- **अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन:** प्रशिक्षण, सम्मेलनों और सहयोग के लिए विदेशों में आयुष विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम

लद्दाख प्रशासन ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के अंतर्गत हिरासत में लिए जाने को उचित ठहराया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) 1980

- यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं की रक्षा के लिए निवारक निरोध की अनुमति देता है।
- यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता है और इसका प्रयोग संयमित और वैध तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि उचित प्रक्रिया और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
    - **नजरबंदी के आधार:** यदि किसी व्यक्ति की गतिविधियाँ राष्ट्रीय रक्षा, विदेशी संबंध, राज्य की सुरक्षा, सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा पहुँचाती हैं, या तस्करी / आवश्यक सेवाओं में बाधा डालने से संबंधित हैं, तो एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) लागू किया जा सकता है।
    - **प्रक्रिया:** नजरबंदी आदेश केंद्र या राज्य सरकार द्वारा उनके व्यक्तिगत संतोष के आधार पर जारी किया जा सकता है।
    - **सूचना और समीक्षा:** नजरबंद व्यक्ति को नजरबंदी के कारणों की जानकारी दी जानी चाहिए, और मामले की समीक्षा के लिए 3 सप्ताह के भीतर एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाना आवश्यक है।
    - **नजरबंदी की अवधि:** प्रारंभिक रूप से अधिकतम 12 महीने तक, जिसे सरकारी स्वीकृति से 12-12 महीनों के अतिरिक्त अवधियों में बढ़ाया जा सकता है।
    - **सुरक्षात्मक प्रावधान:** नजरबंद व्यक्ति को कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार है और वह सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
    - **सरकारी दायित्व:** सरकार को बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करना चाहिए और आवश्यकता होने पर आदेश को संशोधित या रद्द कर सकती है।
    - **न्यायिक समीक्षा:** यदि नजरबंदी को अवैध पाया जाता है, तो इसे बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।

भारत में व्यक्तित्व अधिकार

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एआई और डीपफेक के माध्यम से मशहूर हस्तियों के नाम, चित्र और आवाज के अनधिकृत उपयोग के विरुद्ध उनके अधिकारों की रक्षा की, जिससे डिजिटल युग में व्यक्तित्व अधिकारों का महत्त्व और भी बढ़ गया।

व्यक्तित्व का अधिकार

- ये अधिकार किसी व्यक्ति के नाम, चित्र, आवाज, हस्ताक्षर और समग्र समानता के दुरुपयोग, विशेष रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, से रक्षा करते हैं।
- ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़े हैं, जो निजता और सम्मान के अधिकार की गारंटी देता है, और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 जैसे कानूनों के साथ-साथ न्यायालयी निर्णयों द्वारा समर्थित हैं।

महत्त्वपूर्ण न्यायिक वाद

- **आर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य (1994):** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि व्यक्तियों को निजता और अपनी पहचान पर नियंत्रण का अधिकार है। लेकिन अगर जानकारी पहले से ही सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो उसे बिना सहमति के प्रकाशित किया जा सकता है।
- **रजनीकांत मामला (2014, मद्रास उच्च न्यायालय):** न्यायालय ने एक फिल्म में रजनीकांत के नाम, शैली और छवि का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी और कहा कि हस्तियाँ वास्तविक नुकसान दिखाए बिना भी इस तरह के दुरुपयोग को रोक सकती हैं।
- **जैकी श्रॉफ मामला (2024, दिल्ली उच्च न्यायालय):** न्यायालय ने ई-कॉमर्स साइटों और एआई चैटबॉट्स को उनकी अनुमति के बिना उनके व्यक्तित्व का इस्तेमाल करने से रोक दिया।
- **अरिजीत सिंह मामला (2024, बॉम्बे उच्च न्यायालय):** न्यायालय ने एक कंपनी को एआई का उपयोग करके उनकी आवाज की क्लोनिंग करने से प्रतिबंधित कर दिया, इसे गरिमा और व्यक्तित्व अधिकारों पर हमला बताया।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ संतुलन

- अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जिसमें व्यंग्य,आलोचना और कलात्मक अभिव्यक्ति शामिल हैं।
- लेकिन अदालतों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी की पहचान का व्यावसायिक लाभ के लिए बिना सहमति के उपयोग करना उचित नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय ने खेलों को एक एकीकृत शक्ति बताया

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) मामले में, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे खेल भाईचारे और समावेशिता को बढ़ावा देते हैं, जिससे वे एक एकीकृत समाज के लिए आवश्यक बन जाते हैं।

न्यायालय की मुख्य टिप्पणियाँ

- **खेल एक सामुदायिक संसाधन के रूप में:** खेल के अवसर और सुविधाएँ पूरे समुदाय के लिए खुली होनी चाहिए, न कि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों तक सीमित होनी चाहिए।
- **खेलों की एकीकृत भूमिका:** खेल सामाजिक विभाजन को तोड़ते हैं और जातिवाद, सांप्रदायिकता, नस्लवाद और अन्य प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध एक शक्तिशाली हथियार के रूप में कार्य करते हैं।
- **बंधुत्व का निर्माण:** स्थानीय खेलों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों तक, खेल विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाते हैं, जो बंधुत्व के संवैधानिक मूल्य को दर्शाता है।

- **कानून की सीमाएँ:** न्यायालय ने कहा कि बंधुत्व कानून द्वारा थोपा नहीं जा सकता; इसे खेलों की तरह विश्वास, एकता और साझा अनुभवों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से विकसित होना चाहिए।
- **राष्ट्रीय संस्थाओं के रूप में खेल:** खेल निकाय राष्ट्रीय जीवन में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनका प्रबंधन ईमानदारी, निष्पक्षता और व्यावसायिकता के साथ किया जाना चाहिए, जिससे सभी योग्य खिलाड़ियों के लिए अवसर सुनिश्चित हों।
- **राज्य का कर्त्तव्य:**
  - सरकार को विशेषज्ञता और दक्षता के साथ खेल सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए।
  - खेल आयोजनों और मीडिया अधिकारों से प्राप्त राजस्व का उपयोग खेलों को सभी के लिए वहनीय और सुलभ बनाने के लिए किया जाना चाहिए।

महत्त्व:

- **समानता को बढ़ावा:** यह सुनिश्चित करता है कि खेल सुविधाएँ और अवसर समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ हों, न कि केवल अभिजात वर्ग के लिए।
- **भाईचारे को मजबूत करना:** विविध समुदायों के बीच एकता और आपसी सम्मान का निर्माण करने के साधन के रूप में खेलों पर प्रकाश डालता है।
- **सुशासन को प्रोत्साहित करना:** राष्ट्रीय प्रगति के लिए खेल निकायों के पारदर्शी और निष्पक्ष प्रबंधन पर जोर देता है।
- **राज्य का उत्तरदायित्व:** समावेशी, किफायती और उच्च-गुणवत्ता वाले खेल बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए सरकार के कर्त्तव्य को सुदृढ़ करता है।

मैसूर दशहरा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को कायम रखा

सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मैसूर दशहरा उत्सव के उद्घाटन के लिए किसी मुस्लिम गणमान्य व्यक्ति को आमंत्रित करना संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है।

पृष्ठभूमि:

- एक याचिका में बुकर पुरस्कार विजेता मुस्लिम बानू मुश्ताक को मैसूर दशहरा उत्सव के दौरान चामुंडेश्वरी मंदिर में अनुष्ठानों का उद्घाटन करने की अनुमति देने के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि केवल एक हिंदू गणमान्य व्यक्ति ही ये अनुष्ठान कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:

- न्यायालय ने संविधान की प्रस्तावना का हवाला दिया, जो धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी देती है।

धर्मनिरपेक्षता, एक मूल विशेषता

सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि विचार और आस्था की स्वतंत्रता, समानता और बंधुता – ये सभी आदर्श राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

- याचिकाकर्ता का तर्क था कि उद्घाटन पूजा एक धार्मिक प्रथा है जो केवल हिंदुओं के लिए आरक्षित है।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और किसी भी धर्म को अपना नहीं मानता।
- न्यायालय ने दोहराया कि राज्य का सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रवैया उसे उन धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने से नहीं रोकता जो समानता के अधिकार में बाधा डालती हैं।

धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक स्तंभ

संवैधानिक प्रावधान

- **प्रस्तावना:** धर्मनिरपेक्षता और आस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है।
- **अनुच्छेद 15 और 16:** धार्मिक आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
- **अनुच्छेद 26:** धार्मिक मामलों के प्रबंधन की अनुमति देता है।
- **अनुच्छेद 28:** राज्य संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है।
- **अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है।
- **अनुच्छेद 25:** विवेक और धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 27:** धार्मिक प्रचार के लिए कर लगाने को रोकता है।
- **अनुच्छेद 29-30:** धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है।

- कहा कि चूँकि दशहरा राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, इसलिए इसे धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए और किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेना चाहिए।
- न्यायालय ने 1994 के एम. इस्माइल फारुकी फैसले का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं है।

भारत में धर्मनिरपेक्षता

- भारतीय धर्मनिरपेक्षता "सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान" पर आधारित है, न कि धर्म और राज्य के बीच कठोर अलगाव पर।
- राज्य धार्मिक प्रथाओं को विनियमित या सुधार सकता है, लेकिन किसी भी धर्म को बढ़ावा या उसका पक्ष नहीं ले सकता।

न्यायिक व्याख्याएँ

- **केशवानंद भारती (1973):** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढाँचे का हिस्सा है।
- **एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994 का मामला:** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक बुनियादी विशेषता है और राजनीति और धर्म को पृथक-पृथक रहना चाहिए।

भारतीय और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के बीच तुलना

पहलू	पश्चिमी मॉडल	भारतीय मॉडल
राज्य और धर्म के बीच संबंध	• कठोर पृथक्करण पर जोर दिया गया है।	राज्य और धर्म पूरी तरह से अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं। • यह मॉडल सैद्धांतिक दूरी का पालन करता है। • राज्य आवश्यकता पड़ने पर धर्म के साथ लचीला व्यवहार बनाए रखता है।
धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप	• जब तक धर्म कानूनी सीमाओं के भीतर रहता है, राज्य हस्तक्षेप नहीं करता है।	• राज्य प्रतिगामी या भेदभावपूर्ण प्रथाओं (जैसे, अस्पृश्यता, सती प्रथा, बाल विवाह) में सुधार के लिए हस्तक्षेप कर सकता है।
धार्मिक वित्तपोषण/शिक्षा	• राज्य धार्मिक संस्थाओं को धन मुहैया नहीं कराता है।	• राज्य अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थाओं को सहायता प्रदान कर सकता है।
धर्म का सार्वजनिक प्रदर्शन	• धर्म को निजी माना जाता है; सार्वजनिक नीति या संस्थाओं में इसकी कोई भूमिका नहीं है।	• संवैधानिक जाँचों (जैसे, धार्मिक अवकाश, वक्फ बोर्ड, बंदोबस्ती) के अधीन, सार्वजनिक जीवन में धर्म की अनुमति है।
धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य	• इसका उद्देश्य धर्म में राज्य की तटस्थता और गैर-भागीदारी सुनिश्चित करना है।	• इसका उद्देश्य एकरूपता थोपे बिना, सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और सुधार सुनिश्चित करना है।

विदेशी न्यायाधिकरण

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में असम में विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा लागू किए गए साक्ष्य के मानक को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करने का निर्णय लिया है।

विदेशी न्यायाधिकरणों से संबंधित प्रमुख विवरण

विदेशी अधिनियम 1946
केंद्र सरकार को अवैध विदेशियों से निपटने का अधिकार देता है।

विदेशी आदेश 1964
नागरिकता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करने के लिए न्यायाधिकरणों का गठन किया गया।

संरचना और नियुक्ति
ये अर्ध-न्यायिक निकाय होते हैं जिन्हें गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाता है। सदस्य सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश या कम से कम 10 वर्ष के अनुभव वाले अधिवक्ता हो सकते हैं।

अधिकार क्षेत्र और शक्तियाँ
ये किसी व्यक्ति की विदेशी स्थिति का निर्णय करते हैं और सिविल न्यायालय जैसी शक्तियाँ रखते हैं।

2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस, दुबई में शुरू हुई।

परिचय

- **स्थापना:** 9 अक्टूबर 1874 (बर्न संधि के अनुसार)
- **संयुक्त राष्ट्र एजेंसी:** 1948 में एक विशिष्ट संयुक्त राष्ट्र एजेंसी बनी।
- **सदस्य:** 192 सदस्य देश, जो इसे सबसे पुराने और सबसे बड़े वैश्विक संगठनों में से एक बनाते हैं। भारत वर्ष 1876 में यूपीयू में शामिल हुआ।

भारत द्वारा फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का समर्थन

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में न्यूयॉर्क घोषणापत्र के स्वीकृति से सम्बंधित प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान तथा द्वि-राज्य समाधान के कार्यान्वयन का आह्वान किया गया था।

परिचय:

- **प्रस्ताव का शीर्षक:** "फिलिस्तीन समस्या के शांतिपूर्ण समाधान और द्वि-राज्य समाधान के कार्यान्वयन पर न्यूयॉर्क घोषणापत्र का समर्थन"।
- **स्वीकृति:** यह प्रस्ताव फ्रांस द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 142 देशों ने इसके पक्ष में वहीं अमेरिका, इजराइल, अर्जेंटीना और हंगरी सहित कुल 10 देशों ने इसके विपक्ष में मतदान किया। इसके अलावा कुल 12 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। मतदान के पश्चात् इसे स्वीकृत कर लिया गया।
- **भारत का रुख:** भारत ने उपर्युक्त प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।

न्यूयॉर्क घोषणा:

- फ्रांस और सऊदी अरब की सह-अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च-स्तरीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से उद्भूत।
- इसका उद्देश्य गाजा में युद्ध को समाप्त करने और एक शांतिपूर्ण, स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई करना है।
- यह इजराइल के साथ एक संप्रभु और व्यवहार्य फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
- **घोषणापत्र की मुख्य प्रतिबद्धताएँ:** गाजा में युद्ध को समाप्त करने और एक शांतिपूर्ण, स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई।
  - इजराइल के साथ एक संप्रभु और व्यवहार्य फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना।
- **इजराइल से आह्वान किया गया कि:**
  - दो-राज्य समाधान के लिए सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्ध हों।
  - फिलिस्तीनियों के विरुद्ध हिंसा और उकसावे को समाप्त करें।
  - पूर्वी यरुशलम सहित, अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्रों में बस्तियों, भूमि अधिग्रहण और विलय को रोकें।
  - इजरायल में बसने वालों के विरुद्ध हिंसा को रोकें और फिलिस्तीन के इजरायल में विलय की परियोजनाओं का त्याग करें।

एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 में प्रधानमंत्री मोदी-शी जिनपिंग की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक की।

बैठक के मुख्य परिणाम:

- **सीमा विवाद:** दोनों पक्षों ने वर्ष 2024 तक सैनिकों की वापसी की बात स्वीकार की और सीमा पर शांति बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की।
  - उन्होंने एक निष्पक्ष और उचित सीमा समाधान खोजने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रपति शी ने इस बात पर जोर दिया कि सीमा सम्बन्धी मुद्दे को ध्यान में रखकर समग्र संबंधों को परिभाषित नहीं करना चाहिए।
- **दोनों देशों के नागरिकों के मध्य संबंध:** कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने, पर्यटक वीजा फिर से शुरू करने और सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया।

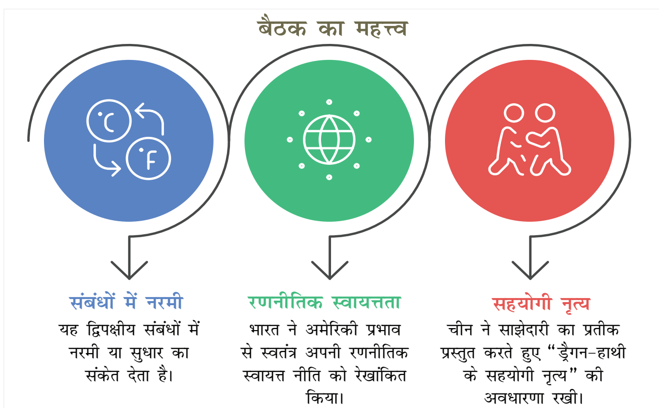

- **व्यापार एवं अर्थव्यवस्था:** दोनों देशों ने संतुलित व्यापार की दिशा में काम करने, घाटे को कम करने और अमेरिकी टैरिफ विवादों की पृष्ठभूमि में वैश्विक व्यापार को समर्थन देने पर सहमति व्यक्त की।
  - प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मजबूत व्यापारिक संबंध चीन की वैश्विक छवि को मजबूत करेंगे।
- **आतंकवाद:** प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश आतंकवाद के शिकार हैं। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) मंच सहित सीमा पार आतंकवाद के विरूद्ध चीन के सहयोग का आग्रह किया।

नेपाल में जेनरेशन Z का विरोध प्रदर्शन

नेपाल में भ्रष्टाचार के विरूद्ध युवाओं के नेतृत्व में अभूतपूर्व विद्रोह हुआ, जिसके परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा और सेना ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप किया।

परिचय:

- **ट्रिगर:** 20 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध, व्यापक अशांति का तात्कालिक कारण बन गया।
- **अंतर्निहित कारण:**
  - भ्रष्टाचार, कुशासन और राजनीतिक संस्थाओं में जवाबदेही की कमी को लेकर लंबे समय से चला आ रहा गुस्सा।
  - बेरोजगारी और अवसरों की कमी के कारण युवाओं में निराशा।

एक निराशाजनक आर्थिक स्थिति

- नेपाल की 3 करोड़ की आबादी में से 20% से ज्यादा लोग गरीबी में जी रहे हैं।
- सबसे अमीर 10% लोग सबसे गरीब 40% लोगों की तुलना में तीन गुना ज्यादा कमाते हैं, जो आर्थिक असमानता को और भी गहरा करता है।
- 2022-23 में 15-24 आयु वर्ग के लोगों में बेरोजगारी दर 22% से ज्यादा थी।
- नेपाल के 20 लाख लोग भारत सहित निर्माण और कृषि जैसे क्षेत्रों में विदेशों में काम करते हैं।
- 2024 में उनके द्वारा भेजी गई 11 अरब डॉलर की राशि, देश की अर्थव्यवस्था का 26% हिस्सा थी

- **विरोध प्रदर्शनों की प्रकृति:**
  - लोकप्रिय रूप से "जेन जेड विरोध प्रदर्शन" कहे जाने वाले ये प्रदर्शन युवाओं द्वारा संचालित और राष्ट्रव्यापी थे।
  - सरकारी इमारतों, नेताओं के आवासों और यहाँ तक कि संसद पर हमलों के साथ ये हिंसक हो गए।
  - आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं ने अराजकता को और बढ़ा दिया।
- **राजनीतिक परिणाम:**
  - प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली के इस्तीफे से नेतृत्व संकट पैदा हो गया।
  - राष्ट्रपति पौडेल ने उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया, लेकिन गठबंधन की अस्थिरता ने इस शून्य को और गहरा कर दिया।
  - हाल ही में, श्रीमती सुशीला कार्की को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।

भारत के लिए निहितार्थ:

- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** अस्थिरता भारत-नेपाल खुली सीमा सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है, जिससे घुसपैठ, तस्करी या शरणार्थियों के आगमन का जोखिम पैदा हो सकता है।
- **रणनीतिक पहलू:** राजनीतिक शून्यता चीन को नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका दे सकती है, जिससे हिमालयी क्षेत्र में भारत का रणनीतिक स्थान कम हो सकता है।
- **आर्थिक प्रभाव:** सीमा व्यापार और आपूर्ति शृंखलाएँ बाधित हो सकती हैं, जिससे दोनों पक्षों के व्यवसाय और नागरिक प्रभावित हो सकते हैं।
- **राजनयिक चुनौतियाँ:** नेपाली राजनीति में बढ़ती भारत-विरोधी बयानबाजी द्विपक्षीय संबंधों में और तनाव पैदा कर सकती है।

भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर

भारत सरकार और इजराइल सरकार ने एक द्विपक्षीय निवेश समझौते (BIA) पर हस्ताक्षर किए।

BIA का अर्थ:

- द्विपक्षीय निवेश समझौता (BIA) दो देशों के बीच हस्ताक्षरित एक संधि है जो एक देश से दूसरे देश में निवेशकों द्वारा किए गए निवेश को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए की जाती है।

समझौते के बारे में:

- इजराइल, भारत के साथ नए मॉडल ढाँचे के अंतर्गत निवेश संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला OECD सदस्य देश बन गया है।
- **पुरानी संधि का प्रतिस्थापन:**
  - नया द्विपक्षीय निवेश समझौता 1996 की संधि का स्थान लेता है, जिसे 2017 में समाप्त कर दिया गया था।
  - यह समाप्ति निवेश संधियों पर भारत की व्यापक नीतिगत बदलाव को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य उन्हें नए मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) ढाँचे के अनुरूप बनाना है।

BIT के अंतर्गत सहयोग के क्षेत्र

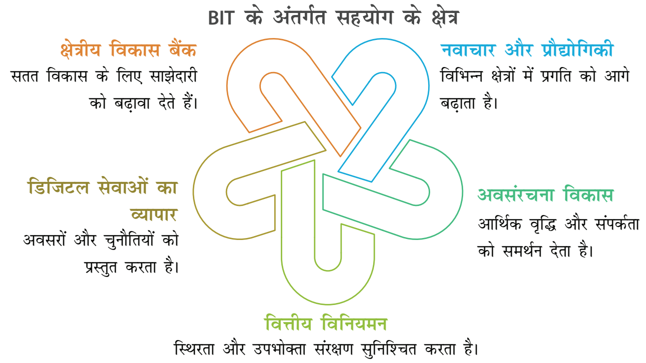

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)

- **विषय:** OECD 38 सदस्य देशों वाला एक अंतर-सरकारी आर्थिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है।
- **सदस्यता:** अधिकांशत: उच्च आय वाली और विकसित अर्थव्यवस्थाएँ, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, इजराइल और कई यूरोपीय संघ के देश शामिल हैं।
- **उद्देश्य:** वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास, स्थिरता, मुक्त बाजार, व्यापार, नवाचार और बेहतर जीवन स्तर को बढ़ावा देना।
- **कार्य:** नीतिगत सलाह, अनुसंधान, आर्थिक आँकड़े, प्रदान करना और कराधान, शिक्षा, पर्यावरण और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करना।
- **भारत की स्थिति:** भारत इसका सदस्य नहीं है, बल्कि एक प्रमुख भागीदार देश है, जो कर पारदर्शिता, निवेश और आर्थिक सुधारों जैसे मुद्दों पर OECD के साथ मिलकर काम कर रहा है।

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता

हाल ही में, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए "व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा" के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

समझौते के बारे में:

- हमास नेताओं पर इजराइल के हमलों के बाद, कतर में अरब और मुस्लिम देशों के एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन के बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।
- इसमें कहा गया है कि "किसी भी देश के विरुद्ध किसी भी आक्रमण को दोनों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा।"
- इस समझौते का उद्देश्य रक्षा सहयोग को मजबूत करना और बाहरी खतरों के विरुद्ध संयुक्त प्रतिरोध का निर्माण करना है।

इस समझौते के पीछे तर्क:

- कतर में इजरायल द्वारा किये गए हमलों के बाद हुए इस समझौते को इजराइल के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।
- अरब देश ईरान, सीरिया, लेबनान, यमन और कतर में इजराइल के बढ़ते अभियानों को लेकर चिंतित हैं।
- खाड़ी देशों को एक विश्वसनीय सुरक्षा गारंटर के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की विश्वसनीयता पर संदेह बढ़ता जा रहा है।
- मध्य पूर्व में एकमात्र परमाणु-सशस्त्र राष्ट्र के रूप में इजराइल की स्थिति इस क्षेत्र में असुरक्षा की भावना को बढ़ाती है।
- यह समझौता इस्लामी एकजुटता का भी संकेत देता है, जो सऊदी अरब और पाकिस्तान को केंद्र में रखकर मुस्लिम देशों के बीच एकता को दर्शाता है।

भारत की प्रतिक्रिया:

- विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत को इस तरह के घटनाक्रम का पूर्वाभास पहले ही हो गया था।
- भारत इस समझौते के राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शांति पर पड़ने वाले प्रभावों की जाँच करेगा।
- इसके अलावा सरकार ने भारत के हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

एच-1बी वीजा

अमेरिकी राष्ट्रपति ने एच-1बी वीजा के लिए शुल्क को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 1,00,000 डॉलर करने के लिए एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जो वर्तमान 1,500 डॉलर के प्रशासनिक खर्च से नाटकीय वृद्धि दर्शाता है।

परिचय

- **प्रकार और उद्देश्य:**
  - H-1B वीजा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी किया जाने वाला एक गैर-आप्रवासी कार्य वीजा है।
  - यह अमेरिकी कंपनियों को सूचना प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, वित्त, चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता वाले कार्यों में कुशल विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने की अनुमति देता है।
- **वैधता:** यह वीजा शुरू में तीन वर्षों के लिए वैध होता है और इसे अधिकतम छह वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।
- **नियोक्ता-प्रायोजित प्रकृति:**
  - कोई भी कर्मचारी स्वतंत्र रूप से H-1B वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकता।
  - यह प्रक्रिया नियोक्ता-संचालित है, जिसका अर्थ है कि अमेरिकी नियोक्ता को विदेशी पेशेवर की ओर से आवेदन को प्रायोजित और दायर करना होगा।
- **लॉटरी प्रणाली:** चूँकि H-1B वीजा की माँग उपलब्ध कोटे से कहीं अधिक है, इसलिए अमेरिकी सरकार वीजा प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अनुमति प्राप्त आवेदकों का यादृच्छिक चयन करने हेतु एक वार्षिक लॉटरी प्रणाली आयोजित करती है।
- **आश्रित:** H-1B वीजा धारक अपने निकटतम परिवार के सदस्यों को अमेरिका ला सकते हैं।
  - उनके जीवनसाथी और 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे H-4 आश्रित वीजा के लिए पात्र हैं, जो उन्हें कर्मचारी के प्रवास के दौरान अमेरिका में रहने की अनुमति देता है।
- **प्रमुख लाभार्थी:** भारतीय पेशेवर विश्व भर में H-1B वीजा धारकों का सबसे बड़ा समूह बनाते हैं।
  - उनमें से अधिकांश आईटी और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिससे भारत इस वीजा कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभार्थी बन गया है।

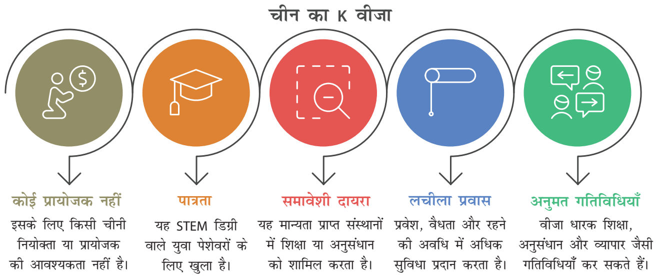

भारत द्वारा इजराइल के दोहा हमले की निंदा

दोहा में इजराइल द्वारा की गई बमबारी की भारत द्वारा हाल ही में की गई निंदा, अन्य देशों में इजराइल के पिछले अभियानों पर उसके अधिक मौन रुख से एक बदलाव है।

परिचय

- इजराइली रक्षा बलों (IDF) ने कतर के दोहा में एक घर पर बमबारी की, जहाँ कथित तौर पर हमास नेता अमेरिका द्वारा प्रस्तावित युद्धविराम योजना पर बैठक कर रहे थे।
- इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया कि यह हमला "उचित" था और कतर पर हमास के आतंकवादियों को "पनाह और धन" देने का आरोप लगाया।
- भारत ने इजरायल द्वारा कतर की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा की।
  - गौरतलब हो कि ये बयान लेबनान, यमन, ट्यूनीशिया, सीरिया और ईरान सहित क्षेत्र के कई अन्य देशों पर इजराइल द्वारा की गई बमबारी पर भारत की प्रतिक्रियाओं के बिल्कुल विपरीत हैं।

भारत द्वारा अपनाये गए इस रुख की पृष्ठभूमि में निहित कारण

- **ऊर्जा सुरक्षा:** कतर भारत के लिए दीर्घकालिक अनुबंधों वाला एक महत्त्वपूर्ण एलएनजी आपूर्तिकर्ता है। दोहा में किसी भी तरह की वृद्धि भारत की ऊर्जा स्थिरता के लिए सीधे तौर पर खतरा है।
- **विशाल प्रवासी:**
  - कतर में 8 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जो धन प्रेषण में भारी योगदान देते हैं।
  - भारत की खाड़ी नीति में प्रवासी समुदायों की सुरक्षा हमेशा एक प्राथमिकता रही है।
- **रणनीतिक संतुलन:**
  - भारत के इजराइल के साथ मजबूत रक्षा और तकनीकी संबंध हैं, लेकिन अरब खाड़ी देशों के साथ भी गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध हैं।
  - यह बयान इजराइल की सीधी निंदा से बचता है, लेकिन अस्थिरता पैदा करने वाली कार्रवाइयों पर नाराजगी का संकेत देता है।
- **बहुपक्षीय रुख के साथ संगति:** भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के लिए द्वि-राष्ट्र समाधान का समर्थन किया था और उसका रुख उसी के अनुरूप है।

फ्रांस द्वारा फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता

फ्रांस और कई अन्य पश्चिमी देशों ने संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा की।

परिचय

- फ्रांस की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब हाल ही में यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने भी फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है।
  - हालाँकि, यह कदम संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन के बिना, जो सदस्यता पर वीटो लगाने का अधिकार रखता है, काफी हद तक प्रतीकात्मक है।
- इजराइली प्रधानमंत्री ने अपनी इस स्थिति पर जोर दिया कि कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा और उन्होंने नई बस्तियों के निर्माण में तेजी लाने का संकल्प लिया।

मान्यता का अर्थ

- अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता का अर्थ है कि एक देश दूसरे देश को आधिकारिक तौर पर अधिकारों और कर्तव्यों सहित एक राज्य के रूप में स्वीकार करता है।
- **सरल शब्दों में, इसका अर्थ है:** "हम आपको एक देश के रूप में स्वीकार करते हैं और आपके साथ व्यवहार करने को तैयार हैं।"

मान्यता के प्रकार

- **विधि-मान्यता (De Jure Recognition):** यह किसी राज्य की पूर्ण कानूनी मान्यता है। यह संधियों में भागीदारी, दूतावास खोलने और पूर्ण राजनयिक संबंधों की अनुमति देता है।
- **वास्तविक मान्यता (De Facto Recognition):** यह अस्थायी या सीमित मान्यता है। किसी राज्य को विद्यमान माना जाता है, लेकिन उसके पूर्ण कानूनी अधिकार रोक दिए जाते हैं, आमतौर पर जब स्थिति अनिश्चित होती है।

मान्यता के तरीके:

- **एकतरफा मान्यता:** इसके अंतर्गत एक राज्य द्वारा स्वतंत्र रूप से दूसरे राज्य को मान्यता दी जाती है।
- **सामूहिक मान्यता:**
  - यह मान्यता अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जैसे संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता, के माध्यम से दी जाती है, जो व्यापक स्वीकृति का संकेत देती है।

मान्यता के मानदंड:

- **मोंटेवीडियो कन्वेंशन (1933) के अनुसार, एक राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित तत्त्व शामिल होने चाहिए:**
  - एक स्थायी जनसंख्या।
  - एक निश्चित क्षेत्र।
  - एक कार्यशील सरकार।
  - अन्य राज्यों के साथ संबंध बनाने की क्षमता।

मान्यता के रूप

औपचारिक घोषणा
सरकार द्वारा घोषणाओं या आधिकारिक बयानों के माध्यम से नए राज्य की मान्यता देना।

कूटनीतिक संबंध
राजदूतावास स्थापित करना, राजदूतों और मिशनों का आदान-प्रदान करना और संबंध बनाए रखना।

संधियाँ
औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करना या अंत. र्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में शामिल होना।

भारत और मोरक्को द्वारा रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर

भारत और मोरक्को ने एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और मोरक्को में एक प्रमुख भारतीय रक्षा कारखाने के उद्घाटन के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत किया है।

प्रमुख घटनाक्रम

- भारत और मोरक्को ने रबात में रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- इस समझौता ज्ञापन में आतंकवाद-रोधी, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, शांति अभियान और सैन्य चिकित्सा शामिल हैं।
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को स्थित भारतीय दूतावास में एक नए रक्षा विंग के उद्घाटन की भी घोषणा की।

मोरक्को में TASL रक्षा कारखाना

- टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) के एक नए कारखाने का उद्घाटन मोरक्को के बेरेकिड में हुआ। यह मोरक्को का सबसे बड़ा रक्षा कारखाना है और अफ्रीका में पहला भारतीय निजी रक्षा संयंत्र भी है।
- इस कारखाने में DRDO और TASL द्वारा संयुक्त रूप से विकसित व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म (WhAP) का निर्माण किया जाएगा।

व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म

मुख्य विशेषताएँ

इन्फैंट्री कैरियर
पैदल सैनिकों को परिवहन करता है।

कमांड पोस्ट
एक चलता-फिरता कमांड सेंटर के रूप में कार्य करता है।

टोही वाहन
टोही अभियानों को संचालित करता है।

एंटी-टैंक मिसाइलें
एंटी-टैंक मिसाइलों से सुसज्जित है।

एम्बुलेंस
चिकित्सीय सहायता प्रदान करती है।

मोर्टार कैरियर
मोर्टार को ले जाने और दागने का कार्य करता है।

बख्तरबंद कर्मी वाहन
कर्मचारियों के लिए सुरक्षित बख्तरबंद परिवहन प्रदान करता है।

रिमोट-कंट्रोल हथियार
दूर से नियंत्रित हथियार प्रणाली की सुविधा से लैस है।

3

अर्थव्यवस्था

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)

हाल ही में, RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को 3 वर्षों के लिए IMF का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है।

परिचय:

- **उत्पत्ति:** आईएमएफ की स्थापना 1930 के दशक की महामंदी के बाद 1944 में हुई थी।
- **आईएमएफ की सदस्यता:** 191 देश, कार्यकारी बोर्ड में प्रतिनिधित्व वित्तीय कोटे के आधार पर।
- **कार्यकारी बोर्ड:** बोर्ड में 25 कार्यकारी निदेशक होते हैं, जिनका चुनाव सदस्य देशों या देशों के समूहों द्वारा किया जाता है। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान के साथ चार देशों के निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य है।
- **प्रकाशन:** विश्व आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, राजकोषीय मॉनिटर, वैश्विक नीति एजेंडा।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में आईएमएफ की भूमिका

- **संकट प्रबंधन:** आईएमएफ मुद्रा संकट के दौरान वित्तीय सहायता (बेलआउट) प्रदान करता है।
- **ऋण तंत्र:** 5 प्रमुख मुद्राओं पर आधारित एसडीआर (विशेष आहरण अधिकार) के माध्यम से सहायता प्रदान करता है।
  - **पाँच मुद्राओं का एक समूह:** अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड।
- **वित्तीय साधन:** इसमें विस्तारित ऋण सुविधा, लचीली ऋण सीमा और स्टैंड-बाय व्यवस्थाएँ शामिल हैं।

बॉण्ड यील्ड

भारत के 10-वर्षीय सरकारी बॉण्ड का प्रतिफल पिछले महीने 26 आधार अंकों तक बढ़ गया, जबकि आरबीआई ने रेपो दर को 100 आधार अंकों से घटाकर 5.5% कर दिया।

परिचय:

- बॉण्ड एक ऋण है जो एक निवेशक, उधारकर्ता को ब्याज के नियमित भुगतान के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए प्रदान करता है।
- "परिपक्वता अवधि" का अर्थ है बॉण्ड जारी होने और उधारकर्ता द्वारा ऋण की सहमत चुकौती के बीच की अवधि।

बॉण्ड यील्ड:

- **बॉण्ड यील्ड:** बॉण्ड निवेश पर रिटर्न, जो शुरुआत में कूपन दर के बराबर होता है लेकिन समय के साथ परिवर्तित होता रहता है।
- **प्रकार:** कूपन यील्ड (निश्चित दर) और वर्तमान यील्ड (कूपन ÷ बाजार मूल्य)।
- **मूल्यांकन:** बॉण्ड प्रीमियम (अंकित मूल्य से ऊपर) या डिस्काउंट (अंकित मूल्य से नीचे) पर कारोबार करते हैं।
- **संबंध:** कीमत और यील्ड विपरीत रूप से चलते हैं यथा; उच्च कीमत का अर्थ है कम यील्ड।
- **उदाहरण:** ₹1,000 अंकित मूल्य और ₹80 वार्षिक कूपन वाले बॉण्ड को अंकित मूल्य पर खरीदने पर 8% प्रतिफल मिलता है।
  - यदि वही बॉण्ड ₹1,200 में खरीदा जाए, तो प्रतिफल घटकर 6.7% (80 ÷ 1200) हो जाता है।

नारियल विकास बोर्ड

नारियल विकास बोर्ड (CDB) ने केरल में संशोधित योजनाओं का शुभारंभ और निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करके विश्व नारियल दिवस मनाया।

परिचय

- यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 12 जनवरी 1981 को हुई थी।
- इसका उद्देश्य भारत में नारियल की खेती और उद्योग का एकीकृत विकास करना है जिससे उत्पादकता और उत्पाद विविधीकरण बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी।
- यह फसलोपरांत प्रसंस्करण और विपणन तकनीकों के विकास, उत्पाद विविधीकरण और उप-उत्पाद उपयोग को बढ़ावा देने तथा नारियल आधारित उत्पादों के मूल्य संवर्धन पर भी कार्य करता है।

भारती पहल

ये कृषि प्रौद्योगिकी लचीलापन, उन्नति और निर्यात विकास हेतु भारत का इनक्यूबेशन केंद्र है।

परिचय:

- इसका उद्देश्य भारत को कृषि-खाद्य स्टार्टअप और नवाचार का केंद्र बनाना है, जिसका दीर्घकालिक लक्ष्य वर्ष 2030 तक कृषि-खाद्य निर्यात में 50 बिलियन डॉलर प्राप्त करना है।
  - इसके अलावा यह लगभग 100 कृषि-खाद्य स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी परिचालित है।
- **स्टार्टअप-केंद्रित पहल:** प्रारंभिक समूह में 100 कृषि-खाद्य और कृषि-तकनीक स्टार्टअप को सहायता प्रदान करता है।

NEXT IAS हिन्दी

- **तीन महीने का त्वरण कार्यक्रम:** ये कार्यक्रम उत्पाद विकास, निर्यात तत्परता, नियामक अनुपालन, बाजार पहुँच और सहयोगात्मक समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **लक्षित क्षेत्र:** जीआई-टैग वाले कृषि उत्पाद, जैविक खाद्य पदार्थ, सुपरफूड और प्रसंस्कृत भारतीय खाद्य उत्पाद।
- **सहयोगात्मक मॉडल:** राज्य कृषि बोर्डों, विश्वविद्यालयों (आईआईटी, एनआईटी), उद्योग निकायों, त्वरक और निजी हितधारकों के साथ साझेदारी।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)

- **स्थापना:** 1986, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन संसद के एक अधिनियम द्वारा।
- **उद्देश्य:** फलों, सब्जियों, अनाजों, पशु उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों सहित अनुसूचित उत्पादों के निर्यात का विकास और संवर्धन।
- **कार्यक्षेत्र:** 14 मुख्य श्रेणियों (जैसे, ताजा/प्रसंस्कृत फल और सब्जियाँ, अनाज, मांस, डेयरी, पोल्ट्री, आदि) में 700 से अधिक उत्पाद।

स्टेबलकॉइन्स

स्टेबलकॉइन्स में तेजी से वृद्धि हुई है, पिछले 18 महीनों में उनका बाजार पूँजीकरण दोगुना से अधिक बढ़कर लगभग 280 बिलियन डॉलर हो गया है।

परिचय:

- **स्टेबलकॉइन ऐसी क्रिप्टोकरेंसी हैं जिन्हें अंतर्निहित परिसंपत्तियों से उनके मूल्य को जोड़कर मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे:**
  - फिएट मुद्राएँ (जैसे, अमेरिकी डॉलर, यूरो),
  - वस्तुएँ (जैसे, सोना), अन्य क्रिप्टोकरेंसी, या
  - एल्गोरिदम-आधारित प्रणालियाँ।
- स्टेबलकॉइन सीबीडीसी या केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं से भिन्न हैं, जो आधिकारिक तौर पर सरकार के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और नियंत्रित डिजिटल मुद्राएँ होती हैं।
  - इसके अलावा, स्टेबलकॉइन निजी तौर पर जारी किए जा सकते हैं और विदेशी मुद्राओं से भी जुड़े हो सकते हैं।

स्टेबलकॉइन्स का वैश्विक परिदृश्य:

- अमेरिका ने जीनियस एक्ट पारित किया है, जिसके अनुसार स्टेबलकॉइन्स पूरी तरह से तरल संपत्तियों (जैसे नकदी या ट्रेजरी बिल) द्वारा समर्थित होने चाहिए और नियमित रूप से उनके खुलासे की आवश्यकता होती है।
- जापान और सिंगापुर ने स्टेबलकॉइन्स के लिए लक्षित नियम लागू किए हैं।
- चीन ने लंबे समय से अपने संप्रभु डिजिटल युआन के विकास को प्राथमिकता दी है, हालाँकि अब वह युआन-समर्थित स्टेबलकॉइन्स के बढ़ते उपयोग की भी जाँच कर रहा है।

पिंक टैक्स

इंटरनेशनल फाइनेंस स्टूडेंट्स एसोसिएशन (IFSA) के शोध 'महिलाओं पर आर्थिक प्रभाव का आकलन करने वाला जेंडर टैक्स' के अनुसार, लगभग 67% भारतीय व्यक्तियों ने पिंक टैक्स के बारे में कभी नहीं सुना है।

परिचय:

- पिंक टैक्स न तो कोई वास्तविक कर है और न ही यह सरकार द्वारा लगाया गया कोई शुल्क है।
- यह बस एक मूल्य निर्धारण प्रक्रिया है जिसमें महिलाएँ विशेष रूप से उनके लिए बने उत्पाद खरीदने या उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सेवा का लाभ उठाने के लिए अधिक भुगतान करती हैं।
- पिंक खिलौने, बाल कटाने, ड्राईक्लीनिंग, रेजर, शैंपू, बॉडी लोशन, डिओडोरेंट, चेहरे की देखभाल, त्वचा की देखभाल के उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन, कपड़े, टी-शर्ट, जींस, सैलून सेवाएँ आदि पर यह कर लगता है।
- ऐसा माना जाता है कि "पिंक टैक्स" शब्द की उत्पत्ति 1994 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई थी।

भारत में कृषि कार्य का विनियमन:

- हालाँकि भारत में पिंक टैक्स के मुद्दे से निपटने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फैसला सुनाया है कि कंपनियों को उचित मूल्य निर्धारण नीतियों का पालन करना चाहिए और लिंग-आधारित मूल्य भेदभाव से बचना चाहिए।
- जुलाई 2018 में, केंद्र सरकार ने सैनिटरी नैपकिन और टैम्पोन को वस्तु एवं सेवा कर (GST) से मुक्त कर दिया। इस नियम से पहले, इन स्वच्छता वस्तुओं पर 12% GST लगाया जाता था।

गहरे समुद्र में अन्वेषण

भारत को कार्ल्सबर्ग रिज (उत्तर पश्चिमी हिंद महासागर, अरब सागर) में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड नोड्यूल्स की खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (ISA) से नया अन्वेषण लाइसेंस प्राप्त हुआ है।

पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के बारे में

- बहुधात्विक पिंड, या मैंगनीज पिंड, चट्टान जैसे खनिज निक्षेप हैं जो समुद्र तल पर, विशेष रूप से प्रशांत महासागर के क्लेरियन-क्लिपर्टन क्षेत्र जैसे गहरे समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- ये मुख्य रूप से मैंगनीज, निकल, ताँबा और कोबाल्ट के साथ-साथ अल्प मात्रा में दुर्लभ मृदा तत्वों से बने होते हैं।
- **निर्माण प्रक्रिया:**
  - ये पिंड लाखों वर्षों में समुद्री जल से खनिजों के धीमे संचयन के माध्यम से बनते हैं, जैसे कि शैल का टुकड़ा या ज्वालामुखी कण।
  - महत्त्वपूर्ण खनिजों की उच्च सांद्रता इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और बैटरी निर्माण जैसे उद्योगों के लिए मूल्यवान बनाती है।

- यह रणनीतिक गहरे समुद्र में खनन और महत्त्वपूर्ण खनिजों तक पहुँच में भारत की भूमिका को बढ़ाता है।
- यह भारत के "गहरे समुद्र मिशन" और खनिज आत्मनिर्भरता की ओर संक्रमण का समर्थन करता है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण (ISA)

- यह वर्ष 1982 के यूएनसीएलओएस और वर्ष 1994 के समझौते के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है।
- यह समुद्रतल खनन से पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करता है और उस क्षेत्र में संसाधन प्रबंधन की देखरेख करता है, जो विश्व के 54% महासागर तल पर फैला हुआ है और जिसे मानव जाति की साझी विरासत माना जाता है।
- किसी भी राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे उच्च समुद्री क्षेत्रों में खनिज संसाधनों का अन्वेषण करने के लिए, देशों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी।

राष्ट्रीय मखाना बोर्ड

पीएम मोदी ने बिहार के पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया

परिचय:

- मखाना (यूरियाल फेरोक्स), जिसे फॉक्स नट के नाम से भी जाना जाता है, एक जलीय फसल है जिसकी खेती स्थिर तालाबों और आर्द्रभूमि में की जाती है।
- यह पौधा पूरे दक्षिण और पूर्वी एशिया में मीठे पानी के तालाबों में पाया जाता है।
- मखाना के पौधे का खाने योग्य भाग छोटे, गोल बीजों से बना होता है जिनकी बाहरी परत काले से भूरे रंग की होती है। इसीलिए इसे 'काला हीरा' कहा जाता है।
- **जलवायु परिस्थितियाँ:** मखाना की सर्वोत्तम वृद्धि और विकास के लिए 20-35°C तापमान, 50-90% सापेक्ष आर्द्रता और 100-250 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है।
- भारत में, बिहार देश का लगभग 90% मखाना उत्पादित करता है, विशेष रूप से मिथिलांचल और सीमांचल के क्षेत्रों में।
- कम मात्रा में इसकी खेती असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ओडिशा राज्यों के साथ-साथ नेपाल, बांग्लादेश, चीन, जापान और कोरिया जैसे पड़ोसी देशों में भी की जाती है।
- **मिथिला मखाना को जीआई टैग:** 2022 में, 'मिथिला मखाना' को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया।

सेक्स सॉर्टेड सीमेन (SEX SORTED SEMEN)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत सेक्स सॉर्टेड सीमेन सुविधा का उद्घाटन किया।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)

- राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा वर्ष 2014 में शुरू किया गया।
- इसका उद्देश्य देशी गायों और भैंसों की नस्लों का विकास और संरक्षण, गोजातीय आनुवंशिकी में सुधार और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है।
- इसके प्रमुख उद्देश्यों में उन्नत तकनीकों के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना, उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों को बढ़ावा देना, कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का विस्तार करना और देशी नस्लों के वैज्ञानिक पालन और संरक्षण को प्रोत्साहित करना शामिल है।

सेक्स सॉर्टेड सीमेन

वीर्य लिंग-विभेदन तकनीक से मादा बछिया के जन्म की संभावना लगभग 90% सटीकता के साथ बढ़ जाती है, जिससे डेयरी किसानों पर आर्थिक बोझ कम होता है और अधिक प्रतिस्थापन बछिया पैदा करके उनकी आय में वृद्धि होती है।

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)

पिछले तीन वर्षों में, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने 343 उत्पादों को कवर करते हुए 84 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs) जारी किए हैं।

परिचय

- भारतीय मानक ब्यूरो, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है।
- इसकी स्थापना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 द्वारा की गई है, जो 12 अक्टूबर 2017 को प्रभावी हुआ।
- **कार्य:**
  - अनेक क्षेत्रों में भारतीय मानकों (IS) का निर्माण।
  - उत्पाद प्रमाणन योजनाएँ, स्वैच्छिक और अनिवार्य दोनों।
  - गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs) जारी करना: कुछ उत्पादों के लिए कुछ भारतीय मानकों का अनुपालन अनिवार्य बनाना।
- **गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO):** QCO भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत जारी किए गए कानूनी दस्तावेज हैं।
  - ये घरेलू और आयातित दोनों उत्पादों के लिए निर्दिष्ट भारतीय मानकों का पालन करना अनिवार्य बनाते हैं।
  - QCO के अंतर्गत आने वाले उत्पादों को BIS प्रमाणन के बिना भारतीय बाजार में नहीं बेचा जा सकता।

क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCIL)

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने रुपये के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCIL) को डॉलर-रुपया से परे नवीन निपटान प्रणालियों की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

CCIL के बारे में

- इसकी स्थापना 2001 में अग्रणी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा भारत के वित्तीय बाजारों के लिए एक कुशल समाशोधन और निपटान प्रणाली प्रदान करने के लिए की गई थी।
- यह सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा, मुद्रा बाजार के उपकरणों और रुपया डेरिवेटिव में लेनदेन के लिए एक केंद्रीय प्रतिपक्ष (CCP) के रूप में कार्य करता है, जिससे यह प्रत्येक विक्रेता का क्रेता और प्रत्येक क्रेता का विक्रेता बनकर प्रतिपक्ष जोखिम को कम करता है।
- भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित, सीसीआईएल भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में वित्तीय स्थिरता, बाजार दक्षता और प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- सीसीआईएल को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आधिकारिक तौर पर एक योग्य केंद्रीय प्रतिपक्ष (QCCP) के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो एक वैश्विक मानक है जो इसके मजबूत जोखिम प्रबंधन और परिचालन विश्वसनीयता को दर्शाता है।

ब्लू पोर्ट्स

मत्स्य पालन विभाग ने भारत में ब्लू पोर्ट अवसंरचना को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के साथ तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (TCP) समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

ब्लू पोर्ट्स फ्रेमवर्क के बारे में

- टीसीपी निवेश परियोजनाओं को डिजाइन करने और पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए रणनीतिक और परिचालन उपकरण प्रदान करेगा।
- मत्स्य पालन विभाग (DoF) ब्लू पोर्ट्स फ्रेमवर्क के अंतर्गत स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य पालन बंदरगाहों के विकास का नेतृत्व कर रहा है, जो तकनीकी नवाचार और पर्यावरणीय प्रबंधन के बीच संतुलन स्थापित करता है।
- तीन पायलट बंदरगाहों, वनकबारा (दीव), कराईकल (पुदुचेरी) और जखाऊ (गुजरात) को कुल ₹369.8 करोड़ के निवेश के साथ मंजूरी दी गई है।
- इन बंदरगाहों का उद्देश्य फसल कटाई के बाद मत्स्य पालन के बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण करना है। जिससे निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित होगी:
  - मछली पकड़ने का सुरक्षित और अधिक स्वच्छ संचालन।
  - अधिक स्वच्छ और कुशल बंदरगाह संचालन।
  - मछुआरा समुदायों के लिए बेहतर सेवाएँ और आजीविका।
- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत समर्थित यह पहल बंदरगाह संचालन को सुव्यवस्थित करने और रियल टाइम में निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए IoT उपकरणों, सेंसर नेटवर्क, उपग्रह संचार और डेटा एनालिटिक्स जैसी स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करती है।

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)

- एफएओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जो भुखमरी को दूर करने और खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।
- इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी।
- **सदस्य:** एफएओ में 195 सदस्य हैं, जिनमें 194 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
- **मुख्यालय:** रोम, इटली।

एफ्लाटॉक्सिन

इंडोनेशिया ने एफ्लाटॉक्सिन संदूषण का हवाला देते हुए भारतीय मूंगफली के आयात पर रोक लगा दी।

परिचय

- एफ्लाटॉक्सिन एस्परगिलस फ्लेवस और एस्परगिलस पैरासिटिकस कवकों द्वारा उत्पन्न विषैले फफूंद हैं।
- ये अनाज और तिलहन को, विशेष रूप से गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में, दूषित करते हैं।

मूंगफली:

- मूंगफली एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय फसल है। यह एक वार्षिक शाकीय पौधा है जो 30 से 50 सेमी ऊँचा होता है।
  - इसे गर्म, पाले से मुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है।
- मूंगफली रेतीली दोमट मिट्टी के साथ-साथ अच्छी जल निकासी वाली रेतीली दोमट मिट्टी में उगाई जाती है।
- **मूंगफली को संभवत:** सबसे पहले पराग्वे की घाटियों में पालतू बनाया गया था और वहीं इसकी खेती की गई थी।
- भारत विश्व में मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- भारत मूंगफली के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, जिसके प्रमुख बाजार दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व में हैं।

मैत्री 2.0

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने नई दिल्ली में एग्रीटेक में ब्राजील-भारत क्रॉस-इन्क्यूबेशन कार्यक्रम (मैत्री 2.0) के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया।

परिचय

- यह वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए एक मजबूत, नवोन्मेषी और समावेशी कृषि-खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु भारतीय और ब्राजीलियाई नवप्रवर्तकों के बीच सह-निर्माण हेतु एक द्वि-मार्गी शिक्षण मंच है।
- इसका उद्देश्य इनक्यूबेटरों को जोड़ना, सह-इन्क्यूबेशन को बढ़ावा देना और टिकाऊ कृषि, डिजिटल तकनीक और मूल्य श्रृंखलाओं में सहयोग को बढ़ावा देना है, जिससे लचीली खाद्य प्रणालियों के निर्माण में मदद

मिलेगी और भारत-ब्राजीलियाई नवाचार के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाया जा सकेगा।

- मैत्री 2.0 कृषि, प्रौद्योगिकी और खाद्य सुरक्षा में दोनों देशों के लक्ष्यों के अनुरूप एक रणनीतिक कदम है।

एकीकृत भुगतान प्रणाली

एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने कतर नेशनल बैंक के साथ साझेदारी में कतर में क्यूआर कोड आधारित यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को संचालित किया है।

परिचय

- यह भारत की रीयल-टाइम तत्काल भुगतान प्रणाली है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने वर्ष 2016 में विकसित किया था।
- इसके माध्यम से, उपयोगकर्ता एक ही यूपीआई-सक्षम ऐप (जैसे: गूगल-पे, फोन-पे, पेटीएम, भीम-पे) के अंतर्गत कई बैंक खातों को लिंक और प्रबंधित कर सकते हैं।
- यह तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) के बुनियादी ढाँचे पर काम कर रहा है।
- यूपीआई विश्व की सबसे बड़ी रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली बन गई है। 2024 में, UPI ने मासिक 12 बिलियन से अधिक लेनदेन संसाधित किए, जो भारत में खुदरा डिजिटल भुगतानों का 65% से अधिक है।
- संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, भूटान, फ्रांस, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरीशस आदि जैसे देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाता है।

स्वच्छ पौध कार्यक्रम (CPP)

स्वच्छ पौध कार्यक्रम (CPP) विजन से कार्यान्वयन की ओर बढ़ रहा है, जिसमें नर्सरी प्रमाणीकरण, प्राधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, फसल-विशिष्ट निदान प्रोटोकॉल और वित्तपोषण दिशानिर्देश जैसी क्षेत्र-स्तरीय पहल शामिल हैं।

परिचय

- इसकी संकल्पना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एशियाई विकास बैंक के सहयोग से की थी।
  - राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) आईसीएआर के साथ मिलकर योजनाओं का क्रियान्वयन करता है, जो तकनीकी प्रगति और क्षमता निर्माण का मार्गदर्शन करती हैं।
- यह एक नवीन पहल है जिसका उद्देश्य प्रमुख फल फसलों की स्वस्थ, रोगमुक्त रोपण सामग्री सुनिश्चित करना है।

सीपीपी की मुख्य विशेषताएँ

- **किसानों को लाभ:** इस पहल के अंतर्गत किसानों की उपज और आय बढ़ाने के लिए वायरस-मुक्त रोपण सामग्री तक पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
- **नर्सरी का विकास:** स्वच्छ प्रसार के लिए सुव्यवस्थित प्रमाणन और बुनियादी ढाँचा समर्थन का प्रयास किया गया है।
- **उपभोक्ता को लाभ:** बेहतर स्वाद और पोषण के साथ उत्कृष्ट, वायरस-मुक्त फल प्रदान करता है।
- **निर्यात प्रोत्साहन:** उच्च-गुणवत्ता वाले, रोग-मुक्त फलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत की शीर्ष वैश्विक स्थिति को सुदृढ़ करता है।
- **समानता और समावेशिता को बढ़ावा:** किफायती पहुँच, महिलाओं की भागीदारी और क्षेत्र-विशिष्ट किस्मों के प्रयोग आदि समावेशी विकास के दृष्टिकोण से भी इस पहल की उपयोगिता को बढ़ाती हैं।

मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली)

- यह भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक जन आंदोलन है जो पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है।
  - यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है, जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देती है।
  - यह व्यक्तियों और समुदायों के प्रयासों को सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के एक वैश्विक जन आंदोलन में बदलने का प्रयास करता है।

राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन

- इस मिशन के अंतर्गत, एक "वन हेल्थ" दृष्टिकोण अपनाया जाता है। ये स्वास्थ्य, उत्पादकता और संरक्षण चुनौतियों का समाधान करने के लिए मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य क्षेत्रों को एकजुट करता है।
  - भारत अपने विविध वन्यजीवों, सबसे बड़ी पशुधन आबादी वाले देशों में से एक, मानव जनसंख्या के उच्च घनत्व और वनस्पतियों की विविधता के साथ, सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व या अंतर्विभागीय रोगों के बढ़ते जोखिम जैसे संघर्षों के अवसर पैदा करता है। ऐसे में यह मिशन महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

भारत में चाय क्षेत्रक

अंतर्राष्ट्रीय चाय समिति के कार्यकारी निदेशक ने कहा है कि भारत चाय उद्योग की महाशक्ति बन सकता है।

परिचय

- भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता तथा तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।
- 2024 में 7.074 बिलियन किलोग्राम के कुल वैश्विक चाय उत्पादन और 6.97 बिलियन किलोग्राम की खपत में से, भारत 1.303 बिलियन किलोग्राम का उत्पादन और 1.22 बिलियन किलोग्राम की खपत करेगा।

भारत का चाय उद्योग

- **निर्यात की जाने वाली चाय के प्रकार:** मुख्यत: काली चाय (96%), और थोड़ी मात्रा में नियमित, हरी, हर्बल, मसाला और नींबू चाय भी शामिल है।
- **भारत के निर्यात गंतव्य:** संयुक्त अरब अमीरात, इराक, ईरान, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन सहित 25 से अधिक देशों में भारत द्वारा चाय का निर्यात किया जाता है।

- **प्रमुख चाय क्षेत्र:** असम (असम घाटी, कछार) और पश्चिम बंगाल (दोआर्स, तराई, दार्जिलिंग)।
- **वैश्विक प्रतिष्ठा:** भारतीय चाय, विशेष रूप से असम, दार्जिलिंग और नीलगिरि, अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं।

भारतीय चाय बोर्ड

- इसकी स्थापना 1954 में चाय अधिनियम, 1953 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है।
- इसकी स्थापना भारतीय चाय उद्योग को विनियमित करने और भारत में चाय उत्पादकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी।
  - भारत के चाय उत्पादक क्षेत्रों में उत्पादित सभी चायों का प्रबंधन चाय बोर्ड द्वारा किया जाता है।
- बोर्ड में 32 सदस्य होते हैं, जिनमें भारत सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल हैं, जो चाय उद्योग के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारतीय कॉफी बोर्ड

भारतीय कॉफी बोर्ड यूरोपीय संघ के वनों की कटाई विनियमन अनुपालन के लिए ऐप पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिसंबर 2020 के बाद कॉफी वनों की कटाई से मुक्त हो।

कॉफी बोर्ड

- यह कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा (4) के अंतर्गत गठित एक वैधानिक संगठन है और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
- कॉफी बोर्ड का बालेहोन्नूर (कर्नाटक) में एक केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान है।
- बोर्ड में अध्यक्ष सहित 33 सदस्य होते हैं।
- बोर्ड मुख्य रूप से अनुसंधान, विस्तार, विकास, बाजार आसूचना के क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- भारत अब वैश्विक स्तर पर सातवाँ सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है, जिसका निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में 1.29 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है, जो वर्ष 2020-21 के 719.42 मिलियन डॉलर से लगभग दोगुना है।
- भारत की कॉफी मुख्य रूप से पारिस्थितिक रूप से समृद्ध पश्चिमी और पूर्वी घाटों में उगाई जाती है, जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं।
- कर्नाटक उत्पादन में अग्रणी है, जिसका योगदान 2022-23 में 248,020 मीट्रिक टन है, उसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान है।

भारत का बाह्य प्रेषण

आरबीआई की उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के अंतर्गत जुलाई 2025 में बाहरी प्रेषण सालाना आधार पर 11% घटकर 2,452.93 मिलियन डॉलर रह गया, जिसका मुख्य कारण विदेश यात्रा और अध्ययन पर कम खर्च था।

प्रेषण के बारे में:

- धन प्रेषण, किसी दूसरे देश में रहने वाले लोगों, अक्सर अपने परिवार के सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन भेजने का एक तरीका है।
- आमतौर पर विदेशों में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा, विशेष रूप से ब्लू-कॉलर या कुशल नौकरियों में कार्यरत लोगों द्वारा, धन प्रेषण भेजा जाता है।
- धन प्रेषण कई देशों के लिए आय का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है, जो उनकी आर्थिक स्थिरता में योगदान देता है, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देता है, और कभी-कभी राष्ट्रीय व्यापार घाटे के वित्तपोषण में मदद करता है।
- **स्थानांतरण के तरीके:** धन प्रेषण बैंकों, धन हस्तांतरण ऑपरेटरों या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।
- **बाह्य प्रेषण:** बाह्य प्रेषण से तात्पर्य भारत के किसी निवासी द्वारा भारत के बाहर किसी व्यक्ति या संस्था को शिक्षा, यात्रा, चिकित्सा, निवेश या उपहार देने जैसे उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा में धन के हस्तांतरण से है।

उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) क्या है?

- LRS को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 2004 में शुरू किया गया था।
- यह निवासी व्यक्तियों (नाबालिगों सहित) को अनुमत चालू या पूँजी खाता लेनदेन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 250,000 डॉलर तक प्रेषण की अनुमति देता है।
- शुरुआत में इसकी सीमा 25,000 डॉलर थी, जिसे बाद में बढ़ाकर वर्तमान स्तर कर दिया गया।
- LRS विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के अंतर्गत शासित होता है।

प्रेषण के विविध उपयोग

4 पर्यावरण

कोनोकार्पस ट्री

एक विशेषज्ञ पैनल (सीईसी – केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति) ने सर्वोच्च न्यायालय से पारिस्थितिक क्षति और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों के कारण पूरे भारत में कोनोकार्पस पेड़ों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है।

परिचय

- **वैज्ञानिक नाम:** कोनोकार्पस इरेक्टस (जिसे बटनवुड वृक्ष भी कहा जाता है)।
- इसके अलावा इसे ग्रीन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है।
- **उत्पत्ति:** उष्णकटिबंधीय अमेरिका (बरमूडा – ब्राजील) और पश्चिम अफ्रीका, सोमालिया, यमन, अरब प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों का मूल निवासी।
- **विशेषताएँ:** ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है एवं सघन ग्रीन कैनोपी बनाता है।
  - शुष्क क्षेत्रों में अधिक जल-ग्रहण से भूजल पर दबाव पड़ सकता है।
- इसकी तीव्र वृद्धि और लवणीय एवं शुष्क परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता के कारण, इसे भारत (मुख्यत: गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना) में शहरी हरियाली और सड़क किनारे वृक्षारोपण के लिए लाया गया है।
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोनोकार्पस को एक आक्रामक प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है।
- **वर्तमान प्रतिबंधित राज्य:**
  - गुजरात (2023) – पौधरोपण पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य।
  - तमिलनाडु (2025) – प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा राज्य।
  - हैदराबाद (GHMC) – सड़क के किनारे से पेड़ों को हटाना शुरू किया।

ओर्का (ORCAS)

एक नए अध्ययन में पाया गया है कि किलर व्हेल मानव से सम्बन्ध बनाने और उनके व्यवहार का पता लगाने के लिए उनसे अपना शिकार साझा करती हैं और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार करती हैं।

परिचय

- **वैज्ञानिक नाम:** Orcinus orca
  - **अन्य नाम:** ओर्का (किलर व्हेल)
- **प्रकार:** स्तनधारी
- **आहार:** मांसाहारी
  - **जंगली अवस्था में औसत आयु:** 50 से 80 वर्ष
  - ओर्का डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति हैं।
- **परिवार:** डेल्फिनिडे (ये डॉल्फिन परिवार के सबसे बड़े सदस्य हैं)।
- **वितरण:** सभी महासागरों यथा; आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों से लेकर उष्णकटिबंधीय समुद्रों में पाए जाते हैं।।
- **विशेषताएँ:**
  - **इकोलोकेशन:** ध्वनि तरंगों का उपयोग करके नेविगेट और शिकार करते हैं।
  - प्रत्येक आँख के पास एक सफेद धब्बे वाला विशिष्ट काला-सफेद रंग विद्यमान होता है।
  - अत्यधिक बुद्धिमान और सामाजिक प्राणी, जो समूहों में रहते हैं जिन्हें पॉड्स कहा जाता है।
  - **शीर्ष शिकारी (प्राकृतिक शिकारी नहीं):** ये मछलियों, सील, डॉल्फिन, शार्क और यहाँ तक कि बड़ी व्हेल का भी शिकार करते हैं।

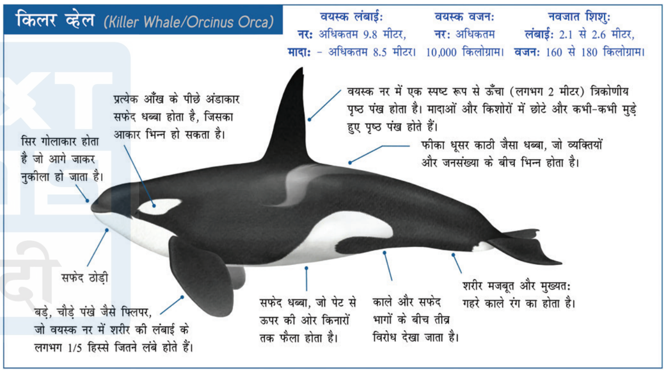

एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025

एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के अनुसार, भारत विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित देश है।

परिचय:

- एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स (AQLI) प्रोफेसर माइकल ग्रीनस्टोन और शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान (EPIC) द्वारा विकसित किया गया है।
- यह वायु प्रदूषण के स्तर को जीवन प्रत्याशा पर उसके प्रभाव के रूप में दर्शाता है, और उपयोगकर्ताओं को यह समझने में मदद करने के लिए अति-स्थानीय डेटा प्रदान करता है कि यदि प्रदूषण विभिन्न मानकों को पूरा करता है तो लोग कितने लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं।
- यह EPIC के स्वच्छ वायु कार्यक्रम का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य उच्च-गुणवत्ता वाले प्रदूषण डेटा के साथ नीति और सार्वजनिक कार्रवाई को सूचित करना है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:

- **दक्षिण एशिया:** सबसे प्रदूषित क्षेत्र; बांग्लादेश सबसे खराब, जहाँ हवा विश्व स्वास्थ्य संगठन की सीमा से 12 गुना ज्यादा प्रदूषित है।
- **चीन:** चीन के सख्त नीतियों के माध्यम से वर्ष 2014 से प्रदूषण में 40.8% की कमी आई है।
- **अफ्रीका:** कैमरून और डीआरसी जैसे देशों में, प्रदूषण अब एचआईवी/एड्स या मलेरिया से भी ज्यादा जीवन प्रत्याशा को कम कर रहा है।

भारत में स्थिति:

- **भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य खतरा:** वायु प्रदूषण जीवन प्रत्याशा को 3.5 वर्ष कम कर देता है। यह दर कुपोषण या असुरक्षित जल से भी अधिक है।
- **जोखिम:** सभी 1.4 अरब भारतीय विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा निर्धारित PM2.5 सीमा (5 -g/m^3) से ऊपर रहते हैं।
- **सबसे ज्यादा प्रभावित:** दिल्ली-एनसीआर (-8.2 वर्ष), बिहार (5.6 वर्ष), हरियाणा (5.3 वर्ष) और उत्तर प्रदेश (5 वर्ष) जैसे अन्य राज्यों में भी गंभीर गिरावट देखी गई है।
- **उच्च जोखिम:** 46% लोग भारत की अपनी कमजोर PM2.5 सीमा (40 -g/m^3) से ऊपर रहते हैं।

वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु की गई पहल

- **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP):** भारत का लक्ष्य 131 गैर-प्राप्ति शहरों में 2026 तक कणिकीय प्रदूषण में 40% की कमी लाना है, जो पहले 2024 तक 20-30% के लक्ष्य से अधिक है।
- **सफर (वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली):** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, इसका उद्देश्य महानगरों के लिए 1-3 दिनों के पूर्वानुमान और मौसम चेतावनियों के साथ वास्तविक समय में शहर और स्थान-विशिष्ट वायु गुणवत्ता डेटा प्रदान करना है।
- **टर्बो हैप्पी सीडर मशीन:** पंजाब सरकार और केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त मशीनें उपलब्ध हों, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण में एक महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता है।
- **कणिकीय पदार्थ (PM):** हवा में ठोस कणों और तरल बूंदों के मिश्रण को संदर्भित करता है, जिसमें धूल और कालिख जैसे दृश्य कण, साथ ही केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही पता लगाने योग्य सूक्ष्म कण शामिल हैं।
  - **पीएम को मुख्यत:** पीएम 10 में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें 10 माइक्रोमीटर या उससे छोटे आकार के साँस लेने योग्य कण शामिल होते हैं।
  - पीएम 2.5, जिसमें 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटे आकार के सूक्ष्म साँस लेने योग्य कण शामिल होते हैं।

डब्ल्यूएचओ वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता दिशानिर्देश नागरिकों के लिए एक वैश्विक लक्ष्य के रूप में कार्य करते हैं। इस दिशानिर्देश के अनुरूप क्षेत्रीय और नगरीय सरकारें वायु प्रदूषण को कम करके अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में काम करती हैं।

ब्लू ड्रैगन

स्पेन ने ब्लू ड्रैगन सी स्लग के आक्रमण के बाद समुद्र तटों को बंद कर दिया है। ये स्लग अपने विषैले डंक के कारण जन स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं।

परिचय

- इसे "ब्लू ड्रैगन" या ग्लौकस अटलांटिकस के नाम से जाना जाता है।
- गहरे और हल्के नीले रंग की धारियों से सुस्पष्ट रूप से अलंकृत,
- इसके तीन जोड़ी प्रतान-युक्त उपांग (tendril-tipped appendages) होते हैं जो पंखों की तरह फैले होते हैं। ये शरीर के नीचे की ओर बढ़ते हुए छोटे होते जाते हैं।
- नूडिब्रांच एक ऐसा रूप है जो उड़ता हुआ दिखता है।
- **वर्गिकी:** कुल ग्लौसीडे, वर्ग गैस्ट्रोपोडा
- **मांसाहारी और शिकारी:** उनका नीला और सफेद रंग उन्हें शिकारियों से छिपने में मदद करता है। ये पुर्तगाली मैन ओश वार, ब्लू बटन जेलीफिश और बाय-द-विंड सेलर जैसे जहरीले साइफोनोफोर्स खाते हैं। हालाँकि इनके डंक से इंसानों में गंभीर दर्द और लक्षण हो सकते हैं, लेकिन यह जानलेवा नहीं है।
- विश्व भर के गर्म समुद्री जल (अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागर) में पाए जाते हैं। ये पानी की सतह पर उल्टा तैरते हैं, उछाल के लिए हवा के बुलबुले का उपयोग करते हैं।
- ब्लू ड्रैगन कभी-कभी एक समूह में एक साथ तैरते हैं, जिसे "नीला बेड़ा" कहा जाता है। समूह का बड़ा आकार कभी-कभी उन्हें समुद्री हवाओं और ज्वार द्वारा किनारे पर बहा ले जाने का कारण बन सकता है।

रोजवुड ट्री

काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (IWST) के एक अध्ययन में पाया गया है कि तमिलनाडु में दक्षिण भारत में शीशम की लकड़ी का घनत्व सबसे कम है, और 2025 में शीशम (संरक्षण) अधिनियम, 1995 के समाप्त होने के बाद जोखिम बढ़ जाएगा। IWST (काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान) के एक अध्ययन में पाया गया है कि तमिलनाडु में दक्षिण भारत में शीशम की लकड़ी का घनत्व सबसे कम है, और 2025 में शीशम (संरक्षण) अधिनियम, 1995 के समाप्त होने के बाद जोखिम बढ़ जाएगा।

भारतीय रोजवुड (डालबर्गिया लैटिफोलिया) के बारे में

- इसे जंगलों का हाथीदांत भी कहा जाता है और इसकी समृद्ध बनावट, गहरे रंग और टिकाऊपन के लिए इसे महत्त्व दिया जाता है।
- शीशम की लकड़ी को लकड़ी के लिए महत्त्व दिया जाता है और यह मिट्टी, जैव विविधता और कार्बन भंडारण को बढ़ावा देता है। यह भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, जावा और इंडोनेशिया का मूल निवासी है।
- भारत में, यह बिहार से सिक्किम तक उप-हिमालयी क्षेत्र के साथ-साथ देश के मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी भागों में पाया जाता है।
- यह विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगता है, लेकिन अच्छी जल निकासी वाली, गहरी और नम मिट्टी में सबसे अच्छा पनपता है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
    - इसे CITES के परिशिष्ट II के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।
    - IUCN -सुभेद्य (2018 से)
    - **तमिलनाडु शीशम (संरक्षण) अधिनियम, 1995:** सरकारी अनुमति के बिना कटाई प्रतिबंधित।

सेना स्पेक्टेबिलिस

केरल के "वायनाड मॉडल" ने भारत में सर्वप्रथम विज्ञान आधारित एवं सामुदायिक नेतृत्व के साथ वायनाड वन्यजीव अभयारण्य में आक्रामक सेना स्पेक्टेबिलिस के उन्मूलन का प्रयास किया।

परिचय:

- सेना स्पेक्टेबिलिस को 1980 के दशक में केरल में छाया, सौंदर्यीकरण और जलाऊ लकड़ी के लिए लाया गया था। यह नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व में फैल गया है और स्थानीय पौधों और वन्यजीवों के लिए खाद्य स्रोतों को नष्ट कर रहा है।
- **मूल निवास स्थान:**
    - दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र (ब्राजील, पेरू, आदि)
    - **सजावटी उपयोग:** आमतौर पर इसके आकर्षक पीले फूलों के लिए लगाया जाता है (मार्ग और बगीचे के पेड़)।
- **भारत में आक्रामक प्रजाति:** इसे सजावटी पौधे के रूप में लाया गया था, लेकिन पश्चिमी घाट, केरल और अन्य क्षेत्रों में यह अत्यधिक आक्रामक हो गया है।
- **संबंधित चिंताएँ:** सेना स्पेक्टेबिलिस घने, बंजर झाड़ियों का निर्माण करती है, स्थानीय पौधों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, मिट्टी के रसायन विज्ञान को बदल देती है, और शाकाहारी जीवों को भोजन से वंचित कर देती है।
    - आंध्र प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में तेजी से इस वनस्पति का प्रसार देखा गया है।
    - संरक्षणवादियों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते इनसे निपटा नहीं गया, तो ये क्षेत्र दक्षिण भारत की ऐसी गम्भीर त्रुटियों को दोहरा सकते हैं।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स)

पर्यावरण मंत्रालय की पर्यावरण प्रभाव आकलन समिति (EAC) ने जैसलमेर स्थित बिरमानिया रॉक फॉस्फेट खदान के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) को मंजूरी दे दी है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) के संभावित आवास क्षेत्र में स्थित है।

परिचय

- जीआईबी विश्व के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है।
- जीआईबी भारत में पाई जाने वाली चार बस्टर्ड प्रजातियों में से एक है, जिसमें लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन और मैक्वीन बस्टर्ड भी शामिल हैं।
- जीआईबी सर्वाहारी है और सामने से देखने की क्षमता की कमी के कारण बिजली के तारों से टकराने का जोखिम बना रहता है।
- **आहार:** ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सर्वाहारी है और कीड़े, घास के बीज, जामुन, कृंतक और सरीसृप खाता है।
- **आवास और वितरण:** ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुष्क घास के मैदानों और खुले भूभागों में पाया जाता है, जो अब मुख्यत: राजस्थान में पाया जाता है और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में छोटे समूहों में पाया जाता है।
- गौरतलब है कि भारत में, शेष जंगली आबादी का 90% से अधिक हिस्सा यहीं पाया जाता है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
    - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची I
    - **IUCN:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त
    - **CITES:** परिशिष्ट I

फॉस्फेट रॉक:

- **परिचय:** यह उच्च फास्फोरस सामग्री वाली किसी भी चट्टान को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग मुख्यत: कृषि उर्वरकों के लिए किया जाता है।
    - यह एक आवश्यक तत्त्व है जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्त्व प्रदान करता है और उनकी वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है।
- **निर्माण:** फॉस्फेट चट्टान एक अवसादी चट्टान है जो लाखों वर्ष पूर्व समुद्र तल पर कार्बनिक पदार्थों के संचयन से बनी थी। अधिकांश फॉस्फेट चट्टान का खनन सतही खनन विधियों, जैसे खुले गड्ढे, ड्रैगलाइन और उत्खनन द्वारा किया जाता है।
- **वितरण:** फॉस्फेट रॉक के प्रमुख भंडार अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, कजाकिस्तान और मध्य पूर्व सहित कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सबसे बड़े भंडार मोरक्को में स्थित हैं, जो फॉस्फेट का एक प्रमुख वैश्विक उत्पादक भी है।
- भारत में, फॉस्फेट रॉक मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है।

पल्लास कैट

अरुणाचल प्रदेश में किए गए एक वन्यजीव सर्वेक्षण में राज्य में दुर्लभ पल्लास कैट का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य सामने आया है।

परिचय

- **नाम:** पल्लास बिल्ली (ओटोकोलोबस मैनुल)
- यह सबसे दुर्लभ और दुर्लभ जंगली बिल्लियों में से एक है, और सबसे कम अध्ययन की गई बिल्ली प्रजातियों में से एक है।
- **रंग-रूप:** इसका कोट आमतौर पर धूसर या हल्के भूरे रंग का होता है, लेकिन यह स्थानीय परिदृश्य में बेहतर ढंग से घुलने-मिलने के लिए मौसम के साथ रंग बदल सकता है।
- **वितरण:** अरुणाचल प्रदेश में इसके दस्तावेजीकरण से पूर्वी हिमालय (सिक्किम, भूटान और पूर्वी नेपाल) में इस प्रजाति के ज्ञात वितरण का विस्तार होता है।
    - ये तुर्कमेनिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, मंगोलिया और रूस में पाए जाते हैं।
- यह रात्रिचर और घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी है, अर्थात् यह कृंतक बिलों के निकास द्वार पर तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक उसका शिकार प्रकट न हो जाए।
- **आईयूसीएन स्थिति:** खतरे से बाहर

सरिस्का टाइगर रिजर्व

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सरिस्का टाइगर रिजर्व में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की सीमाओं में बदलाव के राजस्थान के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले जनता की आपत्तियों को आमंत्रित किया गया।

परिचय

- राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित।
- उत्तर भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध बाघ अभयारण्यों में से एक।
- **ऐतिहासिक समयरेखा:**
    - **स्वतंत्रता-पूर्व:** अलवर रियासत का शिकारगाह।
    - **1955:** वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित।
    - **1978:** भारत का 11वाँ बाघ अभयारण्य घोषित।
    - **1982:** सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य को सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में पुन: नामित किया गया।

भारत का पहला बाँस-आधारित इथेनॉल संयंत्र

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने असम बायोएथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया और असम के गोलाघाट स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र की आधारशिला रखी। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है।

बायोएथेनॉल के बारे में:

- यह एक उच्च-ऑक्टेन जैव ईंधन (C_2H_5OH) है जो मक्का, गन्ना, अनाज, बाँस और वनस्पति अवशेषों जैसे जैवभार से जैविक रूप से उत्पादित होता है।
- **इसका उपयोग मुख्यत:** गैसोलीन में योजक के रूप में किया जाता है, और अब इंजन शुद्ध इथेनॉल को जलाने में सक्षम हैं।
- उत्पादन के प्रमुख चरणों में शर्करा का किण्वन, स्टार्च या सेल्यूलोज का पूर्व-उपचार, आसवन और ईंधन-ग्रेड इथेनॉल के लिए निर्जलीकरण शामिल हैं।
- **आर्थिक प्रभाव:**
    - बायोएथेनॉल संयंत्र असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से वार्षिक तौर पर 5 लाख टन बाँस प्राप्त करेगा। इस परियोजना से स्थानीय किसानों और आदिवासी समुदायों को लाभ होगा और असम की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
    - भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन के बाद, बाँस को अब वृक्ष नहीं माना जाता है, जिससे उसकी कटाई पर प्रतिबंध हट गया है। यह परिवर्तन वन समुदायों और निजी उत्पादकों की आजीविका को सहारा देता है।
    - यह विकसित भारत दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और हरित ऊर्जा पहलों पर केंद्रित है, और इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है

इथेनॉल मिश्रण:

- इथेनॉल मिश्रण, इथेनॉल को गैसोलीन के साथ मिलाकर एक ईंधन मिश्रण बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं जिसका उपयोग आंतरिक दहन इंजनों में किया जा सकता है।
- इथेनॉल फीडस्टॉक्स में शर्करायुक्त कच्चे माल (गन्ना, गुड़, मीठा ज्वार, चुकंदर, आदि) या स्टार्चयुक्त कच्चे माल (टूटे हुए चावल, मक्का और कसावा) शामिल होते हैं।
- सरकार द्वारा 2018 में अधिसूचित 'जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति' में 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
- 2014 से सरकार के उत्साहजनक प्रदर्शन और विभिन्न हस्तक्षेपों को देखते हुए, 20% के लक्ष्य को 2025-26 तक बढ़ा दिया गया था।
- पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण पहले ही 20% के आंकड़े को पार कर चुका है, और अगला कदम इथेनॉल का उपयोग करके टिकाऊ विमानन ईंधन का उत्पादन करना होगा।

सिकाडा

केरल का साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, जो नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल) में एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, ने हाल ही में सिकाडा की वापसी की सूचना दी है।

परिचय:

- यह कीटों का एक विशिष्ट समूह है, जो मुख्यत: विश्व भर के गर्म और समशीतोष्ण बायोम में पाया जाता है।

- ये अपनी अनोखी ध्वनि (टिम्बल) के लिए जाने जाते हैं, जिसका उपयोग अक्सर साथी को आकर्षित करने के लिए किया जाता है।
- ये जैव-संकेतक के रूप में कार्य करते हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को दर्शाते हैं।
- वनों की कटाई, जलवायु तनाव और मानवीय हस्तक्षेप के कारण सिकाडा की संख्या में कथित तौर पर कमी आई है।
- **आवास:** अधिकांश सिकाडा वनों की छत्रछाया में रहते हैं और आमतौर पर बड़े पेड़ों वाले प्राकृतिक जंगलों में पाए जाते हैं।

कोआला (KOALAS)

ऑस्ट्रेलिया ने अपनी घटती कोआला आबादी को क्लैमाइडिया से बचाने के लिए पहले टीके को मंजूरी दे दी है।

परिचय

- कोआला (फास्कोलार्कटोस सिनेरियस) ऑस्ट्रेलिया का एक वृक्ष-निवासी धानी प्राणी है।
  - इसे अक्सर गलती से "कोआला भालू" कहा जाता है, लेकिन यह भालू नहीं, बल्कि एक धानी प्राणी (एक स्तनपायी जो अपने बच्चों को थैली में रखता है) है।
- **शारीरिक बनावट:** मोटा, मुलायम, धूसर या भूरा, जिसका निचला भाग हल्का होता है – जो ऊष्मा प्रदान करता है।
  - बड़ा और काला, तेज गंध की क्षमता वाला (नीलगिरी के पत्तों को पहचानने में मदद करता है)।
- **आवास एवं वितरण:**
  - **मुख्यत:** पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी ऑस्ट्रेलिया (क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया) में पाया जाता है।
- **आहार:** शाकाहारी – लगभग पूरी तरह से यूकेलिप्टस के पत्ते खाते हैं।
- **व्यवहार:** अधिकांशत: रात्रिचर और गतिहीन।
- **खतरे:** आवास के नुकसान, जलवायु परिवर्तन और जंगल की आग के साथ-साथ, कोआला की भेद्यता का एक प्रमुख कारण क्लैमाइडिया है।
- **IUCN लाल सूची:** सुभेद्य (Vulnerable)

यूस्टोमा फूल

सीएसआईआर-एनबीआरआई (राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान), लखनऊ ने ओडिशा के संबलपुर के सनातनपाली में एक पॉलीहाउस में पहली बार यूस्टोमा की खेती करके एक बड़ी सफलता हासिल की है।

यूस्टोमा (यूस्टोमा ग्रैंडिफ्लोरम) के बारे में:

- यूस्टोमा, जिसे लिसिएंथस या प्रेयरी जेंटियन भी कहा जाता है, जेंटियन परिवार का एक शाकीय वार्षिक पुष्प है।
- **कुल:** जेंटियानेसी
- **मूल क्षेत्र:** मेक्सिको और उत्तरी अमेरिका
- **खेती की आवश्यकताएँ:** यह उपजाऊ, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में, पूर्ण सूर्यप्रकाश के साथ उगता है।
  - इसे नियमित नमी की आवश्यकता होती है, लेकिन यह अधिक जल के प्रति संवेदनशील होता है।
- **मुख्य विशेषताएँ:** इसके विशाल गुलाब जैसे फूलों, लंबे तनों और लंबे फूलदानी जीवन के कारण हाल के वर्षों में इसकी बिक्री में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, जिससे इसे "नेक्स्ट रोज" का खिताब प्राप्त हुआ है।

पश्चिमी घाट में एस्परगिलस प्रजातियाँ

वैज्ञानिकों ने भारत के पश्चिमी घाट में दो नई काली एस्परगिलस कवक प्रजातियाँ, एस्परगिलस ढाकेफाल्करी और एस्परगिलस पेट्रीसियाविल्टशायरी की खोज की हैं।

शोध के बारे में:

- भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान, पुणे स्थित एमएसीएस-अघारकर अनुसंधान संस्थान (ARI) के वैज्ञानिकों ने एस्परगिलस सेक्शन निगरी से संबंधित दो नवीन कवक प्रजातियों की खोज की है, जिन्हें ब्लैक एस्परगिली भी कहा जाता है।
  - नई पहचानी गई प्रजातियों का नाम एस्परगिलस ढाकेफाल्करी और एस्परगिलस पेट्रीसियाविल्टशायरी रखा गया है।
- यूनेस्को विश्व धरोहर जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक महत्त्वपूर्ण स्थल पश्चिमी घाट से एकत्रित मिट्टी के नमूनों से दो काले एस्परगिलस, ए. एक्यूलेटिनस और ए. ब्रुनियोवियोलेसियस का यह पहला भौगोलिक रिकॉर्ड है।

प्रजाति की विशेषताएँ:

एस्परगिलस ढाकेफाल्करी:

- इसकी विशेषता तीव्र कॉलोनी वृद्धि है। यह हल्के से गहरे भूरे रंग के कोनिडिया और पीले-सफेद से पीले-नारंगी रंग के स्क्लेरोटिया भी उत्पन्न करता है।
- इसके एक-श्रेणीबद्ध कोनिडियोफोर दो से तीन स्तंभों में शाखाबद्ध होते हैं।
- इसने चिकनी-दीवार वाले, दीर्घवृत्ताकार कोनिडिया उत्पन्न किए हैं, जो इसे संबंधित प्रजातियों से अलग करते हैं जिनमें आमतौर पर गोलाकार, एकिनुलेट कोनिडिया होते हैं।
- एक जातिवृक्षीय अध्ययन ढाकेफाल्करी को ए. सैक्रोलिटिकस की एक सम्बद्ध प्रजाति (sister species) के रूप में दर्शाता है।

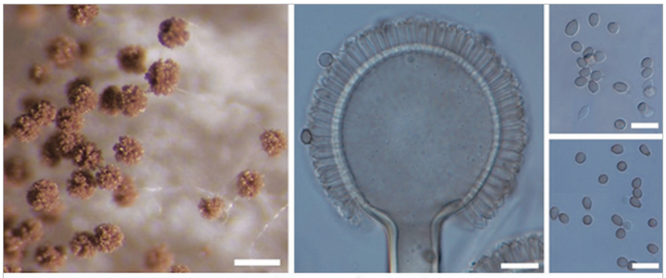

एस्परगिलस ढाकेफाल्करी

एस्परगिलस पेट्रीसियाविल्टशायरी:

- पेट्रीसियाविल्टशायरी भी सीजेपेक यीस्ट ऑटोलिसेट अगर (CYA) और माल्ट एक्सट्रैक्ट अगर (MEA) पर प्रचुर मात्रा में स्कलेरोशिया के साथ तेजी से बढ़ने वाली कॉलोनियों को प्रदर्शित करता है।
- यह विभिन्न माध्यमों में पीले-नारंगी रंग के स्क्लेरोटिया उत्पन्न करता है, हालाँकि इसमें मामूली बीजाणुजनन भी दिखाई देता है।
- इसमें इचिनुलेट कोनिडिया और यूनिसेरिएट कोनिडियोफोर होते हैं जो पाँच से अधिक स्तंभों में शाखाबद्ध होते हैं।
- एक फाइलोजेनेटिक अध्ययन में पाया गया कि पेट्रीसियाविल्टशायरी, जैपोनिकी शृंखला में ए. इंडोलोजेनस, ए. जैपोनिकस और ए. यूवरम से निकट रूप से संबंधित है।

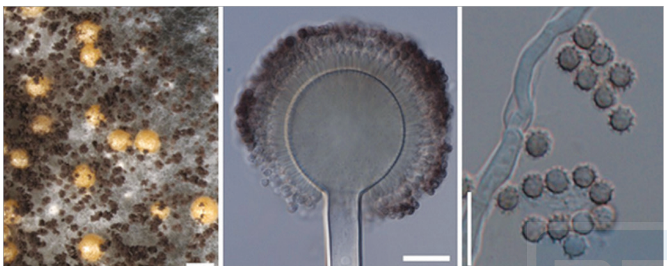

एस्परगिलस पेट्रीसियाविल्टशायरी

ब्लैक एस्परगिल:

- एस्परगिलस वंश तंतुमय कवकों के एक विविध समूह से बना है जो विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रों में सर्वत्र वितरित हैं और जिनका चिकित्सीय, औद्योगिक और पारिस्थितिक महत्त्व बहुत अधिक है।
- ब्लैक एस्परगिलस औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए विशेष रूप से साइट्रिक अम्ल उत्पादन, खाद्य कवक विज्ञान, किण्वन प्रौद्योगिकी और कृषि में उपयोगी माने जाते हैं। यह फॉस्फेट में घुलनशील है।

ओजोन छिद्र का विस्तार

अंटार्कटिका का ओजोन छिद्र 2025 तक 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर तक फैल जाएगा।

परिचय:

- यह कोई वास्तविक छिद्र नहीं है, बल्कि अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में गंभीर रूप से क्षीण ओजोन परत का एक क्षेत्र है, जो दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु (अगस्त-अक्टूबर) के दौरान होता है।
- इसका पहली बार वर्ष 1985 में पता चला था और यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC) और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HFC) जैसे हानिकारक पदार्थों के कारण होता है, जो ओजोन परत को पतला करते हैं और पृथ्वी पर हानिकारक यूवी विकिरण को बढ़ाते हैं।
- ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल, ज्वालामुखी विस्फोट (जैसे, 2023 में हंगा टोंगा), और जलवायु परिवर्तन (जो ध्रुवीय भंवर को मजबूत करता है) जैसे कारक ओजोन क्षरण को प्रभावित करते हैं।
- आर्कटिक में फाइटोप्लांकटन आवास बदलते यूवी जोखिम के कारण स्थानांतरित हो रहे हैं, जिससे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो रहे हैं।

ओजोन के बारे में

- ओजोन (O) तीन ऑक्सीजन परमाणुओं से बनी एक गैस है, जो वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है।
- समताप मंडल (पृथ्वी से 10-50 किमी ऊपर) में, यह "अच्छी ओजोन" परत बनाती है जो हानिकारक पराबैंगनी (UV) विकिरण को अवशोषित करके जीवन की रक्षा करती है।
- यह ओजोन प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित और नष्ट होती है, लेकिन CFC जैसे मानव निर्मित रसायनों से भी इसे नुकसान पहुँचता है, जिससे ओजोन का क्षरण होता है और पराबैंगनी विकिरण का जोखिम बढ़ता है।
- इसके विपरीत, जमीनी स्तर (क्षोभमंडल में) पर "बैड ओजोन" वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण और सूर्य के प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया के कारण बनती है।
- यह मनुष्यों और पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएँ और अस्थमा जैसी बीमारियाँ और गम्भीर हो जाती हैं।

येलो क्रिस्टेड कॉकटू

हाल ही में, पीली कलगी वाले कॉकटू (yellow-crested cockatoos) को हांगकांग के शहरी पार्कों में एक अप्रत्याशित आश्रय मिला है।

परिचय:

- यह विभिन्न प्रकार के जंगलों, झाड़ियों और कृषि क्षेत्रों में पाया जाता है।
- यह प्राथमिक वनों की बजाय सवाना जैसे खुले आवासों में पाया जाता है। यह इंडोनेशिया और पूर्वी तिमोर का मूल निवासी है।
- यह पेड़ों की खोहों में, अक्सर मृत या सड़ते हुए पेड़ों में, मौजूदा छिद्रों या दरारों का उपयोग करके घोंसला बनाता है।
- इसके आहार में कई पौधों की प्रजातियों के फल, फूल और पत्ते शामिल हैं।
- **IUCN लाल स्थिति:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered)

कदम्ब वृक्ष

यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय ने भारतीय प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर एक बरफ्लावर वृक्ष, जिसे आमतौर पर कदम्ब वृक्ष भी कहा जाता है, उपहार स्वरूप भेंट किया।

कदम्ब वृक्ष (नियोलामार्किया कदम्बा) के बारे में

- कदम्ब वृक्ष एक सदाबहार, उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाया जाता है। यह 45 मीटर तक ऊँचा हो सकता है।
- **विशिष्ट विशेषताएँ:** यह अपने सुगंधित नारंगी फूलों के लिए जाना जाता है जो घने, गोलाकार गुच्छों में खिलते हैं।

- **ऐतिहासिक संबंध:**
  - **कदंब राजवंश:** तालगुंडा शिलालेख के अनुसार, इस वृक्ष का नाम कदंब राजवंश के नाम पर पड़ा, जिसने वर्तमान कर्नाटक के बनवासी से 345 ईस्वी से 525 ईस्वी तक शासन किया था।
  - कदंब राजवंश द्वारा इस वृक्ष को एक पवित्र वृक्ष माना जाता था।
  - **अथमालिक राज्य चिह्न:** कदंब पुष्प ब्रिटिश राज के दौरान अथमालिक रियासत का प्रतीक था।

हंगुल हिरण

एक कश्मीरी परिवार की तीन पीढ़ियाँ दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल हिरणों के संरक्षण में लगी हुई हैं।

परिचय:

- इसे कश्मीरी हिरण के नाम से भी जाना जाता है और यह मध्य एशियाई लाल हिरण की एक उप-प्रजाति है जो कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है।
- **आवास और वितरण:** यह पर्णपाती वनों, अल्पाइन घास के मैदानों और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करता है, सर्दियों में ओक, शहतूत और नदी के किनारे के आवासों को पसंद करता है, और बेहतर भोजन उपलब्धता के लिए गर्मियों में ओक-शंकुधारी जंगलों को पसंद करता है।
  - यह कभी हिमालय, चिनाब घाटी और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाया जाता था, लेकिन अब यह दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान (कश्मीर) में मौजूद है।
- **खतरे:** हंगुल की संख्या में कमी मुख्यत: अवैध शिकार, विद्रोहियों, चरवाहों और पशुधन प्रतिस्पर्धा के कारण आवास पर दबाव के कारण है।
- **आईयूसीएन रेड लिस्ट स्थिति:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered)

स्मॉग-ईटिंग फोटोकैटेलिटिक कोटिंग्स

दिल्ली सरकार सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थानों पर "स्मॉग-ईटिंग" फोटोकैटेलिटिक कोटिंग्स के उपयोग पर एक समयबद्ध व्यवहार्यता अध्ययन कराने जा रही है।

परिचय:

- स्मॉग ईटिंग फोटोकैटेलिक कोटिंग का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2) और हानिकारक हाइड्रोकार्बन को कम करना है, जिससे वायु और जल की गुणवत्ता में सुधार होता है।
- ये कोटिंग्स शहरी वातावरण के लिए डिजाइन की गई हैं ताकि NO_2 और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOCs) को विघटित करके वायु प्रदूषण को कम किया जा सके।
- इन कोटिंग्स में ऐसे पदार्थ होते हैं, जिनमें सबसे आम टाइटेनियम डाइऑक्साइड (TiO_2) होता है, जो एक प्रकाश उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
  - **प्रकाश (मुख्यत:** पराबैंगनी) के संपर्क में आने पर, TiO_2 सक्रिय हो जाता है और रासायनिक अभिक्रियाएँ शुरू करता है जो वायु में मौजूद प्रदूषकों को विघटित कर देती हैं। यह उन्हें पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रेट यौगिकों जैसे हानिरहित उप-उत्पादों में परिवर्तित कर देता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने अपना 51वाँ स्थापना दिवस मनाया।

परिचय:

- यह एक वैधानिक संगठन है जिसकी स्थापना सितंबर 1974 में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत की गई थी और बाद में इसे वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत सशक्त बनाया गया।
- यह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण मंत्रालय को भी सहायता प्रदान करता है।
- सीपीसीबी के प्राथमिक कार्यों में जल निकायों की स्वच्छता को बढ़ावा देना और प्रदूषण को रोककर एवं नियंत्रित करके वायु गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है।
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु, सीपीसीबी राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम (NAMP) चलाता है ताकि प्रदूषण के रुझानों पर नजर रखी जा सके और नियोजन एवं औद्योगिक विनियमन में सहायता की जा सके।
- यह आईटीओ, नई दिल्ली में एक स्वचालित वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र भी संचालित करता है, जो नियमित रूप से प्रदूषकों को मापता है।

हाई सी ट्रीटी

बीबीएनजे (राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता) संधि 60 अनुसमर्थनों के बाद 2026 में लागू होगी, जिस पर भारत सहित 143 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं।

BBNJ संधि के बारे में

- यह संयुक्त राष्ट्र की हाई सी ट्रीटी है। इसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग पर UNCLOS के अंतर्गत एक समझौते (BBNJ) के रूप में जाना जाता है।
  - यह समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) पर आधारित है, जिसे अक्सर 'महासागरों के लिए संविधान' के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसे वर्ष 1982 में अपनाया गया था और ये वर्ष 1994 से प्रभावी है।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्रों से परे, उच्च सागरों में जैव विविधता की रक्षा करना है और यह 2030 तक 30% भूमि और समुद्र के संरक्षण के कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचे के लक्ष्य का समर्थन करता है।

- वर्तमान में, केवल 1.44% उच्च सागर किसी न किसी प्रकार के संरक्षण में हैं।
- **यह निम्नलिखित के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम स्थापित करता है:**
  - अंतर्राष्ट्रीय जल में समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPA) बनाना; वर्तमान में, महासागर का 6.35% भाग संरक्षित है, जिसमें से केवल 1.89% को नो-टेक एमपीए के रूप में नामित किया गया है, जहाँ निष्कर्षण गतिविधियाँ निषिद्ध हैं।
  - समुद्री आनुवंशिक संसाधनों (MGR) से प्राप्त लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करना;
  - गहरे समुद्र में खनन और कार्बन पृथक्करण जैसी गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) को अनिवार्य बनाना।

समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) के अंतर्गत समुद्री क्षेत्र और पक्ष

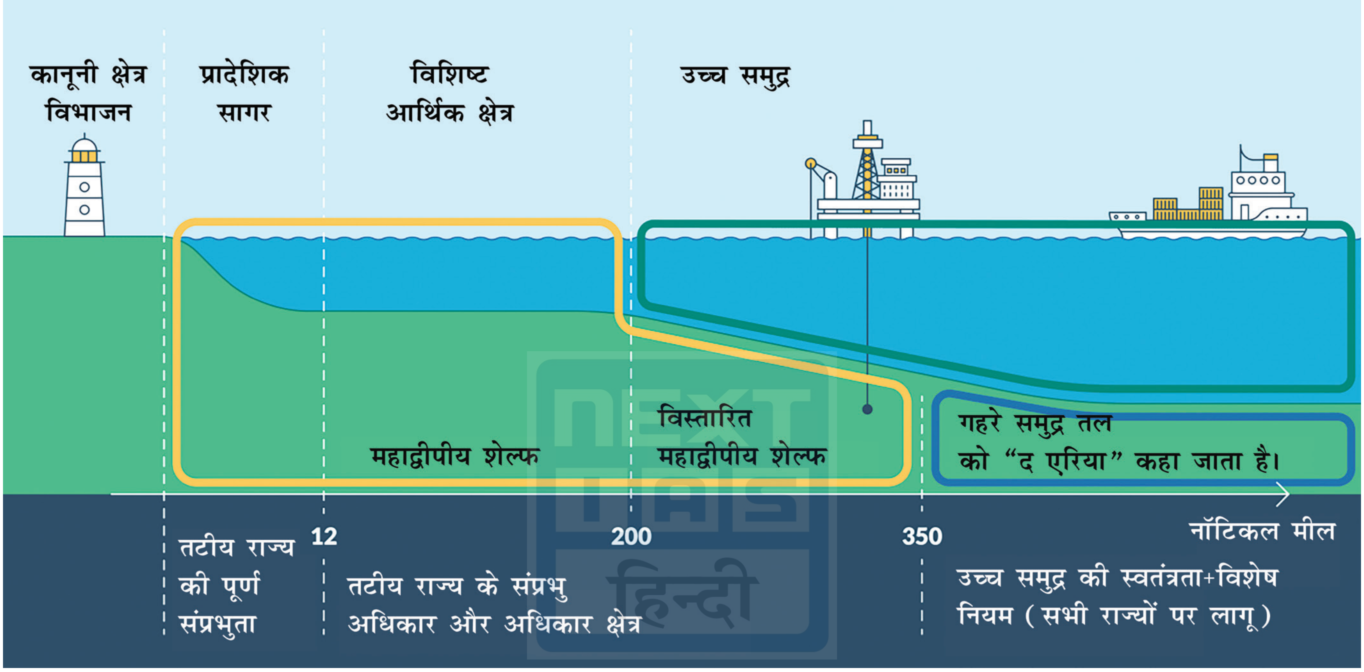

मिशन मौसम

राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (NCMRWF) और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) ने मिशन मौसम के अंतर्गत दिल्ली/एनसीआर और चेन्नई में दो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क (DBNet) स्टेशन स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क (डीबीनेट) के बारे में:

- यह एक वैश्विक परिचालन ढाँचा है जिसे निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) उपग्रहों से उपग्रह डेटा के वास्तविक समय अधिग्रहण के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान (NWP) में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मौसम पूर्वानुमान, चक्रवात निगरानी और जलवायु अनुसंधान सहित अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है।
- यह उपग्रह संकेतों को मिनटों में सीधे संसाधित करके त्वरित डेटा उपलब्धता सुनिश्चित करता है, जिससे मौसम पूर्वानुमान और सेवाओं की सटीकता और समयबद्धता में सुधार होता है।

मिशन मौसम

- सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत, यह भारत को "मौसम के प्रति तैयार (Weather Ready)" और "क्लाइमेट स्मार्ट" बनाने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ₹2,000 करोड़ की पहल है।

लक्ष्य

- भारत के मौसम पूर्वानुमान को अल्पकालिक, मध्यम अवधि, विस्तारित अवधि और मौसमी पैमानों पर बेहतर बनाना। अधिक सटीक मानसून पूर्वानुमानों के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन मॉडल विकसित करना।
- उन्नत राडार, उपग्रहों और स्वचालित मौसम केंद्रों का उपयोग करके अवलोकन नेटवर्क को मजबूत बनाना।

भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल

वी फाउंडेशन इंडिया ने गुवाहाटी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर 2 सितंबर 2025 को गिद्ध नेटवर्क लॉन्च किया, जो डेटा, जागरूकता और नेटवर्किंग के लिए भारत का पहला क्लाउड-आधारित गिद्ध संरक्षण पोर्टल है।

गिद्धों के बारे में:

- ये बड़े, सामाजिक शिकारी पक्षी हैं जो अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं।
- इनकी 23 प्रजातियाँ अमेरिका के नई विश्व के गिद्धों और यूरोप, एशिया और अफ्रीका के पुरानी विश्व के गिद्धों में विभाजित हैं।

भारत में गिद्धों की स्थिति:

- भारत में जंगली गिद्धों की नौ प्रजातियाँ पाई जाती हैं और उनकी IUCN लाल सूची में स्थिति नीचे दी गई है:

भारत में गिद्धों की स्थिति

भारत में जंगली गिद्धों की नौ प्रजातियाँ पाई जाती हैं और उनकी आईयूसीएन रेडलिस्ट की स्थिति नीचे दी गई है:

गिद्ध प्रजाति का नाम	IUCN रेड लिस्ट	गिद्धों के संरक्षण की स्थिति
व्हाइट- रम्पड वल्चर (जिप्स बंगालेंसिस) 	क्रिटिकली इंडेन्जर्ड	**वन्यजीव संरक्षण अधिनियम,1972:** अनुसूची I **साइट्स:** अनुसूची II
इंडियन वल्चर (जिप्स इंडिकस) 	क्रिटिकली इंडेन्जर्ड	**वन्यजीव संरक्षण अधिनियम,1972:** अनुसूची I **साइट्स:** अनुसूची II
स्लेंडर बिल्ड वल्चर (जिप्स टेनुइरोस्ट्रिस) 	क्रिटिकली इंडेन्जर्ड (कुल संख्या -730-870)	**वन्यजीव संरक्षण अधिनियम,1972:** अनुसूची I **साइट्स:** अनुसूची II
रेड हेडेड वल्चर (सार्कोजिप्स कैल्वस) 	क्रिटिकली इंडेन्जर्ड	**वन्यजीव संरक्षण अधिनियम,1972:** अनुसूची I **साइट्स:** अनुसूची II
हिमालयी ग्रिफॉन (जिप्स हिमालयेंसिस) 	नियर थ्रेटेंड	**वन्यजीव संरक्षण अधिनियम,1972:** अनुसूची I **साइट्स:** अनुसूची II
सिनेरियस गिद्ध (एजिपियस मोनाचस) 	नियर थ्रेटेंड	**वन्यजीव संरक्षण अधिनियम,1972:** अनुसूची I **साइट्स:** अनुसूची II
यूरेशियन ग्रिफॉन (जिप्स फुल्वस) 	लीस्ट कन्सर्न (लेकिन संख्या घट रही है)	**वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची I **साइट्स:** अनुसूची II
इजिप्टियन वल्चर (नियोफ्रॉन पर्कनोप्टेरस) 	इंडेन्जर्ड	**वन्यजीव संरक्षण अधिनियम,1972:** अनुसूची I **साइट्स:** अनुसूची II
बीयर्डेड वल्चर (जिपेटस बार्बेटस) 	नियर थ्रेटेंड	**वन्यजीव संरक्षण अधिनियम,1972:** अनुसूची I **साइट्स:** अनुसूची II

खतरे:

- **शव विषाक्तता:** कीटनाशक, कीटनाशकों से सने शव गिद्धों के जीवन पर संकट उत्पन्न करते हैं।
- **पशु चिकित्सा दवाएँ:** डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक, कीटोप्रोफेन आदि दवाओं के कारण गिद्धों की किडनी खराब हो जाना।
- **आवास की हानि और भोजन की कमी:** जंगली खुर वाले जानवरों और शवों के ढेरों में कमी।
- **नकारात्मक सामाजिक धारणाएँ:** गिद्धों को गंदे/मैला ढोने वाले के रूप में देखा जाता है।
- **बिजली का झटका और टक्कर:** बिजली की लाइनें और पवन टर्बाइन के कारण जोखिम।

NEXT IAS हिन्दी

भारत में संरक्षण उपाय:

- **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL):** गिद्धों को प्राथमिकता वाली प्रजातियों के रूप में पहचाना गया।
- **राष्ट्रीय गिद्ध कार्य योजना (2020-2025):**
  - गिद्धों के लिए हानिकारक पशु चिकित्सा दवाओं पर प्रतिबंध लगाना।
  - बंदी प्रजनन और विमोचन कार्यक्रम स्थापित करना।
  - कई राज्यों में गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र (VSZ) बनाना।
- **औषधि विनियमन:** डाइक्लोफेनाक के पशु चिकित्सा उपयोग पर प्रतिबंध (2006), डाइक्लोफेनाक और कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगाना।
- **प्रजनन केंद्र की स्थापना:** पिंजौर (हरियाणा), रानी (असम), बक्सा (पश्चिम बंगाल), सतपुड़ा (मध्य प्रदेश), हैदराबाद (तेलंगाना), जूनागढ़ (गुजरात)। **नोट: गिद्ध संरक्षण के प्रयास - सेव (SAVE -एशिया के गिद्धों को विलुप्त होने से बचाने का प्रयास) :** यह भारत, नेपाल, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश जैसे देशों के मध्य क्षेत्रीय साझेदारी है।

भारत का पहला डुगोंग अभ्यारण्य

तमिलनाडु के पाक खाड़ी में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण अभ्यारण्य को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल गई है, जब अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव संघ (IUCN) ने अबू धाबी में आयोजित विश्व संरक्षण सम्मेलन 2025 में औपचारिक रूप से इसके समर्थन हेतु एक प्रस्ताव पारित किया।

डुगोंग संरक्षण अभ्यारण्य के बारे में

- इसकी स्थापना वर्ष 2022 में तमिलनाडु सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत की गई थी। यहाँ 12,250 हेक्टेयर समुद्री घास के मैदान हैं, जो डुगोंग के लिए महत्त्वपूर्ण चारागाह हैं।

डुगोंग के बारे में

- डुगोंग एक विशाल, शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में, हिंद और प्रशांत महासागरों के गर्म तटीय जल सहित, पाया जाता है।
- भारत में, डुगोंग मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं।
- वे आवास और भोजन दोनों के लिए समुद्री घास के मैदानों पर अत्यधिक निर्भर हैं, और गर्म, उथली खाड़ियों या मैंग्रोव चौनलों को पसंद करते हैं।
- प्रमुख खतरों में आवास क्षरण, विनाशकारी मछली पकड़ने की प्रथाएँ, शिकार और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - **IUCN लाल सूची:** सुभेद्य
  - **भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** अनुसूची ।

गैंडे की स्थिति पर रिपोर्ट

अंतर्राष्ट्रीय गैंडा फाउंडेशन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर गैंडों की संख्या लगभग 27,000 पर स्थिर हो गई है, जो एक सदी पहले 5,00,000 थी।

गैंडे के बारे में:

- ये बड़े, शाकाहारी स्तनधारी हैं जिन्हें उनके विशिष्ट सींग वाले थूथन से पहचाना जा सकता है। गैंडे एक प्रमुख मेगाफौना प्रजाति हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
- **प्रकार:**
  - एशिया और अफ्रीका में पाँच गैंडे प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
  - इनमें दो अफ्रीकी गैंडे प्रजातियाँ शामिल हैं - काले और सफेद गैंडे।
  - शेष तीन एशियाई गैंडे की प्रजातियाँ हैं, जिनमें बड़े एक-सींग वाले, सुमात्रा और जावन गैंडे शामिल हैं।
- **आवास:** उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, सवाना और झाड़ीदार भूमि, उष्णकटिबंधीय नम वन, रेगिस्तान और झाड़ीदार भूमि।
- **खतरे:** अवैध शिकार, आवास का नुकसान, जनसंख्या विखंडन और जलवायु परिवर्तन गैंडों को और अधिक जोखिम में डालते हैं।

गैंडों के बारे में महत्त्वपूर्ण तथ्य

प्रजाति	मूल स्थान (उत्पत्ति)	आवास	आईयूसीएन स्थिति	महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ
काला गैंडा (डिसेरोस बाइकोर्निस)	उप-सहारा अफ्रीका - नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, तंजानिया।	शुष्क और अर्ध-शुष्क सवाना, घास के मैदान, झाड़ीदार भूमि।	क्रिटिकली इंडेन्जर्ड	टहनियों/पत्तियों को चरने के लिए हुक के आकार का पकड़ने वाला ऊपरी होंठ। प्रमुख ब्राउजर प्रजातियाँ → झाड़ियों के अतिक्रमण को रोकती हैं।
सफेद गैंडा (सेराटोथेरियम सिमम)	अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी भाग- दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना।	घास के मैदान और सवाना पारिस्थितिकी तंत्र।	नियर थ्रेटेंड (दक्षिणी सवाना क्षेत्र) कार्यात्मक रूप से विलुप्त (उत्तरी सवाना क्षेत्र)	चरने के लिए अनुकूलित चौकोर आकार का चौड़ा मुँह। सबसे बड़ी जीवित गैंडा प्रजाति; हाथियों के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी।

ग्रेटर एक सींग वाला गैंडा (राइनोसॉर्स यूनिकॉर्निस)	भारत (असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश) और नेपाल (तराई घास के मैदान)।	बाढ़ के मैदान, घास के मैदान, दलदल, नदी के किनारे के जंगल।	वल्नरेबल	एक सींग (25–60 सेमी)। कवच-युक्त त्वचा की तहें। काजीरंगा (भारत) और चितवन (नेपाल) की प्रमुख प्रजातियाँ। भारतीय गैंडा विजन 2020 के अंतर्गत संरक्षण में सफलता। सबसे छोटा और सबसे अधिक बालों वाला गैंडा।
सुमात्रन गैंडा (डिसेरोरिनस सुमाट्रेन्सिस)	इंडोनेशिया – सुमात्रा, बोर्नियो (पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में)।	घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दलदल, उच्चभूमि के जंगल।	क्रिटिकली इंडेन्जर्ड	सबसे छोटा और सबसे अधिक बालों वाला गैंडा। दो सींग; घने वन क्षेत्र की आवश्यकता। अत्यधिक विखंडित जनसंख्या → आनुवंशिक चुनौतियाँ। "एशियन वूली राइनो" उपनाम।
जावन गैंडा (राइनोसॉर्स सोंडाइकस)	कभी इनकी उपस्थिति व्यापक तौर पर देखी जा सकती थी – जावा, सुमात्रा, भारत, दक्षिण पूर्व एशिया। **वर्तमान सीमा:** केवल उजंग कुलोन राष्ट्रीय उद्यान, इंडोनेशिया में।	उष्णकटिबंधीय निचले वर्षावन	क्रिटिकली इंडेन्जर्ड	सभी गैंडों में सबसे छोटा सींग (शायद ही कभी 25 सेमी से अधिक)। सबसे संकटग्रस्त प्रजाति, एक ही स्थान तक सीमित। बेहद शर्मीला और छिपने में असमर्थ। उजंग कुलोन संरक्षण के कारण इसका अस्तित्व काफी हद तक बचा है।

5 भूगोल

अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज

ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने अंडमान द्वीप समूह के पास एक महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक गैस खोज की सूचना दी है और इस क्षेत्र में पहली बार हाइड्रोकार्बन की पुष्टि हुई है।

परिचय:

- **प्राकृतिक गैस एक स्वच्छ दहनशील जीवाश्म ईंधन है जो मुख्यत:** मीथेन (CH4) से बना है, जो पृथ्वी की सतह के नीचे लाखों वर्षों से पौधों और जंतुओं के अपघटन से बनता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक देश है, उसके बाद रूस का स्थान है। अन्य प्रमुख उत्पादकों में ईरान, चीन और कनाडा शामिल हैं।

अंडमान बेसिन की हाइड्रोकार्बन क्षमता

- **हाइड्रोकार्बन संसाधन मूल्यांकन अध्ययन:** अंडमान बेसिन में 371 MMTOE (मिलियन मीट्रिक टन तेल समतुल्य) का अनुमान है।
- गौरतलब है कि अंडमान बेसिन बंगाल-अराकान तलछटी प्रणाली का हिस्सा है। भारतीय और बर्मी प्लेटों की विवर्तनिक सीमा पर स्थित होने के कारण हाइड्रोकार्बन संचय के लिए अनुकूल स्ट्रेटीग्राफिक ट्रैप का निर्माण होता है।
- उत्तरी सुमात्रा (इंडोनेशिया) और इरावदी-मार्गुई (म्यांमार) में पहले मिली गैस की खोजें अंडमान में भी इसी तरह की क्षमता का संकेत देती हैं।

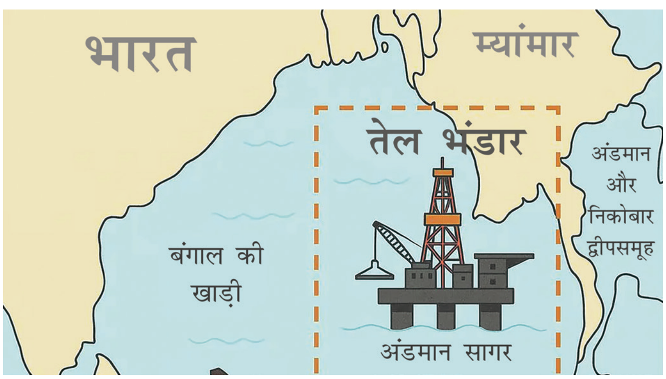

गैस अन्वेषण के लिए सरकारी पहल

- **हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (HELP), 2016:** अन्वेषण और उत्पादन के लिए एक समान लाइसेंस; ओपन एकरेज लाइसेंसिंग नीति (OALP) की शुरुआत की गई।
- **राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन:** अपतटीय भंडारों का दोहन करने के लिए बड़ी संख्या में गहरे जल कुओं की खुदाई पर केंद्रित।
- **राष्ट्रीय डेटा संग्रह और राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम:** अन्वेषकों के लिए डेटा तक पहुँच में वृद्धि।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति:** स्वचालित मार्ग के अंतर्गत प्राकृतिक गैस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति।

माचू पिच्चू

विरोध प्रदर्शनों के कारण यात्री रेल सेवाएँ स्थगित होने से पेरू के प्राचीन इंका गढ़ माचू पिच्चू के पास लगभग 900 पर्यटक फंस गए हैं।

परिचय:

- माचू पिच्चू, दक्षिणी पेरू के पूर्वी कॉर्डिलेरा में स्थित 15वीं शताब्दी का इंका गढ़ है, जो समुद्र तल से 2,430 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है।
- इसे अक्सर "इंकाओं का खोया हुआ शहर" कहा जाता है, और यह इंका सभ्यता के सबसे प्रतिष्ठित प्रतीकों में से एक है।
- शास्त्रीय इंका शैली में निर्मित, इसकी उल्लेखनीय संरचनाओं में सूर्य मंदिर, तीन खिड़कियों वाला मंदिर और इंतिहुआताना पत्थर शामिल हैं।
- **मान्यताएँ:** वर्ष 1981 में पेरू द्वारा राष्ट्रीय ऐतिहासिक अभयारण्य घोषित। वर्ष 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित।

सुपर टाइफून रागासा

वर्ष 2025 के सबसे तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से एक, सुपर टाइफून रागासा की अधिकतम गति 280 किमी प्रति घंटा थी, जिसका असर हांगकांग क्षेत्र पर पड़ा।

परिचय

- सुपर टाइफून एक बहुत ही प्रचंड तूफान होता है, जो श्रेणी 5 के तूफान के बराबर होता है और इसकी हवाएँ 253 किमी/घंटा (157 मील प्रति घंटे) की रफ्तार से चलती हैं।
  - सुपर टाइफून सहित टाइफून आमतौर पर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में, चीन, जापान और फिलीपींस जैसे स्थानों के पास बनते हैं।
- सुपर टाइफून जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म-कोर वाले निम्न-दाब तंत्र होते हैं जो समुद्र की सतह के पास एक सर्पिल अंतर्वाह और वायुमंडल के ऊपरी स्तरों पर एक सर्पिल बहिर्वाह प्रदर्शित करते हैं।
- ये आमतौर पर घूर्णन के लिए आवश्यक कोरिओलिस बल का लाभ उठाने के लिए भूमध्य रेखा से 5° से अधिक दूर अक्षांशों पर विकसित होते हैं।

क्षेत्रवार उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए शब्दावली

- **हरिकेन:** उत्तरी अटलांटिक, पूर्वी उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत महासागरों में होता है।
- **चक्रवात:** हिंद महासागर में पाया जाता है।

- **टाइफून:** पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में विकसित होता है।
- **विली-विली:** ये दक्षिणी हिंद महासागर के पूर्वी भाग में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए प्रयुक्त शब्द है।

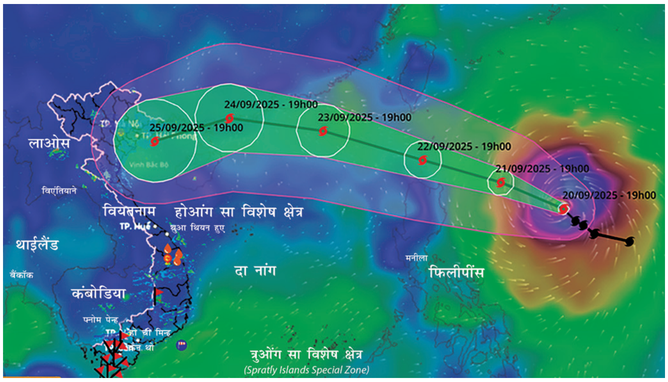

तिराह घाटी

पाकिस्तानी वायु सेना ने खैबर पख्तूनख्वा की तिराह घाटी के गाँवों पर आठ एलएस-6 सटीक-निर्देशित ग्लाइड बम दागे।

परिचय :

- **स्थान:** तिराह घाटी, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक पहाड़ी और रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।
  - यह पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा के पास स्थित है।
  - यह खैबर दर्रे और खानकी घाटी के बीच स्थित है और खैबर तथा ओरकजई जिलों में फैला हुआ है।
- **जनजातीय निवासी:** इस घाटी में मुख्य रूप से अफरीदी और ओरकजई पश्तून जनजातियाँ निवास करती हैं।
- **भू-भाग:** यहाँ का भूभाग ऊबड़-खाबड़ और पहाड़ी है, जिसमें मैदान, राजगुल, वारन, बारा और मस्तूरा सहित कई उप-घाटियाँ हैं।

लघु बादल फटना

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा है कि बादल फटने की घटनाओं में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन लघु बादल फटने ($\geq$5 सेमी वर्षा/घंटा) की घटनाएँ बढ़ रही हैं।

परिचय:

- **बादल फटना:** 20-30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक घंटे में 10 सेमी या उससे अधिक की भारी वर्षा।
- **लघु-बादल फटना:** एक घंटे में 5 सेमी या उससे अधिक की वर्षा।
- **पूर्वानुमान:** आईएमडी का कहना है कि मौजूदा तकनीक से ऐसी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना वर्तमान में असंभव है।

विशेषताएँ:

- पूर्ण बादल फटने की तुलना में ये अधिक बार होते हैं। कम दूरी की भविष्यवाणी संभव नहीं है; केवल भारी बादलों या बारिश का पूर्वानुमान ही संभव है।
- दूरदराज के इलाकों में अक्सर जमीनी केंद्रों की कमी के कारण इनका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है, और उपग्रह से प्राप्त चित्र सीमित सटीकता प्रदान करते हैं।

चन्द्र ग्रहण

7 सितंबर 2025 की रात को पूर्ण चंद्र ग्रहण हुआ, जिसके दौरान चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में चला गया।

परिचय:

- चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुँच पाता। यह केवल पूर्णिमा के दौरान ही हो सकता है। चंद्र ग्रहण को पृथ्वी से रात में देखा जा सकता है।
- **चंद्र ग्रहण तीन प्रकार के होते हैं:**
  - **पूर्ण चंद्र ग्रहण:** चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाता है, और पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर आने वाले सूर्य के प्रकाश के कारण लाल दिखाई देता है।
  - **आंशिक चंद्र ग्रहण:** चंद्रमा का केवल एक भाग पृथ्वी की छाया में आता है; दृश्यता सूर्य-पृथ्वी-चंद्रमा के संरेखण पर निर्भर करती है।
  - **उपच्छाया चंद्र ग्रहण:** चंद्रमा पृथ्वी की बाहरी छाया (पेनम्ब्रा) से होकर गुजरता है।

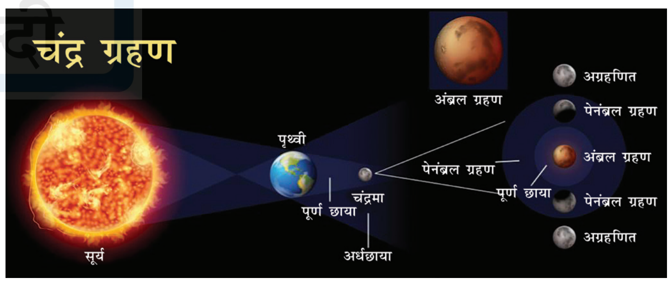

ब्लड मून

- **परिभाषा:** पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल या तांबे के रंग का दिखाई देता है।
- **आवृत्ति:** पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान वर्ष में 2-3 बार होता है।
- **रंग का कारण:** पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य के प्रकाश को अपवर्तित करता है, जिससे छोटी नीली तरंगदैर्ध्य बिखर जाती हैं। लाल और नारंगी तरंगदैर्ध्य चंद्रमा से होकर गुजरते हैं और उस पर पड़ते हैं, जिससे उसका रंग गहरा लाल या लाल-नारंगी हो जाता है।

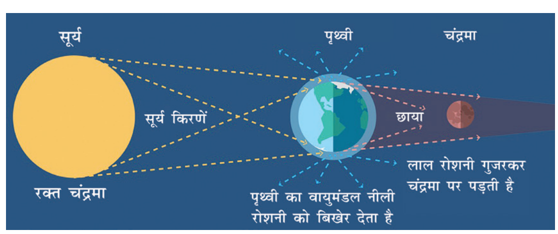

6 आंतरिक सुरक्षा

भारत में एपीके (APK) धोखाधड़ी

भारत में 2021 और 2025 के बीच साइबर अपराध के मामलों में 900% की वृद्धि देखी गई है। इस वृद्धि का एक प्रमुख कारण APK धोखाधड़ी है, जहाँ दुर्भावनापूर्ण एंड्रॉइड ऐप्स का उपयोग अनजान उपयोगकर्ताओं से पैसे और संवेदनशील डेटा चुराने के लिए किया जाता है।

परिचय:

- एपीके (एंड्रॉइड पैकेज किट) एंड्रॉइड पर ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फाइल फॉर्मेट है, जो विंडोज में .exe फाइलों के समान है।
- एपीके धोखाधड़ी में, साइबर अपराधी नकली ऐप डिजाइन करते हैं जो बैंक, पीएम-किसान, बिजली बोर्ड या टैक्स रिफंड वेबसाइटों जैसे आधिकारिक पोर्टलों के समान दिखते हैं।
- ये दुर्भावनापूर्ण ऐप मुख्य रूप से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सोशल मीडिया और डार्क वेब के माध्यम से फैलते हैं।

यह कैसे काम करता है?

- पीड़ित को ऐप डाउनलोड करने के लिंक के साथ एक फर्जी जरूरी कॉल या संदेश मिलता है।
- ऐप आसानी से इंस्टॉल हो जाता है और अनुमति (संपर्क, एसएमएस, सूचनाएँ, स्थान) माँगता है।

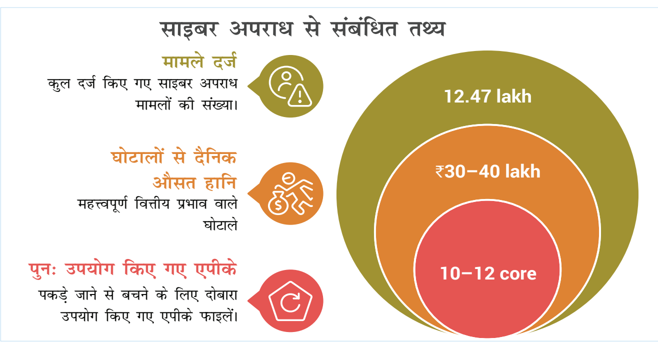

- इंस्टॉल होने के पश्चात्, यह पृष्ठभूमि में रन करता रहता है और बैंकिंग विवरण, ओटीपी, संपर्क और स्थान से सम्बंधित डेटा चोरी करता है।
- चोरी का पैसा खच्चर खातों और क्रिप्टोकरेंसी चौनलों के माध्यम से भेजा जाता है, जिससे उसकी वसूली लगभग असंभव हो जाती है।

आईएनएस अरावली

भारतीय नौसेना ने अपने सूचना एवं संचार बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने के लिए गुरुग्राम में अपना नया बेस, आईएनएस अरावली, शुरू कर दिया है।

परिचय:

- **स्थान:** हरियाणा के गुरुग्राम में, तट से दूर स्थित, इस बेस को एक प्रौद्योगिकी और संचार केंद्र के रूप में डिजाइन किया गया है।
- **कार्य:** यह नौसैनिक प्लेटफार्मों, तटीय इकाइयों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को जोड़कर सूचना प्रवाह, नेटवर्क-केंद्रित संचालन और समुद्री क्षेत्र जागरूकता में सहायता करेगा।
- **महत्त्व:** ये आधुनिक युद्ध के लिए आवश्यक सुरक्षित और लचीली संचार प्रणालियाँ विकसित करने के नौसेना के प्रयासों का एक हिस्सा है।
- **प्रभाव:** यह परिचालन तत्परता को बढ़ाता है और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना को मजबूत करता है।

मणिपुर में ऑपरेशन निलंबन (SoO) समझौता

केंद्रीय गृह मंत्रालय और मणिपुर सरकार ने राज्य में शांति बहाल करने के लिए कुकी-जो विद्रोही समूहों के साथ एक नए एसओओ समझौते पर हस्ताक्षर किए।

पृष्ठभूमि

- कुकी-जो काउंसिल (KZC) ने लोगों और सामानों की मुक्त आवाजाही के लिए एनएच-2 (इम्फाल-दीमापुर राजमार्ग) खोलने पर सहमति जताई।
- हालाँकि, मैतेई नागरिक समाज समूह COCOMI ने इस समझौते का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह मैतेई हितों को कमजोर करता है और संचालन निलंबन (SoO) समझौते को समाप्त करने के 2023 के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के विरुद्ध है।
- सीओसीओएमआई का दावा है कि कुकी-जो समूह अभी भी हिंसक और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हैं।

एसओओ संधि के बारे में:

- एसओओ सरकार और विद्रोही समूहों के बीच एक युद्धविराम समझौता है।
- इस संधि के अंतर्गत, समूहों को हिंसा रोकनी होगी, निर्दिष्ट शिविरों में रहना होगा और शांति वार्ता जारी रहने तक बुनियादी सरकारी सहायता प्राप्त करनी होगी।

नई संधि के प्रावधान

- कुकी-जो समूह अपने शिविरों को राजमार्गों, आबादी वाले क्षेत्रों और म्यांमार सीमा से दूर स्थानांतरित करेंगे।
- वे नए सदस्यों की भर्ती नहीं करेंगे, आक्रामक कार्रवाई नहीं करेंगे, या अन्य सशस्त्र समूहों (घरेलू या विदेशी) के साथ सहयोग नहीं करेंगे।

कुकी-जो समूह

- कुकी-जो लोग मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम और म्यांमार में फैले एक जातीय समुदाय हैं।
- म्यांमार और मिजोरम के अन्य चिन-मिजो समूहों के साथ उनके घनिष्ठ जातीय और सांस्कृतिक संबंध हैं।
- **1980-90 के दशक से, विभिन्न कुकी-जो विद्रोही समूहों ने हथियार उठाए हैं, और ज्यादातर इनकी माँगें रही हैं:**
  - अधिक स्वायत्तता/आत्मनिर्णय;
  - आदिवासी अधिकारों और भूमि की सुरक्षा;
  - कुछ मामलों में, अलग राज्य का दर्जा।

प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और क्षमता रोडमैप (TPCR-2025)

रक्षा मंत्रालय ने टीपीसीआर-2025 जारी किया है, जो भारत की परमाणु निरोधक और ड्रोन युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक 15-वर्षीय रोडमैप है।

टीपीसीआर-2025 की मुख्य विशेषताएँ

- **परमाणु निवारण:** यह योजना प्रभावी निवारण सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय और टिकाऊ परमाणु प्रणालियों के निर्माण पर केंद्रित है।
  - इसमें परमाणु कमान और नियंत्रण अवसंरचना, विकिरण संसूचन उपकरण और मोबाइल परिशोधन इकाइयों में निवेश शामिल है।
  - इसके अतिरिक्त इसमें , रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (CBRN) टोही के लिए मानवरहित जमीनी वाहनों के उपयोग का प्रस्ताव किया गया है।
- **ड्रोन वारफेयर:** भारत का लक्ष्य 1,500 किलोमीटर तक उड़ान भरने और 60,000 फीट की ऊँचाई तक पहुँचने में सक्षम लंबी दूरी के स्टील्थ ड्रोन विकसित करना है।
  - ये ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्धक पेलोड, सीबीआरएन डिटेक्शन टूल्स और आर्टिलरी-गाइडेंस सिस्टम से लैस होंगे।
  - **इस योजना में सटीक हमलों के लिए पुन:** प्रयोज्य वारहेड्स के साथ एआई-सक्षम लोइटरिंग हथियारों की तैनाती पर भी प्रकाश डाला गया है।
  - इसके अलावा, मशीनीकृत बलों की सहायता के लिए एकीकृत निगरानी ड्रोन पेश किए जाएँगे।
- **ड्रोन झुंडों से बचाव:** इस योजना में ड्रोन झुंडों से बचाव के लिए 15 किलोमीटर तक के कवरेज दायरे वाले अनुकूली जैमिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक निषेध क्षेत्रों के निर्माण का प्रस्ताव है।
- **रणनीतिक महत्त्व:**
  - टीपीसीआर-2025 को परमाणु, इलेक्ट्रॉनिक और मानवरहित क्षमताओं को मिलाकर एकीकृत निरोध को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है।
  - यह आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देता है।
  - सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह भारत को ड्रोन हमलों और सीबीआरएन युद्ध जैसे उभरते खतरों से निपटने के लिए तैयार करता है।

चीन का नया विमानवाहक पोत 'फुजियान'

फुजियान ने समुद्री परीक्षणों के दौरान पहली बार ताइवान जलडमरूमध्य को पार किया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई चिंताएँ पैदा हो गई हैं।

परिचय:

- चीन का सबसे नया विमानवाहक पोत, फुजियान, समुद्री परीक्षणों से गुजर रहा है और प्रशिक्षण व प्रयोगों के लिए दक्षिण चीन सागर की ओर रवाना हो गया है।
- ताइवान जलडमरूमध्य, जो चीन और ताइवान को अलग करता है, एक संवेदनशील जलमार्ग बना हुआ है क्योंकि बीजिंग ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है।
- जापान ने भी विवादित सेनकाकू/दियाओयू द्वीप समूह के पास फुजियान को देखे जाने की सूचना दी है, जहाँ दो विध्वंसक उसे सुरक्षा प्रदान कर रहे थे।

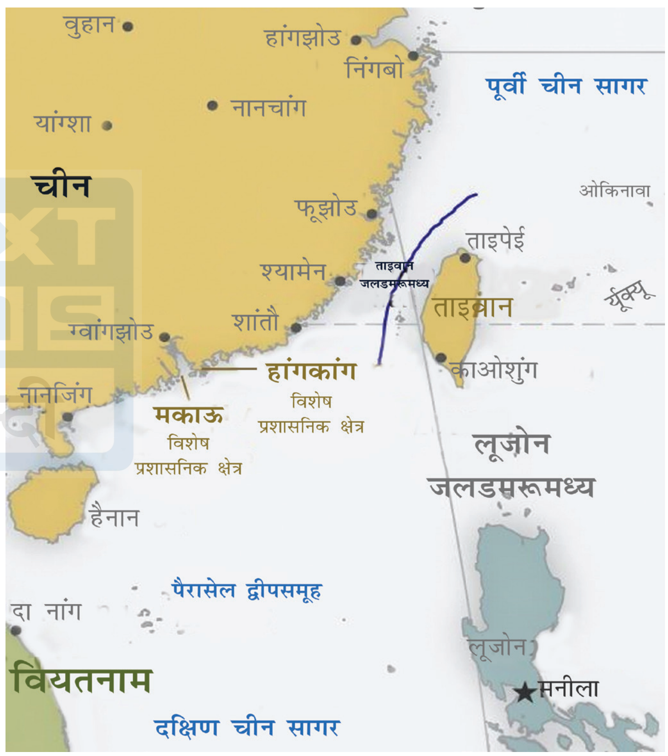

चीन सीमा पर बॉर्डर विंग होमगार्ड

गृह मंत्रालय (MHA) पाकिस्तान सीमा की तरह भारत-चीन सीमा पर भी होमगार्ड की तैनाती बढ़ाने पर विचार कर रहा है।

परिचय:

- बीडब्ल्यूएचजी (BWHGs) सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिक आबादी से भर्ती किया गया एक सहायक बल है।
- ये आपात स्थितियों में सेना और सीमा सुरक्षा बलों की सहायता करते हैं।
- इसके सदस्य लगभग 3-4 वर्षों तक कांस्टेबलों के समान कर्त्तव्य निभाते हैं।
- केंद्र प्रशिक्षण और सहायता की 25% लागत वहन करता है।

वर्तमान स्थिति

- **सात राज्यों को बॉर्डर विंग होमगार्ड गठित करने का अधिकार है:** मेघालय, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान और गुजरात।
- वर्तमान में, वे केवल राजस्थान में सक्रिय हैं, जहाँ 2,279 कर्मी तैनात हैं।
- उन्होंने स्थानीय खुफिया जानकारी जुटाने में सहायता करके ऑपरेशन सिंदूर में योगदान दिया।

चीन सीमा पर विस्तार की आवश्यकता

- वर्ष 2020 के लद्दाख संघर्ष के पश्चात्, एलएसी पर 50,000 से अधिक सेना और आईटीबीपी के जवान तैनात हैं।
- यहाँ बीडब्ल्यूएचजी की स्थापना से संवेदनशील क्षेत्रों में जनशक्ति बढ़ेगी, स्थानीय खुफिया जानकारी एकत्र करने में मदद मिलेगी और आईटीबीपी को निगरानी और सामुदायिक समन्वय में सहायता प्राप्त होगी।

भारतीय तटरक्षक बल

भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने रोम में आयोजित चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन में वैश्विक समुद्री प्रशासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की है।

भारतीय तटरक्षक बल के बारे में

स्थापना	मुख्य भूमिका	नेतृत्व
1977 में कोस्ट गार्ड अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।	समुद्री कानून प्रवर्तन, तटीय सुरक्षा, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की रक्षा, तस्करी विरोधी अभियान, समुद्री डकैती विरोध और अवैध मछली पकड़ने की रोकथाम।	भारतीय तटरक्षक बल का नेतृत्व एक महानिदेशक द्वारा किया जाता है।

क्षेत्रीय प्रभाग

भारत के तट को पाँच कमांडों में विभाजित किया गया है–
- उत्तर-पश्चिम – गांधीनगर
- पश्चिम – मुंबई
- पूर्व – चेन्नई
- उत्तर-पूर्व – कोलकाता
- अंडमान और निकोबार – पोर्ट ब्लेयर

प्रत्येक कमांड का नेतृत्व एक निरीक्षक जनरल द्वारा किया जाता है।

भारतीय नौसेना का 'एंड्रोथ'

भारतीय नौसेना को स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी रोधी उथले जल युद्धक पोत (ASW-SWC) 'एंड्रोथ' प्राप्त हुआ है।

परिचय:

- एंड्रोथ द्वीप (लक्षद्वीप द्वीपसमूह का सबसे बड़ा द्वीप) के नाम पर रखा गया यह युद्धपोत, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा निर्मित आठ एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी में से दूसरा है।
- भारतीय नौवहन रजिस्टर (IRS) वर्गीकरण नियमों के अनुरूप निर्मित, यह परियोजना जिसमें 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री है, आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देती है।

समुद्र प्रदक्षिणा

11 सितंबर, 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई से "समुद्र प्रदक्षिणा" नामक अभियान को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

अभियान के बारे में:

- यह अभियान थल सेना, नौसेना और वायु सेना की 10 महिला अधिकारियों के दल द्वारा चलाया जा रहा है।
- वे भारतीय सेना के नौकायन पोत (IASV) त्रिवेणी पर सवार हैं।

मार्ग:

- इस यात्रा में भूमध्य रेखा को दो बार पार करना और तीन प्रमुख अंतरीपों (केप) के चारों ओर नौकायन करना शामिल होगा:
  - केप हॉर्न – चिली का दक्षिणी सिरा (टिएरा डेल फ्यूगो)।
  - केप लीउविन – ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण-पश्चिमी सिरा (पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया)।
  - केप ऑफ गुड होप – दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी सिरा (केप टाउन के पास)

पीएमएलए मामलों में दोषसिद्धि दर 94%: ईडी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पीएमएलए मामलों में दोषसिद्धि दर 94% हासिल की है।

प्रवर्तन निदेशालय के बारे में:

- **प्रकार:** कानून प्रवर्तन एवं आर्थिक खुफिया एजेंसी।
- **मंत्रालय:** राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय।
- **उत्पत्ति:** 1956 में एक प्रवर्तन इकाई (फेरा, 1947 के उल्लंघनों के लिए) के रूप में स्थापित; 1957 में इसका नाम बदलकर ईडी कर दिया गया।

प्रवर्तित प्रमुख कानून

धन शोधन निवारण अधिनियम	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम	भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम	कोफेपोसा
यह एक दंडात्मक कानून है जो जाँच और संपत्ति जब्ती के माध्यम से धन शोधन से निपटता है।	यह एक सिवल कानून है जो विदेशी मुद्रा लेनदेन को विनियमित करता है और उल्लंघन पर दंड लगाता है।	यह उन अपराधियों को निशाना बनाता है जो भारतीय कानून से बचने के लिए विदेश भाग जाते हैं और उनकी संपत्तियों को जब्त करता है।	यह एफईएमए से संबंधित मामलों में निरोधात्मक हिरासत के लिए प्रायोजक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट -इंडिया

दूरसंचार विभाग (DoT) और वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND) ने वित्तीय अपराधों की रोकथाम हेतु एक व्यापक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

परिचय

- **स्थापना:** वर्ष 2004, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के अधीन इसे स्थापित किया गया।
- **स्वरूप:** भारत में वित्तीय खुफिया जानकारी के लिए केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी।
- **अंतर्राष्ट्रीय भूमिका:** वैश्विक सहयोग के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF), एशिया/प्रशांत धन शोधन समूह (APG), और एफआईयू के एग्मोंट समूह में भारत का प्रतिनिधित्व करता है।
- **कानूनी ढाँचा:** धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के अंतर्गत कार्य करता है।

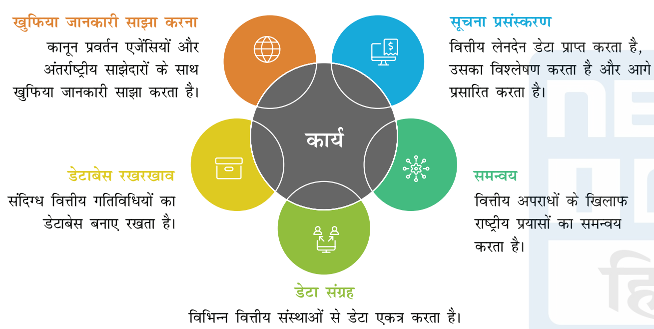

अग्नि-प्राइम मिसाइल

भारत ने रेल-आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

परिचय:

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित।
- **प्रकार:** दो-चरणीय, ठोस-ईंधन चालित बैलिस्टिक मिसाइल।
- **मारक क्षमता:** 2000 किमी तक
- **भार:** उच्च विस्फोटक, थर्मोबैरिक या परमाणु आयुध ले जा सकता है।
- **विशिष्ट विशेषता:** रेल-आधारित मोबाइल लॉन्चर से परीक्षण की गई पहली भारतीय मिसाइल – गतिशीलता, कम प्रतिक्रिया समय और कम पता लगाने की क्षमता प्रदान करती है।
- **महत्त्व:** इससे पहले केवल रूस, अमेरिका, चीन और संभवतः उत्तर कोरिया के पास ही ऐसी रेल-आधारित प्रक्षेपण क्षमता थी; अब भारत भी इस समूह में शामिल हो गया है।

आईसीजीएस अदम्य

भारतीय तटरक्षक बल का जहाज (ICGS) अदम्य, आठ अदम्य-श्रेणी के तीव्र गश्ती पोतों (FPVs) में से पहला, ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर जलावतरण के लिए तैयार किया गया।

परिचय:

- **अपनी श्रेणी का पहला:** आईसीजीएस अदम्य, नए अदम्य-श्रेणी के तीव्र गश्ती पोतों (FPV) का प्रमुख जहाज है।
- **स्वदेशी निर्माण:** इसे आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करते हुए कुल 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है।

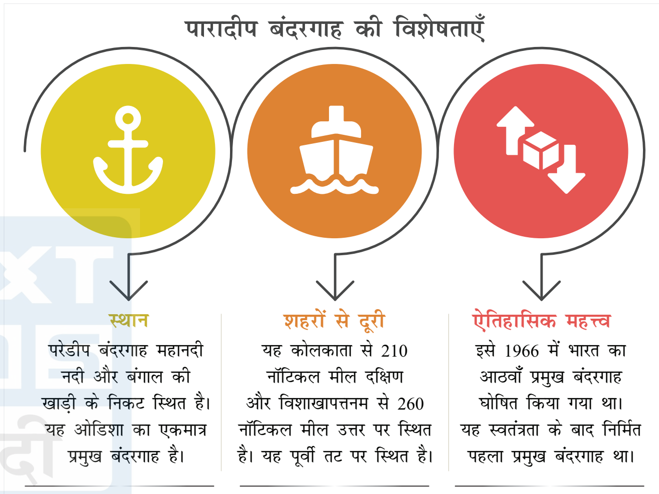

तेजस मार्क-1A एयरक्राफ्ट

रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से भारतीय वायु सेना के लिए तेजस मार्क-1A संस्करण के 97 हल्के लड़ाकू विमान खरीदने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

परिचय:

- **अवलोकन:**
  - एलसीए तेजस 4.5 पीढ़ी का, सभी मौसमों में काम करने वाला, बहुउद्देश्यीय लड़ाकू विमान है, जिसे भारत में एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा निर्मित किया गया है।
  - एमके1 भारतीय वायु सेना में शामिल किए गए तेजस के पहले परिचालन संस्करण को दर्शाता है।
- **भूमिका:** बहुमुखी प्रतिभा के लिए निर्मित, यह हवा से हवा में युद्ध, आक्रामक हवाई समर्थन, टोही, अवरोधन और जमीनी हमले की भूमिकाएँ निभा सकता है।
- **महत्त्व:** यह विदेशी लड़ाकू विमानों पर निर्भरता कम करके रक्षा में आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) की दिशा में भारत की प्रगति का प्रतीक है।

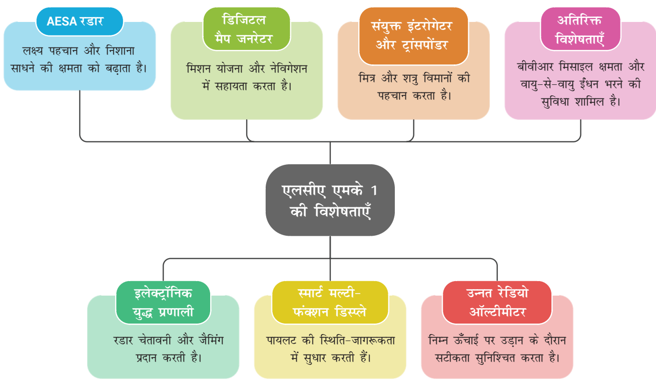

अफ्सपा

गृह मंत्रालय ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।

पृष्ठभूमि:

- इसकी उत्पत्ति सशस्त्र बल विशेषाधिकार अध्यादेश, 1942 से हुई है, जिसका इस्तेमाल भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए किया गया था।
- बाद में इसे विभाजनकालीन असम (1947) में लागू किया गया और असम अशांत क्षेत्र अधिनियम, 1955 के माध्यम से इसका विस्तार किया गया।
- नागा हिल्स विद्रोह से निपटने के लिए, अफ्सपा, 1958 लागू किया गया था।
- जम्मू और कश्मीर के लिए एक अलग अफ्सपा 1990 में पारित किया गया था।

अधिनियम के बारे में

- 11 सितंबर 1958 को संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित।
- यह अधिनियम सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को "अशांत क्षेत्रों" में विशेष अधिकार प्रदान करता है।
- **इसमें शामिल हैं:**
  - कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध बल प्रयोग, जिसमें घातक बल भी शामिल है।
  - बिना वारंट के गिरफ्तारी और परिसर की तलाशी।
  - केंद्र द्वारा अनुमोदित न होने पर सुरक्षाकर्मियों को कानूनी छूट।
- केंद्र और राज्य सरकारें, दोनों ही क्षेत्रों को "अशांत" घोषित कर सकती हैं।

अशांत क्षेत्र:

- अशांत क्षेत्र को अफ्सपा की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जहाँ सशस्त्र बलों का हस्तक्षेप आवश्यक समझा जाता है।
- सांप्रदायिक, क्षेत्रीय, भाषाई या सामाजिक संघर्षों के कारण अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है।
- अधिसूचना एक बार में 3 महीने के लिए वैध होती है (अशांत क्षेत्र अधिनियम, 1976 के अनुसार)।
- वर्तमान में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केवल नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में ही अफ्सपा लागू किया है।

सैन्य अभ्यास

अभ्यास	भागीदार	स्थान	फोकस/मुख्य विशेषताएँ	महत्त्व
अचूक प्रहार	भारतीय सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	अरुणाचल प्रदेश (हाई एल्टीट्यूड)	कृत्रिम युद्ध, अंतर-संचालनीयता और त्वरित प्रतिक्रिया	चीन सीमा पर भारत की बहुस्तरीय रक्षा को मजबूत करता है।
युद्ध कौशल 3.0	भारतीय सेना	कामेंग, अरुणाचल प्रदेश	ड्रोन निगरानी, सटीक हमले, हवाई-तटीय अभियान, ASHNI प्लाटूनों का पदार्पण	ऊँचे-ऊँचे इलाकों में युद्ध के साथ तकनीक के एकीकरण का परीक्षण करता है।
मैत्री-XIV	भारत और थाईलैंड	मेघालय	अर्ध-शहरी भूभाग में आतंकवाद-रोधी अभ्यास (संयुक्त राष्ट्र अध्याय VII), संयुक्त योजना और सहनशक्ति प्रशिक्षण	2006 से भारत-थाईलैंड रक्षा संबंधों को मजबूत करता है।
युद्ध अभ्यास 2025	भारत और अमेरिका	अलास्का, अमेरिका	लाइव-फायर, हाई एल्टीट्यूड वारफेयर, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, बहु-क्षेत्रीय अभियान	2004 से वार्षिक अभ्यास, भारत और अमेरिका के बीच बारी-बारी से होता है।
जैपैड 2025	चीन और पाकिस्तान सहित 20 से ज्यादा देश	रूस	पारंपरिक और आतंकवाद-रोधी अभियान, रणनीतियों का आदान-प्रदान	ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं का पहला संयुक्त अभ्यास।
ब्राइट स्टार 2025	अलेक्जेंड्रिया, मिस्र	भारत, अमेरिका, मिस्र, सऊदी अरब, कतर, ग्रीस, साइप्रस, इटली, और अन्य।	त्रि-सेवा अभ्यास; अंतर-संचालनीयता, क्षेत्रीय सुरक्षा, हाईब्रिड थ्रेट रेस्पांस (वायु, थल, समुद्री)।	आईएनएस त्रिकंद (तलवार-श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट, 2013, रूस निर्मित) ने भाग लिया।
सियोम प्रहार	भारतीय सेना	अरुणाचल प्रदेश	मारक क्षमता संलयन, संयुक्त लक्ष्यीकरण और त्वरित निर्णय लेने के साथ ड्रोन इंटेलिजेंस।	प्रौद्योगिकी-संचालित युद्धक्षेत्रों के लिए नई रणनीतियों को मान्यता देता है।

7 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

सेरेबो - मस्तिष्क की चोट का निदान उपकरण

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) और उसके सहयोगियों ने CEREBO नामक एक पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है, जो कम लागत पर शीघ्रता से अभिघातजन्य मस्तिष्क चोटों (TBIs) का पता लगाने में मदद करता है।

सेरेबो की मुख्य विशेषताएँ:

- सेरेबो एक गैर-आक्रामक और पोर्टेबल हैंड-हेल्ड डिवाइस है।
- यह एक मिनट से भी कम समय में मस्तिष्क के अंदर रक्तस्राव और सूजन का पता लगा सकता है।
- यह उपकरण विकिरण-मुक्त, रंग-कोडित और किफायती है।
- यह शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित है और अप्रशिक्षित उपयोगकर्ता भी इसका उपयोग कर सकते हैं।
- इसे एम्बुलेंस, ग्रामीण क्लीनिकों, ट्रॉमा सेंटरों और आपदा क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है।
- यह उपकरण निकट-अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी को मशीन लर्निंग के साथ जोड़कर काम करता है।

विक्रम 32-बिट प्रोसेसर चिप

सेमीकॉन इंडिया 2025 में, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला (SCL) द्वारा विकसित 'मेड इन इंडिया' विक्रम 32-बिट प्रोसेसर चिप भेंट की।

प्रोसेसर के बारे में

- एक प्रोसेसर (माइक्रोप्रोसेसर) इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का "दिमाग" होता है, क्योंकि यह निर्देशों का पालन करता है और सभी कार्यों को नियंत्रित करता है।
- विक्रम 32-बिट चिप का उपयोग प्रक्षेपण यानों के एवियोनिक्स में किया जाता है।
- यह 16-बिट विक्रम 1601 चिप का उन्नत संस्करण है, जिसका उपयोग इसरो 2009 से कर रहा है।
  - एक 16-बिट प्रोसेसर एक बार में 16 बिट्स के टुकड़ों में डेटा प्रोसेस कर सकता है, जो सरल कार्यों के लिए उपयुक्त है।
  - एक 32-बिट प्रोसेसर 32-बिट टुकड़ों में डेटा प्रोसेस कर सकता है, जिससे तेज गति, उच्च क्षमता और जटिल कार्यों को बेहतर ढंग से संभालने में मदद मिलती है, जिससे महत्त्वपूर्ण मिशनों में विश्वसनीयता में सुधार होता है।

सेमीकॉन इंडिया मिशन:

- वर्ष 2021 में शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन और निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है।
- पाँच निर्माण इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं; एक पायलट लाइन पूरी हो चुकी है और दो और जल्द ही उत्पादन शुरू करने वाली हैं।
- यह मिशन प्रोत्साहन, अनुसंधान एवं विकास सहायता और शिक्षा जगत तथा उद्योग के साथ सहयोग के अवसर प्रदान करता है।

टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) एन्ड टीओटीपी (TOTP)

साइबर हमलों और पासवर्ड चोरी की बढ़ती घटनाओं के साथ, गूगल ऑथेंटिकेटर जैसे दो-कारक प्रमाणीकरण ऐप ऑनलाइन सुरक्षा में सुधार के लिए एक आवश्यक उपकरण बन गए हैं।

परिचय

- दो-कारक प्रमाणीकरण (2FA) एक सुरक्षा प्रक्रिया है जो लॉगिन प्रक्रिया में एक दूसरा चरण जोड़ती है।
  - पहले कारक का उदाहरण है - पासवर्ड।
  - दूसरे कारक का उदाहरण है - फोन पर कोई प्रमाणीकरण ऐप।
- इसका अर्थ ये है कि यदि कोई फोन का पासवर्ड चुरा लेता है, तो भी वह उस फोन पर जनरेट किए गए कोड के बिना लॉग इन नहीं कर सकता।

ओटीपी और टीओटीपी:

- वन-टाइम पासवर्ड (OTP) एक छोटा कोड होता है जो केवल एक बार लॉगिन करने के लिए मान्य होता है।
- टाइम-बेस्ड वन-टाइम पासवर्ड (TOTP) एक कोड होता है जो हर 30 सेकंड में बदलता है और समय को इनपुट के रूप में उपयोग करता है।
- TOTP के मामले में, आपका प्रमाणीकरण ऐप और ऑनलाइन सेवा (जैसे Gmail) दोनों समान कोड बनाने के लिए वर्तमान समय के साथ एक ही गुप्त कुंजी का उपयोग करते हैं।

TOTP कैसे काम करता है?

- जब 2FA सेटअप किया जाता है, तो इस सेवा द्वारा आमतौर पर एक क्यूआर कोड के माध्यम से प्रमाणीकरण ऐप के साथ एक गुप्त कुंजी साझा किया जाता है।
- समय को 30 सेकंड के निश्चित अंतरालों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें टाइम काउंटर कहा जाता है।
- ऐप और सर्वर दोनों एक विशिष्ट कोड उत्पन्न करने के लिए गणितीय सूत्र में गुप्त कुंजी और टाइम काउंटर का उपयोग करते हैं। आउटपुट आमतौर पर एक छह अंकों की संख्या होती है जो केवल 30 सेकंड के लिए मान्य रहती है।

NEXT IAS हिन्दी

TOTP कितना सुरक्षित है?

- गुप्त कुंजी आपके डिवाइस और सेवा के सर्वर, दोनों पर सुरक्षित रूप से संग्रहीत होती है।
- चूँकि कोड हर 30 सेकंड में समाप्त हो जाते हैं, इसलिए उनका दोबारा इस्तेमाल करना कठिन होता है।
- संभावित संयोजनों की विशाल संख्या के कारण सही कोड का अनुमान लगाना लगभग असंभव हो जाता है।
- इसलिए TOTP, केवल पासवर्ड की तुलना में कहीं अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है।

गगनयान एनालॉग एक्सपेरिमेंट्स (ज्ञानेक्स)

इसरो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए एक महत्त्वपूर्ण प्रारंभिक कदम के रूप में ज्ञानेक्स प्रयोग कर रहा है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों की तैयारी और मिशन सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता प्राप्त हुई है।

परिचय:

- ज्ञानेक्स, इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान सिमुलेशन प्रयोगों का नाम है, जिसे गगनयान कार्यक्रम के एक भाग के रूप में डिजाइन किया गया है।
- ये प्रयोग अंतरिक्ष में जीवन का अनुकरण करने के लिए चयनित अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर सीमित, अंतरिक्ष यान जैसी परिस्थितियों में रखते हैं।
- **उद्देश्य:** अंतरिक्ष यात्रियों को दिनचर्या, संचार, वैज्ञानिक कार्यों और संसाधन प्रबंधन का अभ्यास कराकर अंतरिक्ष मिशनों के लिए तैयार करना।
  - चालक दल के स्वास्थ्य और प्रदर्शन पर कारावास के प्रभाव का अध्ययन करना।
  - वास्तविक गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन में उपयोग किए जाने वाले मिशन प्रोटोकॉल विकसित करना।
  - एकमात्र पहलू जिसे पुनः निर्मित नहीं किया गया है, वह है सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, जिसका पृथ्वी पर अनुकरण नहीं किया जा सकता।

ज्ञानेक्स (Gyanex)-1:

- इसे ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और दो अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ आयोजित किया गया, जो 10 दिनों तक एकांतवास में रहे।
- इस अवधि के दौरान, चालक दल ने 11 वैज्ञानिक प्रयोग किए।
- स्वास्थ्य, गतिविधि पैटर्न और मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर एकत्रित डेटा भविष्य के मानव अंतरिक्ष मिशनों की योजना बनाने में सहायक होगा।

प्रत्युष मिशन

भारत ने अंतरिक्ष मिशनों के लिए क्रेडिट कार्ड के आकार का एक कंप्यूटर विकसित किया है, जिसे ब्रह्मांड के प्रारंभिक क्षणों के अत्यंत मंद संकेतों को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है।

परिचय:

- **पूर्ण रूप:** उच्च-चंद्र कक्षा से क्षणिक ब्रह्मांड अध्ययन के लिए सटीक रेडियो खगोल विज्ञान (अवधारणा चरण में रिपोर्ट किया गया)।
- इसमें चंद्रमा के दूरस्थ भाग के चारों ओर चंद्र कक्षा में एक पेलोड स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।
- इस मिशन ने पृथ्वी के रेडियो हस्तक्षेप और आयनमंडलीय विकृति से मुक्त निम्न-आवृत्ति रेडियो खगोल विज्ञान का संचालन करने के लिए दूरस्थ भाग के रेडियो-शांत वातावरण (radio-quiet environment) का उपयोग किया।

चंद्रमा का दूरस्थ भाग

- **रेडियो शांत क्षेत्र:** चंद्रमा अपने दूर वाले हिस्से को पृथ्वी के रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप से बचाता है।
- **आयनमंडल विक्षोभ नहीं:** पृथ्वी का आयनमंडल ~30 मेगाहर्ट्ज से नीचे की रेडियो तरंगों को अवरुद्ध या विकृत कर देता है, जिससे भू-आधारित अवलोकन सीमित हो जाते हैं।
- **अद्वितीय अवलोकन लाभ:** ब्रह्मांडीय उदय (प्रथम तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण), अंतरतारकीय प्लाज्मा, और अति-निम्न-आवृत्ति रेडियो विस्फोटों का पता लगाने का अध्ययन संभव बनाता है।

प्रोटीन भाषा मॉडल

हाल ही में बड़े भाषा मॉडल (LLM) के उद्भव ने प्रोटीन पर अनुसंधान में क्रांति ला दी है।

परिचय:

- एलएलएम उन्नत मशीन लर्निंग मॉडल हैं जिन्हें भारी मात्रा में टेक्स्ट डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है।
- वे टेक्स्ट उत्पन्न करने और समझने के लिए मानव भाषा में पैटर्न, व्याकरण और अर्थ सीखते हैं।
- इसके उदाहरणों में जीपीटी मॉडल, बर्ट और एलएलएएमए शामिल हैं।

प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP)

- एनएलपी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वह क्षेत्र है जो कंप्यूटरों को मानव भाषा को समझने, व्याख्या करने और उत्पन्न करने में सक्षम बनाने पर केंद्रित है।
- एनएलपी में कार्यों में अनुवाद, सारांशीकरण, भावना विश्लेषण और प्रश्नोत्तर शामिल हैं।
- एलएलएम एनएलपी में एक महत्त्वपूर्ण नवाचार है क्योंकि वे शब्दों को टोकन के रूप में और वाक्यों को टोकन के अनुक्रम के रूप में संसाधित करते हैं।

प्रोटीन भाषा मॉडल (PLMs)

- पीएलएम, एलएलएम से प्रेरित हैं, लेकिन मानव भाषा के बजाय जीव विज्ञान में लागू होते हैं।

- पीएलएम में, प्रत्येक अमीनो अम्ल को एक प्रतीक (जैसे एक शब्द) के रूप में माना जाता है, और संपूर्ण प्रोटीन अनुक्रम को एक वाक्य के रूप में माना जाता है। इनका उपयोग प्रोटीन के गुणों, जैसे संरचना, कार्य और अंत:क्रियाओं की व्याख्या और भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे एलएलएम पाठ (text) में अर्थ की व्याख्या करते हैं।

अनुप्रयोग

दवा खोज
नई दवाओं के लक्ष्यों की खोज की प्रक्रिया को तेज करता है।

टीका विकास
महत्त्वपूर्ण वायरल प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी और मॉडलिंग करता है।

रोग अनुसंधान
प्रोटीन में उत्परिवर्तन और गलत मुड़ने की समझ विकसित करता है।

संश्लेषित जीवविज्ञान
वांछित कार्यों वाले नए प्रोटीन के डिजाइन को सक्षम बनाता है।

एंटरोमिक्स - mRNA कैंसर वैक्सीन

रूस ने एंटरोमिक्स नामक एक नई वैक्सीन का अनावरण किया है, जिसके कैंसर के इलाज के शुरुआती नैदानिक परीक्षणों में 100% प्रभावकारिता दिखाई है।

परिचय:

- एमआरएनए (mRNA) आधारित वैक्सीन ने प्रीक्लिनिकल परीक्षणों में सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त की है, जिससे इसकी सुरक्षा और उच्च प्रभावशीलता दोनों का प्रदर्शन हुआ है।
- इसका उद्देश्य आक्रामक ट्यूमर को सिकोड़ना, उनकी वृद्धि को धीमा करना और ऐसा कीमोथेरेपी या विकिरण के कठोर दुष्प्रभावों के बिना करना है।
- यह टीका प्रत्येक रोगी के आरएनए के अनुरूप बनाया जाएगा, जिससे यह पूरी तरह से व्यक्तिगत चिकित्सा बन जाएगी।
- **यह टीका कैसे काम करता है:** एंटरोमिक्स चार हानिरहित विषाणुओं के संयोजन का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को लक्षित और नष्ट करता है और साथ ही शरीर की प्रतिरक्षा सुरक्षा को सक्रिय करता है।

एमआरएनए (mRNA) टीके और उनकी कार्यप्रणाली

- टीकों के लिए mRNA (मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड) के इस्तेमाल का विचार 1980 के दशक से ही अस्तित्व में है, लेकिन यह हाल ही में व्यावहारिक प्रयोग शुरू हुआ है।
- पारंपरिक टीकों के विपरीत, जिनमें कमजोर या निष्क्रिय वायरस का इस्तेमाल होता है, mRNA टीके शरीर को वायरस से लड़ने का तरीका बताने के लिए आनुवंशिक निर्देशों का इस्तेमाल करते हैं।
- mRNA में एक कोड होता है जो हमारी कोशिकाओं को वायरस से एक विशिष्ट प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है। फिर प्रतिरक्षा प्रणाली इस प्रोटीन को बाहरी समझती है और इसके विरुद्ध सुरक्षा तंत्र विकसित करती है।
- यह तकनीक कोविड-19 के दौरान अत्यधिक प्रभावी साबित हुई, जिससे वैज्ञानिकों को ऐसे टीके जल्दी से डिजाइन करने में मदद मिली जिनसे गंभीर बीमारियों और मौतों में कमी आई।
- महत्त्वपूर्ण बात यह है कि mRNA मानव डीएनए को नहीं बदलता, क्योंकि यह कभी कोशिका के केंद्रक में प्रवेश नहीं करता और कुछ ही दिनों में प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाता है।
- कोविड-19 के विरुद्ध अपनी सफलता के साथ, वैज्ञानिक अब इन्फ्लूएंजा जैसी अन्य बीमारियों और यहाँ तक कि व्यक्तिगत कैंसर उपचारों के लिए भी mRNA टीकों की खोज कर रहे हैं।

तुलना

पहलू	एमआरएनए (mRNA) वैक्सीन	डीएनए वैक्सीन
आनुवंशिक सामग्री	इसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में मैसेंजर आरएनए (mRNA) का उपयोग किया जाता है।	इसमें आनुवंशिक सामग्री के रूप में डीएनए (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) का उपयोग किया जाता है।
स्थिरता	एमआरएनए नाजुक होता है और स्थिरता के लिए लिपिड सुरक्षा की आवश्यकता होती है।	डीएनए स्वाभाविक रूप से अधिक स्थिर होता है और इसे लिपिड सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है।
वितरण	वायरल प्रोटीन बनाने के लिए कोशिकाओं को सीधे निर्देश प्रदान करता है।	आमतौर पर कोशिकाओं तक डीएनए निर्देश पहुँचाने के लिए एक हानिरहित वायरल वेक्टर का उपयोग किया जाता है।
भंडारण	भंडारण और परिवहन के लिए अति-शीत तापमान (लगभग -90°C से -50°C) की आवश्यकता होती है।	इन्हें कम तापमान पर संग्रहित किया जा सकता है, जिससे ये भारत जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं।
लचीलापन	कोड में परिवर्तन करके नई बीमारियों या प्रकारों के लिए शीघ्रता से अनुकूलित किया जा सकता है।	अनुकूलनीय भी हैं, लेकिन संशोधनों के लिए अतिरिक्त विकास चरणों की आवश्यकता हो सकती है।
उदाहरण	फाइजर-बायोएनटेक और मॉडर्ना कोविड-19 टीके।	ZyCoV-D (जाइडस कैडिला) और कोविशील्ड।

विश्व के पहले एआई 'मंत्री' डिएला

अल्बानिया भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई-जनित "मंत्री" नियुक्त करने वाला पहला देश बन गया है।

परिचय

- अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने अपने मंत्रिमंडल में डिजिटल मंत्री की घोषणा की।
- इस डिजिटल सहायक का नाम 'डिएला' रखा गया है जिसका अर्थ है 'सूर्य' और इसे सार्वजनिक निविदाओं से संबंधित सभी निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे वे शत-प्रतिशत भ्रष्टाचार मुक्त हो सकें।
- एआई मंत्री को निविदाओं का मूल्यांकन करने और विश्व भर से प्रतिभाओं को नियुक्त करने का भी अधिकार होगा।

आर्टिफिशियल जेंस के बारे में

- यह एक ऐसी मशीन की काल्पनिक बुद्धिमत्ता को संदर्भित करता है जो किसी भी बौद्धिक कार्य को समझने या सीखने की क्षमता रखती है जो मनुष्य कर सकता है। यह एक प्रकार का कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) है जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क की संज्ञानात्मक क्षमताओं की नकल करना है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों को मानव मस्तिष्क की क्षमताओं का अनुकरण करने या उनमें सुधार करने की अनुमति देती है।

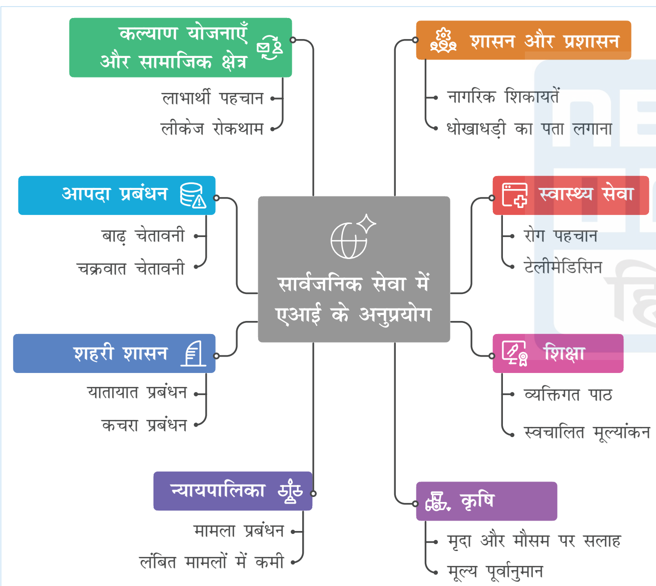

मृदाकरण तकनीक

राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इस तकनीक का उपयोग करके पश्चिमी राजस्थान की शुष्क भूमि में सफलतापूर्वक गेहूँ उगाया।

रेगिस्तानी मृदाकरण तकनीक के बारे में

- विशेष जैव-सूत्रीकरण/पॉलिमर का उपयोग करके रेगिस्तानी रेत को मिट्टी जैसी संरचना में बदलने की एक तकनीक है।
- **सूत्रीकरण:** यह रेत के कणों को आपस में जोड़ता है, जिससे मिट्टी जैसी स्थिरता और सरंध्रता प्राप्त होती है। यह जल-धारण क्षमता को बढ़ाता है, जिससे सिंचाई की आवश्यकता कम होती है।
  - यह लाभकारी सूक्ष्मजीवी गतिविधि को बढ़ावा देता है, जिससे उर्वरता और फसल तनाव प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होता है।
- **उत्पत्ति:** इसी तरह की विधियों का चीन में परीक्षण किया गया है और अब भारत में स्वदेशी नवाचार के साथ इन्हें अपनाया जा रहा है।

पॉलीप्रोपाइलीन

प्रधानमंत्री ने असम के गोलाघाट स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में पॉलीप्रोपाइलीन संयंत्र की आधारशिला रखी।

परिचय

- पॉलीप्रोपाइलीन एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है जो पॉलीओलेफिन फैमिली से संबंधित है।
- यह विश्व में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक में से एक है क्योंकि यह हल्का, टिकाऊ और बहुमुखी है।
- **अनुप्रयोग:** पॉलीप्रोपाइलीन का उपयोग कालीन, रस्सियाँ, बैग, रेशे, मास्क, मेडिकल किट और वस्त्र बनाने में किया जाता है, और यह ऑटोमोटिव क्षेत्र के साथ-साथ चिकित्सा और कृषि उपकरणों के उत्पादन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- असम अपने पारंपरिक गमोसा और प्रसिद्ध एरी और मुगा रेशम के लिए जाना जाता है, और अब राज्य की पहचान पॉलीप्रोपाइलीन से बने वस्त्रों से भी जुड़ेगी।

फेंटेनाइल दवा

नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि उसने कुछ भारतीय व्यापारियों और उनके परिवारों के वीजा रद्द कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में फेंटेनाइल बनाने वाले रसायन भेजे थे।

परिचय:

- फेंटेनाइल एक मानव निर्मित दर्द निवारक दवा है।
- यह मॉर्फिन से 50 से 100 गुना ज्यादा असरदार होती है।
- डॉक्टर इसका इस्तेमाल गंभीर दर्द, जैसे कैंसर के इलाज में, के लिए करते हैं।
- लेकिन जब इसका अवैध रूप से इस्तेमाल किया जाता है, तो यह बहुत खतरनाक होता है और प्रति वर्ष अमेरिका में इसके ओवरडोज से कई मौतें होती हैं।

ड्रग पूर्ववर्ती

निम्नलिखित दो पूर्ववर्ती फेंटानिल और फेंटानिल एनालॉग्स के गैरकानूनी निर्माण के लिए बेहद उपयुक्त माने जाते हैं।

- 4-piperidone
- 1-boc-4-piperidone

इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, फेंटानिल और फेंटानिल एनालॉग्स बहुत शक्तिशाली नशीले पदार्थ हैं जो ओवरडोज से जुड़ी मौतों का कारण बने रहे हैं।

एस्ट्रोसैट वेधशाला

एस्ट्रोसैट ने 2015 में अपने प्रक्षेपण के बाद से लगातार और सफलतापूर्वक संचालन के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं।

परिचय

- 28 सितंबर, 2015 को श्रीहरिकोटा से PSLV-C30 द्वारा प्रक्षेपित किया गया।
- इसे 5 वर्षों के लिए डिजाइन किया गया, लेकिन 10 वर्षों के बाद भी सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है।
- **उद्देश्य:** एक ही समय में कई तरंगदैर्ध्य - दृश्य, पराबैंगनी, और निम्न एवं उच्च ऊर्जा एक्स-रे - में ब्रह्मांड का अवलोकन करना।

मुख्य खोजें:

- ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, प्रॉक्सिमा सेंटॉरी के बारे में जानकारी प्रदान की और 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाशगंगाओं से सुदूर-पराबैंगनी (FUV) फोटॉनों का पता लगाया।

सहयोग:

- इसे इसरो द्वारा IUCAA, TIFR, IIA, RRI, कई भारतीय विश्वविद्यालयों और कनाडा व यूके के अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है।

महत्त्व:

- नासा के चंद्रा और हबल जैसी वैश्विक वेधशालाओं के साथ मिलकर काम करते हुए, अंतरिक्ष-आधारित खगोल विज्ञान में भारत के लिए एक बड़ा कदम।

गामा-किरण विस्फोट (GRBS) और चरम नाभिकीय क्षणिक विस्फोट (ENTS)

खगोलविदों ने हाल ही में चरम नाभिकीय क्षणिक विस्फोटों (ENTs) की खोज की है, जो ब्रह्मांड में ज्ञात सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक है और जीआरबी को भी पीछे छोड़ देता है।

गामा-किरण विस्फोटों (GRBs) के बारे में

- जीआरबी गामा किरणों की अत्यंत चमक तेज होती हैं, जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में प्रकाश का सबसे उच्च-ऊर्जा रूप है।
- गामा किरणों की तरंगदैर्ध्य बहुत कम (<10 पिकोमीटर या 1×10^{-11} मीटर) और आवृत्तियाँ बहुत अधिक (>30 एक्साहर्ट्ज या 3×10^{19} हर्ट्ज) होती हैं। ये तब उत्पन्न होती हैं जब विशाल तारे ढह जाते हैं या न्यूट्रॉन तारे/ब्लैक होल आपस में टकराते हैं।
- जीआरबी केवल कुछ सेकंड से लेकर मिनटों तक चलते हैं, और अत्यधिक ऊर्जा छोड़ते हैं, और इन्हें कभी ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विस्फोट माना जाता था।

एक्स्ट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स (ENTs) के बारे में

- ENTs एक प्रकार की खगोलीय क्षणिक घटनाएँ हैं, अर्थात् ऐसी घटनाएँ जिनमें चमक तेजी से बदलती है।
- ये तब घटित होती हैं जब एक अतिविशाल ब्लैक होल सूर्य के द्रव्यमान से कम से कम तीन गुना बड़े तारे को चीर देता है।
- तारे का मलबा ब्लैक होल में गिरता है (अभिवृद्धि प्रक्रिया), जिससे एक विशाल विस्फोट होता है।

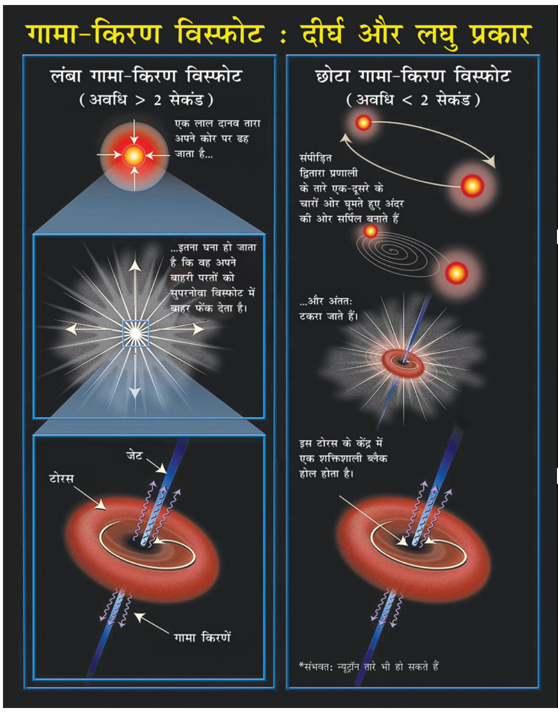

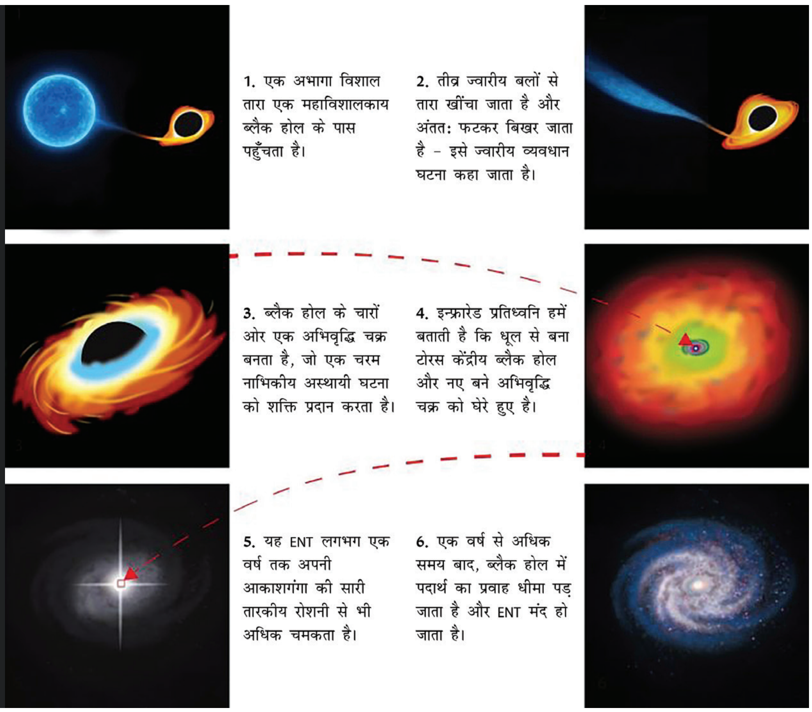

- GRBs के विपरीत, ENTs इतनी शक्तिशाली चमकते हैं कि वे रेडियो तरंगदैर्ध्य में वर्षों तक दिखाई देते रहते हैं।

शक्तियों की तुलना:

- ENTs, GRBs से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं, जिन्हें बिग बैंग के बाद से सबसे ऊर्जावान विस्फोट माना जाता है।

खोज:

- पहली बार Gaia अंतरिक्ष यान के डेटा से इसकी पहचान हुई।
- बाद में ज्विकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी (कैलिफोर्निया, अमेरिका) जैसे भू-आधारित दूरबीनों और सर्वेक्षणों का उपयोग करके इसकी पुष्टि की गई।

खगोलविदों ने पृथ्वी के निकट अर्ध-चंद्रमा का पता लगाया

खगोलविदों ने हाल ही में 2025 PN7 नामक एक छोटे क्षुद्रग्रह की पहचान की है, जो पृथ्वी का एक "अर्ध-चंद्रमा" है और लगभग 60 वर्षों से पृथ्वी ग्रह का अनुसरण कर रहा है।

2025 PN7 के बारे में

- यह क्षुद्रग्रह लगभग 62 फीट व्यास का है और इसे हवाई स्थित पैन-स्टार्स वेधशाला द्वारा देखा गया था।
- यह पिंड सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के निकट परिक्रमा पथ का अनुसरण करता है और पृथ्वी से 2.8 मिलियन मील से 37 मिलियन मील की दूरी बनाए रखता है।

अर्ध-चंद्रमा के बारे में

- अर्ध-चंद्रमा पृथ्वी के चंद्रमा जैसे प्राकृतिक उपग्रह से मौलिक रूप से भिन्न होता है।
- जहाँ पृथ्वी का चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण द्वारा ग्रह से बंधा होता है और उसके ठीक चारों ओर परिक्रमा करता है, वहीं अर्ध-चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य से बंधा होता है।
- अर्ध-चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के कक्षीय प्रक्षेप पथ के साथ समकालिक होती है, जिससे अवलोकनात्मक धारणा बनती है कि यह ग्रह का एक साथी है।

वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2025 का 18वां संस्करण जारी किया गया

परिचय:

- वर्ष 2007 में स्थापित, वैश्विक अनुसंधान एवं विकास सूचकांक (GII) प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है और प्रदर्शन मीट्रिक प्रदान करता है तथा लगभग 140 अर्थव्यवस्थाओं को उनके नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है।

प्रमुख निष्कर्ष

- **वैश्विक अनुसंधान एवं विकास वृद्धि:** 2024 में घटकर 2.9% रह गई, जो 2010 के संकट के बाद सबसे कम है (2023 में 4.4% से कम)। 2025 में 2.3% अनुमानित (WIPO)।

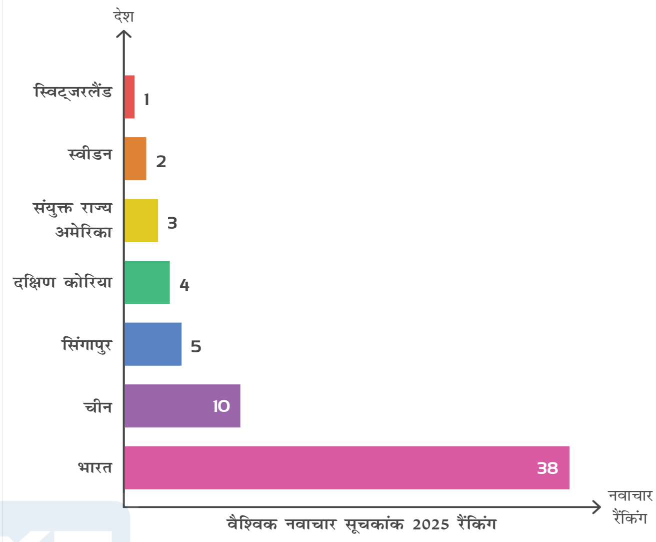

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक स्व-वित्तपोषित एजेंसी है, जो विश्व के नवप्रवर्तकों और रचनाकारों की सेवा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि उनके विचार सुरक्षित रूप से बाजार तक पहुँचें और सभी के जीवन में सुधार लाएँ।
- **सदस्य:** इस संगठन के 194 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत, इटली, इजराइल, ऑस्ट्रिया, भूटान, ब्राजील, चीन, क्यूबा, मिस्र, पाकिस्तान, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकासशील और विकसित दोनों देश शामिल हैं।
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्जरलैंड

विश्व का पहला कार्यशील AI-डिजाइन किया गया वायरल जीनोम

हाल ही में, स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने विश्व का पहला पूर्णतः एआई-जनित वायरल जीनोम बनाया है।

परिचय

- एआई द्वारा निर्मित नया वायरस बैक्टीरिया को संक्रमित कर सकता है और इसे मार भी सकता है।
- वैज्ञानिक पहले ही एआई का उपयोग व्यक्तिगत प्रोटीन और यहाँ तक कि छोटे बहु-जीन सिस्टम डिजाइन करने के लिए कर चुके हैं। हालाँकि, एक संपूर्ण जीनोम बनाना कहीं अधिक जटिल है।
- सरल शब्दों में, एआई मॉडल ने फेज डीएनए के "भाषा नियमों" को सीखा और फिर एक नया, पहले कभी न देखा गया जीनोम उत्पन्न किया जो वास्तविक जीवन में भी काम करता है।

यह कैसे किया गया?

- वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से नए बैक्टीरियोफेज (बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला वायरस) जीनोम डिजाइन करने के लिए एवो नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), विशेष रूप से जीनोम "भाषा मॉडल" का उपयोग किया।
- एवो को लगभग दो मिलियन वायरल जीनोम पर प्रशिक्षित किया गया ताकि वह डीएनए, जीन क्रम और संरचना के पैटर्न को समझ सके।
- शोधकर्ताओं ने मॉडल को phiX174 की नकल करने के लिए निर्देशित किया, जो केवल 11 जीन और लगभग 5,000 डीएनए अक्षरों वाला एक छोटा बैक्टीरियोफेज है, जो लंबे समय से आणविक जीव विज्ञान का एक प्रमुख आधार रहा है।

वायरस के बारे में

- वायरस एक संक्रामक सूक्ष्म जीव है जिसमें न्यूक्लिक अम्ल (डीएनए या आरएनए) का एक खंड होता है जो कैप्सिड नामक प्रोटीन आवरण से घिरा होता है।
- वायरस को जीवित जीव नहीं माना जाता क्योंकि वे स्वयं उपापचयी प्रक्रियाएँ नहीं कर सकते।
- एक वायरस अकेले प्रतिकृति नहीं बना सकता; इसके बजाय, उसे कोशिकाओं को संक्रमित करना पड़ता है और अपनी प्रतिलिपियाँ बनाने के लिए मेजबान कोशिका के घटकों का उपयोग करना पड़ता है।
- अक्सर, एक वायरस इस प्रक्रिया में मेजबान कोशिका को मार देता है, जिससे मेजबान जीव को नुकसान पहुँचता है।
- मानव रोग पैदा करने वाले वायरसों के प्रसिद्ध उदाहरणों में एड्स, कोविड-19, खसरा और चेचक शामिल हैं।

जीनोम:

- जीनोम एक कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए निर्देशों का संपूर्ण समूह है।
- मनुष्यों में, जीनोम में कोशिका के केंद्रक में स्थित गुणसूत्रों के 23 जोड़े और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में एक छोटा गुणसूत्र होता है।
- एक जीनोम में एक व्यक्ति के विकास और कार्य करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी होती है।

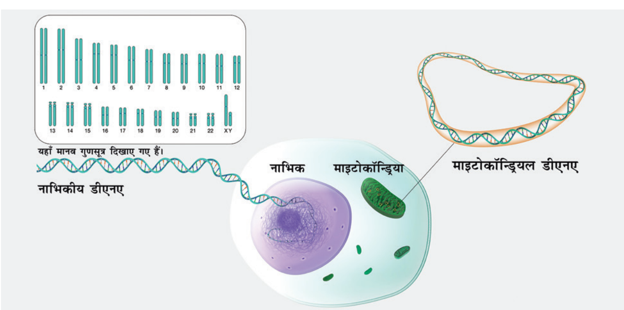

H3N2 फ्लू

एच3एन2 फ्लू वायरस ने पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बड़ी महामारी फैला दी है।

H3N2 इन्फ्लूएंजा के प्रमुख विवरण

1. **परिचय**
   यह इन्फ्लूएंजा ए वायरस का एक उपप्रकार है, जो मुख्यतः 50 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम आयु वालों को प्रभावित करता है।
2. **संक्रमण**
   यह श्वसन बूंदों और संक्रमित सतहों के माध्यम से फैलता है। भीड़भाड़ वाले स्थानों जैसे स्कूलों और नर्सिंग होम्स में संक्रमण का जोखिम अधिक होता है।
3. **लक्षण**
   अचानक तेज बुखार, सर्दी लगना, गले में दर्द, सिरदर्द, मांसपेशियों और शरीर में दर्द।
4. **घर पर उपचार**
   आराम और शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखना द्वारा लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है।
5. **एंटीवायरल दवा**
   उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों को ओसेल्टामिविर दवा दी जाती है।

टाइलेनॉल से जुड़े ऑटिज्म संबंधी मिथक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में दावा किया था कि गर्भावस्था के दौरान टाइलेनॉल (पैरासिटामोल/एसिटामिनोफेन) के इस्तेमाल से ऑटिज्म हो सकता है और उन्होंने इसके इस्तेमाल को सीमित करने का सुझाव दिया था।

टाइलेनॉल के बारे में

- यह एसिटामिनोफेन या पैरासिटामोल का एक ब्रांड नाम है, जिसका उपयोग दर्द निवारक और बुखार कम करने वाली दवा के रूप में किया जाता है।
- यह एक ओवर-द-काउंटर दवा है, जिसका उपयोग सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, गठिया और सर्दी-जुकाम के लक्षणों को कम करने के लिए किया जाता है।
  - ओवर-द-काउंटर दवाएँ उन दवाओं को संदर्भित करती हैं जिन्हें डॉक्टर के पर्चे के बिना सीधे फार्मेसी से खरीदा जा सकता है।

मिग-21 फाइटर जेट

मिकोयान-गुरेविच (मिग-21) लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना ने सेवामुक्त कर दिया।

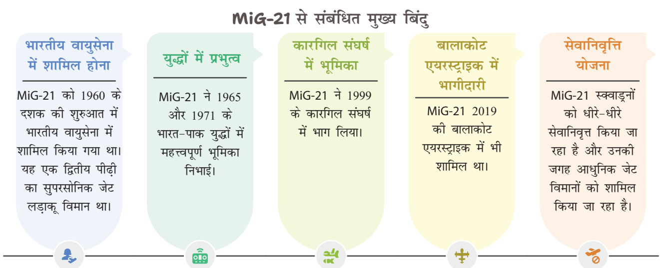

8 समाज

विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए बोर्ड (DWBDNC)

यह विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू (DNT/NT/SNT) समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगातार हो रही देरी और प्रशासनिक बाधाओं को रेखांकित करता है।

बोर्ड के बारे में:

- इसकी स्थापना 2019 में सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी।
- इसका उद्देश्य विमुक्त जनजातियों, घुमंतू जनजातियों और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के विकास और कल्याण की देखभाल करना है।
- **घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियाँ:** इन समूहों को पहले ब्रिटिश शासन के दौरान "आपराधिक जनजातियाँ" कहा जाता था और ये सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रहे।
- बोर्ड का उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं का समन्वय करना, नीतिगत बदलावों का सुझाव देना और इन समूहों का बेहतर समावेश सुनिश्चित करना था।
- इसे डेटा संग्रह, सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी करने और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के साथ लाभों को जोड़ने पर भी काम करना था।

बोर्ड के समक्ष समस्याएँ:

- बोर्ड में केवल दो सदस्य हैं, जबकि कई प्रमुख पद रिक्त हैं।
- इसके वित्तीय अधिकार और शक्तियाँ बहुत सीमित हैं।
- कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है, और कार्यालय स्थान भी अपर्याप्त है।
- विश्वसनीय क्षेत्रवार आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, जिससे नीति नियोजन बहुत कठिन हो जाता है।
- **सुझाव:** बोर्ड के लिए स्थायी कमीशन का दर्जा।
  - सभी राज्यों में मानकीकृत सामुदायिक प्रमाणपत्र।
  - भूमि, आवास और शैक्षिक लाभों सहित आर्थिक सशक्तीकरण के लिए SEED योजना को सुदृढ़ बनाना।

अवैतनिक देखभाल कार्य और महिलाओं के पास समय की कमी: उनकी पसंद या उनका कर्त्तव्य

केरल के तिरुवनंतपुरम में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के समय उपयोग सर्वेक्षण (TUS) सम्मेलन में, विशेषज्ञों ने सरकार से इस बात की जाँच करने का आग्रह किया कि क्या महिलाओं की अवैतनिक देखभाल उनकी पसंद या सामाजिक दायित्व से उपजी है।

समय उपयोग सर्वेक्षण (TUS):

- **संचालक:** सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
- **उद्देश्य:** यह मापना कि लोग विभिन्न गतिविधियों जैसे कि वेतनभोगी कार्य, शिक्षण, घरेलू कार्य और अवैतनिक देखभाल पर कितना समय व्यतीत करते हैं।
- नवीनतम परिणाम (2024) अवैतनिक देखभाल कार्यों में महत्त्वपूर्ण लैंगिक असमानता दर्शाते हैं।

अवैतनिक देखभाल कार्य और उसके निहितार्थ:

- **समय की कमी:** अवैतनिक देखभाल का असमान बोझ महिलाओं की सवेतन कार्य या कौशल-निर्माण में संलग्न होने की क्षमता को कम करता है।
- वर्ष 2014 के एक अध्ययन में पाया गया कि अवैतनिक कार्य में हर दो घंटे की वृद्धि से महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) में 10% की गिरावट आती है। भारत का महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) 2024:
  - **कुल मिलाकर:** 33.7% (पुरुषों की भागीदारी 77%)
  - **युवा (15-29 वर्ष):** 21.4% (युवा पुरुषों की भागीदारी 60.7%)

अवैतनिक देखभाल कार्य के रुझान:

- वर्ष 2024 के टाइम यूज सर्वे में पाया गया कि भारतीय प्रतिदिन औसतन 116 मिनट अवैतनिक देखभाल पर बिताते हैं, जिसमें महिलाएँ 137 मिनट समर्पित करती हैं; जो पुरुषों की तुलना में लगभग दोगुना है।
- युवा महिलाएँ (15-29 वर्ष) अब प्रतिदिन 164 मिनट देखभाल पर बिताती हैं; जो वर्ष 2019 में 154 मिनट था जबकि पुरुषों का समय केवल दो मिनट बढ़ा।

आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर (OOPE)

भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय में 39.4% हिस्सा स्वयं द्वारा किया जाने वाला व्यय है, जो चिकित्सा क्षेत्र में गरीबी को बढ़ावा देता है तथा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा उत्पन्न करता है।

OOPE के बारे में:

- आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय वह धनराशि है जो लोग स्वास्थ्य सेवा के लिए सीधे अपनी जेब से देते हैं। इसमें डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ, अस्पताल का खर्च, जाँच और परिवहन का खर्च शामिल है।
- इसमें सरकार या बीमा द्वारा भुगतान की जाने वाली लागतें शामिल नहीं हैं।

NHA का अनुमान:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) परिवारों, सरकार और अन्य लोगों द्वारा किए गए स्वास्थ्य व्यय पर नजर रखता है।
- एनएचए 2017-18 के अनुसार, ओओपीई 2013-14 के 64% से घटकर 2017-18 में 49% हो गया।
- एनएचए 2021-22 के अनुसार, ओओपीई कुल स्वास्थ्य व्यय का और भी कम होकर 39% रह गया है।

NEXT IAS हिन्दी

ओओपीई को कम करने के लिए सरकारी पहल

पहल	आयुष्मान भारत	मुफ्त दवाइयाँ और जाँच	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	डिजिटल स्वास्थ्य पहल	जन औषधि योजना
विवरण	10 करोड़ से अधिक परिवारों को कवर करता है, 25 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज प्रदान करता है।	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त दवाइयाँ और परीक्षण उपलब्ध कराए जाते हैं।	ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत बनाता है।	ई-संजीवनी के माध्यम से टेली-परामर्श की सुविधा प्रदान करता है।	केंद्रों के माध्यम से सस्ती जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराता है।

चिंताएँ:

- **चिकित्सा दरिद्रता:** विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, उच्च ओओपीई हर साल 55 मिलियन भारतीयों को गरीबी में जीवन व्यतीत करने पर विवश करता है।
- **देखभाल से इनकार:** लागत के डर से इलाज में देरी होती है या उसे छोड़ दिया जाता है, जिससे रुग्णता और रोकी जा सकने वाली मौतें बढ़ जाती हैं।
- **असमान पहुँच:** ग्रामीण, गरीब और हाशिए पर रहने वाले समूहों को उच्च ओओपीई का सामना करना पड़ता है, जिससे आवश्यक देखभाल सीमित हो जाती है।

कमजोर वर्गों के विरूद्ध बढ़ते अपराध

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारत में अपराध 2023 रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने भारत में 2023 में होने वाले अपराधों की रिपोर्ट में बताया है कि 2022 की तुलना में कुल अपराधों में 7.2% की वृद्धि हुई है, जो कुल 62.4 लाख से अधिक मामलों की संख्या है।
  - 2023 में, भारत में हर पाँच सेकंड में एक अपराध दर्ज किया जाएगा।
- **बदलते अपराध पैटर्न**
  - **साइबर अपराध:** 2023 में 31.2% की वृद्धि, मुख्यत: धोखाधड़ी, जो तेजी से बढ़ते डिजिटलीकरण के जोखिम को दर्शाता है।
  - **मेट्रो शहर:** शहरी अपराधों में 10.6% की वृद्धि हुई, जिसमें दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले सामने आए।

NEXT IAS हिन्दी

सुभेद्य वर्गों के विरुद्ध अपराध

श्रेणी	कुल केस (2023)	कुल केस (2022)	% परिवर्तन	मुख्य बिंदु
अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध	12,960	10,064	+28.8%	मणिपुर में सबसे ज्यादा अपराध दर (3,399); **प्रमुख अपराध:** साधारण चोट (2,757), दंगे (1,707), बलात्कार (1,189)
अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध	57,789	57,582	+0.4%	मामूली वृद्धि; अपेक्षाकृत स्थिर
महिलाओं के विरुद्ध अपराध	4,48,211	4,45,256	+0.7%	**प्रमुख विषय:** • पति/रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (1,33,676), • अपहरण/हरण (88,605), • शीलभंग करने के लिए हमला (83,891), पॉक्सो (66,232)
बच्चों के विरुद्ध अपराध	1,77,335	1,62,449	+9.2%	अपहरण/व्यपहरण (79,884), पॉक्सो (67,694)
किशोर अपराध	31,365	30,555	+2.7%	**गिरफ्तार किए गए किशोर:** 40,036; अधिकांश (79%) 16-18 वर्ष की आयु के हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

- **स्थापना और भूमिका:** 1986 में गृह मंत्रालय के अधीन भारत भर में अपराध संबंधी आँकड़े एकत्र करने, संकलित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए स्थापित।
- **प्रमुख कार्य:** अपराध रिकॉर्ड बनाए रखना, वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करना और पुलिस आधुनिकीकरण में सहयोग करना।
  - राष्ट्रीय अपराध आँकड़े प्रकाशित करना।
  - भारत में अपराध, आकस्मिक मृत्यु एवं आत्महत्याएँ और कारागार आँकड़े।

9 संस्कृति एवं इतिहास

छठ महापर्व

भारत यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 'छठ' को शामिल करने के लिए बहुराष्ट्रीय नामांकन की संभावना तलाश रहा है।

परिचय:

- सूर्य देव और देवी छठी मैया को समर्पित छठ महापर्व भारत के सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक है।
- यह बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में व्यापक रूप से मनाया जाता है।
  - इसके अलावा यह मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड जैसे देशों में भी प्रवासी भारतीयों द्वारा मनाया जाता है।
- यह चार दिवसीय त्योहार, जो अपने पारिस्थितिक और समतावादी लोकाचार के लिए जाना जाता है, प्रकृति के प्रति श्रद्धा, स्थिरता, समावेशिता और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देता है।

यूनेस्को अमूर्त विरासत में भारत का स्थान:

- भारत में पहले से ही 15 तत्त्व अमूर्त विरासत के रूप में अंकित हैं (जैसे, योग, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा)।
- **नोडल एजेंसी:** संगीत नाटक अकादमी भारत के नामांकन का समन्वय करती है।
- समावेशन के लिए, राज्य पक्षों को 2003 यूनेस्को कन्वेंशन के अंतर्गत एक नामांकन दस्तावेज प्रस्तुत करना होता है।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH)

- सांस्कृतिक विरासत में स्मारक, परंपराएँ, रीति-रिवाज और ज्ञान शामिल हैं, और अमूर्त विरासत विविधता को संरक्षित करती है, संवाद को बढ़ावा देती है और पीढ़ियों के बीच महत्त्वपूर्ण कौशल का संचार करती है।
- **पारंपरिक और जीवंत:** अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में विविध समुदायों में विरासत में मिली परंपराएँ और समकालीन प्रथाएँ, दोनों शामिल हैं।
- **समावेशिता की प्रकृति:** अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्षेत्रों और संस्कृतियों से परे होती है और पीढ़ियों के साथ विकसित होकर पहचान, निरंतरता और सामाजिक एकता को बढ़ावा देती है।
- **प्रतिनिधि:** अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को विशिष्टता या दुर्लभता के बजाय, समुदायों में उसकी भूमिका और पीढ़ियों से चली आ रही विरासत के लिए महत्त्व दिया जाता है।
- **समुदाय-आधारित:** अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तभी अस्तित्व में रहती है जब उसे बनाने और प्रसारित करने वाले समुदायों द्वारा मान्यता दी जाती है और उसका रखरखाव किया जाता है।

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (NAI) द्वारा राष्ट्रीय अभिलेखपाल समिति (NCA) की 50वीं स्वर्ण जयंती बैठक आयोजित की गई।

परिचय:

- यह भारत सरकार का प्रमुख अभिलेखागार है, जो राष्ट्र की दस्तावेजी धरोहर को संरक्षित और संजोकर रखने के लिए कार्य करता है।
- इसकी स्थापना मूल रूप से वर्ष 1891 में कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) में "इम्पीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट" के रूप में की गई थी, और बाद में 1911 में इसे नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया, जहाँ यह सर एडविन लुटियन्स द्वारा डिजाइन की गई इमारत में स्थित है।
- राष्ट्रीय अभिलेखागार (NAI) संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है और भारत सरकार के गैर-प्रचलित अभिलेखों का संरक्षक है।
- इसका प्रमुख "महानिदेशक (अभिलेखागार)" होता है, जो सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 तथा नियम, 1997 के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है।

सारनाथ

भारत ने सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची (2025-26) के लिए नामांकित किया है। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ब्रिटिशों के स्थान पर स्थानीय शासक के परिवार को श्रेय देने के लिए पट्टिका को संशोधित करेगा

परिचय:

- **स्थान:** यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित है।
- चार प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थलों में से एक (अन्य: लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर)।
- **ऐतिहासिक महत्त्व:** बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया (लगभग 528 ईसा पूर्व)।
  - इस घटना को "धम्मचक्रप्रवर्तन" या "धर्म चक्र प्रवर्तन" कहा जाता है।
  - इसने बौद्ध संघ (भिक्षुओं के समुदाय) की शुरुआत को चिह्नित किया।
- **स्मारक और संरचनाएँ:**
  - धमेख स्तूप – अशोक द्वारा निर्मित, बुद्ध के प्रथम उपदेश का स्मरण कराता है।
  - चौखंडी स्तूप – वह स्थान है जहाँ बुद्ध अपने प्रथम शिष्यों से मिले थे।
  - अशोक स्तंभ – सम्राट अशोक द्वारा निर्मित; इसका सिंह शीर्ष अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है।
  - मठ और अवशेष – प्राचीन विहारों, मंदिरों और मूर्तियों के खंडहर।

- **अशोक का योगदान:** सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सारनाथ की यात्रा की थी। उन्होंने स्तूपों, मठों का निर्माण कराया और धर्म को बढ़ावा देने वाले शिलालेख खुदवाए।
  - सारनाथ स्थित अशोक के सिंह शीर्ष को 1950 में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया।

स्तूपों के बारे में

- स्तूप एक गुंबद के आकार का बौद्ध स्मारक है जिसमें धार्मिक और आध्यात्मिक महत्त्व के प्रतीक अवशेष या पवित्र वस्तुएँ रखी जाती हैं।
- **मेधी:** चौकोर आधार वाला चबूतरा, जिसके चारों ओर अक्सर एक वेदिका (चारदीवारी) होती है।
- **अंडा:** अर्धगोलाकार गुंबद जिसमें अवशेष या प्रतीक रखे होते हैं।
- **हर्मिका:** गुंबद के ऊपर चौकोर रेलिंग, जो एक पवित्र घेरे का प्रतीक है।
- **यस्ति:** केंद्रीय शिखर जो अक्ष मुंडी (ब्रह्मांडीय अक्ष) का प्रतिनिधित्व करता है।
- **छत्र:** यस्ति के ऊपर छत्रों की शृंखला, जो सुरक्षा और बुद्ध की शिक्षाओं का प्रतीक है।
- **तोरण:** मुख्य दिशाओं में अलंकृत द्वार, जो दर्शाते हैं।
- **प्रमुख घटनाएँ:**
  - **पूर्व:** जन्म
  - **दक्षिण:** ज्ञानोदय
  - **पश्चिम:** प्रथम उपदेश
  - **उत्तर:** निर्वाण

गुस्सड़ी नृत्य (GUSSADI DANCE)

तेलंगाना के आदिलाबाद जिले की राज गोंड जनजाति के सदस्यों द्वारा 78वें हैदराबाद मुक्ति दिवस पर गुस्सड़ी नृत्य प्रस्तुत किया गया।

परिचय:

- गुस्सड़ी राज गोंड जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है, विशेष रूप से आदिलाबाद (तेलंगाना) और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में।
- यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, जो डंडारी नामक समूहों में संगठित होते हैं और उनके भीतर छोटे समूहों को गुस्सड़ी कहा जाता है।
  - वे केसरिया और हल्दी रंग के वस्त्र पहनते हैं और पैरों और कमर पर पट्टियाँ बाँधते हैं।
  - नृत्य के दौरान, कलाकार मोर पंख, हिरण के सींग और बकरी की खाल से जड़ी पगड़ियों सहित जीवंत पोशाक पहनते हैं।
  - वे दप्पू, तुडुम, पिपरी और कोलिकम्मू जैसे वाद्ययंत्रों का उपयोग करते हैं।
- राज गोंड समुदाय के प्रसिद्ध कलाकार कनक राजू को गुसाड़ी नृत्य के संरक्षण/शिक्षण में उनकी भूमिका के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

भारत की यूनेस्को की संभावित सूची में वृद्धि

भारत के सात प्राकृतिक धरोहर स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है, जिससे इस संभावित सूची में भारत के स्थलों की संख्या 62 से बढ़कर 69 हो गई है।

नए जोड़े गए स्थलों के बारे में

- **पंचगनी और महाबलेश्वर, महाराष्ट्र स्थित डेक्कन ट्रैप:** ये स्थल विशाल डेक्कन ट्रैप का हिस्सा हैं और कोयना वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित हैं।
  - यह पहले से ही यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
- **सेंट मैरी द्वीप समूह, कर्नाटक की भूवैज्ञानिक विरासत:** अपनी दुर्लभ स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टान संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध, यह द्वीप समूह उत्तर क्रेटेशियस काल (85 मिलियन वर्ष पूर्व) का है।
- **मेघालयन युग की गुफाएँ, मेघालय:** मेघालय की अद्भुत गुफा प्रणालियाँ, विशेष रूप से मावम्लुह गुफा, होलोसीन युग में मेघालयन युग के लिए वैश्विक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करती हैं।
- **नागा हिल ओफियोलाइट, नागालैंड:** उजागर समुद्री भूपर्पटी, टेक्टोनिक और मध्य-महासागरीय कटक प्रक्रियाओं को दर्शाती है।
- **एर्रा मट्टी डिब्बालु (लाल रेत की पहाड़ियाँ), आंध्र प्रदेश:** लाल रेत की पहाड़ियाँ, जो पुरा-जलवायु और तटीय भू-आकृति विज्ञान को दर्शाती हैं।
- **आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स की प्राकृतिक विरासत:** एपार्चियन अनकन्फॉर्मिटी और सिलाथोरनम (प्राकृतिक मेहराब) की विशेषता वाला यह स्थल पृथ्वी के 1.5 अरब वर्षों से भी अधिक के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है।
- **वर्कला चट्टानें, केरल:** केरल के समुद्र तट के किनारे स्थित मनोरम चट्टानें, प्राकृतिक झरनों और अद्भुत अपरदनकारी भू-आकृतियों के साथ, मायो-प्लियोसीन युग की वर्कली संरचना को उजागर करती हैं।

रोश हशनाह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को रोश हशनाह की हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं।

परिचय:

- रोश हशनाह एक यहूदी त्योहार है जो विश्व के निर्माण और नए साल की शुरुआत का जश्न मनाता है। यह एक पवित्र दिन है जो आत्मचिंतन, क्षमा और आने वाले वर्ष के लिए प्राथमिकताएँ निर्धारित करने पर केंद्रित है।
- यहूदी लोगों का मानना है कि इस दौरान, ईश्वर पिछले वर्ष के उनके कर्मों का मूल्यांकन करके अगले वर्ष के लिए उनके भाग्य का निर्धारण करते हैं।

10 विविध

स्कोप एमिनेंस अवार्ड्स

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में स्कोप एमिनेंस अवार्ड्स 2022-23 प्रदान किए।

परिचय:

- यह विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSEs) की उल्लेखनीय उपलब्धियों और योगदानों को स्मरण करने का एक प्रयास है और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सर्वोच्च सम्मानों में से एक है।
- यह राष्ट्र निर्माता के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को मान्यता देने की दिशा में SCOPE के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।

सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (SCOPE)

- इसकी स्थापना 1973 में हुई थी।
- यह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है और नवंबर 1976 में इसे औपचारिक रूप से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के एक शीर्ष निकाय के रूप में मान्यता दी गई थी।
- **यह चार प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है:** नीति वकालत, कार्यक्रम और कार्यशालाएँ, क्षमता निर्माण, और कौशल विकास एवं ब्रांड निर्माण।

रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, 2025

लड़कियों की शिक्षा के लिए समर्पित एक भारतीय गैर-लाभकारी संस्था, 'फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली' को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

परिचय:

- **स्थापना:** 1958, फिलीपींस के सातवें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में, जो अपनी ईमानदारी, साहस और लोकतांत्रिक नेतृत्व के लिए जाने जाते थे।
- **स्थापना:** रॉकफेलर ब्रदर्स फंड (RBF) द्वारा, फिलीपींस सरकार के साथ साझेदारी में।
- **प्रशासन:** रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन (RMAF), मनीला।
- **प्रकृति:** एशिया में निस्वार्थ सेवा और परिवर्तनकारी नेतृत्व का प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों या संगठनों को मान्यता प्रदान करता है।
- **प्रतिष्ठा:** एशिया का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, जो एशिया के नोबेल पुरस्कार के बराबर है। वर्ष 1958 से 2008 तक, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष छह श्रेणियों में दिया जाता था, जो इस प्रकार हैं:
  - सरकारी सेवा, लोक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, रचनात्मक संचार कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ, और उभरता नेतृत्व।
  - 2009 से, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अब उभरता नेतृत्व को छोड़कर, किसी भी निश्चित पुरस्कार श्रेणी में नहीं दिया जा रहा है।

भूपेन हजारिका की 99वीं जयंती

प्रधानमंत्री ने हाल ही में डॉ. भूपेन हजारिका को उनकी 99वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी।

डॉ. भूपेन हजारिका के बारे में

- 8 सितंबर, 1926 को असम के सादिया में जन्मे, उन्हें "ब्रह्मपुत्र के कवि" और "सुधाकंठा" (कोयल) के नाम से जाना जाता था।
- उनके संगीत में प्रकृति, प्रेम, बंधुत्व और सामाजिक संघर्ष झलकते थे, जो असमिया, हिंदी, बंगाली और अन्य भाषाओं में रचे गए थे।
- उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में बिस्टिरनो परे (Bistirno Parare), विश्वविद्यालय का गान जिलिकाबा लुइतारे पार (Jilikaba Luitare Paar) और रुदाली (1994) जैसी फिल्म रचनाएँ शामिल हैं।
- उन्होंने एरा बटोर सुर (Era Bator Sur– 1956) और शकुंतला (1960) जैसी फिल्मों के माध्यम से असमिया सिनेमा में योगदान दिया और पूर्वोत्तर लोक संस्कृति पर आधारित वृत्तचित्र फिल्में बनाई।

पुरस्कार और मान्यता

- दादा साहब फाल्के पुरस्कार (1992), पद्म श्री (1977), पद्म भूषण (2001), पद्म विभूषण (2012, मरणोपरांत), और भारत रत्न (2019, मरणोपरांत)।
- उन्हें मुक्तिजोद्धा पदक (Muktijoddha Padak) (2011, बांग्लादेश) से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उनकी स्मृति में भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड (IESO–2025)

पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने चीन में आयोजित "अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड" (IESO-2025) में भारतीय टीम के विजेता छात्रों को सम्मानित किया।

परिचय:

- टीम इंडिया ने कुल सात पदक जीते – 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य – साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान युवा आंदोलन रिपोर्टर श्रेणी में तीसरा पुरस्कार भी प्राप्त किया।
- मंत्रालय भारत में 300 केंद्रों पर भारतीय राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड (INESO) का आयोजन करके प्रति वर्ष आईईएसओ के छात्रों का समर्थन करता है।

अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड

- इसकी स्थापना 2003 में अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान शिक्षा संगठन (IGEO) द्वारा की गई थी। यह बारह अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड में से एक है।

- यह विश्व भर के माध्यमिक विद्यालय के छात्रों (कक्षा IX-XII) के लिए एक वार्षिक प्रतियोगिता है। भारत 2007 से इसमें भाग ले रहा है और 2013 में मैसूर में इसके 10वें संस्करण की मेजबानी की थी।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य विश्व भर में भूविज्ञान शिक्षा के स्तर को बढ़ाना और पृथ्वी विज्ञान के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है।

अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान शिक्षा संगठन:

- **प्रकृति:** ये वर्ष 2000 में स्थापित एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- **उद्देश्य:** सभी स्तरों (विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक शिक्षा) पर भूविज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देना।
- **सदस्यता:** इसकी सदस्यता विश्व भर के व्यक्तिगत भूविज्ञान शिक्षकों, संस्थानों और संगठनों के लिए खुली है।

विश्व मुक्केबाजी चौंपियनशिप 2025

जैस्मीन लैम्बोरिया और मीनाक्षी हुड्डा ने लिवरपूल, यूके में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चौंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है।

परिचय:

- यह प्रतियोगिता एम एंड एस बैंक एरिना, लिवरपूल, यूके में आयोजित की गई थी और इसमें सभी महाद्वीपों के 65 से अधिक देशों के 550 से अधिक मुक्केबाजों ने भाग लिया था।
- 2025 का संस्करण ऐतिहासिक था, क्योंकि इसमें पहली बार एलीट स्तर पर नए वैश्विक मुक्केबाजी महासंघ, वर्ल्ड बॉक्सिंग के अंतर्गत पुरुष और महिला दोनों वर्गों के मुकाबलों को शामिल किया गया था।
- कजाकिस्तान 7 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, जो उज्बेकिस्तान और भारत से आगे था।

सार्वजनिक वित्तीय परिसंपत्ति प्रबंधन (PFAM) कार्यक्रम

ईपीएफओ के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त विवेकानंद गुप्ता को सार्वजनिक वित्तीय परिसंपत्ति प्रबंधन (PFAM) कार्यक्रम 2025-26 के लिए चुना गया है।

PFAM कार्यक्रम के बारे में

- पीएफएएम विश्व बैंक और मिल्केन इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक प्रतिष्ठित पहल है।
- यह एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त नेतृत्व पहल है जिसका उद्देश्य वरिष्ठ पेशेवरों को पूँजी बाजार, शासन ढाँचे और रणनीतिक परिसंपत्ति प्रबंधन में अत्याधुनिक विशेषज्ञता से लैस करना है।
- वर्ष 2025-26 के समूह में 13 देशों के 16 प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें 11 केंद्रीय बैंकों से, तीन सॉवरेन वेल्थ फंड्स से और दो पेंशन फंड्स से हैं।
- इस पहल के अंतर्गत चयन से भारत पहली बार वैश्विक वित्तीय पेशेवरों के इस विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)

- ईपीएफओ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है।
- यह कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 का प्रशासन करता है।
- **उद्देश्य:** सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना।
  - कर्मचारियों में स्वैच्छिक बचत को बढ़ावा देना।
  - भविष्य निधि, पेंशन और बीमा योजनाओं का विनियमन एवं पर्यवेक्षण करना आदि।

गुजरात का सौर गाँव धोरडो

प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के भावनगर में 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम के दौरान धोर्डो को "सौर गाँव" के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया।

परिचय:

- मेहसाणा के मोढेरा, खेड़ा के सुखी और बनासकांठा के मसाली के बाद, धोरडो राज्य का चौथा सौर ऊर्जा संचालित गाँव बन गया है।
  - यह गुजरात के कच्छ में स्थित एक सुदूर गाँव है जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव' का दर्जा दिया गया है।
- **प्रधानमंत्री सूर्य घर:**
  - मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत, धोरडो में प्रत्येक आवासीय बिजली कनेक्शन को सौर ऊर्जा से सुसज्जित किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि घर अपनी स्वच्छ ऊर्जा स्वयं उत्पन्न कर सकें।
  - इस प्रणाली से सालाना 2.95 लाख यूनिट बिजली उत्पन्न होने का अनुमान है, जिससे निवासियों को सीधे तौर पर आर्थिक राहत मिलेगी।

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

- इसे वर्ष 2024 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य छतों पर सौर पैनल लगाने की सुविधा प्रदान करके घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है।
- **स्थापना लक्ष्य:**
  - **अक्टूबर 2025 तक:** 40 लाख तक पहुँचना।
  - **मार्च 2027 तक:** 1 करोड़ घरों तक पहुँचना।
- यह योजना घरों को 40% तक की सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा अधिक किफायती और सुलभ हो जाती है।
- **योग्यता:**
  - परिवार के सभी सदस्य भारतीय नागरिक होने चाहिए।
  - परिवार के पास वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए।
  - परिवार के पास सौर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त छत वाला घर होना चाहिए।
  - परिवार द्वारा सौर पैनलों के लिए किसी अन्य सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया गया हो।

राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार-2024

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार-2024 प्रदान किए।

राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कारों का अवलोकन

खनन मंत्रालय
यह पुरस्कारों के लिए जिम्मेदार सरकारी निकाय है।

आजीवन उपलब्धि पुरस्कार
पूरा करियर में किए गए महत्त्वपूर्ण योगदानों के लिए सम्मानित किया जाता है।

युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार
इस क्षेत्र में उभरती प्रतिभाओं को सम्मानित करता है।

राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार

उत्कृष्टता और नवाचार
उपलब्धियों को पहचानने के मुख्य मानदंड हैं।

राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार
भूविज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदानों को मान्यता प्रदान करता है।

वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार

महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता मोहनलाल को वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

दादा साहेब फाल्के पुरस्कार

पुरस्कार की स्थापना
यह पुरस्कार 1969 में स्थापित किया गया था।

प्रदान स्थल
यह पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाता है।

प्रथम प्राप्तकर्ता
देविका रानी को 1969 में पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था।

चयन समिति
यह पुरस्कार भारतीय फिल्म उद्योग की प्रतिष्ठित हस्तियों की समिति द्वारा सिफारिश के आधार पर प्रदान किया जाता है।

पुरस्कार में शामिल वस्तुएँ
इसमें स्वर्ण कमल, शॉल और नकद पुरस्कार शामिल हैं।

11 डेटा पुनर्कथन

विकलांग व्यक्ति (PwDs)

- भारत में 2.68 करोड़ विकलांग व्यक्ति हैं (जनसंख्या का 2.21%) जिनमें से 69% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं (जनगणना 2011)
- **RPwD अधिनियम, 2016** ने नौकरियों में आरक्षण को 4% और उच्च शिक्षा में 5% तक बढ़ाया तथा 21 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी।
- **प्रमुख कल्याणकारी योजनाएँ:** सुगम्य भारत अभियान, एडीआईपी (ADIP) योजना, और दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (DDRS)।
- **सर्वोच्च न्यायालय (2025)** ने विकलांगों के साथ योग्यता-आधारित समावेशन से इनकार को "शत्रुतापूर्ण भेदभाव" कहा।

न्यायिक लंबित मामले

- सर्वोच्च न्यायालय में 88,492 मामले लंबित हैं (69,605 दीवानी एवं 18,887 आपराधिक)।
- **न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात:** प्रति दस लाख लोगों पर केवल 21 न्यायाधीश, जबकि अनुशंसित संख्या 50 है।
- ई-कोर्ट्स और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) के माध्यम से डिजिटल फाइलिंग और रीयल-टाइम निगरानी शुरू की गई।
- अंडरट्रायल कैदी (अभियोजनाधीन) कुल कैदियों का 76% हैं, जिससे न्याय वितरण में देरी स्पष्ट होती है।

वन अधिकार अधिनियम (FRA) – UNDP रिपोर्ट

- वन अधिकार अधिनियम, 2006 व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों वन अधिकारों को मान्यता देता है।
- रिकॉर्ड प्रबंधन कमजोर है (कई राज्यों विशेषकर छत्तीसगढ़ में शीर्षक दस्तावेज गुम हैं)। सनसेट क्लॉज (समाप्ति प्रावधान) को अस्वीकार किया गया।
- वन अधिकार अधिनियम को NRLM और PESA से जोड़ने की सिफारिश की गई है ताकि स्वशासन और आजीविका मजबूत हों।

विशाखापट्नम घोषणा – ई-गवर्नेंस (2025)

- **थीम:** "विकसित भारत: सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन"।
- शासन और नागरिक सेवाओं में AI, ML, ब्लॉकचेन, IoT को बढ़ावा।
- डिजिटल साक्षरता केवल 38%; इंटरनेट पहुँच – ग्रामीण: 17%, शहरी: 44%
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) से लगभग 27 अरब डॉलर की बचत हुई, जिससे रिसाव और बिचौलियों में कमी आई।

भारत के महान्यायवादी

- अनुच्छेद 76 के अंतर्गत स्थापित; राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त।
- आर. वेंकटरमणि को 2025 में दो वर्षों के लिए पुनर्नियुक्त किया गया।
- कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ये राष्ट्रपति की इच्छा पर पद पर बने रहते हैं।
- निजी प्रैक्टिस की अनुमति, जिससे हितों का टकराव संभव।

भारत-सिंगापुर संबंध

- **द्विपक्षीय व्यापार:** 34.3 अरब डॉलर (2024-25); व्यापार घाटा: 8.3 अरब डॉलर।
- सिंगापुर भारत का शीर्ष FDI स्रोत है (14.9 अरब डॉलर, कुल प्रवाह का 24%)
- यूपीआई पे नाऊ (UPI–PayNow) लिंक ने फिनटेक और भुगतान प्रणाली में सहयोग स्थापित किया।
- JNPA चरण-2 टर्मिनल (PSA के साथ) भारत के 54% कंटेनर कार्गो को संभालता है।

बैंकिंग क्षेत्र

- बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025 – शासन और लेखा-परीक्षण सुधार हेतु 19 संशोधन।
- **साइबर घटनाएँ:** भारत के कुल साइबर हमलों में से लगभग 20% बैंकिंग क्षेत्र पर।
- **4R रणनीति (2014):** पहचान (Recognition), समाधान (Resolution), पुनर्पूंजीकरण (Recapitalisation), सुधार (Reform)
- **इंद्रधनुष ढाँचा (2015):** बैंकों के पुनरुत्थान हेतु 7 स्तंभों वाला सुधार कार्यक्रम।

दलहन क्षेत्र

- **भारत:** वैश्विक क्षेत्रफल का 38% और उत्पादन का 28%; औसत उत्पादकता 0.74 टन/हेक्टेयर, जबकि वैश्विक औसत 0.97 टन/हेक्टेयर।
- मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेज (2025-31) – मुख्य रूप से अरहर (तूर), उड़द और मसूर पर केंद्रित।
- 111 उच्च संभावनाशील जिलों में "वन ब्लॉक – वन सीड विलेज" मॉडल लागू।
- 1.5 लाख टन का बफर स्टॉक मूल्य स्थिरता के लिए रखा गया।

ब्लू इकॉनोमी

- नीली क्रांति वर्ष 2015 में प्रारंभ हुई।
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने पर्यावरण-संतुलित मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया है ।
- सागरमाला परियोजना के अंतर्गत निजी निवेश केवल 15% है। डीप ओशन मिशन (2021) – समुद्र अन्वेषण और स्वच्छ ऊर्जा हेतु शुरू किया गया।
- ब्लू स्किल्स कार्यक्रम के अंतर्गत 2028 तक 50,000 लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

NEXT IAS हिन्दी

स्वयं परीक्षण

Visit: ***www.nextias.com*** *for monthly compilation of Current based MCQs*

मुख्य परीक्षा प्रश्न

जीएस पेपर-I

1. भारत में घरेलू हिंसा और लैंगिक असमानता में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारक, विशेष रूप से पितृसत्ता और लैंगिक रूढ़िवादिता, किस प्रकार योगदान करते हैं? स्पष्ट कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**
2. सारनाथ बौद्ध धर्म के प्रसार में ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। बुद्ध के प्रथम उपदेश और संघ की वृद्धि के संदर्भ में इसकी महत्ता स्पष्ट कीजिए। विवेचना कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**
3. उष्णकटिबंधीय चक्रवात महासागर और वायुमंडल के परस्पर क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। इनके कारणों और क्षेत्रीय वितरण पर चर्चा कीजिए, विशेष रूप से हिंद महासागर के संदर्भ में। **(10 अंक, 150 शब्द)**
4. सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) की कला और शिल्प का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएँ क्या थीं, और इसके आधुनिक पुरातात्त्विक अभ्यासों पर क्या प्रभाव पड़े इस पर चर्चा कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**
5. भारत में तीव्र शहरीकरण ने सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं तथा असमानताओं को और बढ़ाया है। चर्चा कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**
6. क्या भारतीय धर्मनिरपेक्षता वास्तव में समावेशी है, या यह राष्ट्र की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की उपेक्षा करती है? सहिष्णुता, समन्वय और बहुलतावाद के संदर्भ में विवेचना कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**

जीएस पेपर-II

7. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016, अधिकारियों और नागरिकों में पर्याप्त जागरूकता के अभाव में अप्रभावी बना हुआ है। उच्चतम न्यायालय की यह टिप्पणी कि वर्तमान आरक्षण प्रथाएँ 'विरोधी भेदभाव' के समान हैं, भारत की सकारात्मक भेदभाव नीति पर क्या प्रभाव डालती है? चर्चा कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**
8. वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का साधन भी है। विशेष रूप से मध्यस्थता और सुलह को सशक्त बनाकर भारत में बढ़ते मामलों के बोझ को कैसे कम किया जा सकता है? विवेचना कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**
9. जनजातीय समुदायों के समक्ष अपनी संस्कृति को संरक्षित रखने और मुख्यधारा के विकास में शामिल होने, दोनों की दोहरी चुनौती है। इस संदर्भ में वन अधिकार अधिनियम, 2006 तथा आदिम जनजातियों के संरक्षण अधिनियम, 1956 के परिप्रेक्ष्य में चर्चा कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**
10. डिजिटल इंडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में ई-गवर्नेंस के अगले चरण का मार्गदर्शन किन सिद्धांतों द्वारा होना चाहिए ताकि पारदर्शिता, समावेशिता और नागरिकों का विश्वास सुनिश्चित किया जा सके? समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**
11. चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति ने एशिया की भू-राजनीति को पुनः परिभाषित किया है। भारत का शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के प्रति दृष्टिकोण उसकी रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक दृष्टि को किस प्रकार प्रतिबिंबित करता है? विवेचना कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**
12. भारत-सिंगापुर संबंध भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। पिछले एक दशक में इन संबंधों का विकास और सुदृढ़ीकरण किस प्रकार हुआ है, इसकी परीक्षा कीजिए। **(10 अंक, 150 शब्द)**

जीएस पेपर-III

13. भारत में समावेशी और सतत् विकास के लिए बैंकिंग क्षेत्र अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, परंतु यह कई संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रहा है। चर्चा कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**
14. भारत की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार बहु-आयामी परिवहन लॉजिस्टिक लागत को कम कर वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकता है। उदाहरण सहित समझाइए। **(15 अंक, 250 शब्द)**
15. भारत की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से कृषि से सेवा क्षेत्र की ओर स्थानांतरित हुई है, जबकि औद्योगिक चरण लगभग छूट गया है। क्या भारत एक सशक्त औद्योगिक आधार के बिना विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त कर सकता है? सेवाक्षेत्र की तीव्र वृद्धि के कारणों की समालोचनात्मक समीक्षा कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**
16. महत्त्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals) भारत की आर्थिक सुरक्षा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**
17. एथेनॉल मिश्रण क्या है, और यह भारत के ऊर्जा लक्ष्यों को किस प्रकार सहारा देता है? इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए तथा सुधार हेतु उपाय सुझाइए। **(10 अंक, 150 शब्द)**
18. 21वीं सदी में सीमाएँ केवल भौतिक ही नहीं, बल्कि डिजिटल भी हैं। भारत की साइबर खतरों के प्रति कमजोरियों की जाँच कीजिए और इसकी साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल संप्रभुता को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइए। **(10 अंक, 150 शब्द)**
19. भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र की विकास क्षमता का परीक्षण कीजिए और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु आवश्यक उपाय सुझाइए। **(10 अंक, 150 शब्द)**
20. भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करने में स्वदेशी मिसाइल विकास की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रमुख मिसाइल प्रणालियों के उदाहरण देकर इनके राष्ट्रीय सुरक्षा तथा क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन पर प्रभाव की व्याख्या कीजिए। **(15 अंक, 250 शब्द)**